लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र]

Tenth Session

सत्यमेव जयते

[खण्ड 38 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXXVIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक - 22, मंगलवार, 24 मार्च, 1970/3 चैत्र, 1892 (शक)
No.—22, Tuesday, March 24, 1970/Chaitra 3, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
571. भारत में विदेशी फर्मों में विदेशियों के शेयर	Shares of Foreigners in Foreign Firms in India	1—7
572. दस प्रमुख उद्योग-गृहों को ऋण तथा उनके द्वारा पूंजी निवेश	Advances to and Investment by Top Ten Industrial Houses	7—13
574. लोहे तथा इस्पात का उत्पादन	Production of Iron and Steel	13—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
541. कलकत्ता में हुगली नदी पर दूसरे पुल का निर्माण	Construction of Second Bridge over the Hooghly in Calcutta	18
542. राज्यों के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद	Boundary Disputes between States	18—19
543. दिल्ली में सूती कपड़ा श्रमिकों पर लाठी प्रहार	Lathi Charges on Textile Workers in Delhi	19—20
544. 1968-69 में एयर इंडिया के मुनाफे में कमी	Decrease in Air India's Profits during 1968—69	20

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सख्या S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
545. शिक्षण संस्थाओं को जवाहरलाल नेहरु विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध करना	Affiliation of Educational Institutions with Jawaharlal Nehru University	20
546. रीजनल कालेज भुवनेश्वर के प्रिंसिपल द्वारा, संसद् सदस्यों से बातचीत करने पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी हिदायतों का जारी किया जाना	Instructions Issued by Principal, Regional College Bhubaneswar Pro-hibiting Discussion with M. Ps.	21
547. उज्जैन के जिला क्लैक्टर द्वारा एक संसत्सदस्य को चांटा मारा जाना	Slapping of a Member of Parliament by District Collector of Ujjain	21
548. विदेश जाने वाले छात्रों के लिये छात्रवृत्ति योजना	Scholarship Scheme for Students Going Abroad	21—22
549. विदेशी पर्यटकों से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earned from Foreign Tourists	22
550. उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद	U. P. Bihar Border Dispute	23
551. एयर इंडिया द्वारा बोनस योजना की क्रियान्विति में विलम्ब	Delay in Implementing Bonus Scheme by Air India	23—24
552. वार्षिक परीक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों के लिये छात्रों को अनुमति	Permission to Students to refer to Text Books during Annual Examination	24
553. गोआ में शिक्षा की प्रगति	Progress of Education in Goa	24
554. राज्यों में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in States	24—26
555. एक विदेशी अभिकरण के माध्यम से एयर इंडिया द्वारा विज्ञापन देना	Giving of Advertisement by Air India through a Foreign Agency	26—27
556. प्रारम्भिक यातायात तथा परिवहन योजना अध्ययन दल की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Parliamentary Traffic and Transportaters Planning Study Team	27—28

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
557. साहित्यिक, कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व की बहुमूल्य पांडुलिपियों का प्रकाशन तथा परिरक्षण	Publications and Preservation of Race Manuscripts of Literary, Artistic and Historical Value	29
558. केरल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात किया जाना	CRP deployed in Kerala	29
559. संसद् सदस्यों द्वारा पद के दुरुपयोग को रोकने के लिये संहिता	Code to Check Misuse of Position by M. Ps.	29—30
560. "तकाफत-उल-हिन्द" पत्रिका का मुद्रण	Printing of Thaqafat-Ul-Hind Magazine	30
561. भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये परीक्षार्थियों की आयु सीमा में छूट	Relaxation of Age Limit for IAS Examinees	30—31
562. भाषा नीति के बारे में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के नेता का वक्तव्य	DMK Leader's Statement re. Language Policy	31
563. नेफा में लोक तंत्रीय निर्वाचन	Democratic Elections in NEFA	31
564. डी०सी० 9 कम्पनी के प्रतिनिधि और कप्तान हुइल-गोल के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच का निष्कर्ष	Findings of CBI Inquiry against DC 9 Company Representative and Capt. Huilgol	32
565. परिवहन के विकास के लिये धन का नियतन	Provision for Development of Transport	32
566. विदेशों में गांधी दर्शन के प्रचार के लिये यूनेस्को, अन्य संगठनों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to UNESCO other Organisations and Individuals for Spreading Gandhian Ideas of Foreign Countries	33—34
567. सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में हरिजनों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of Posts for Harijans in Public Sector Undertakings and Private Establishments	34

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठे Pages
568. अवैध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू करना	Extension of Unlawful Activities (Prevention) Act to Jammu and Kashmir State	34—35
569. वर्ष 1971 की जनगणना	1971 Census	35
570. भारतीय भाषाओं के लिये देवनागरी लिपि	Devanagari Script for Indian Languages	35—36
573. आबू पर्वत पर रेल अधिकारियों के लिये विशेष आवास नियतन का अनुपात	Occuption Ratio of Special Accommodation for Railway Officer at Mount Abu	36
575. राजस्थान में विद्यार्थियों के आन्दोलन के कारण रेलवे सम्पत्ति को क्षति	Damage to Railway Property due to Student's Agitations in Rajasthan	37
576. उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों में सीमेंट की कमी	Shortage of Cement in Northern and Eastern Regions	37
577. नेपको बेवेल गीयर (इंडिया) लिमिटेड, बल्लभगढ़ को बन्द किया जाना	Closure of Napco Bevel Gear (India) Ltd. Ballabgarh	38
578. संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन	Increase in Number of Parliamentary Constituencies and Alteration in Reserved Constituencies	38—39
579. व्यापारियों को जाली रेलवे रसीदों का बेचा जाना	Sale of Fake Railway Receipts to Businessmen	39—40
580. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के आसाम सेक्शन की रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Assam Section of Northeast Frontier Railway to Broad Gauge Line	40
581. नेप्को इंक अमरीका द्वारा भारतीय फर्म को दोषपूर्ण मशनों की सप्लाई	Supply of Defective Machinery by Napeo Inc. USA to Indian Firm	41—42
582. रीरोलर निर्यातकों को बिलैटों के लिये अलग कोटा	Separate Quota for Billets to Reroller Exporters	42

ता० प्र० संख्या S. O. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
583. भारतीय रेलवे में काम करने वाले नैमित्तक मजदूरों की सेवा सुरक्षा	Security of Service to Casual Labour Employed on Indian Railways	42–43
584. बिड़ला उद्योग समूह द्वारा पश्चिम बंगाल से उद्योगों का हटाया जाना	Shifting of Industries by the Birlas from West Bengal	43—44
585. ट्रैक्टर बनाने के कारखाने	Tractor Manufacturing Units	44—45
586. आखिल भारतीय रेलवे अनुसचिवीय कर्मचारी संघ द्वारा ज्ञापन	Memorandum by All India Railway Minisrerial Staff Association	45
587. यात्री आरक्षण की स्थिति का पता लगाने के लिये रेलवे में इलैक्ट्रानिक्स उपकरणों का लगाया जाना	Introduction of Electronic Desiees on Railways to know Position of Passenger Rerervation	45—46
588. प्रतिभा शाली डिजाइन इंजीनियरों का उपयोग	Utilisation of Design Engineering Talents	46
589. स्टेनलैस स्टील का उत्पादन	Production of Stainless Steel	46—47
590. चौथी योजना में जनता रेलगाड़ियां चलाना	Introduction of Janta Trains during Fourth Plan	47
591. रेलवे स्टेशनों पर पत्रिकाओं की दुकानों के लिये मैसर्स ए०एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को ठेका दिया जाना	Contract in M/s A. H. Wheeler and Co. for Book Stalls at Railway Stations	47—48
592. लघु उद्योग क्षेत्र में वस्त्र तैयार करना	Manufacture of Garments in Small Scale Sector	48—49
593. मैसर्स सिनथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स किलाचन्द देवचन्द एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को कमीशन देना	Payment of Commission by M/s Synthetics and Chemicals Ltd. to M/s Kilachand Devchand and Co. Pvt. Ltd.	49
594. नमक उत्पादन के लिये भूमि को पट्टे पर देना और नियत शुल्क का भुगतान	Grant of Lease of Land for Salt Production and Payment of Assignment Fees	49–50

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Page
595. विदेशी फर्मों से सहयोग करने वाले सरकारी उपक्रम	Public Undertakings having Collaboration with Foreign Firms	50—51
596. लघु उद्योगों के कर्मचारियों और प्रबन्धकों का प्रशिक्षण	Training of Workers and Management in Small Scale Industries	51
597. मैसर्स ए०एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी, इलाहाबाद के कर्मचारियों को सुविधायें	Facilities to Employees of M/s. A. H. Wheeler and Co. Allahabad	51
598. बैलगाड़ियों से होने वाला आन्तरिक व्यापार	Internal Trade Carried on by Bullock Cart	51—52
599. पारादीप बन्दरगाह को भीत्तरी प्रदेश से मिलाने के लिये कटक पारादीप और तालचेर बिमलगढ़ रेल लाइनों का निर्माण	Cuttack Paradeep and Talcher Bimla Garh Links for Connecting Paradeep Port to Hinterland	52
600. एस०एस० लाइट रेलवे में रेल डिब्बों की हालत	Condition of Railway Compartments of S. S. Light Railway	53

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

3595. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा चयन किये गये वैज्ञानिक	Scientists Selected by CSIR	53
3596. बंगलौर के निकट जाली सिक्के तथा नोट बरामद होना	Recovery of Counterfeit Coins and Notes near Bangalore	53—55
3597. दिल्ली में चोरी की गई मूर्तियों का पकड़ा जाना	Seizure of Stolen Idols in Delhi	55—56
3598. छात्रवृत्ति पाने वाले व्यक्तियों के बच्चों को यात्रा सम्बन्धी रियायात	Travel Concssion to Children of Scholarship Holders	56
3599. इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये विमान खरीदने के लिये सहायता देने का संयुक्त राज्य अमरीका का प्रस्ताव	Offer of United States Government for Aid in Purchase of Aircraft for IAC	56—57

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3600. प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया के एक वरिष्ठ संवाददाता की संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्धि	Death of a Senior Reporter of PTI in Suspicious Circumstances	57
3601. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना	Voluntary Retirement Scheme	58—59
3602. हिन्दी टाइप की मशीनों के कूंजी फलक (की बोर्ड) में किये गये परिवर्तन	Changes made in the Key Board of Hindi Typewriters	59
3603. इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की श्रम/कार्मिक-विरोधी नीति पर कर्मचारियों में असन्तोष	Resentement Among Employees over Labour/Personnel Policy of Indian Airlines Corporation	59—60
3605. 'तीव्र गति पारेषण (हाई स्पीड ट्रांसमिशन) के लिये' संचार उपकरण	Telecommunication Equipment for High Speed Transmission	60—61
3606. शिक्षा नीति में परिवर्तन	Modification of Education Policy	61
3607. भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा का बनाया जाना	Formation of an Indian Medical and Health Service	61—62
3608. उच्चतम न्यायालय का ढांचा	Composition of Supreme Court	62—63
3609. राजपत्रित कर्मचारियों पर सेवा निवृत्त होने के पश्चात् गैर सरकारी कम्पनियों में नौकरी करने पर प्रतिबन्ध	Restriction on Gazetted Officers Joining Private Companies after Retirement	63
3610. अंग्रेजी को राजकीय भाषा बनाये रखने की मांग	Demand for Continuance of English as Official Language	63—64
3611. उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की सरकारी पदों पर नियुक्ति	Appointment of Retired Supreme Court Judges to Government Jobs	64
3612. उच्चतम न्यायालय में "एडवोकेट ओन-रिकार्ड" होने की अनिवार्यता समाप्त करना	Removal of Requirement of Advocates on Record in Supreme Court	64—65

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3613. नकली यात्री चैक बनाने वाले गिरोह की बम्बई में गिरफतारी	Arrest of Gang Counterfeiting Travellers Cheques in Bombay	65—66
3614. केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against C. S. I. O. and C. S. I. R.	66
3615. तेलंगाना समस्या का समाधान	Solution of Telegana Problem	66—67
3616. श्री लालडेंगा का अता-पता	Whereabouts of Shri Laldenga	67
3617. प्रतिपक्षी दलों के संसद सदस्यों की गतिविधियों पर निगरानी	Watch on the Activities of Opposition M. Ps.	67
3618. आसनसोल में रोतीबती तथा गिरमित कोयला खानों में दंगों में मारे गये मजदूर	Workers Killed in Roti-Bati and Girmit Colliery Riots Asansol	67
3619. वैज्ञानिक विभागों में विनियोजन में वृद्धि के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	ARC Recommendations re. Rise in Investment in Scientific Departments	67—68
3620. संविधान के अनुच्छेद 370 का निराकरण	Abrogation of Article 370 of the Constitution	68
3621. 1971 की जनगणना का कार्य	Work on 1971 Census	68—69
3622. दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के लिये नियुक्ति	Appointment to Delhi High Court Bench	69
3623. डा० सी० वी० रमन का कानपुर में भाषण	Speech of Dr. C. V. Raman at Kanpur	69—70
3624. उच्च न्यायालयों की नयी न्यायपीठ स्थापित करना	Opening of New Benches of High Courts	70
3625. राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण तथा मरम्मत के मामले में उत्तर तथा दक्षिण भारत में भेदभाव	Discrimination between North and South India Construction and Repairing of National Highways	70—71

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
3626. प्रधान मंत्री के राज्यों के दौरे पर व्यय	Expenditure on Prime Minister's Tours to States	71
3627. जम्मू तथा काश्मीर राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन	Regional Imbalance in Jammu and Kashmir State	71—72
3628. अखिल भारतीय नदी नौचालन योजना	All India River Navigation Scheme	72
3629. गांधी दर्शन प्रदर्शनी में नेताओं का चित्र सम्मिलित न किया जाना	Non-Inclusion of Netaji's Photo in Gandhi Darshan Exhibition	72—73
3630. तस्कर व्यापार पर नियंत्रण करने के लिये पूर्व पाकिस्तान की सीमा के साथ-साथ पुलिस की चौकियां	Police Posts along East Pakistan Border to Control Sumuggling Operations	73—74
3631. कर्मचारी प्रशासन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	ARC Report on Personnel Administration	74
3632. भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों को समाप्त करने के बारे में उच्चतम न्यायालय की राय लेने का सुझाव	Suggestions to Obtain Supreme Court Opinion to Abolish Privy Purses and Privileges of Former Rulers	74
3633. परीक्षा प्रणाली में सुधार	Reforms in Examination System	74—76
3634. शिक्षा मंत्री की स्वाविवेक निधि से व्यक्तियों को सहायता	Grant to Persons out of Discretionary Fund of Minister of Education	76
3635. केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्राप्त हुई तथा उसके द्वारा निपटाई गई शिकायतें	Complaints Received and Disposed of by Central Vigilence Commission	76—78
3636. भारत का मोरिशियस के बीच नौवहन सेवा	Shipping Service between India and Mauritius	78
3637. दिल्ली में अपराध सम्बन्धी स्थिति	Crime Situation in Delhi	7 —[illegible]

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3638. पर्यटक महत्व के स्थानों का विकास	Development of Places of Tourists Importance	79
3639. चंडीगढ़ प्रश्न तथा अन्य अन्तर्राज्यजि विवादों के बारे में निर्णय	Decision of Chandigarh Issue and other Inter-State Disputes	79—80
3640. देश में अपराधों की घटनाएं	Incidence of Crime in the Country	80—81
3641. शिक्षा का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Education	81
3642. हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति के लिये परीक्षा	Examination for Appointment of Hindi Officers	81—82
3643. हिन्दी को राजकीय भाषा बनने से रोकने की शर्त पर प्रधान मंत्री को द्रमुक का कथित समर्थन	Reported D. M. K's Support to the Prime Minister on Condition that Hindi should not Enjoy the Status of Official Language	82
3644. मंत्रालयों में हिन्दी साहयकों के पद समाप्त किया जाना	Abolition of Posts of Hindi Assistants in Ministries	82—83
3645. हिन्दी अधिकारियों तथा हिन्दी अधीक्षकों के लिए भर्ती के नियम	Recruitment Rules for Hindi Officers and Hindi Supervisors	83
3646. संयुक्त अरब गणराज्य को पर्यटन मंत्री का भारत दौरा	Visit by UAR Minister for Tourism to India	84
3647. शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन	Changes in the System of Education	84
3648. विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिये सुविधाएं	Facilities to Indian Tourists Going Abroad	85
3649. 'सर' उपाधि का प्रयोग	Use of Title 'Sir'	85
3650. कार्मिक संघ कर्मचारियों को राजनैतिक कैदी मानना	Treatment of Trade Union Workers as Political Prisoners	85—86
3651. पुलिस अधिकारियों के लिये सैनिक जनरलों का रैंक	Rank of Army Generals for Police Officers	86
3653. असैनिक उड्डयन अधिकारियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन एसोसिएशन के दल के बीच हुआ विचार-विमर्श	Discussion Held between Team of International Air Transport Association and Civil Aviation Authorities	86—87

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3654. पुस्तक वित्त निगम की स्थापना	Setting up of Book Finance Corporation	87
3655. तकनीकी शिक्षा की उत्तम सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु उद्योगों पर कर लगाना	Levy on Industry to Provide Better Facilities in Technical Education	87
3656. विदेशी विमान कम्पनी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता	Contest Sponsored by a Foreign Air Line	87—88
3657. राज्यों में पर्यटन केन्द्रों का विकास	Development of Tourists Centres in States	88
3658. संघ राज्य-क्षेत्रों के अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतनमान	Grades of Pay of Non-Gazetted Employees of Union Territories	88—89
3659. कुकी तथा मिजो उपद्रवियों द्वारा सुरक्षा सेनाओं पर हमला	Attack on Scrutiny Forces by Kuki and and Mizo Hostiles	89—90
3660. छोटा नागपुर में युवक सेवायें	Youth Services in Chota Nagpur	90
3661. इंडियन एयरलाइंज कारपोरेशन की सिलचर (आसाम) तक तथा वहां से उड़ानों को रद्द तथा निलम्बित किया जाना	IAC Flights to and from Silchar (Assam) Cancelled and delayed	90
3662. रामपुर के स्वर्गीय नवाब के कुलागत आभूषण	Heirloom Jewellery of Late Nawab of Kanpur	90—91
3663. राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Rajasthan University Students	91
3664. महत्वपूर्ण संचार योजनाओं के निर्माण में हुए अत्यधिक, विलम्ब की जांच के लिये अध्ययन दल की नियुक्ति	Appointment of Study Team to Examine Long delays in the Construction of Vital Communications Links	91—92
3665. दिल्ली विश्वविद्यालय में चीनी भाषा प्रशिक्षण विभाग	Department of Chinese Study in Delhi University	92—93

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
3667. भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Service Rules for Employees of India Tourism Development Corporation	93—94
3668. काश्मीर में पाकिस्तानी एजेंटों की रिहाई	Release of Pakistani Agents in Kashmir	94
3669. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा महानगरों में कर्मी दल के होटल बिलों पर किया गया व्यय	Expenditure by IAC on Hotel Bills for Crew in Metropolitan Cities	94—95
3670. दिल्ली पुलिस अधिकारियों के मकानों की तलाशी	Search of Residences of Delhi Police Officials	95
3671. गृह कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत पुलिस बल की संख्या	Strength of Police Force under Ministry of Home Affairs	95—96
3672. बड़े पत्तनों तथा परियोजनाओं का विकास	Development of Major Ports and New Projects	96—97
3673. पर्यटन के सम्बन्ध में समान नीति बनाने के लिये आयोग की नियुक्ति	Appointment of a Commission for Formulating Uniform Policy on Tourism	97
3674. कालिका का हिमाचल प्रदेश में विलय	Merger of Kalka with Himachal Pradesh	97
3675. दिल्ली नगर निगम में सेवा निवृत्ति के नियम	Retirement Rules in Delhi Municipal Corporation	97—98
3676. पर्यटक स्थलों में सड़क सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Road Facilities of Tourist Resorts	98
3677. तकाफत-उल-हिन्द पत्रिका में छपे लेख आदि	Contents of Magazine "Thaqafat-Ul-Hind"	98—99
3678. मेघालय के लिये पहाड़ी जिलों का विकल्प	Option by Hill Districts for Meghalava	99
3679. 'पी' फार्म की समाप्ति का पर्यटन पर प्रभाव	Impact of Abolition of 'P' form on Tourism	100
3680. हवाई अड्डों पर काम कर रहे चौकीदार	Chowkidars Working at Aerodromes	100

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3681. कान्फीड्रेशन आफ ब्रिटिश इण्डस्ट्रीज द्वारा इजीनियरों को छात्रवृत्तियां	Scholarships of Engineers by Confederation of British Industries	100—101
3682. विश्वविद्यालयों में पर्यटन का अध्ययन	Study of Tourism in Universities	101
3683. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के सम्बन्ध में जारी किये गये परिपत्र को वापिस लेने की मांग	Demand for withdrawal of Circular on Learning of Hindi by Central Government Employees	102
3684. पर्यटकों द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों की सैर	Visit by Tourists to National Parks	102
3685. पाकिस्तान के लिये जासूसी	Spying for Pakistan	102—103
3686. मासिक पत्रिका 'यात्री' के प्रकाशन में विलम्ब	Delay in the Publication of Monthly Magazine Yatri	103
3688. मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	Overseas Scholarships to Scheduled Caste and Scheduled Tribes Students of Madnya Pradesh	103
3689. विदेशी पर्यटकों की मध्य प्रदेश की यात्रा	Foreign Guests Visiting Madhya Pradesh	103
3690. राज्यपालों के कर्त्तव्य	Role of Governors	104
3693. आरक्षित पदों को अनारक्षित पदों में बदलना	Conversion of Reserved Posts into Unreserved Posts	104
3694. दिल्ली प्रशासन में स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों के लिये अनुसूचित जतियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कोटा आरक्षित करना	Reservation Quota for Scheduled Castes and Schedules Tribes for Posts of Post Graduate Teachers in Delhi Administration	105

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3695. दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा दूध के पाउडर की बिक्री का आरोप	Milk Powder Allegedly disposed of by DMC Employees	105
3696. प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष द्वारा त्रिपुरा प्रशासन के बारे में टिप्पणी	Remarks of Chairman, ARC on Tripura Administration	105—106
3697. त्रिपुरा सरकार द्वारा छात्र-वृत्ति का भुगतान करने में विलम्ब	Delay in Payment of Scholarships by Government of Tripura	106
3698. इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं में डकोटा विमान का पुनः प्रयोग	Re-introduction of Dakota Aircraft on Indian Airlines Service	106—107
3699. अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन में सरकारी कर्मचारियों का निलम्बित किया जाना	Suspension of Government Employees in Andaman and Nicobar Administration	107
3700. अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के मुख्यायुक्त का यात्रीपोत "तरमुगली"	Touring Vessel "Tarmugli" of Chief Commissioner, Andaman and Nicobar Island	108
3701. अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा जीपों का दुरुपयोग	Misuse of Jeeps by Andaman and Nicobar Administration	108—109
3702. शिवरात्री के दिन छुट्टी घोषित करना	Declaration of Shivratri as Holiday	109
3703. हरियाणा के अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Haryana Teachers	109
3704. शिवा जी मार्ग (नजफगढ़ रोड) में गुंडागर्दी रोकना	Checking of Goondaism in Shivaji Marg (Najafgarh Road)	109—110
3705. भारत में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pakistan Nationals Living Illegally in India	110
3706. चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में सर्वसम्मत निर्णय के बारे में वार्ता	Talks Regarding Unanimous Decision on Chandigarh	110—111

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3707. सरकारी कर्मचारियों पर साम्यवादी दलों से सम्बन्ध रखने पर लगे प्रतिबन्धों में ढील देना	Relaxation of Restrictions on Government Employees having Connections with Communist Parties	111
3708. श्री दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच करने के लिये जांच आयोग	Commission of Inquiry in to the Murder of Shri Din Dayal Upadhya	111
3709. उप-मंत्रियों का दर्जा	Rank of Deputy Ministries	112
3710. बालासौर, उड़ीसा में केन्द्रीय विद्यालय	Central School at Balasore, Orissa	112
3711. छात्रवृत्तियों पर पब्लिक स्कूलों में दाखिल बच्चों के अभिभावकों को देय भुगतान दरों में वृद्धि करना	Revisiwn of Rates of Payment for Guardians of Children Admitted to Public Schools on Scholarships	112—113
3712. बिहार में मंडन मिश्र विश्वविद्यालय	Mandan Mishra University in Bihar	113
3713. दिल्ली से काश्मीर के लिये पर्यटक बस सेवा की व्यवस्था	Arrangement for Plying Tourist Bus Service from Delhi to Kashmir	113—114
3714. पर्यटन सम्बन्धी दक्षिण एशिया यात्रा आयोग की सिफारिश	Recommendation of South Asia Travel Commission on Tourism	114
3715. भारत में गैर-सरकारी नौवहन समवायों के जहाजी बेड़े	Fleet Strength of Private Shipping Companies in India	114—115
3716. भुवनेश्वर में तूफान की चेतावनी वाला राडार लगाना	Instalation of Cyclon Warning Radars at Bhubaneswar	115
3717. ओलम्पिक खेलों तथा एम्पायर खेलों में भारत के नाविकों द्वारा भाग लेना	Indian Oarsmen's Participation in Olympic and Empire Games	115—116
3718. नौका बिहार क्लब के सदस्यों को यात्रा सुविधाएं	Travelling Facilities to Members of Rowing Clubs	116

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3719. अर्जुन पुरस्कार देने के लिये मानदण्ड	Criteria for giving Arjua Award	116--117
3720. इलाहाबाद में हुआ अखिल विश्व संस्कृत सम्मेलन	All World Sanskrit Conference Held at Allahabad	117
3721. मुख्य मार्गों तथा घनी आबादी वाले मार्गों पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के यातायात में वृद्धि	Increase in Load Factor of IAC on Trunk and High Density Routes	118—119
3722. विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में छात्रों द्वारा भाग लेना	Student Participation in University Management	119
3723. एयर इंडिया द्वारा एक स्मारिका के लिये एक विज्ञापन देना	Advertisement given by Air India to a Souvenir	119—120
3724. शिव सेना द्वारा एक धार्मिक स्थान पर हमला	Attack by Shiv Sena on a Place of Religious Worshop	120
3725. बंगालियों के विरुद्ध इश्तहार	Leaflets against Bengalis	120—121
3726. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् की कार्यप्रणाली सुधारने के लिये सुझाव	Suggestions for Improving the Working of CSIR	121
3727. सरकारी लाल फीताशाही के बारे में डा० सी० वी० रमन द्वारा आलोचना	Criticism by Dr. C. V. Raman on Official Red Tapism	121—122
3728. एम० वी० "इंडियन ट्रम्फ" नामक जहाज के कर्मचारियों द्वारा रूस में शिपिंग मास्टर द्वारा अपमानजनक व्यवहार के सम्बन्ध में अभ्यावेदन	Representation from Crew of the Ship M. V. Indian Triumph Re : Insulting Treatment by Shipping Master in USSR	122
3729. राजस्थान में नक्सलवादीयों को पाकिस्तान से हथियार मिलना	Naxalities in Rajasthan Getting Arms from Pakistan	122—123
3730. तलकर्षकों को विलम्बित सप्लाई के लिये एक फर्म से निर्धारित हर्जाने की वसूली	Recovery of Liquidated Damages from a Firm for Belated Supply of Dredgers	123

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3731. विदेशों को भेजे गये सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा अन्य प्रतिनिधिमंडल	Cultural, Educational and other Delegations Sent Abroad	123
3732. कुछ पुलों को पार करने के लिये पुल-कर लेना	Realisation of Bridge Tax for Crossing over Certain Bridges	124
3733. संसद् सदस्यों के बच्चों के लिये साउथ एवेन्यु नई दिल्ली में नर्सरी किस्म का प्राथमिक स्कूल	Nursery Type Primary School for M. Ps. Children in South Avenue New Delhi	124
3734. शिक्षा संस्थाओं में समाजवादी ढांचे का समाज के सिद्धान्तों का प्रचार	Propagation of Principles of Socialisatic Pattern of Society in Educational Institutions	124—125
3735. बिहार में पताही तथा मोतीहारी हवाई अड्डों से विमान सेवा	Air Service from Patahi and Motihari Aerodromes in Bihar	125
3736. दक्षिण भारत के हिन्दी माध्यम वाले कालिजों को जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना	Affiliation of Hindi Medium Colleges of South with Jawaharlal Nehru University	125—126
3737. दिल्ली के एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की बदली	Transfer of a Delhi ADM	127
3738. हिमाचल प्रदेश के लिये कर्मचारियों का नियतन	Allocation of Staff to Himachal Pradesh	127
3739. गोआ में न्यायिक आयुक्त की अदालत में मामलों का निपटारा	Disposel of Cases in Judicial Commissioner's Court in Goa	127—128
3740. केन्द्रीय पुस्तकालय, गोआ में रखी पुस्तकें तथा दस्तावेजों को सुरक्षित रखना	Preservation and Publication of Books and Documents Kept in Central Library, Goa	128
3741. राज्यों की राजधानियों को बस सेवा से दिल्ली के साथ जोड़ने का प्रस्ताव	Proposal to Connect State Capitals with Delhi by Bus Services	129

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3742. पश्चिम बंगाल में लूट और आगजनी की घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों के अभ्यावेदन	Representations from Vicitims of Loot and Arson in West Bengal	129--130
3743. विशेष रुचि वाले स्थानों को जोड़ने वाली विमान सेवा चालू करना	Introduction of a Flight Touching Places of Special Interest	130
3744. भुवनेश्वर को पटना काठमांडू के साथ मिलाने वाली विमान सेवा	Air Service Connecting Bhubaneswar with Patna/Kathmandu	130—131
3745. भारत और पोलेण्ड के बीच नौवहन के विकास के बारे में बातचीत	Indo-Polish Talks on Development of Shipping	131—132
3746. इंडिया इन्टरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली द्वारा सांस्कृतिक तथा रिहायशी सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Cultural and Residential Facilities by India International Centre, New Delhi	132
3747. महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोंकण नौका सेवा का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Konkan Ferry Service by Maharashtra Government	132—133
3748. प्रकाश स्तम्भ वेनगुरल्ला (महाराष्ट्र) के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता न दिया जाना	Non-Payment of Overtime Allowance to Staff of Light House, Vengurla (Maharashtra)	133
3749. अहमदाबाद में दंगों के दौरान विस्फोटक पदार्थों तथा ट्रांसमीटर बरामद करना	Recovery of Explosives and Transmiters in Ahmedabad during Riots	133—134
3750. आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच	CBI Enquiry against Former I. G. Andhra Pradesh	134

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3751. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय में दखिला	Admission in Delhi University of Students Getting Less than 40 per cent marks in Higher Secondary Examination	134
3752. श्री बलदेव सिंह की हत्या की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच	Magistrial Enquiry into the Murder of Shri Baldev Singh	135
3753. पुराना किला, नई दिल्ली में खुदाई पर व्यय	Expenditure on Excavations at Purana Qila, New Delhi	135
3754. विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा कलकत्ता के टर्मिनल भवन का प्रयोग	Use of Terminal Building at Calcutta by Foreign Airlines	135–136
3755. सफदरजंग रेलवे स्टेशन, (नई दिल्ली) के निकट पुलिस द्वारा एक झोंपड़ी में आग लगाये जाने का आरोप	Alleged Setting Fire to a Jhuggi by Police near Safdarjang Railway Station, New Delhi	136—137
3757. एयर इंडिया के अधिकारियों की हड़ताल	Strike by Officers of Air India	137
3758. आसनसोन कोयला खान पट्टी में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति	Law and Order Situation in Asansol Colliery Belt	137—138
3759. पर्यटन संवर्धन के लिये सीमा सम्बन्धी औपचारिकताएं हटाने का सुझाव	Suggestion for Removal of Frontier Formalities for Promoting Tourism	138
3760. पंजाब के मुख्य मंत्री का सिख होमलैंड की धारणा पर टिप्पणी	Punjab Chief Minister's Remarks about Concept of Sikh Homeland	138—139
3761. गोहाटी में हुआ कनिष्ठ यातायात सहायकों का साक्षात्कार	Interview for Junior Traffic Assistants Held in Gauhati	139

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3762. अनुभाग अधिकारी ग्रेड की परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यार्थियों के लिये आरक्षण	Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Section Officers' Grade Examination of Meteorological Department	139—140
3763. ऋतु विज्ञान विभाग की पूना स्थित संस्था द्वारा भविष्यवाणी	Forecastes by Poona Institute of Meteorological Department	140
3764. भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक का त्यागपत्र	Resignation of Director, Regional Research Laboratory, Bhubaneshwar	141—142
3765. "खुदाई खिदमतगार" संस्था की स्थापना	Creation of "Khudai Khidmatgars" Organisation	142
3766. स्कूलों के लिये निर्धारित पाठ्यपुस्तकों में बार-बार परिवर्तन करना	Frequent Changes to Text Books Prescribed for Schools	142—143
3767. चंडीगढ़ पर जनमत करना	Opinion Poll on Chandigarh	143
3768. राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षकों को अन्य रोजगारों में लगाने की योजना	Scheme for Absorption of National Discipline Scheme Instructors	143—144
3769. धर्मशाला में चीनी जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Chinese Spies at Dharmsala	144
3770. पाकिस्तान के साथ अकाली नेताओं के सम्पर्क के बारे में आरोप	Allegations Regarding Akali Leaders having Contacts with Pakistan	144
3771. प्रधान मंत्री के राज्यों के दौरों पर व्यय	Expenditure on P. M's Tours to States	144—145
3772. वैज्ञानिक शिक्षा पर व्यय	Expenditure on Scientific Education	145
3773. भारत में तकनीकी प्रशिक्षण विस्तार सम्बन्धी भारत ब्रिटिश समिति	Indo British Committee on Extension of Technical Training in India	145

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3774. राष्ट्रीय पेड़-पौधा-उद्यान, लखनऊ के बारे में शिकायतों की जांच के लिये समिति	Committee to Look into Complaints of National Botanical Gardens, Lucknow	145—146
3775. एक चलचित्र की शूटिंग के लिये फिल्म कलाकारों द्वारा सीमा सुरक्षा बल की मोटर गाड़ियों का उपयोग	Use of Vehicles of BSF by Film Artistes for Shooting a Film	146
3776. भारतीय नौवहन उद्योग में धन लगाना	Investment in Indian Shipping Industry	146
3777. भारत आने वाले विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists Visiting India	146—147
3778. रेलवे बोर्ड की भांति केन्द्रीय सड़क बोर्ड का गठन करना	Creation of Central Road Board on Pattern of Railway Board	147
3779. दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध दायर अभियोगों को वापिस लेना	Withdrawal of Cases against Delhi Policemen	147
3780. गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार देना	Conferment of National Awards on Republic Day	148
3781. दिल्ली में 1967 में हुए पुलिस आन्दोलन में मुअत्तिल किये गये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों के पुलिस कर्मचारी	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Policemen Suspended in 1967 Police Agitation in Delhi	148—149
3782. राष्ट्रीय पुरस्कार देना	Conferring of National Awards	149—150
3783. बम्बई मंगलौर विमान सेवा के लिये टिकट उपलब्ध न होना	Non Availability of Air Tickets for Bombay Mangalore Flight	150
3784. मारावंती में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centre at Marvanthe	150—151
3785. न्यायालयों में मुकदमों का निपटारा	Disposal of Cases in Court	151—152
3786. बम्बई तथा मंगलौर के बीच स्टीमर सेवा	Steamer Connection between Bombay and Mangalore	152
3787. शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन	Education Commission Report	152—153

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3788. बेरोजगार इंजीनियर	Unemployed Engineers	153—154
3789. साम्यवादियों द्वारा दरभंगा जिले में किसानों को हथियार दिये जाना	Arming of Peasants by Reds in Darbhanga District	154
3790. अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा निपटाये गये कार्य का मूल्यांकन	Evaluation of Work Disposed of by Officers and Staff in Offices	154—155
3791. दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के कर्मचारियों की पदावनति के अनिपटाये मामले	Pending Cases Re. Demotion of Employees of Higher Secondary Schools in Delhi	155
3793. दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा सेमिस्टर प्रणाली के विरोध में प्रदर्शन	Demonstration against Semester System by Students of Delhi University	155
3794. राज्यों में दंगों को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार के अधिकार	Centre's Powers to Check Disturbances in States	156
3795. हैवी इलैक्ट्रिकल्स (आई०) लिमिटेड, भोपाल में वस्तुओं का उत्पादन	Production of Goods in Heavy Electricals (I) Ltd. Bhopal	156—157
3796. हावड़ा डिवीजन (पूर्व रेलवे) में वाणिज्यिक क्लर्क	Commercial Clerks in Howrah Division (Eastern Railway)	157
3797. पार्सल कार्यालय लखनऊ का सतकर्त्ता दृष्टि से निरीक्षण	Vigilance Inspection of Parcel Office Lucknow	157—158
3798. हरियाणा को लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences to Haryana	158
3799. दिल्ली स्टेशन पर यात्री पथप्रर्शदक	Passenger Guides at Delhi Station	159
3800. रेडियोग्राफरों (एक्सरे चित्रकार) के ड्यूटी के घंटे	Duty Hours of Railway Radiographers	159
3801. संसदीय मामलों के लिये न्यायिक समिति	Judicial Committee for Parliamentary Matters	159—160

अ.प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjec	पृष्ठ Pages
3802. इलैक्ट्रिक कैंप लैम्पों का निर्माण	Manufacture of Electric Cap Lamps	160
3803. मध्य प्रदेश में ऊपरी पुलों का निर्माण	Construction of Over Bridges in Madhya Pradesh	160—161
3804. दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में यात्री पथप्रदर्शकों की हैड टिकट क्लेक्टरों/सीनियर ग्रुप इन्सपैक्टरों के रूप में पदोन्नति	Promotion of Passenger Guides in Delhi Division (Northern Railway) as Head Ticket Collectors/Senior Group Inspectors	161
3805. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता	Monetory Relief to Employees of Hindustan Steel Limited	161—162
3806. गोचला प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली	Golcha Properties (Private) Ltd. Delhi	162
3807. सिनेमा कार्बनों का आयात	Import of Cinema Carbons	162—163
3808. सिंचाई के प्रयोजनों के लिये आयात नीति के अधीन दिये गये लाईसेंसों तथा आयातित चादरों का कोटा	Quota of Imported Sheets and Licences given under Import Policy for Irrigation Purposes	163
3809. रूरकेला इस्पात कारखाने में श्रमिकों के स्वास्थ्य के बारे में प्रायोगिक सर्वेक्षण	Pilot Survey on Health of Workers in Rourkela Steel Plant	163
3810. मंगलौर में एक यात्री के पास से पाया गया ट्रांसमीटर	Transmitter Found in Posssession of Passenger at Mangalore	163—164
3811. लघु उद्योगों के लिये ऋण गारंटी योजनाओं में परिवर्तन	Changes in Credit Guarantee Schemes for Small Scale Industries	164 -165
3812. बाल कल्याण कार्यालय सम्बन्धी समिति की सिफारिशें	Recommendations of Committee on Child Welfare Programme	165—166
3813. विदेशी कम्पनियों की वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्य	Comparative Prices of Commodities Manufactured by Foreign Companies in India	166

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
3814. मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पाये गये चूने के पत्थर पर आधारित सीमेंट कारखाना स्थापित करना	Setting up of Cement Factory Based on Lime Stone Found in Damoh District in Madhya Pradesh	166
3815. विदेशी विनीयोजन पर स्वामिस्व का भुगतान करने की अवधि	Period of Royalty Payment of Foreign Investment	167
3816. रेलों में रेलवे लाइन की लम्बाई तथा अधिकारियों की संख्या में हुई वृद्धि का अनुपात	Proportion of Increase in the Length of Railway Track and Number of Officers in Railways	167—168
3817. उत्तर रेलवे में इंजीनियरी अधीनस्थ कर्मचारियों के पदोन्नति तथा स्थानान्तरण के आदेश जारी करना	Issue of Orders for Promotion and Transfer of Engineering Sub-Ordinates on the Northern Railway	168
3818. भारत हैवी इलैक्ट्रिकरल्ज लिमिटेड द्वारा इलैक्ट्रिकल मशीनों का उत्पादन	Production of Electrical Machinery by Bharat Heavy Electricals Ltd.	168—169
3819. छोटे उद्योगों को लाइसेंस लेने की शर्त से छूट	Delicencing of Small Industries	169—170
3820. बड़े उद्योगों के लिये श्रम प्रधान मदों की सप्लाई के लिये ठेके	Contracts for Supply of Labour Intensive Items for Big Industries	170
3821. दिल्ली में आयोजित गांधी शताब्दी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	Gandhi Centenary International Conference held in Delhi	170—171
3822. भारतीय दण्ड संहिता, हिन्दू विवाह अधिनियम तथा रेलवे सेवा आचार नियमों में विषमताएं	Anomalies in I. P. C., Hindu Marriage Act and Railway Service Conduct Rules	171
3823. इंजीनियरिंग सेनाओं में भर्ती (1969)	Recruitment to Engineering Services (1969)	171—172
3824. बुंदेलखंड में नई रेल लाइनों का निर्माण	Construction of New Railway Lines in Bundelkhand	

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3825. पुरी-हावड़ा एक्सप्रैस में सैनिकों द्वारा एक महिला के साथ अभद्र व्यहार	Molestation of Woman by Armymen in Puri-Howrah Express	172—173
3826. नांगल में उद्योग की स्थापना	Setting up of an Industry in Nangal	173
3827. भारतीय रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1969 का बिना टिकट यात्रा पर पड़ा प्रभाव	Impact of Indian Railways (Amendment) Act, 1969 on Ticketless Travelling	173—174
3828. रेलवे कर्मचारियों को छुट्टी वाले दिन काम करने पर विशेष भत्ता देने में भेदभाव	Discrimination in Payment of Special Allowances to Railway Employees for Attending Duty on Holidays	174
3829. पश्चिम रेलवे में अधिकारियों के विश्राम गृहों के निर्माण तथा मरम्मत आदि पर हुआ व्यय तथा उनमें ठहरने का अनुपात	Occupation Ratio of Officers' Rest Houses on Western Railway and Expenditure on their Construction and Maintenance	175
3830. पश्चिम रेलवे के बुलसर के पार्सल तथा टिकट घर के लिये कर्मचारी	Staff for Parcel and Booking Offices at Bulsar (Western Railway)	175—176
3831. समाज कल्याण संस्थाओं के निवासियों के राशन पर होने वाले व्यय की सीमा की समाप्ति	Abolition of Limit on Expenses on Ration Inmates of Social Welfare Institutions	176
3832. रायपुर से घमतरी (दक्षिण-पूर्व-रेलवे) तक बड़ी रेलवे लाइन	Broad-Gauge Line from Raipur to Dhamtari (South Eastern Railway)	176—177
3833. मध्य प्रदेश में मांढर सीमेंट कारखाने में उत्पादन	Production in Mandhar Cement Factory (Madhya Pradesh)	177
3834. विक्लांग तथा असमर्थ व्यक्तियों के लिये रोजगार	Employment for Handicapped Incapacitated Persons	177—178
3835. सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक कारखानों के आस-पास सहायक उद्योग	Ancillary Industries Around Public Sector Industrial Units	178—179

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3836. भुसावल-इटारसी लाइन (मध्य रेलवे) पर डीजल-रेल-कारों का चलाया जाना	Introduction of Diesel Cars on Bhusawal-Itarsi Line (Central Railway)	179—180
3837. मध्य रेलवे में अधजले कोयले को हटाने के लिये ठेके	Contract for Removal of Half Burnt Coal on Central Railway	180—181
3838. मध्य प्रदेश में सहायक उद्योगों का विकास	Development of Ancillary Units in Madhya Pradesh	181
3839. मध्य रेलवे के मंडल अधीक्षकों द्वारा निरीक्षण दौरा	Inspection Tours by Divisional Superintendents of Central Railway	181
3840. वक्फ बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश में शिक्षा संस्थाओं के लिये भवनों का निर्माण	Construction of Building for Educational Institutions in Madhya Pradesh by Waqf Board	182
3841. सीमेंट के उत्पादन में क्षेत्रीय असन्तुलन	Regional Imbalance in Cement Production	182
3842. तमिलनाडु तथा गुजरात में सीमेंट उद्योग	Cement Industry in Tamil Nadu and Gujarat	182—183
3843. अंगूरों की नौ टोकरियों के गुम हो जाने के कारण रेलवे द्वारा दावे का भुगतान	Amount of Claim Paid by Railways for Loss of Nine Baskets of Grapes	183—184
3844. नकली रेशम की बिल्टी के गुम हो जाने के कारण रेलवे द्वारा दावे का भुगतान किया जाना	Claim Paid by Railway for Loss of Art Silk Consignment	184
3845. नैपको इन्क, यू०एस०ए० द्वारा खराब मशीनों की सप्लाई	Supply of Defective Machineries by Napco Inc. USA	184—186
3846. डीजल और विद्युत चालित इंजनों तथा यात्री डिब्बों का निर्माण करने के लिये रेल इंजिन कारखानों की स्थापना	Setting up of Railway Workshop for Production of Diesel and Electric Locomotives and Passenger Coaches	186

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3847. पंजाब, हरियाना और चंडीगढ़ में सरकारी परियोजनाएं	Public Sector Projects in Punjab, Haryana and Chandigarh	186
3848. जीन्द में दुग्ध चूर्ण संयंत्र	Milk Powder Plant at Jind	186—187
3849. टुंडला-दिल्ली रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	Electrification on Tundla—Delhi Railway Line	187
3850. उत्तर प्रदेश में उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे पर डकैती तथा जेब काटने की घटनायें	Dacoity and Pickpocketing on Northern and North Eastern Railway in Uttar Pradesh	187
3851. चलती गाड़ियों में यात्रियों को लूटा तथा मारा जाना	Looting and Killing of Passengers in Running Trains	188
3853. रेलगाड़ियों में भीड़-भाड़ कम करने का कार्यक्रम	Programme to Relieve over Crowding in Trains	188
3854. रेलवे के पास पड़ी अप्रयुक्त रेलवे भूमि पर खेती	Cultivation on Railway Land Lying Unused with Railways	188—189
3855. रत्नागिरि से होकर बम्बई तथा गोआ के बीच रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	Survey for Rail Line between Bombay and Goa via Ratnagiri	189
3856. रूसी सहायता से चल रहे कारखानों के कार्य संचालन का पुनर्विलोकन करने के लिये रूस के वाइस चेयरमैन का भारत का दौरा	Visit by Soviet Vice-Chairman to India to Review the Working of Soviet Aided Plants	189—190
3857. लैम्प निर्माण उद्योग	Lamp Manufacturing Industry	190
3858. भाड़ा बढ़ने के कारण सब्जियों की लागत में वृद्धि	Increase in Cost of Vegetables due to Increase in Freight	191
3860. बांदा लखनऊ एक्सप्रैस रेलगाड़ी का देरी से चलना तथा बिना टिकट यात्रा	Late Running of Banda-Lucknow Express Train and Ticketless Travelling	191
3861. अपर इंडिया एक्सप्रैस गाड़ी का पथ परिवर्तन	Change of Route of Upper India Express	192

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3862. पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे में पथ निरीक्षकों तथा सहायक रेल पथ निरीक्षकों के संघ का मांग पत्र	Charter of Demands by Association of Permanent Way Inspectors and Assistant Permanent Way Inspectors on Eastern and South Eastern Railways	192
3863. उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा नेपाल में कारखाने की स्थापना	Setting up of Factory in Nepal by Former Chief Minister of Orissa	192—193
3864. बिहार में कम्पनियों को लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences to Companies in Bihar	193
3865. बिहार के अनुसूचित जातियों/पिछड़ी जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्र वृत्तियां	Grants for Scholarship to Scheduled Caste/Backward Class/Tribal Studedts of Bihar	193—194
3866. थाना बहीपुर स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय	Waiting Room for III Class Passengers at Thana Bihpur Station North Eastern Railway)	194—195
3867. गैर-मान्यता वाले रेलवे कार्मिक संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्यवाही	Action on Representations Received from Unrecognised Railway Unions	195—196
3868. रूस के विद्युत मंत्री के साथ भारी विद्युत कारखानों की क्षमता का उपयोग करने के बारे में बातचीत	Discussion with Soviet Minister for Electrical Industries Regarding Utilisation of Capacity of Heavy Electrical Plants	196
3869. ट्रेन क्लर्कों तथा डिप्टी यार्ड मास्टरों के कार्य	Duties of Trains Clerks and Deputy Yard Masters	196—197
3870. फ्लेटों तथा व्हील सैटों का आयात	Import of Flats and Wheel Sets	197—198
3871. फरीदाबाद के समीप भीड़ भाड़ के कारण गाड़ियों का देर से दिल्ली पहुंचना	Late Arrival of Trains in Delhi due to Congestion near Faridabad	198
3872. दिल्ली के लिये वृत्ताकार रेलवे	Circular Railway for Delhi	198

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3873. बंगाल अनैमल कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध आयातित इस्पाती चादरों की चौर बाजारी सम्बन्धी शिकायतें	Complaints against Bengal Enamel Company Ltd., Calcutta Re. Black Marketing of Imported Steel Sheets	199
3874. बरोनी तथा थाना बीहपुर के बीच मेल तथा एक्सप्रैस गाड़ियों के रुकने के स्थान	Stoppages Mail and Express Trains between Barauni and Thana Bihpur	199—200
3875. बरोनी से कटिहार तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये सर्वेक्षण	Survey for Broad-Gauge Line from Barauni to Katihar	200
3876. राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिये उम्मीदवारों की संख्या	Number of Candidates for Presidential and Vice Presidential Elections	200
3877. पश्चिम बंगाल के लिये औद्योगिक लाइसेंस जारी करना	Issue of Industrial Licences for West Bengal	201
3878. इस्पात कारखानों में मंजूरी	Wages in Steel Plants	201—202
3879. चुनाव के लिये कानपुर नगर के कुछ नगर क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र में शामिल किया जाना	Inclusion of Certain Area of Kanpur City into Rural Area for Purposes of Election	202
3880. भारत को रूसी सहायता का आश्वासन	Assurance of Soviet Help to India	202—203
3881. कालका मेल में इलाहाबाद से कानपुर तक यात्रा	Travelling of Passangers by Kalka Mail from Allahabad to Kanpur	203
3882. छोटे पैमाने के निर्माताओं की बजाय पैराशूट फैक्टरी कानपुर को डाक के लिये पटसन के थैले बनाने के लिये क्रयादेश देना	Placing of Orders for Manufacturing Jute Mail Bags to Parachute Factory, Kanpur Instead of Small Scale Manufacturers	203
3883. मुगलसराय हावड़ा पैसेंजर गाड़ी का नरगजों स्टेशन पर रुकना	Stoppage of Mughalsarai-Howrah Passenger Train at Narganjo Station	204

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3884. बोकारो इस्पात कारखाने को हानि	Loss to Bokaro Steel Plant	204
3885. क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में उड़ीसा के मुख्य मंत्री की टिप्पणी	Orissa Chief Minister's Remarks Regarding Regional Imbalances	205
3886. इस्पात की दुर्लभ किस्में	Scarce Categories of Steel	206
3887. सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के विकास के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines for the Growth of Public and Private Sectors	206—207
3888. राष्ट्रीय विकास में गैर-सरकारी उद्योगों का योगदान	Role of Private Industry in National Development	207
3889. आसाम में उपभोक्ता वस्तुओं का बढ़ता हुआ मूल्य	Soaring Price of Consumer Goods in Assam	208
3890. आसाम के सिलचर क्षेत्र में बिजली अथवा डीजल कर्षण (ट्रेक्शन)	Electric of Diesel Traction in Silchar Area of Assam	208
3891. 57 डाउन अमृतसर एक्सप्रैस रेलगाड़ी से भोजन यान का हटाया जाना	Withdrawal of Dinning Car from 57 Dn. Amritsar Express Train	208—209
3892. गार्ड द्वारा किराये की रसीद या टिकट जारी किया जाना	Issue of a Fare-Receipt or Ticket by a Guard	209
3893. भोपाल में मशीन शाला तथा लोको शेड से की जाने वाली चोरियों की जांच	Enquiry into Thefts from Machine Shops and Loco-Shed, Bhopal	209—210
3894. दिल्ली नई दिल्ली स्टेशनों पर रेल गाड़ियों का देर से आना और बाहरी सिगनल/निकट के स्टेशन पर रोका जाना	Late Arrival of Trains at Delhi/New Delhi Stations and their Detention at Outer Signal or nearby Station	210
3895. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का 23-2-70 को पत्रकार सम्मेलन	Press Conference Adressed by Chairman Railway Board on 23-2-70	210—211

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3896. चपड़ा और मोतिहारी को रेल द्वारा मिलाने के लिये डुमरिया घाट पर रेल-एवं-सड़क पुल	Rail-Cum-Road Bridge at Dumariya Ghat to Connect Chupra and Motihari with Rail	211
3897. इरविन अस्पताल दिल्ली के एक कर्मचारी की अस्पृश्यता के बारे में शिकायत	Complaint by an Employee of Irwin Hospital, New Delhi Regarding Untouchability	211
3898. निरमाली और जयनगर के बीच अतिरिक्त सीधी रेलगाड़ी चलाया जाना	Additional Direct Train between Nirmali and Jayanagar	211—212
3899. गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसन्धान एवं विकास पर व्यय	Expenditure on Research and Development in Private Sector	212
3900. आसाम डाक/एक्सप्रैस गाड़ी में मनीपुर के यात्रियों के लिये सीटों का कोटा	Quota of Seats for Passengers from Manipur in Assam Mail/Express Trains	212—213
3901. पवित्र स्थानों को यात्रा करने के लिये मनीपुर के यात्रियों को रियायत	Concession to Pilgrims from Manipur for Visit to Holy Places	213
3902. मुरादाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) में इंजीनियरिंग इन्सपैक्टर्स के ट्रालीमैनों का तबादला	Transfer of Trolley-Men of Engineering Inspectors in Moradabad Division (Northern Railway)	213—214
3903. राजस्थान के भील-भीमा तथा अन्य आदिम जातियों के उत्थान के लिये अनुदान	Grants of Uplift of Bhil-Bhima and other Tribes of Rajasthan	214
3904. उदयपुर-दिल्ली "चेतक एक्सप्रैस"	Udaipur-Delhi Chetak Express	214—215
3905. राजस्थान में रेलवे लाइनों के विस्तार की योजना	Scheme for Expansion of Railway Lines in Rajasthan	215
3906. बम्बई में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के लिये विशेष गाड़ी	Special Train for the Delegates of Congress Session at Bombay	215

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3907. उत्तर रेलवे पर बिना टिकट यात्रा और सतर्कता विभाग पर व्यय	Ticketless Travelling and Expenditure Incurred on Vigilance Department of Northern Railway	215—216
3908. राजनीतिक गड़बड़ आन्दोलनों और दुर्घटनाओं के कारण रेलवे को हुई हानि	Loss to Railways due to Political Disturbances, Agitations and Accidents	216—217
3909. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड, हरिद्वार के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Employees of Bharat Heavy Electricals Ltd., Hardwar	217
3910. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड में ढलाईघर का स्थापित किया जाना	Setting up of Foundry for Bharat Heavy Electricals Ltd.	217
3911. निर्यातिक री-रोलर्स को बिलेटों का वितरण	Distribution of Billets to Re-rollers and Exporters	217—219
3912. हैवी इलैक्ट्रिकल्ज संयंत्रों में क्षमता का इस्तेमाल	Utilisation of Capacity in Heavy Electrical Plants	219—220
3913. केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजाइन ब्यूरो को बोकारो इस्पात कारखाने के द्वितीय चरण के विस्तार के डिजाइन का काम सौंपना	Designing of Second Stage Expansion of Bokaro Steel Plant by Central Engineering and Design Bureau	220
3914. गुजरात लघु उद्योग निगम द्वारा स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters by Gujarat Small Scale Industries Corporation	221
3915. भावनगर (पश्चिम रेलवे) में विभिन्न रेलवे स्टेशनों के निकट निचले उपरी पुल	Under-Bridges/Over Bridges near Different Railway Stations in Bhavnagar (Western Railway)	222
3916. महाराष्ट्र में बिजली से चलने वाली गाड़ियों का चलाया जाना	Introduction of Electric Trains in Maharashtra	222—223
3917. उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences for Setting up of Industries in Orissa	223

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3918. महानगरों में उद्योगों के और विकास पर प्रतिबन्ध	Ban on Further Development of Industries in Metropolitan Towns	223—224
3919. श्री विजयनन्द पटनायक की सुनवाई को रद्द करने सम्बन्धी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने सम्बधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgement Setting Aside order of Calcutta High Court Quashing Trial of Shri Bijayananda Patnayak	224
3920. पश्चिम दिल्ली क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर झुग्गियों का निर्माण	Jhuggies Construction on Railway Land in West Delhi Area	224—225
3921. दिल्ली के लिये नगर बाह्य लाइन तथा वृत्ताकर रेलवे	Avoiding Line and Ring Railway for Delhi	225
3922. बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण के लिये ठेका	Contract for Construction of Bokaro Steel Plant	225—226
3923. बोकारो इस्पात कारखाने के लिये परामर्श कार्य के बारे में मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी के साथ समझौते में परिवर्तन	Changes in Agreement with M/s Dastur and Co Regarding Consultancy work for Bokaro Steel Plant	226—227
3924. बिहार में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना	Setting up of Agro-Based Industries in Bihar	227
3925. निर्माण सामग्री के मूल्य में वृद्धि	Rise in Prices of Construction Materials	227--228
3926. दिल्ली में वृत्ताकार रेलवे की व्यवस्था करने हेतु आय व्ययक में धन का नियतन न किया जाना	Absence of Budget Provision for Ring Railway in Delhi	228
3927. भारी उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता	Unutilised Capacity of Heavy Industries	228—230
3928. उमरेर नागपुर रेलवे लाइन पर यात्री यातायात	Passenger Traffic on Umrer Nagpur Railway Line	230

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
3929. राजा-की-मण्डी स्टेशन पर ताज एक्सप्रैस रेलगाड़ी का रुकना	Stoppage of Taj Express at Raja-Ki-Mandi Station	230—231
3930. रूरकेला इस्पात कारखाने में पाकिस्तानी राष्ट्रकों की गतिविधियां	Activities of Pakistani Nationals in Rourkela Steel Plant	231
3931. अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्य क्लर्क संघ की ओर से ज्ञापन	Memorandum by All India Commercial Clerks' Association	231—232
3932. मदुरै डिवीजन के वाणिज्य क्लर्कों को सैनिक सेवा के लिये वरिष्ठता	Seniority for Military Service to Commercial Clerks of Madurai Division	232
3933. रेलवे के टिकट बिक्री काउंटरों पर छोटी रेजगारी का न मिलना	Non-availability of Small Change at Railway Booking Counters	232 233
3934. अजमेर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था	Provision of Escort Guards at Ajmer Station (Western Railway)	233—234
3935. चेतक एक्सप्रैस तथा अन्य सम्पर्क रेलगाड़ियों का समय पर चलना तथा पहुंचना	Punctuality of Chetak Express and other Connecting Trains	234
3936. बुलसर तथा पालघाट (पश्चिम रेलवे) से भेजे गये ताजे फलों तथा सब्जियों की गुम हुई बिल्टी के लिये मुआवजा	Compensation for Loss of Consignment of Fresh Fruits and Vegetables Booked from Bulsar and Palghar (Western Railway	235
3937. बंगलौर-पूना डाक गाड़ी के डिब्बों में हुबली में आग लगाई जाने की घटना	Fire Set to Bogies of Bangalore Press Mail at Hubli	235
3938. इस्पात की उत्पादन लागत	Cost of Production of Steel	235—236
3939. बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण में विलम्ब	Delay in Construction of Bokaro Steel Plant	236—237

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3940. समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Employees of Samastipur Division North Eastern Railway	237
3941. रेल दुर्घटनायें	Railway Accidents	237
3942. छोटे उद्योगों सम्बन्धी मलैया समिति की सिफारिशें	Recommendation of Malaiya Committee on Small Scale Industries	237—238
3943. राजधानी एक्सप्रैस में मद्यमान	Drinking in Rajdhani Express	238
3944. मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रेलवे लाइनों की लम्बाई	Mileage of Railway Lines in Bundelkhand Region of Madhya Pradesh	233
3945. बिना टिकट यात्रा करने में रेलवे कर्मचारियों की सांठ-गांठ	Collusion and Connivance of Railway Employees in Ticketless Travelling	239
3946. रेलवे बजट तैयार करना और उसकी स्वीकृति	Preparation and Approval of Railway Budget	239
3947. सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती करने में प्राथमिकता देना	Priority for Released Emergency Commissioned Officers in Recruitment to Railway Protection Force	239—240
3948. सिल्चर रेलवे स्टेशन के निकट रेल पटरी के साथ विस्फोटक पदार्थों का पाया जाना	Discovery of Explosives along Railway Track near Silchar Railway Station	240
3949. फिल्म कम्पनियों की अधिकृत और प्रदत्त पूंजी	Authorised and Paid-up Capital of Film Companies	240—241
3950. फिल्म कम्पनियों की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी	Authorised and Paid-up Capital of Film Companies	241
3951. फिल्म कम्पनियों की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी	Authorised and Paid-up Capital of Film Companies	241—242
3952. दिल्ली तथा बम्बई की नाटक फर्मों के निदेशक	Directors of Theatrical Firms in Delhi and Bombay	242

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3953. लाइसेंस प्राप्त रेलवे कुलियों सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन	Report of Study Group on Railway Licensed Porters	242 - 243
3954. मनीपुर के अनुसूचित जातीय क्षेत्रों के लिये आवास योजना	Housing Schemes for Scheduled Caste Areas of Manipur	243
3955. दिल्ली में मानसिक दृष्टि के अविकसित बच्चों के लिए स्कूल	Schools for Mentally Retarted Children in Delhi	243—245
3956. बोकारो इस्पात कारखाने के डिजाइन तैयार करने का काम हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरिंग तथा डिजाइन ब्यूरो को सौंपा जाना	Designing of Bokaro Steel Plant Commissioned to Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel Ltd.	246
3957. भारत में विदेश विनियोजकों को आकर्षित करने के लिये प्रचार अभियान	Publicity Drive to Attract Foreign Investors in India	246
3958. रायचुर (मैसूर) के कोप्पाल स्थित चमड़े के पुनः शोधन उद्योग का बन्द होना	Closure of Re-tanning Industry Koppal in Raichur (Mysore)	247
3959. येरगुंटला (आन्ध्र प्रदेश) में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory at Yerraguntla (Andhra Pradesh)	247—248
3960. अमृतसर रेलवे स्टेशन पर रबड़ के टायरों वाले पहियेदार ठेलों के प्रयोग की मांग	Demand for use of Wheel Barrows with Rubber Tyres at Amritsar Railway Station	248
3961. भगतांवाला और संग्राणा साहिब रेलवे स्टेशनों के बीच फाटक संख्या 11 पर चौकीदार की हत्या	Murder of Gate-keeper at Gate No. 11 between Hagtanala and Sangrana Sahib Railway Station	248—249
3962. लखनऊ में लोको कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Loco Workers at Lucknow	249

अता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
U. S. Q. Nos.	Subject	
3963. विशेष टिकट निरीक्षकों को संगचल कर्मचारियों के वर्ग में लाना	Categorisation of Special Ticket Examiners as Running Staff	249
3964. राष्ट्रपति के चुनाव के विरुद्ध याचिकायें	Petitions against Election of President	250
3965. रेलवे अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण	Fixation of Seniority of Railway Officers	250—251
3966. सिलीगुड़ी में जिला इंजीनियरों के कार्यालयों को अन्यत्र ले जाना	Shifting of Offices of District Engineers in Siliguri	251
3967. विधि विभाग में अधिकारियों को शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ न होने पर भी सरकारी सेवा में रहने देना	Officers in the Law Department Allowed to Continue in Government Service Even though not Medically Fit	251
3968. अमृतसर तथा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशनों (उत्तरी रेलवे) पर सुविधायें	Facilities for Amritsar and Chandigarh Stations (Northern Railway)	251—252
3969. आसाम (मालवाड़ी) के भूमिहीन कृषि श्रमिक आदिवासियों की बेदखली	Evictian of Landless Tribal Agricultural Labourers (Malbari)	252
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	252
सरकार बनाने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया	Procedure followed by West Bengal Government in regard to Formation of Government	252—259
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	259—261
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	262
103 वां प्रतिवेदन	Hundred and Third Report	262
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Indian Railways (Amendment) Bill—Introduced	262
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1970 के बारे में सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत	Statutory Resolution Re. Banking Companies (Acquisition and Tranfer of Undertakings) Ordinance, 1970 Negatived	263

विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
बैंककारी कम्पनी और उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण विधेयक	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill	263
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	263
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	263
श्री दंडपाणि	Shri Dhandapani	263—264
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	265
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	265—266
श्री राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	266—267
श्री तुलसी दास जाधव	Shri Tulshi Das Jadhav	267—268
श्री स० कुण्दू	Shri S. Kundu	268—269
श्री तेन्नेटी विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	269—270
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	270—271
श्री कृष्णकुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	271
श्रीमनी तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeswari Sinha	271—274
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	274
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	274—275
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	275—279
श्री बेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	279
खंड 2 से 21, 1 तथा अनुसूचियां	Clauses 2 to 21, 1 and the Schedules	279
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	279—322

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 24 मार्च, 1970/3 चैत्र, 1892 (शक)
Tuesday, March 24, 1970/Chaitra 3, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *In the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत में विदेशी फर्मों में विदेशियों के शेयर

*571. **श्री सूरज भान :**
श्री शारदा नन्द :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन विदेशी फर्मों अथवा कम्पनियों में विदेशियों के 51 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं और जिनमें उनकी एक करोड़ रुपये से अधिक राशि लगी हुई है, उनके नाम तथा पते क्या हैं ;

(ख) उन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं जो अपने माल पर अपने देशों की अपेक्षा भारत में अधिक लाभ कमाती हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में इन कम्पनियों की कुल तथा शुद्ध लाभ की दर क्या रही और इसी अवधि में उनके अपने देशों में उनकी कुल तथा शुद्ध लाभ की दर क्या रही ; और

(घ) भारत में उनकी बिक्री पर होने वाले लाभ को कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-2939/70]

Shri Suraj Bhan : In reply to part (b) of the question the hon. Minister has said that the foreign-holding companies are not required to file their balance sheets under the Companies Act 1956. I would like to know whether the Government would amend this Act to enable the people and the Government itself to know about the money remitted abroad by these foreign companies through unfair means ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रश्न पूछा गया था कि क्या विदेशी कम्पनियों के व्यापार के आंकड़े हमें यहां प्राप्त हो सकते हैं ? मेरा निवेदन है कि वर्तमान कानून के अन्तर्गत यह संभव नहीं है और संभवतया इस संबंध में कानून बनाना भी संभव नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसमें संशोधन करने के बारे में आप विचार कर रहे हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : नहीं, श्रीमान।

Shri Suraj Bhan : These foreign holding companies earn 22 percent profit whereas companies here in India normally earn 6 or 7 percent profit. These companies pay to their employees in thousands.

Would the Government take positive steps to the effect that these foreign holding companies should earn normal profits instead of the 22 per cent which is being made at present and if so, what are those steps ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मेरे पास लाभ के प्रतिशत की दर के आंकड़े नहीं हैं। मैं नहीं कह सकता कि यह 22 प्रतिशत है, परन्तु इतना कह सकता हूं कि उत्पादन लागत और इसके परिणाम स्वरूप लाभ को कम करने के लिए अनेक कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने की उदार नीति, जिसकी घोषणा हाल में की गई है तथा समाचार पत्रों में भी जिसका कुछ उल्लेख किया गया है, के विषय में मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई ऐसी सीमा निर्धारित की है जिसके अन्दर सरकार के नियंत्रण न होते हुए भी भारतीय व्यवसायी किसी विदेशी के साथ सहयोग कर सकता है ? यह मेरा प्रथम प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि लाइसेंस देने की सम्पूर्ण व्यवस्था की अकुशलता के कारण विदेशी सहयोग अब तक एकाधिकार वादियों का अधिकार क्षेत्र बना रहा है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि वे छोटे व्यवसायिकों को विदेशी सहयोग प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने हेतु किस प्रकार से योजना बना रहे हैं। जिसने एकाधिकार वादियों के गढ़ से दूर औद्योगिक क्षमता का इच्छित हस्तांतरण तथा विवधीकरण हो सके ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं माननीय सदस्य से आशा करता हूं कि वह विदेशी सहयोग से संबंधित कठिनाइयों को समझें। जब कभी कोई ऐसा प्रस्ताव आयेगा तब यह मामला वैदेशिक विनियोजन बोर्ड को देना होगा। जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है नई नीति के अनुसार विदेशी सहयोग से एक करोड़ रुपये के विनियोजन के मामले में अर्थात् जिसमें 10 प्रतिशत अथवा 10 लाख रुपये तक जो भी कम है, की पूंजी और उपकरण अपेक्षित हों, उसमें सिवाय बड़े व्यापार गृहों और विदेशी

कम्पनियों के अन्य लोगों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। विदेशी कम्पनियां तथा बड़े उद्योगपत्तियों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा यदि वे इस क्षेत्र में विदेशी सहयोग के उद्देश्य से आना चाहते हैं। उन्हें वैदेशिक विनियोजन बोर्ड तथा दूसरे निकायों के समक्ष आना पड़ेगा और इस विषय पर गुणावगुणों के अधिकार पर विचार किया जाएगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैंने छोटे-मोटे उद्यमियों के विषय में पूछा था। विदेशी सहयोग के लिए इन्हें कौन से अवसर प्रदान किए जा रहे हैं ? मैंने यही जानना चाहा था।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैंने कहा है कि जहां तक एक करोड़ रुपये तक के लागत कार्यों का प्रश्न है इनका इस क्षेत्र में आना समाप्त कर दिया गया है।

श्री उमानाथ : इन सहयोग करारों के बारे में सरकार ने विदेशी कम्पनियों का भाग 49 प्रतिशत तक रखने की नीति घोषित की है, इसके बावजूद भी हाल ही में हुए रिजर्व बैंक के सवक्षण से ज्ञात होता है कि 1960 और 1967 के मध्य 827 कम्पनियों में 88 करोड़ विदेशी रुपया आया जबकि यहां से 115 करोड़ रुपया बाहर भेजा गया। इस समिति ने कहा है कि केवल 1965-66 ही में 250 करोड़ रुपया बाहर भेजा गया। मैं इस विषय में सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

इन विदेशी सहयोग करारों में 49 प्रतिशत वैदेशिक भाग निर्धारित किये जाने की नीति के बावजूद भी इतने रुपये का बाहर भेजना हमारे लिए हानिकर है। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है ? मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि इंडो-ब्रिटिश प्रौद्योगिकी दल के अधिवेशन में ब्रिटिश दल ने, जो उस समय यहां पर था, 49 प्रतिशत वैदेशिक भाग की व्यवस्था को समाप्त करने पर बल दिया था। जर्मनी के दल ने भी, जो श्री एव्स के नेतृत्व में आया था, ऐसा ही किया।

49 प्रतिशत वैदेशिक भाग तथा 51 प्रतिशत स्वहित को समाप्त करने के प्रश्न पर यद्यपि वैदेशिक एकाधिकार वादियों द्वारा बल दिया गया है, क्या सरकार आश्वासन देगी कि आगामी प्रौद्योगिकी सम्मेलन, जो निकट-भविष्य में लन्दन में होना निश्चित हुआ है, यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि जहां तक उक्त व्यवस्था का सम्बन्ध है, सरकार इसे समाप्त नहीं करेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक वर्तमान प्रश्न का सम्बन्ध है यह माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से पूर्णतया भिन्न है। मुख्य प्रश्न 1 लाख रुपया लगाकर कार्य करने वाली विदेशी कम्पनियों तथा हमारे देश में 51 प्रतिशत से अधिक पूंजी लगाने वाली स्वदेशी कम्पनियों से संबंधित है और उसका उत्तर दे दिया गया है। जहां तक विदेशी कम्पनियों का प्रश्न है वे अपने-अपने देशों में पंजीकृत हैं और उनका व्यवसाय स्थल हमारे देश में है।

श्री उमानाथ : उनकी सहायक कम्पनियां यहां हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : 400 से अधिक ऐसी कम्पनियां हैं। इनमें से 243 ऐसी

हैं जिनके अंश यहां उनकी सहायक कम्पनियों में 51 प्रतिशत से अधिक हैं, और 38 कम्पनियां ऐसी है जिनमें एक करोड़ रुपये से अधिक धन लगा हुआ है।

जहाँ तक कम्पनियों का सम्बन्ध है, केवल एक प्रश्न उठता है कि क्या हम उनके द्वारा इस देश में लगाई गई पूंजी को वापस करने के लिए तैयार हैं, जिसका तात्पर्य होगा कि हमें विदेशी मुद्रा में उनका भुगतान करना है और आज हम उतना रुपया लगाने की स्थिति में नहीं हैं जितना उन्होंने हमारे देश में पहले से ही लगाया हुआ है। जब कभी वे विस्तार के लिए कहते हैं हम प्रयत्न करते हैं कि इन कम्पनियों में वैदेशिक अंश कम हों तथा भारतीय अंश बढ़ें। यदि वे अपने प्रसाधनों से विस्तार करना चाहते हैं तब सरकार बहुत कम कार्यवाही कर सकती है।

जहां तक 51 तथा 49 प्रतिशत अंशों का प्रश्न है, हमारा यह दृढ़ नियम है कि वैदेशिक कम्पनियों को अधिक अंश नहीं दिए जाएंगे जब तक कि इनकी स्थिति शोचनीय न हो जाय जो राष्ट्रीय हित में हो, अन्यथा हम भारतीय कम्पनियों में वैदेशिक कम्पनियों के अंश बढ़ाने को प्रोत्साहन नहीं देते हैं।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, all the developed capitalist countries complain that they do not get encouragement for investing money in India on account of India's foreign policy, her industrial policy and company laws. That is why it becomes imperative for the information of all concerned to produce the comparative figures of profits earned by these companies in this country and in their own respective countries. In all these countries, we have our embassies and there are certain employees there to deal with the trade and industrial relations. I want to know from the hon. Minister whether he would instruct the Ministry of External Affairs to collect all the possible informations regarding this matter from these countries and to place that before the House to enable the Government to reply to the complaints of the capitalist countries.

श्री रघुनाथ रेड्डी : हम इस विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और जब यह जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, उसे निश्चित रूप से सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

Shri Madhu Limaye : So much amount is being spent on the Ministry of External Affairs So many persons are being employed in England in this regard. Hon. Minister may give a solid reply whether he will take up this matter with Ministry of External Affairs. All the information about these companies is available in foreign countries.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने जैसे पहले ही कहा है वर्तमान नियम के अंतर्गत दूसरे देशों में पंजीबद्ध कम्पनियों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है...

Shri Madhu Limaye : Will the Government get this information through their embassies ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : क्या मैं स्थिति को स्पष्ट करूं ? वे सहायक कम्पनियां जो यहां पर पंजीबद्ध हैं, उन्हें अपने लेखे और संतुलन पत्रों को प्रस्तुत करना होता है, और उनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे देश में स्थिति क्या है। लेकिन यहां तक उनके अपने देशों में वित्तीय स्थिति का संबंध है, यह जानकारी उन स्थानों पर प्रकाशित की जाती है जहां पर वे कम्पनियां पंजीबद्ध हैं।

Shri Madhu Limaye : Do you not feel its necessity ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसका पूरा चित्र निश्चय ही मिलना चाहिए तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही प्रयत्न किया जाएगा ।

Shri Rabi Ray : Ahmed Sahib, you also need it.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यदि माननीय सदस्य यह सुझाव देते हैं कि वह जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, तो उस जानकारी को अवश्य हासिल किया जाएगा ।

श्री रा० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार ने विभिन्न उद्योगों में विदेशी सहयोग के संबंध में उत्पाद-वार अनुमान लगाया है ? माननीय मंत्री के उत्तर से यह पर्याप्त स्पष्ट नहीं था कि वे लघु क्षेत्र में विदेशी सहयोग का और भी विस्तार करने जा रहे हैं अर्थात् जो एक करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक हैं । मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री इन दो प्रश्नों को स्पष्ट करें ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य विदेशी सहयोग की ओर निर्देश कर रहे हैं...

श्री रा० बरुआ : मैं उत्पाद-वार वर्गीकरण जानना चाहता हूं ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मेरे विचार से माननीय सदस्य उत्पाद-वार वर्गीकरण जानना चाहते हैं जिनके अंतर्गत ये विदेशी कम्पनियां कार्य करती हैं ; वह वर्गीकरण निम्नलिखित हैं :

कृषि और सम्बद्ध क्रियाएं	126
खनन और उत्खनन	10
खाद्य पदार्थ, वस्त्र, चमड़ा और उन से बनी वस्तुओं का परिष्करण और निर्माण	21
धातु और रसायन तथा उनसे बनी वस्तुओं का परिष्करण और निर्माण	75
परिष्करण और निर्माण जिनका वर्गीकरण कहीं नहीं	31
निर्माण और उपयोगिता	22
वाणिज्य (i) व्यापार	59
(ii) वित्त आदि	93
परिवहन यातायात और संग्रह	33
समुदाय और व्यापार सेवाएं	81
वैयक्तिक और अन्य सेवाएं	13

श्री रा० बरुआ : विदेशी सहयोग के और अधिक विस्तार सम्बन्धी प्रश्न पर क्या कहना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री लोबो प्रभु ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य इस सहयोग के बारे में देश व्यापी वितरण की ओर उल्लेख कर रहे हैं...

श्री रा० बरुआ : इसके अधिक विस्तार के विषय में अपनाई गई नीति के बारे में मैं जानना चाहता हूँ ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने अभी स्पष्टीकरण किया है...

श्री लोबो प्रभु : यह क्या है ? एक सदस्य के लिए तीन प्रश्नों की अनुमति दी गई है ?

श्री मनुभाई पटेल : आपने लोबो प्रभु को बोलने की अनुमति दी थी लेकिन माननीय मंत्री किसी दूसरे के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं । यह घोर अनुशासनहीनता है । यह सदन का अपमान है ।

श्री फ० गो० सेन : यह अनुशासनहीनता है ।

श्री लोबो प्रभु : जैसा विदित है कि इस देश में अभी तकनीकी जानकारी और वित्त की कमी है, अत: उद्योगीकरण करने के लिए और लोगों की सेवा के लिए इन साधनों का आयात करना पड़ता है । प्रश्न यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में यह आयात सहायता द्वारा होना चाहिए अथवा गैर-सरकारी विनियोजन द्वारा होना चाहिए । उत्तर से मुझे पता चला है कि इन कंपनियों के लाभ की दर कर के भुगतान के बाद 12 प्रतिशत तक है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ की दर भली भांति मालूम है क्योंकि यहां पर घाटा हो रहा है । अत: मैं सरकार से दो बातें जानना चाहूंगा, प्रथम तो यह है कि क्या सरकार इस देश में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देगी क्योंकि यह आवश्यक है कि हम अपने देश को औद्योगिक उद्देश्य तथा सुरक्षा उद्देश्यों हेतु भी विश्व के समकक्ष ले आएं और दूसरा यह है कि क्या गैर-सरकारी कम्पनियों से सहयोग लेने, तथा उन कम्पनियों से उनका ज्ञान प्राप्त करने और उनके अपने निवेश का उचित दाम प्राप्त करने के लिए सरकार तैयार है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमें इन दोनों ही प्रश्नों पर देश के हित के सन्दर्भ में विचार करना होगा । देश के हित के लिए विदेशों से जो कुछ भी उपलब्ध होगा चाहे वह तकनीकी जानकारी हो या तकनीकी सहमानिता, हम उसे स्वीकार करेंगे ।

डा० रेनन सेन : यह सभी जानते हैं कि सभी विदेशी कंपनियां करोड़ों रुपया कमा रही हैं और यह धन अपने-अपने देशों को भेज रही हैं । क्या सरकार का लाभ की कुछ स्वाभाविक सीमा निर्धारित करने का विचार है ? सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : कीमतों को कम करने और विदेशी मुद्रा विनियमों में कुछ संशोधन करने का हमारा विचार है। लागत सम्बन्धी जांच के लिए एक लागत ब्यूरो की स्थापना करने का भी हमारा विचार है। ये कुछ कार्य तो तुरन्त किये जा रहे हैं।

श्री धीरेश्वर कलिता : मैंने प्रश्न और उत्तर दोनों को देखा है और सरकार लाभ कम करने के लिए जो कार्यवाही कर रही है वह भी मुझे मालूम है। जिस कार्यवाही का सुझाव सरकार ने दिया है वह बिलकुल बेकार है। जो उत्तर दिया गया है वह भी बस टालने वाला ही है। विवरण में विभिन्न कम्पनियों का उल्लेख तो किया गया है परन्तु उसमें बी०ओ०सी० का नाम नहीं आया। इसमें 50 या 51 प्रतिशत अंश भारत सरकार के भी हैं। लाभ के जो 4.5, 7.6 आदि आंकड़े दिये गये हैं वे भी ठीक नहीं हैं। मेरी जानकारी के अनुसार तो 1947 से 1967 तक आसाम की चाय कम्पनियां 50 करोड़ रुपया देश से बाहर ले जा चुकी हैं। इस संदर्भ में क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी कि पहले तो लाभ को विदेशों में भेजने से रोक कर इस लाभ को भारत के उद्योगों की वृद्धि के लिए बसाया जाये और दूसरे विदेशी कंपनियों के लाभ का स्तर देशी उद्योग कंपनियों के स्तर का ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए साबुन को ही लीजिए। विदेशी कम्पनी के सहयोग से बनाये गये साबुन और देशी उद्योग कंपनी द्वारा बनाये साबुन की दरों में अन्तर है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं पहले ही कह चुका हूँ और अपने उत्तर में भी मैंने उल्लेख किया है कि सरकार कीमतों को कम करने के लिए अनेक उपाय कर रही है।

श्री शिव नारायण : इन्हें कार्यवाही की व्याख्या करनी चाहिए न कि सदन को भ्रांति में डालना चाहिए।

श्री रघुनाथ रेड्डी : भाग (ख) के उत्तर में दिये गये विवरण में इसका उल्लेख किया जा चुका है। जहां तक लाभ की दरों में अन्तर का सम्बन्ध है वह तो उद्योग की किस्म और कम्पनी की कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है। इस प्रकार के कल्पनात्मक प्रश्नों का उत्तर देना तो बहुत कठिन हैं।

श्री धीरेश्वर कलिता : बी०ओ०सी० का जो उल्लेख नहीं है उसके बारे में क्या कहना है?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

दस प्रमुख उद्योग-गृहों को ऋण तथा उनके द्वारा पूंजी निवेश

*572. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री पहले दस औद्योगिक गृहों का ऋण दिये जाने और उनके द्वारा विनियोजन के बारे में 16 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4032 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) एकाधिकार तथा निर्बंधिक व्यापार कार्यवाही अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार को इसकी क्रियान्विति में अब तक कोई कठिनाई अनुभव हुई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2940/70]

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, from the statement laid on the Table of the House it is evident that monopoly is on the increase in this country. Within these twenty years, the Share of the ten percent population in national income has risen from 35 percent to 44 percent. I want to know whether they have taken any definite step in giving loans to financial institutions stipulating that this much will be given to small-scale industries and this much to cottage industries or trade ? Have they given any definite instructions to the nationalised banks, Industrial Corporation or other governmental institution so that monopoly may come to an end ?

The second thing which I would like to know is whether they have adopted any measures to put an end to the foreign collaboration.

Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : The honourable member is correct in his assumption that during the previous three or four years, only big industrialists were given this kind of assistance. But under the new policy formulated by us, small-scale industries will be given financial assistance. Since this matter is related to Finance Ministry, they have collected the data regarding this which shows that within the previous six or seven months small peasants and small-scale industrialists have been given financial assistance in different ways.

Shri Kanwar Lal Gupta : Please let us know what are the specific steps taken in the direction giving assistance to small scale industries.

Shri F. A. Ahmed : So far as small-scale industries are concerned, the most important step taken in this direction is that Rs. 2 lakhs will be given without security to unemployed engineers, who apply for an industry. Apart from this another vital step which has been taken is that the limit of 85 percent loan which was available under the hire-purchase scheme has been raised to 95 percent and loans are made available to small-scale industries and provision has been made to give a loan up to Rs. 1 lakhs without security on the working capital after studying the project report. All these steps have been taken and in so many places works in this direction has also begun.

Shri Kanwar Lal Gupta : I regret to say that whatever the honourable Minister has said, is only on the paper. Its effects are yet negligible. Some days ago hon. Minister had said that certain items would be produced by small-scale-industries. I want those items to be increased because, on 17th March he said that all the items such as soft drinks, razor, tooth paste, ball point pencils etc. were produced in collaboration with foreign companies and hence crores of rupees were being repatriated. I would like to know how many items have been increased in the list within the previous 6 months ?

Secondly, I want to know whether the Government can operate industries in joint sector also so that monopoly may come to an end, when Government have the right to purchase 49 percent shares at any time ?

Shri F. A. Ahmed : I would like to submit to the honourable members that items were reserved formerly for small-scale industries through executive order. But now statutory protection is given to 52-53 industries under the Industrial Development Regulations so that big industries can't intervene in the production of those items.

Now the exemption limit of licence has been raised from 25 lakhs to one crore rupees. Under this scheme, big industries are not entitled to produce those items which are reserved for small-scale industries. At present I do not have the list with me but it contains 51-52 items. This list can be made available. We can think of increasing the items so that more and more items could be reserved for small scale industries. It is evident from the available information that within some years these small-scale industries have done much progress. We want to give more and more assistance to small scale industries.

Regarding the foreign firms, I would like to inform the House that we would not enter into collaboration with any foreign country for the production of materials which can be produced here.

So far as joint sector is concerned, they are of two types. One is regarding participation in the management and the other is concerning the equity participation with new industries which are coming up. We are thinking over it and this would also be given effect to.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : एकाधिकार की बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है, क्योंकि उन्हें न केवल अपने बैंकों से बल्कि सरकार से भी सहायता प्राप्त हो रही है। क्या सरकार द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया गया है ताकि उनके द्वारा बड़े उद्योगपतियों को दी जाने वाली धनराशि कम हो और इसके जरिये एकाधिकार का प्रभाव कम हो।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस एकाधिकार प्रक्रिया को समाप्त करने के केवल दो उपाय हैं। पहला, बड़ी संख्या में उपक्रमियों को इस काम का प्रोत्साहन देना और उन्हें संबंधी एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना। यह कार्य हमने किया है। दूसरा उपाय है, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकाधिक उपक्रमों का लाया जाना।

श्री विश्वनाथ राय : क्या मैं यह जान सकता हूं कि ये बड़े उद्योगपति सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण की किश्त चुका रहे हैं या नहीं, और यदि किसी ने नहीं चुकाया है तो ऋण की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह प्रश्न वित्त मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए।

श्री प० गोपालन : एकाधिकार को समाप्त करने के बारे में सरकार बहुत बातें करती रही है जिसके निर्माण का उत्तरदायित्व भी स्वयं इस सरकार पर है। यह राजनैतिक ढोंग है और यह तब पूर्ण रूप से सिद्ध हुई थी जब सरकार ने हाल में औद्योगिक लाइसेंस नीति का निर्धारण किया था। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि दत्त समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि उन निजी उद्यमों को, जिन्हें सरकार की ओर से भारी मात्रा में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, संयुक्त क्षेत्र में लाया जाय ? इस के प्रबन्ध में उतित सरकारी प्रतिनिधित्व हो एवं पुराने ऋण एवं ऋण पत्रों को ईक्विटी में बदल दिया जाय। मैं पुराने ऋणों एवं ऋण-पत्रों के सम्बन्ध में प्रश्न कर रहा हूँ। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि इस देश के बड़े-बड़े उद्योगपति, खासकर बीस बड़े उद्योगपति, सरकारी सहायता के

बल पर शक्तिशाली एकाधिकारी बन गये हैं ? यदि हां, तो उक्त विशेष सिफारिश पर हाल में जब औद्योगिक लाइसेंस नीति निर्धारित की गयी थी तो विचार क्यों नहीं किया गया ? और इस का क्या कारण है कि सरकार ने मौके का लाभ उठाकर इन उद्योग धंधे की प्रबन्ध समिति में भाग लेकर एकाधिकार को समाप्त नहीं किया ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : दत्त समिति की सिफारिशें माननीय सदस्यों को पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। अब मैं उसको दुहराना नहीं चाहता हूं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, कई वित्तीय संस्थाओं द्वारा कई उद्योग-गृहों को ऋण देने के सम्बन्ध में है। जहां तक पुराने ऋण एवं ऋण-पत्रों का सम्बन्ध है, इनको ईक्विटी में परिवर्तित करने के लिए सम्बन्धित उद्योग-गृहों से समझौता करने का काम इन वित्तीय संस्थानों पर छोड़ा गया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शांति, शाँति ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहाँ तक भविष्य में दिये जाने वाले ऋणों तथा ऋण-पत्रों का सम्बन्ध है, इस बारे में यह सुझाव है कि भविष्य में ऐसी वित्तीय संस्थायें जो करार में इस खण्ड पर बल देती हैं कि यदि वे चाहें तो ऋण एवं ऋण-पत्र को साम्य में परिवर्तित कर दें।...**(व्यवधान)**

श्री प० गोपालन : महोदय, मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या...

अध्यक्ष महोदय : आपने एक बड़ा लम्बा प्रश्न पूछा था।

श्री प० गोपालन : मैंने विशेषतौर पर यही पूछा था कि क्या दत्त समिति ने ऐसी कोई सिफारिश की है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इसको ठुकराये जाने के क्या कारण हैं ? मैं कारण पूछना चाहता हूँ कि इसे क्यों ठुकराया गया।

श्री उमानाथ : इस बात को नीति विवरण में क्यों नहीं शामिल किया गया कि गत ऋणों को सरकारी साम्य में परिवर्तित किया जाये ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : दत्त समिति का प्रतिवेदन छपने गया हुआ है तथा मुझे उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा---जहां तक गत ऋणों एवं ऋण-पत्रों का सम्बन्ध है, यह तो किसी के बीच के समझौते का विषय होगा.....

कुछ माननीय सदस्य : क्यों ?...**(व्यवधान)**

श्री उमानाथ : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न विशिष्ट रूप से किया गया है। मंत्री महोदय कहते हैं कि यह तो वित्तीय-संस्थाओं पर छोड़ दिया गया है चाहे वे समझौता करें अथवा नहीं। विशिष्ट प्रश्न यही है कि जब दत्त समिति के प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई है, तो गत ऋणों को साम्य में परिवर्तित करने तथा नियंत्रण हटाने की बात को सरकार द्वारा नीति विवरण में क्यों नहीं शामिल किया गया ? सरकार ने इसे क्यों नहीं शामिल किया ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह नीति का प्रश्न है।

श्री प० गोपालन : कौन सी नीति ?...**(व्यवधान)**

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं केवल सूचना देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चर्चा या तर्क नहीं कर रहा हूं कि नीति कैसी होनी चाहिए अथवा कैसी नहीं होनी चाहिए। जहां तक गत ऋणों एवं ऋण-पत्रों का सम्बन्ध है, यह प्रश्न वित्तीय संस्थाओं पर छोड़ दिया गया है।

श्री उमानाथ : यह वित्तीय संस्थाओं पर क्यों छोड़ दिया गया है? इसे तो ऐसे दत्त समिति के प्रतिवेदन से पूर्व ही छोड़ दिया गया था। मंत्री जी कहते हैं कि यह वित्तीय संस्थाओं पर छोड़ दिया गया है।

श्री एस० कंडप्पन : महोदय, क्या हम यह समझ लें कि दत्त समिति का प्रतिवेदन सरकार को स्वीकार्य नहीं है?...(व्यवधान)

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: ऋणों एवं ऋण-पत्रों को साम्य में परिवर्तित करने के प्रश्न पर दो शर्तों के अन्तर्गत विचार किया जाता है। एक तो पक्षों के मध्य पुराने करार से सम्बन्ध रखती है तथा दूसरी भविष्य में किये जाने वाले करार से सम्बन्ध रखती है (व्यवधान) जो पहले से तय हो चुका है, उसको हम कानूनी तौर पर उपेक्षा कैसे कर सकते हैं?...(व्यवधान)

Shri S. M. Banerjee : Mr. Speaker, It has been our experience that the more questions regarding monopoly have been raised since 1957 the more monopoly in the country is increasing. It has grown flexible like the garments of Draupadi that the more it is unclothed the more monopoly increases. I want to ask whether the Government has thought after implementing the recommendations of the Dutt committee that people point out certain loop-holes which indicate that only the monopolists are benefited irrespective of any industrial policies? Have the Government in fact any proposal before them to bring this monopoly to an end and to take over certain industries for this purpose.

Shri F. A. Ahmed : I have just said two things regarding abolishing the monopoly in our country. Firstly we should increase entrepreneurs and give licences to more people for increasing indurstries. Secondly, we should extend the Public Sector. Where there is gap between consumers and industries, that must be bridged through Public Sector by taking that in Public Sector.

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि क्या सरकार कुछ उद्योग-धंधों को अपने हाथ में लेगी? उसका क्या उत्तर है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : कौन से उद्योग को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लिया जाना चाहिये, इस पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री फ० गो० सेन : बहुत से उद्योग हैं जो अपनी निधि को अन्य उपक्रमों में लगा देते हैं तथा बाद में शिकायत करते हैं कि उनके उद्योगों को चलाने के लिए पूंजी कम पड़ गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस बारे में सरकार के पास कोई सूचना है तथा क्या सरकार जब उन उद्योगों को ऋण तथा सहायता देती है तो क्या इस पहलू पर भी विचार करती है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: जी हां, सरकार के पास इस बात की सूचना है कि कुछ उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां हैं तथा हम उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।

Shri Rabi Ray : It appears from the reply given by the hon. Minister that he has thrown the recommendations of the Dutt Committee into waste-paper basket. I want to know that when the hon. Minister says that he would not let the monopoly to increase and in accordance with the recommendations of the Dutt Committee no new licences would be given to Birlas, then why did he recommend on January 2, for a Fertilizer plant to be set-up in Goa by Birlas ? Is it not against the recommendations of the Dutt committee ? Let the hon. Minister explain why has he been turning down the recommendations of the Dutt committee ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह प्रश्न विशिष्ट रूप से व्यापार-गृहों के अग्रिम-धन से संबंधित है। खाद कारखाने का प्रश्न इससे संगत नहीं है।

Shri Rabi Ray : The Minister did give the licence. Why did he give licence to Birlas for that, this is my question ? Licences are not issued by Dr. Triguna Sen's, Ministry, they are given by him. His Ministry issues licences why did he give that licence ? Mr. Speaker, ask the Minister to give reply to this.

Mr. Speaker : The reply has been given.

Shri Rabi Ray : When did he reply about licences ? Reply to that should be given.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मेरे साथी, पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री द्वारा सदन में इस विषय पर समय-समय पर की गई चर्चा के दौरान बिड़ला को गोवा में खाद कारखाने के लिए दी गई अनुमति के कारणों के बारे में पहले ही बता दिया गया है।

श्री तुलसीदास जाधव : जीवन बीमा निगम द्वारा दी जाने वाली सहायता के विवरण के आँकड़े देखने से पता चलता है कि जीवन बीमा निगम की निधि का 64.29 प्रतिशत दस उद्योग-पतियों के समूह में लगाया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि केवल इन्हीं दस समूहों को इतना अधिक धन क्यों दिया गया है ? क्या जीवन बीमा निगम से लघु उद्योगपति ऋण नहीं मांगते हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : पहले मैं जीवन बीमा निगम लघु उद्योगों को ऋण नहीं देता था। यह अपनी पूँजी केवल बड़े व्यापार गृहों में ही बहुत अधिक लाभ पाने की गरज से लगाया करता था। जो लाभ बीमा-पत्र धारियों को दिया जा सके।

Shri Shashi Ranjan : Mr. Speaker, this Government plays a dual role. On the one hand they want to curb monoply and on the other they give loans to the monopolists. Consequently the amount of loan is going to be increased. I want to know from the Government whether they would put a condition regarding new licences that in future no loans will be given to them.

Shri F. A. Ahmed : The Banks have been nationalised on account of these very reasons. It will be considered when the loan will be given hence forward that upto what limit and in what quantity it should be given.

Shri Shashi Ranjan : What steps are being taken to reduce it ?

Shri F. A. Ahmed : Nationalisation of Banks is a big step in this direction.

श्री हेम बरुआ : एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम तो भविष्य के लिए काम में लाया जायेगा परन्तु क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने देश में विद्यमान एका-

धिकारियों के 75 व्यापार-गृहों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या पग उठाये हैं अथवा उठाने का विचार कर रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार-प्रक्रियायें अधिनियम का सम्बन्ध है, यह केवल भविष्य के लिए ही नहीं है अपितु वर्तमान एकाधिकार व्यापार-गृहों के आंकड़े एवं बातों को भी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देखा जायेगा तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री बेदब्रत बरुआ : जब दत्त समिति ने लाइसेंसों के लिये 25 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की तो वह इसलिए नहीं की थी कि यह धन-राशि कम थी अथवा ज्यादा, परन्तु बड़े व्यापार-गृहों पर नियंत्रण करने तथा किसी उद्योग के अपक्रम में प्रविष्ट होने के लिए रोकने के विचार से की थी । पन्द्रह दिन पहले एक ऐसी अधिसूचना जारी की गई थी जिसके अनुसार बड़े व्यापार-गृहों को 5 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी किसी भी उद्योग में लगाने से रोका जाना था । क्या मैं जान सकता हूं कि बड़े व्यापार-गृहों को बैनामी सौदे करने से रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक सम्भव होगा हम उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे ।

लोहे तथा इस्पात का उत्पादन

*574. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री न० रा० देवघरे :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में लोहे तथा इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) देश में इस समय लोहे तथा इस्पात की कुल कितनी मांग है ;

(ग) यह उद्योग इस मांग की पूर्ति करने में कहां तक समर्थ है ; और

(घ) इस उद्योग पर मूल्य विनियंत्रण का क्या प्रभाव पड़ा है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) एक विवरण (एक) संलग्न है ।

(ख) मार्ग दर्शन दल ने देश में वर्ष 1969-70 के दौरान 50 लाख टन नरम इस्पात की मांग का अनुमान लगाया है ।

(ग) यह उद्योग सारी मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं है । गत तीन वर्षों के दौरान किये गये आयात वर ब्यौरा संलग्न विवरण (दो) में दिया गया है ।

(घ) प्रमुख उत्पादकों द्वारा बेचे गये इस्पात के मूल्यों पर अनौपचारिक रूप से संयुक्त संयंत्र समिति के माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है ।

विवरण—(एक)

लोहे तथा इस्पात का उत्पादन

(हज़ार टनों में)

	1966-67		1967-68		1968-69		1969-70*	
	कच्चा लोहा	बिक्री योग्य इस्पात	कच्चा लोहा	बिक्री योग्य इस्पात	कच्चा लोहा	बिक्री योग्य इस्पात	कच्चा लोहा	बिक्री योग्य इस्पात
सरकारी क्षेत्र	174.9	2451.9	997.3	2488.7	1121.7	2685.1	955.7	2289.5
गैर-सरकारी क्षेत्र	810.2	2620.9	197.7	2147.0	206.9	2121.6	119.4	1669.2
	985.1	5072.8	1195.0	4635.7	1328.6	4806.7	1075.1	3958.7

*अप्रैल, 1969 से जनवरी, 1970 (दोनों महीने मिलाकर)।

विवरण—(दो)

लोहे तथा इस्पात* का आयात

	मात्रा	मूल्य
	(हज़ार टनों में)	(हजार रुपयों में)
1966-67	337.4	4,44,817
1967-68	400.3	5,55,787
1968-69	345.7	4,55,153
1969-70**	154.9	2,14,148

*अधिकार्वन इस्पात तथा मिश्र इस्पात इसमें शामिल नहीं है।

**अप्रैल, 1969 से सितम्बर, 1969 तक।

Shri Beni Shankar Sharma : The statement placed on the Table of the House by the hon. Minister shows that the production of pig iron went on decreasing in private sector during 1966-67, 1967-68 and 1968-69. Moreover, the production of other types of iron had also not increased to the desirable extent. It is correct that the production of pig iron in the public sector is increasing but that of other types iron is not increasing I want to know from the hon. Minister, whether during these years full capacity of the public sector was utilized or not ? If not, the resonsa therefor ?

I also want to know whether the price of iron had increased or decreased during these years ? If it had increased by how much and if decreased, how much it had decreased ?

Shri K. C. Pant : So far as the question of decrease and increase in the production of pig iron is concerned, generally when it is required to increase the production of pig iron blast furnace is put into action and we get pig iron early. After that the rest of the plant comes into action which produces steel out of pig iron.

So far as the utilization of the capacity is concerned, utilization had not been upto full rated capacity. In Durgapur the production is just half the rated capacity. Full capacity is 1.7 million tonnes. In Bhilai it is 2.2 million tonnes when the rated capacity is of 2.5 million tonnes. In Rourkela it is 1 3 million tonnes instead of 1 8 million tonnes. In TISCO it is 1.9 million and in ISCO it is 1.8 million tonnes.

The prices had increased after decontrol. Decontrol was effected on 1st May, 1967. After that once there was an increase of Rs. 53, on the second occassion it was Rs. 3 and on the third occasion there was an increase of Rs. 77.8. But in spite of all this the prices in the open market were even higher, specially of the steel of which there is a shortage.

Shri Beni Shanker Sharma : Just now the hon. Minister said that there had been exorbitant increase in the prices of iron in the open market. I also know this fact—as for plates from one thousand rupees to fifteen hundred rupees are being charged in excess in the black market and even then the consumers are not getting the plates. What they are doing to stop that black marketing.

I also want to know when the production in Bokaro Mill start ? Only a few days back perhaps in Rajya Sabha the hon. Minister said that the steel produced in Bokaro Mill cost Rs. 2725 per tonne. Does the Minister think that the cost of production in Bokaro is the same as it is in other plants. If it is more in Bokaro, what are the reasons therefor ?

I also want to know whether the machinery coming from Russia for Bokaro is of a very old type. Our engineers also say that whether he has enquired if that is new machinary or Russia is dumping her old machinery here ?

Shri K. C. Pant : First question of the hon. Member was regarding plates. It is not correct to say that plates are selling in black market because it is not under control. But it is correct that the prices are much more than the those fixed by J. P. C. Now the question is how to check it. There are only two ways to do that. Production should be increased and if foreign exchange is available imports should be made according to the requirements and both these things are being done.

So far as the qnestion of Bokaro is concerned, it has been asked that upto what time it would continue. First blast furnace will be ready by 1971 and by 1973 it will begin to produce 1.7 million tonnes. He also asked that why cost of production is so much. In this connection I would like to say that when the hon. Member has read the question put in Rajya Sabha then he must have seen the answer to this question to the effect that why the cost of production have increased.

Shri Beni Shankar Sharma : I asked whether the machinary being supplied by Russia is new or old.

Shri K. C. Pant : I do not have any information about it. I think it should be new one.

श्री मुरासोली मारन : यद्यपि पिछले 15 वर्षों में इस्पात की मांग बढ़ी है पर सरकार की ढुल-मुल नीति के कारण दक्षिण भारत में इस्पात कारखाना स्थापित करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। योजना आयोग ने अपनी अनुमति दे दी है तथा सेलम और अन्य जगहों पर बनाये जाने

वाले इस्पात कारखानों के लिए उसने 115 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं। आप अपने निर्णय की घोषणा कब करेंगे ? इसमें देरी करने के क्या कारण हैं ?

आप अब किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं ? यह धारणा बन गई है कि हम सभी कमजोर हैं और अब यहां पर एक लौह-पुरुष के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस शंका को दूर करें। मैं मन्त्री जी से स्पष्ट उत्तर जानना चाहता हूं। सेलम इस्पात कारखाने के बारे में आप अपना निर्णय कब दे रहे हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह विषय विचाराधीन है।

एक माननीय सदस्य : लेकिन कब तक ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ठीक प्रकार से इस पर विचार करने के बाद और अध्ययन के आधार पर घोषणा कर दी जाएगी।

Shri D. N. Tiwary : The reply given by the Minister is not correct. The prices are more in the open market but their manufacturing costs are low. When it comes for sale in the market, then more prices are charged. I want to know when such conditions privail, when there is shortage of commodity and the consumers have to pay more and the benefit neither goes to the Government nor to the producers but taken away by the middlemen, then what was the necessity for decontrolling the same ? Why not impose control again so that the consumers may get the commidity at a reasonable price ?

Second question is this that the public sector has been very much criticised, but in the statement laid on the Table of the House it is mentioned that not only the production of the pig iron but the production of saleable steel is also decreasing in the private sector and moreover the production of pig iron and saleable steel is less than their capacity. I want to know whether those people are doing such thing intentionally so that a shortage may be created in this country and more prices charged.

Shri K. C. Pant : As I have said the prices might have gone up but it should not be concluded that the prices of all the commodities have gone up in the open market and the consumer gets it at the same price. Informal control is imposed on the scarce categories. Private sector is allotted 90 percent scarce categories on the fixed prices and only 10 percent is allotted to dock yard etc.

Shri D. N. Tiwary : Higher price is charged from the public.

Shri K. C. Pant : There also public comes in. Suppose private sector has manufactured an item of defence or the few items have been exported then those are given ata fixed price by priority. The imported items received, are purchased at higher prices but e provision has been made for the actual users of the stock yard to have a certificate from th Director of Industries.

So far other question is concerned, there were certain difficulties and those difficulties are known to you. The situation felt in Bengal last month had an effect on the production. Last year, a repair of coke-oven had to be carried out in TISCO which also had an effect on production.

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सत्य है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में अदक्षता के कारण हमारे देश द्वारा लोहे की कमी का अनुभव किया जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि गत वर्षों में हुए 60 लाख मीटरी टन लोहे के उत्पादन के स्थान पर, इस वर्ष 40 लाख

टन का उत्पादन ही हुआ है ? क्या यह सत्य है कि जापान में एक व्यक्ति की क्षमता 150 टन है ; भारत में यह केवल 60 टन अथवा 70 टन ही हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाने में यह 47 टन है। दूसरे दो कारखानों की तुलना में दुर्गापुर कारखाने के उत्पादन में यह अन्तर क्यों है ? क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार जापान की जन-शक्ति के समानान्तर उत्पादन को लाने के लिए कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है ? यदि सरकार जापानी उत्पादन के समान इसको लाने के लिए कदम उठा रही है तो क्या सरकार इन तीन कारखानों के बारे में हमें सलाह देने के लिये जापानी विशेषज्ञों को आमन्त्रण देगी ताकि ये कारखाने जापानी जन-शक्ति के समान के समान उत्पादन कर सकें ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : लोहे के कारखाने में अनुकूलतम जन-शक्ति के निर्धारण में हमें अपने देश की परिस्थितियों को सामने रखना होगा। जापानी अनुभव अथवा दूसरों के अनुभव में हम पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरे प्रश्न के बारे में माननीय सदस्य को यह ध्यान में रखना होगा। यदि किसी भी इस्पात कारखाने में आज जन-शक्ति की संख्या को कम करना चाहते हैं तो इस बारे में कार्मिक संघ से बात-चीत करनी पड़ती है। कोई भी एक-पक्षीय बात-चीत नहीं कर सकता और यह सुगम कार्य भी नहीं है। आप यह तो मानेंगे कि जब तक कार्मिक संघ का सहयोग नहीं मिलता है तब तक यह नहीं किया जा सकता है।

श्री पीलु मोदी : मन्त्री ने यह कह कर आपत्तिजनक विवरण दिया है कि बोकारो कारखानों में इस्तेमाल किया हुआ संयंत्र प्रयुक्त हो रहा है या नया, उन्हें यह नहीं मालूम है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह पता लगायेंगे कि भारत में बोकारो इस्पात कारखाने का कौन सा हिस्सा रूस में प्रयुक्त है और क्या वह उचित जानकारी प्राप्त करके सदन को देंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : महोदय, मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस मामले में जांच करवाने का कोई आधार नहीं है। अगर कोई आधार हो, तो मैं जांच करवाऊंगा।

श्री पीलु मोदी : मेरा प्रश्न और मेरा आरोप जांच कराने का आधार है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कोई आधार नहीं है।

Shri Nathu Ram Ahirwar : After decontrol of steel, the prices of steel have gone up considerably. The farmer has to pay more now for farming equipments. The Agriculture price commission has fixed prices of foodgrains at a very low level. Would the Government restrict the price of steel used for the manufacture of farming equipments ?

Shri K. C. Pant : We would certainly reconsider as to how the steel should be listributed.

Shri Ghulam Mohammed Bakshi : According to the figures furnished by Hon'ble Minister, the year-wise production has been as follows :—

Year	Production
1966-67	5072.8
1967-68	35.7
1968-69	48.87
1969-70	34.58

As compared to 1966-67, the production of steel has been going down continuously. Is labour unrest, lack of Machinery or capital is the cause of the declining production of steel. Declining production of steel is the root cause of increase in its prices.

Shri K. C. Pant : Production has not gone down continuously. Though it has declined in 1967-68 as compared to 1966-67, yet in 1968-69 it went up.

Shri N. K. P. Salve : It has gone down since 1966-67.

Shri K. C. Pant : But not continuously.

Shri N. K. P. Salve : Hon'ble Minister should have been in Law Ministry.

Shri Bakshi Ghulam Mohammed : I withdraw the word "continuously".

Shri K. C. Pant : So far as 1969-70 year is concerned, these figures pertain to the period from April, 1969 to January, 1970 and not to the whole year. The reasons, in addition to capital are labour unrest and lack of Machinery as well.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कलकत्ता में हुगली नदी पर दूसरे पुल का निर्माण

*541. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में हुगली नदी पर एक दूसरे पुल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां। पश्चिम बंगाल की सरकार जो प्रस्ताविक पुल से मुख्यत: संबंधित है, ने हाल ही में कार्य को शुरू करने के लिये हुगली नदी पुल आयुक्तों को नियुक्त किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

राज्यों के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद

*542. **श्री जय सिंह :** **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के विभिन्न राज्यों के बीच सीमा सम्बन्धी विवादों से संबंधित कितने मामले अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन में से कुछ सीमा विवाद तो काफी लम्बे समय से अनिर्णीत पड़े हैं तथा इसके कारण इन से सम्बन्धित राज्यों के बीच कटुता उत्पन्न हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इन विवादों को अविलम्ब हल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस समय क्षेत्रीय दावों के संबंध में चार अन्तर्राज्य-विवाद अनिर्णीत पड़े हैं। इनमें एक का सम्बन्ध महाराष्ट्र और मैसूर के बीच सीमाओं के पुनर्निधारण से है। दूसरा विवाद कासरगोड ताल्लुक के कुछ ऐसे क्षेत्रों पर मैसूर सरकार के दावे के बारे में हैं जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अधीन केरल में शामिल किये गये थे। तीसरा विवाद आसाम से लगने वाले कुछ क्षेत्रों पर नागालैंड के दावे से उठा है। नागालैंड सरकार ने इस विवाद के हल के लिए एक सीमा आयोग नियुक्त करने का सुझाव दिया है। चौथे विवाद का सम्बन्ध पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की वर्तमान अन्तर्राज्य सीमाओं के पुनर्निधारण के लिए दावों तथा प्रतिदावों से है।

(ख) यह सच है कि इन विवादों का हल इतनी शीघ्रता से नहीं ढूंढा जा सका है जैसा कि सरकार की इच्छा थी। किन्तु, इस प्रकार के विवादों में जटिल समस्यायें खड़ी हो जाती हैं और इस ढंग से तय करनी पड़ती है कि अन्तिम हल की स्वीकृति के लिये आवश्यक आधार प्राप्त हो सके।

(ग) जहां तक मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद का संबंध है, की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का संकेत 2 मार्च, 1970 को सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के मेरे उत्तर में दे दिया गया था। कासरगोड ताल्लुक से संबन्धित विवाद के सन्तोषजनक तथा शीघ्र हल ढूंढने के प्रश्न पर भी सरकार का पूरा ध्यान है। सीमा आयोग की नियुक्ति के लिए नागालैंड सरकार के निवेदन पर प्रारम्भिक जांच कर ली गई है और इस मामले में अब राज्य सरकार से पत्राचार हो रहा है। जहां तक पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच विवादों का सम्बन्ध है, सरकार ने उपयुक्त विचारार्थ विषयों समेत एक आयोग नियुक्त करने के अपने इरादे की घोषणा पहले ही कर दी है।

दिल्ली में सूती कपड़ा श्रमिकों पर लाठी प्रहार

*543. **श्री देवेन सेन :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सूती कपड़ा श्रमिकों पर जब वे अपनी मांगों पर जोर देने के लिए 23 फरवरी, 1970 को पुराने सचिवालय के सामने एकत्रित हुये थे, लाठी प्रहार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने श्रमिक जख्मी हुये ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार जब पुराना सचिवालय, दिल्ली में कपड़ा मिल प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों और कामगरों के बीच बातचीत हो रही थी तो कुछ कपड़ा मिल के कामगारों ने सचिवालय के सामने

प्रदर्शन किया । उन्होंने अहाते में बलपूर्वक घुसने का प्रयास किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों पर पथराव किया । पुलिस को स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिए भीड़ को पीछे धकेलना पड़ा । इस क्रिया में दो प्रदर्शनकारियों को मामूली चोटें आई । 13 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुये थे । उनमें से एक के चेहरे पर कई चोटें आई ।

Decrease in Air India's Profits during 1968-69

*544. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the profit earned by the Air India during 1968 69 was 25 percent less than that earned during 1967-68 although the number of passengers had increased by 16 per cent ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps proposed to be taken to run the Air India on commercial basis ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir. In 1968-69 Air-India made a profit, before tax, of Rs. 293.81 lakhs against Rs. 349.30 lakhs in 1967-68. The profits after provision for Indian income-tax were Rs. 184 lakhs and Rs. 189 lakhs respectively in these years.

(b) The increase in profits in 1968-69 was mainly due to reduction in charter operations and increase in operational costs.

(c) Air-India is run on excellent commercial principles as is proved by the fact that it has been consistently making profits since its inception in 1953.

शिक्षण संस्थाओं को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना

*545. **श्री बलराज मधोक :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि इन्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जामिया मिलिया इस्लामिया आल इन्डिया इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइन्सिज और इन्डियन इंस्टीट्यूट आ ; टेक्नोलोजी, नई दिल्ली, को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त संस्थाओं को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के विषय में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) इन्डियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज के बोर्ड आफ गवर्नर ने यह स्वीकार कर लिया है कि यह स्कूल जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का एक अभिन्न अंग बन जाये ।

(ख) और (ग). विश्वविद्यालय अधिनियम में उच्च शिक्षा संस्थानों को केवल साथ रखने अथवा उन्हें मान्यता देने की ही व्यवस्था है । अत सम्बद्ध करने की कोई व्यवस्था नहीं है उक्त विश्वविद्यालय के साथ कुछ ऐसे संस्थानों को साथ रखने के प्रश्न पर विश्वविद्यालय के अधिकारी विचार कर रहे हैं ।

रीजनल कालेज भुवनेश्वर के प्रिंसिपल द्वारा, संसद सदस्यों से बातचीत करने पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी हिदायतों का जारी किया जाना

*546. **श्री मधु लिमये** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की रीजनल कालिज भुवनेश्वर के प्रिंसिपल के बारे में, जिन्होंने संसद सदस्यों से बात चीत करने पर प्रतिबन्ध लगाने और कालेज के अध्यापक संघ को मान्यता न देने के आदेश दिये हैं, किसी संसद सदस्य से अथवा किसी अन्य व्यक्ति से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

श्री मधु लिमये, संसद सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसके साथ क्षेत्रीय शिक्षा कालेज भुवनेश्वर के प्रिंसिपल द्वारा उस कालेज के एक अध्यापक को लिखे गए पत्र तथा एक कार्यालय आदेश की प्रतियां भेजी गयी थी । कार्यालय आदेश प्रदर्शन बहुद्देशीय स्कूल शिक्षक संघ को मान्यता प्रदान करने के संबंध में था । पत्र में, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कालेज के कैम्पस में सार्वजनिक सभा आयोजित करने के लिए अध्यापक का स्पष्टीकरण मांगा गया था । इन पत्रों में संसद सदस्य के साथ विचार-विमर्श मना करने के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं है । राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के निदेशक से उन परिस्थितियों की जाँच करने का अनुरोध किया गया जिनके अन्तर्गत प्रिंसिपल ने अध्यापक को पत्र तथा कार्यालय आदेश जारी किया । पता चला है कि प्रिंसिपल ने अनजाने ही गलती की थी क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि कुछ समय पहले केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों के नियम 4 स को हटा दिया गया था । जैसे ही प्रिंसिपल को पता चला कि उनकी और अनुमति के कालेज के कैम्पस में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था तो अध्यापक से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया । किन्तु बाद में पता चला कि कोई सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की गई थी और केवल एक अनौपचारिक बैठक का आयोजन किया था । राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के निदेशक ने प्रिंसिपल को बुलाकर उन्हें उपयुक्त चेतावनी दे दी है ।

Slapping of a Member of Parliament by District Collector of Uj

*547. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Jagannath Rao J... .**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri T. P. Shah :**
Shri J. Sunder Lal :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news ... ed in the Hindi daily Swadesh dated the 12th February, 1970, to the effect th... during the Prime Minister's tour of Ujjain in February, 1970 the District Collector of Ujjain did not allow Shri Hukam Chand Kachwai, Member of Parliament, elected from Ujjain to meet the Prime Minister and after slapping him removed him aside ;

(b) whether Government have conducted a detailed enquiry into this incident and, if so, the details thereof ;

(c) whether Government are of the view that the said action on the part of the District Collector was punishable and undemocratic ;

(d) whether Government have taken any action against the said Officials in this respect and, if so, the details thereof ; and

(e) in case no action has been taken, the action now proposed to be taken in the matter and the steps proposed to be taken by Government to check such type of incidents in future ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) According to information furnished by the State Government, a complaint in this behalf, made by Shri Kachwai, *sub-judice* in a Court of Law.

(c) to (e). Do not arise.

विदेश जाने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना

*548. **श्री मयावन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के भारी व्यय को तथा प्रतिभाशाली छात्रों को कुछ सहायता देने की आवश्यकता को देखते हुए, क्या सरकार ने कोई छात्रवृत्ति योजना आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना को कब क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). जी हां, प्रत्येक वर्ष 50 छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है। योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

Foreign Exchange Earned from Foreign Tourists

*549. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state the details of measures taken by Government during the current year with a view to attracting foreign tourists and the additional amount of foreign exchange likely to be earned thereby ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : In addition to various measures which are already being taken to promote tourism, the steps taken during the current year comprise, liberalization of visa and charter regulations, liberal incentives and financial assistance for hotel projects, major improvements to four international airports, and setting up of holiday resorts. In addition to increasing capacity on Indian Airlines and road transport and accommodation, we plan to improve our increasingly effective publicity and sales oriented marketing approach abroad. The foreign exchange earnings from tourism in 1969 are estimated at Rs. 33.11 crores and this is likely to progressively increase.

उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद

*550. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा-विवाद हल हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दोनों राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में आपत्तियां उठाई गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो वे आपत्तियां क्या हैं ; और

(ङ) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ङ). इक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

श्री त्रिवेदी की सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमाओं का प्रत्यावर्तन) अधिनियम, 1968 मई, 1968 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था । तत्पश्चात निर्धारित सीमा का सीमांकन, जैसी अधिनियम में व्यवस्था है, किया गया था । राज्य सरकारों ने जिन्हें सीमा पर खम्बे गाड़ने थे, अधिकांश काम पूरा कर लिया है और भारत सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से यह प्रस्ताव रखा था कि अधिनियम के अधीन क्षेत्रों का हस्तान्तरण पहली अक्तूबर, 1969 से लागू होगा । किन्तु सीमा पर खम्बे खड़े किये जाने का काम पूरा होने से पूर्व अधिनियम की वैधता और सीमांकन को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में बहुत सी रिट याचिकाएं दायर की गईं । तब उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किये । नवम्बर और दिसम्बर, 1969 में तीन रिट याचिकाओं की सुनवाई हुई तथा 5 और याचिकाओं की सुनवाई की जानी शेष है । स्थगन आदेशों के कारण न कि राज्य सरकारों द्वारा उठायी गई आपत्तियों के कारण कानून के कार्यान्वयन को आगे नहीं चलाया जा सका ।

एयर इंडिया द्वारा बोनस योजना की क्रियान्विति में विलम्ब

*551. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन से भारत आने वाले भारत मूलक यात्रियों के लिये एयर इंडिया ने जो बोनस योजना लागू करनी चाही थी और जिसका बहुत काफी प्रचार किया गया था उसे लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) इन कारणों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इस योजना के कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कुछ औपचारिकताओं के पूरा किये जाने तक स्कीम के क्रियान्वयन में देरी हो गयी है ।

(ख) और (ग). औपचारिकताओं को पूरा करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं और स्कीम के इस वर्ष कालान्तर में चालू कर दिये जाने की आशा है।

वार्षिक परीक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों के लिये छात्रों को अनुमति

*552. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने यह निर्णय किया है कि विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षाओं में संदर्भ देखने के लिये पाठ्य पुस्तकों को लाने की अनुमति प्रदान की जाय ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें इस प्रकार की परीक्षा चालू कर दी गई है तथा ऐसी परीक्षा किस स्तर की कक्षा तक लागू की गई है ; और

(ग) परीक्षा की इस पद्धति को लागू करने के विस्तृत कारण क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). इस विषय पर सरकार को कोई अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु, ऐसा पता चला है कि पंजाब सरकार का विचार 1971 में मिडिल कक्षाओं में इसका प्रयोग करने का है।

Progress of Education in Goa

*553. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the steps taken for the progress of education in Goa during the last three years ;

(b) whether Government have any scheme to provide certain special facilities to Goa in the field of education during the Fourth Plan ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakat Darshan) : (a) There was all round expansion in the provision of facilities for general and Technical Education, including opening or primary schools in all areas having a student population of 20,000 ; opening of middle and high schools, specially in rural and backward areas ; and opening of an Arts & Science College at Daman ; opening of an Industrial Training Institute at Panaji ; and Technical High School Centres at Mapusa, Panaji and Daman ; and the opening of an Engineering College at Goa.

(b) and (c). An allocation of Rs. 328.85 lakhs has been made for general education and Rs. 84 lakhs for technical education for the 4th Plan period. A proposal to provide free education upto class XI for students belonging to economically backward classes with annual income not exceeding Rs. 1200 is also under consideration.

राज्यों में पर्यटन का विकास

*554. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में पर्यटन के विकास के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटन के विकास पर कितना धन व्यय किया जायेगा और किन-किन स्थानों का विकास किया जायेगा ; और

(ग) देश की विकास योजना में कौन से पर्वतीय स्थान शामिल किये गये गये हैं ; जिन पर सरकार का विचार विशेष ध्यान देने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन के विकास के लिये सरकार द्वारा जो विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं उनका एक विवरण संलग्न है। 1970-71 के दौरान, विदेशों में बिक्री की दृष्टि से मार्केटिंग प्रयत्नों तथा देश के अन्दर सरलीकरण प्रक्रियाओं के सुधार एवं पर्यटन के आधार भूत उपादानों को सशक्त बनाने पर अधिक बल देने का प्रस्ताव है।

(ख) केन्द्रीय सरकार योजनाओं का निर्माण तथा पर्यटन स्कीमों का क्रियान्वयन राज्यवार आवंटन के आधार पर नहीं करती अपितु पर्यटकों के लिये किसी स्थान के वास्तविक अथवा संभावित आकर्षण को ध्यान में रख कर करती है। केन्द्रीय स्कीमें राज्य सरकारों के अपनी योजना संबंधी आवंटनों के अधीन कार्यक्रमों के अतिरिक्त है। 1970-71 के दौरान जिन महत्व पूर्ण स्थानों पर पर्यटन स्कीमें हाथ में लेने का प्रस्ताव है उन में कोवालम, गोबिन्दसागर, दिल्ली, आगरा, खजुराहो, जयपुर, गोवा, अजन्ता-एलोरा, बोधगया-राजगीरनालन्दा, महपवलीपुरम तथा एलिफेंटा सम्मिलित हैं।

(ग) गुलमर्ग, श्रीनगर तथा कुल-मनाली क्षेत्र और दार्जीलिंग। मसूरी में एक युवक होस्टल की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

विवरण

पर्यटकों को अधिक संख्या में आकृष्ट करने के लिये सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं .—

1. भारत और विदेशों में उत्कृष्ट पर्यटन सहित्य द्वारा व्यापक प्रचार।
2. सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक होटल आवास की व्यवस्था और निजी होटल क्षेत्र को प्रोत्साहन।
3. विदेशों में और प्रोत्साही युनिटों का खोला जाना और वर्तमान युनिटों द्वारा प्रचार अभियान को तीव्र किया जाना।
4. चार्टर उडानों के परिचालन विषयक नीति का उदारीकरण।
5. कुछ देशों के साथ पारस्परिक आधार पर बीजा-शुल्क की समाप्ति।
6. पश्चिम जर्मनी और नार्डिक देशों के साथ 90 दिन तक के वास के लिए विजा समाप्ति के संबंध में द्विपक्षीय करार किये गये हैं।
7. अस्थायी लैंडिंग परमिट के आधार पर विना बीजा के प्रवेश की अवधि 7 दिन से बढ़ा कर 21 दिन करना।

8. विमान क्षेत्रों पर सरलीकरण प्रणाली की सुव्यवस्था ;

9. गुलमर्ग, कोवालम और गोआ में इन स्थानों का लक्ष्य बना कर आने वाले यातायात के लिये अवकाशकालीन सैरगाहों का निर्माण ।

10. भिखारियों और दलालों जैसे उद्वेगकारी तत्वों के निराकरण के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

11. अपने चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान-क्षेत्रों बृहत् सुधार किये जा रहे हैं ।

12. देश में सड़क और रेल यातायात के लिये और अधिक उपयुक्त और प्रर्याप्त सुविधाओं का प्रबन्ध ।

13. वन्य-जीव एवं शिकार-पर्यटन का विकास ।

14. पर्यटन सुविधाओं के संवर्धन के लिये स्वयं सेवी संगठनों, संस्थानों और निजी क्षेत्र को अनुदान और ऋण देकर सहायता ।

15. जहां संभव है वहां पर्यटन केन्द्रों पर वर्तमान सुविधाओं में सुधार ।

16. पुरातत्विक स्मारकों सहित पर्यटन रुचि के स्थलों का और अधिक अनुरक्षण ।

17. पर्यटन सेवाओं को चलाने के लिये प्रशिक्षण और अर्हता प्राप्त कर्मचारियों के एक संवर्ग के निर्माण के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास ।

एक विदेशी अभिकरण के माध्यम से एयर इंडिया द्वारा विज्ञापन देना

*555. **श्री शारदा नन्द :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री सूरज भान :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया अपने विज्ञापन एक विदेशी अभिकरण के माध्यम से देता रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस अभिकरण का नाम क्या है तथा गत तीन वर्षों में उस अभिकरण के माध्यम से दिये गये विज्ञापनों के लिये कितनी राशि दी गई ; और

(ग) जब भारतीय फर्में उपलब्ध हैं, तो इस कार्य को विदेशी फर्म को दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). एयर-इंडिया के विज्ञापन का कार्य मैसर्ज हिन्दुस्तान थाम्पसन एसोसिऐट्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इस फर्म की 60 प्रतिशत पूंजी भारतीय है और फर्म के अध्यक्ष भी एक भारतीय ही है। पहले यह

फर्म मैसर्ज जे० वाल्लर थाम्पसन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। पिछले तीन वर्षों में फर्म को अदा की गई राशि इस प्रकार है :—

अदा की गई राशि

(लाख रुपयों में)

वर्ष	नकद	परिवहन/सेवा के ठेके के विरुद्ध
1966-67	4.34	3.82
1967-68	5.04	3.99
1968-69	8.77	4.41

(ग) एयर-इंडिया का विचार है कि विज्ञापनों में उनका उच्च स्तर विज्ञापन फर्म के साथ उनके कई वर्गों में विकसित निकट सहयोग एवं मतैक्य का परिणाम है, और यह उनके वाणिज्यिक हित में है कि उनका सम्पर्क इस फर्म के साथ बना रहे।

प्रारम्भिक यातायात तथा परिवहन योजना अध्ययन दल की सिफारिशों की क्रियान्विति

*556. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान के प्रारम्भिक यातायात तथा परिवहन योजना अध्ययन दल की सिफारिशों के बारे में उनके मन्त्रालय को कब सूचित किया गया था और मन्त्रालय ने अनुसरणात्मक कार्यवाही में क्या रुचि ली ;

(ख) डिजायन वर्ष 1981 तक उपरोक्त अध्ययन दल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कुल कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी ;

(ग) क्या सरकार योजना अध्ययन के इस दृष्टिकोण से सहमत है कि दिल्ली के लिए बड़े पैमाने पर द्रुतगामी परिवहन व्यवस्था आवश्यक है क्योंकि दिल्ली परिवहन उपक्रम 1981 में प्रतिदिन 14.60 लाख यात्री ट्रिपों की मांग पूरी नहीं कर सकेगा ;

(घ) यमुना के आर-पार यातायात, परिहार्य आर-पार यातायात, साइकल यातायात, सड़क-रेल फाटकों पर वर्ग पृथकीकरण से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिये सरकार का विचार किस प्रकार तुरन्त कार्यवाही करने का है ; और

(ङ) क्या सरकार ने दिल्ली में सड़क विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों पर विचार किया है और यदि हां, तो प्रत्येक सुझाव पर क्या निर्णय लिया गया है ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रामैया) : (क) और (ङ). भारत सरकार ने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली के महानगरों में वर्तमान परिवहन सुविधाओं की पर्याप्तता तथा अपर्याप्तता/सीमाओं का मूल्यांकन करने और इन सुविधाओं की दीर्घ-

कालीन आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए योजना आयोग के तत्वावधान में सितम्बर, 1965 में एक महानगरीय परिवहन दल नियुक्त किया गया था ।

अध्ययन-दल ने दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में यातायात के निर्बाध आवागमन के हेतु पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए और वर्तमान परिचालन प्रणाली में गतिरोध को हटाने की आवश्यकता को महसूस किया । मूल आंकड़े उपलब्ध न होने की वजह से, अध्ययन-दल ने केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्थान से तत्काल ध्यान आकर्षित करने वाली क्रासिंगों और अन्तर-मार्गों, अतिरिक्त सड़कों की आवश्यकताओं तथा वर्तमान सड़कों की सीमाओं के संबंध में प्रारम्भिक अध्ययन करने के लिये कहा । इस प्रारम्भिक अध्ययन के आधार पर, महानगरीय परिवहन दल ने महानगरीय शहरों में यातायात तथा परिवहन-समस्याओं सम्बन्धी अपनी अन्तरिम रिपोर्ट (मई, 1967) में एक सड़क विकास कार्यक्रम की सिफारिश की । चौथी पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, अध्ययन दल ने अन्तरिम रिपोर्ट में सुझाई गई विविध योजनाओं के लिये प्राथमिकता-क्रम निर्धारित किया और सित बर, 1968 में जारी किये गये चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए महानगरीय शहरों के लिए परिवहन विकास कार्यक्रम सम्बन्धी ज्ञापन में उनको सम्मिलित किया । चौथी योजना में कार्यान्वयन के लिए 1·1 करोड़ रुपये की लागत वाली इन योजनाओं को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

(ख) 1981 तक कार्यान्वित किये जाने वाले दिल्ली के लिये प्रस्तावित व्यापक विकास कार्यक्रम की अनुमानित लागत 35 करोड़ रुपये है ।

(ग) जी, हां । दिल्ली के लिए व्यापक परिवहन और यातायात संबंधी अध्ययन का कार्य केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्थान को सौंपा गया है । संस्थान द्वारा दिसम्बर, 1970 तक अध्ययन-दल को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये जाने की सम्भावना है । अध्ययन के परिणामस्वरूप यातायात गलियारों का निर्धारण हो चुकने के बाद, रेलवे विभाग दिल्ली के लिए उपयुक्त शीघ्र पारगमन प्रणाली की किस्म को चुनने के लिए तकनीकी;आर्थिक सम्भाव्यता के बारे में अध्ययन प्रारम्भ करेगा । उक्त अध्ययन हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 1.40 करोड़ रुपये का अपेक्षित प्रावधान किया गया है ।

(घ) यमुना-पार यातायात से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के लिये यमुना नदी पर (1) शान्तिवन के निकट और (2) वजीराबाद पुल तथा वर्तमान रेल-सड़क पुल के बीच—दो नये पुल बनाने का विचार है । इन पुलों के लिए स्थानों की सही स्थिति का निर्धारण करने के लिए माडल अध्ययन और जांच-पड़ताल का कार्य प्रगति पर है । ये दो पुल वजीराबाद पुल और तथा हुमायूँ के मकबरे के निकट वाले दो अन्य पुलों के अतिरिक्त हैं । जहां तक रेल सड़क फाटकों पर ग्रेड-भिन्न व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में कार्यान्वयन के लिये सुझाई गई मुख्य योजनाओं में तिलक पुल को चौड़ा किया जाना तथा पटेल मार्ग, सराय रोहिल्ला महरौली मार्ग, डिफेन्स कालोनी, स्कूल लेन स्थिति रेल-सड़क क्रासिंगों पर ऊपरी पुलों का निर्माण शामिल है । नियमित सर्वेक्षण और अन्तर-खण्डीय अध्ययन उस विस्तृत परिवहन और यातायात अध्ययन में शामिल है, जो पहले से ही चालू है । इस बारे में अध्ययन दल की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

साहित्यिक, कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व की बहुमूल्य पांडुलिपियों का प्रकाशन तथा परिरक्षण

*557. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत मूलक साहित्यिक, कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व की बहुमूल्य पांडुलिपियों की खोज करने तथा उनका अर्जन करने के लिए उनके मन्त्रालय की कोई योजनायें हैं ताकि उनका प्रकाशन तथा परिरक्षण किया जा सके ; और

(ख) क्या उसमें अन्य देशों से भी ऐसी सामग्री शामिल करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात किया जाना

*558. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1967, से सितम्बर, 1969 तक तथा अक्तूबर, 1969 से 31 जनवरी, 1970 तक केरल में कितनी बार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात की गई ;

(ख) यह पुलिस कितनी बार राज्य सरकार की मंजूरी तथा सलाह से तैनात की गई ; और

(ग) प्रत्येक मामले में पुलिस तैनात करने का क्या उद्देश्य था ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). इन अवधियों में, उन कुछ दस्तों के अतिरिक्त जो केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा कार्य के लिए प्रयोग में लाये गये, केरल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की युनिटों को राज्य सरकार को सौंपा गया जब कभी उनके द्वारा मांग की गई । ऐसे अनुरोध दो अवसरों पर प्राप्त हुए । प्रत्येक अवधि में एक-एक) । ऐसे अवसरों की निश्चित संख्या देना सम्भव नहीं होगा जब राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की यूनिटों को तैनात किया गया क्योंकि जब एक बार राज्य सरकार को ऐसी यूनिटें सौंप दी जाती हैं तो राज्य प्राधिकारी उन्हें उस रीति से और उन कार्यों के लिए तथा उतनी अवधि के लिए जितनी वे आवश्यक समझें, तैनात करती है।

राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की युनिटों को सुरक्षा कार्यों तथा विधि व व्यवस्था बनाये रखने के लिये तैनात किया गया था ।

संसद सदस्यों द्वारा पद के दुरुपयोग को रोकने के लिए संहिता

*559. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद सदस्यों द्वारा देश में पद का दुरुपयोग करने पर रोक लगाने के लिए ऐसी संहिता बनाने का है जैसी हाल में ब्रिटेन में बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). विधायकों तथा प्रशासकों के बीच सम्बन्धों को नियमित करने के लिए विधायकों के लिए एक आचार-संहिता का प्रारूप विचाराधीन है। संहिता के प्रारूप की एक प्रति 21 मार्च, 1967 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी। संहिता के प्रारूप तथा इस विषय पर सन्थानम समिति की सिफारिशों पर सितम्बर, 1969 में हुए सातवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में भी विचार विमर्श हुआ था। सम्मेलन द्वारा संहिता के प्रारूप में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया गया था। इन सुझावों की अब जांच की जा रही है।

"तकाफत-उल-हिन्द" पत्रिका का मुद्रण

*560. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा प्रकाशित "तकाफत-उल-हिन्द" नामक पत्रिका मद्रास में एक गैर-सरकारी मुद्रणालय में छापी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस पत्रिका को दिल्ली में छापने की सम्भाव्यता पर कभी विचार किया गया था ; और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) बताया गया है कि यह प्रेस अरबी भाषा की आधुनिक टाइपलिपि से सुसज्जित है ; और पत्रिका प्रकाशित करने के लिए यह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अपना कार्य सुचारुरूप से कर रहा है।

(ग) जी हां। परिषद् ने 1968 में पत्रिका को दिल्ली में ही प्रकाशित करने की संभावना का पता लगाया था। अनेक व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया गया था और इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या वे अरबी भाषा में मुद्रण कार्य कर सकते हैं, दिल्ली स्थित 17 प्रमुख छापेखानों को पत्र भेजे गए थे। बम्बई, मद्रास और हैदराबाद के छापेखानों से भी निर्ख आमंत्रित किये गये थे। किन्तु दिल्ली का कोई भी मुद्रक इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हुआ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए परीक्षार्थियों की आयु सीमा में छूट

*561. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए परीक्षार्थियों की आयु सीमा में छूट देने की प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे मामले में निर्णय लेने में विलम्ब होने के कारण सैकड़ों युवक ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने से वंचित रह जाते हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विषय अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जबकि सरकार के पास उन उम्मीदवारों की संख्या के बारे में, जिन्हें अधिकतम आयु के बढ़ाने से लाभ होने की संभावना है, कोई निश्चित सूचना नहीं है, तथापि इस मामले में यथाशीघ्र अन्तिम निर्णय लेने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

D.M.K. Leader's Statement Regarding Language Policy

*5:2. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement made by a D.M.K. Leader in which he has warned the Central Government that if they do not abandon their policy of thrusting Hindi upon them, his party would again start demanding secession of Tamil Nadu from the country ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to the information provided by the State Government no such statement has been made by any D.M.K. Leader.

(b) Does not arise.

नेफा में लोक तंत्रीय निर्वाचन

*563. **श्री वेदव्रत वरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में लोकतंत्रीय निर्वाचन आरम्भ कराने में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या नेफा में संविधान की छठी अनुसूची को लागू करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् । नेफा में नेफा पंचायती राज विनियम, 1967 को 2 अक्तूबर, 1968 से लागू कर दिया गया है और 3 दिसम्बर 1969 को अभिकरण परिषद् का उद्घाटन कर दिया गया है ।

(ख) और (ग). नेफा की वर्तमान संवैधानिक स्थिति में कोई परिव[illegible]ने का प्रस्ताव नहीं है ।

डी० सी० 9 कम्पनी के प्रतिनिधि और कप्तान हुइलगोल के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच का निष्कर्ष

*564. **श्री रवि राय** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने डी० सी० 9 कम्पनी के प्रतिनिधि और इंडियन एयरलाइन्स के कप्तान हुइलगोल के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन पर बाद में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) आरोप यह है कि श्री जे० पी० कोजारेक ने इंडियन एयरलाइन्स के कैप्टिन हुइलगोल को कारपोरेशन द्वारा डी० सी०-9 विमान खरीदने के लिए रिश्वत देने का प्रस्ताव किया था । दिल्ली के विशेष जज की अदालत में भारतीत दण्ड संहिता के सैक्शन 120-बी के साथ पठित सैक्शन 161, भारतीय दण्ड संहिता 165-ए और 'प्रिवेन्शन आफ करप्शन एक्ट' 1947 के सैक्शन 5(2) के अन्तर्गत किये गये अपराधों के लिए दोनों के विरुद्ध 20-11-69 को आरोप-पत्र दायर कर दिये गये । इसके अतिरिक्त, कैप्टिन हुइलगोल को भा०द०सं० के सैक्शन 161 और श्री कोजारेक को भा०द०सं० के सैक्शन 165-ए के अन्तर्गत किये गये अपराधों के लिए आरोपित किया गया है ।

मामला न्यायालय में है ।

कैप्टिन हुइलगोल को इंडियन एयरलाइन्स ने 23 दिसम्बर, 1969 से निलम्बित भी कर रखा है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

Provision for Development of Transport

*565. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to spend a sum of Rs. 839 crores on the development of transport ;

(b) if so, the State-wise break-up thereof ;

(c) whether it is also a fact that a meeting of the Transport Development Council was held in Delhi on the 13th February, 1970 ; and

(d) if so, the details of the decisions taken therein ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) to (d). A statement giving the information required is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in the Library. See* No. LT—2941/70].

विदेशों में गांधी दर्शन के प्रचार के लिए यूनेस्को, अन्य संगठनों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

*566. **श्री जो० वाई० कृष्णन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को और अन्य संगठनों तथा उन व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है जो विदेशों में गांधी दर्शन का प्रचार कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) ऐसे संगठनों और व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें गाँधी शताब्दी वर्ष में सहायता दी गई है और उन्हें कितनी-कितनी राशि दी गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

विदेशों में गांधी जी के विचारों के प्रचार कार्य के लिए यूनेस्को अथवा अन्य संगठन अथवा किसी व्यक्ति को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है, फिर भी गांधी शताब्दी के लिए राष्ट्रीय समिति की उप-समिति ने, जो विदेशों में शताब्दी समारोहों की प्रभारी है, विदेशों में शताब्दी समारोहों के आयोजन पर अब तक 20.28 लाख रुपये व्यय किये हैं । उप-समिति ने गांधी जी पर, मुख्यत: विदेशों में भारतीय मिशनों तथा कुछ मामलों में कुछ देशों के यूनेस्कों के राष्ट्रीय आयोगों को, विभिन्न प्रकार की सामग्रियां प्रस्तुत की हैं । इसमें से बहुत सी सामग्री भारतीय मिशनों आदि द्वारा गांधी शताब्दी मनाने में रुचि रखने वाले सम्बन्धित देश के संगठनों तथा व्यक्तियों को भेजी गई है । विदेशों को भेजी गई सामग्री में निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(1) गांधी जी पर 341 थैले (प्रत्येक थैले में सुवाह्य दर्शनी को लकड़ी के सन्दूक में पैक करके)

(2) गांधी जी की अथवा उन पर 30,730 पुस्तकें, अधिकांश पुस्तकें अंग्रेजी में थी लेकिन कुछ फ्रैंच, अरबी, स्पेनिश तथा जर्मन की भी बांटी गई थी ।

(3) गांधी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाले 50 फोटो प्रदर्शनियाँ, प्रत्येक में गाँधी जी के 100 बड़े चित्र थे ।

(4) गांधी जो के दो ऊर्ध्वकाय चित्र इटली और नार्वे प्रत्येक को एक भेजे गए । बैंगकाक के गांधी स्मारक पुस्तकालय के लिए गांधी जी के बड़े तैल-चित्र की आधी कीमत उप समिति द्वारा वहन की गई है ।

(5) कुछ देशों को स्मारक सिक्के तथा बैज भेजे गये हैं ।

2. गांधी जन्म शताब्दी की राष्ट्रीय समिति द्वारा यूनेस्को को "महात्मा" चल-चित्र का एक प्रिंट भेंट किया गया है । परराष्ट्र मंत्रालय ने बहुत से देशों को को गांधी जी पर चल-चित्र भेजे हैं ।

3. महात्मा गाँधी जी पर अन्तराष्ट्रीय निबन्ध प्रतियोगिता के 17 पुरस्कार विजेताओं में से 15 को उप-समिति द्वारा भारत आने और आपसी की मुफ्त हवाई यात्रा और एक महीने का आतिथ्य प्रदान किया गया है। शेष दो पुरस्कार विजेता भारत आने में असमर्थ रहे।

4. उप-समिति ने 12 प्रसिद्ध व्यक्ति जो गांधी जी, उनके जीवन, कार्य और दर्शन पर अधिकार से बोल सकते थे, विदेशों के लिए प्रतिनियुक्त किया।

Reservation of Posts for Harijans in Public Sector Undertakings and Private Establishments

*567. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Gavernment have issued a directive in regard to the reservation of posts for Harijans in the public sector undertakings and private establishments ;

(b) whether it is also a fact that some legal difficulties have arisen in the way of the implementation of the said directive ;

(c) if so, the details of the directive and the steps being taken by Government to remove the said bottleneck ; and

(d) whether Government would implement the directive not only in the case of Harijans but also in regard to all the landless persons of the country and, if not, the reasans therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A draft directive was sent by the Bureau of Public Enterprises, Ministry of Finance, to the administrative Ministries, in September 1969, for being issued to the Public Enterprises for making reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services under them, and the administrative ministries have issued the directive to many of the public enterprises under them. The private establishments not being under the control of Government, the question of issuing any directive to such establishments in regard to reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in their services does not arise.

(b) and (c). The directive referred to above is to be issued by the administrative Ministries to the Public Enterprises under them, after completing the necessary formalities, if the relevant Articles of Association or the Stature etc. permit of issuing such directives. In the case of other public enterprises, the administrative Ministries are to take steps for the amendment of the Articles of Association or the Statute etc. in order to enable them to issue such directive. No other legal difficulty has been brought to the notice of the Bureau of Public Enterprises in the implementation of the directive under reference. A statement giving the salient features of the draft directive under reference is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2942/70].

(d) The decision to provide for reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in services under the Public Enterprises is in line with Government's policy in respect of reservation for these communities in the services under the Government, according to the provisions of the Constitution. There is no reservation for any other backward classes in services under the Government and so, the question of providing reservation for landless persons in services under the Public Enterprises does not arise.

Extension of Unlawful Activities (Prevention) Act to Jammu and Kashmir State

*568. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Unlawful Activities (Prevention) Act is not in force in Jammu and Kashmir ;

(b) if so, the reasons therefor when Government consider Jammu and Kashmir as an integral part of the country ;

(c) whether Government propose to enforce all the sections of the said Act in Jammu and Kashmir ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B Chavan) : (a) The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) is in force in Jammu and Kashmir also.

(b) to (d). Do not arise.

1971 Census

*569. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that action has been initiated for the 1 71 Census ;

(b) if so, whether a copy of the list of subjects in regard to which data is to be collected during the census operation would be laid on the Table of the House ; and

(c) by what time the entire census work is expected to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yer, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2943/70].

(c) By about 1974

Devanagari Script for Indian Languages

*570. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he had made a suggestion a few days back that the other languages should accept Devanagari as an alternative script ;

(b) whether such a type of resolution was approved at the Conference of Chief Ministers held some years ago during the time of Shri Jawahar Lal Nehru ; and

(c) if so, the reasons for which it could not be implemented ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

In a statement laid on Table of the Rajya Sabha in reply to Starred Question No. 66 asked on 25th February, 1970 Education Minister had stated that the Parivardhit Devnagari script can also be used as an additional script for the various regional languages.

2. In the Chief Ministers Conference held in 1961 a recommendation was made saying that "a common script would be a powerful link between the different languages of India and, therefore, the great help in bringing about integration. Such a common script in India in existing circumstances can only be Devanagari. While it may be difficult to adopt a common script in the near future, this objective should be kept in mind and worked for."

3. The pursuance of the recommendations made in the meeting of the Chief Ministers held in 1961, the following action has so far been taken :

(a) A careful study of special sounds in various modern Indian languages has been made ; and, based on this, suitable symbols/dia-critical marks have

been added to the Devanagari script, which has now come to be known as 'Parivardhit Devanagari'. This Devanagari script can be used for transcription of the different regional languages of the country and can serve as a link among them. It can also be used as an *additional* script for the various regional languages.

4. A pamphlet containing details of the Parivardhit Devanagari script along with its application to the various regional languages as a sample has been brought out and has been widely circulated to the State Governments/Universities and other learned bodies for their consideration and use. The Ministry of Education and Youth Services, through the Central Hindi Directorate, has already bought out a few books of poems written in regional languages using the Parivardhit Devanagari script.

5. In addition to the above, Government of India have also made provision for financial assistance to voluntary organisations for publication of books in regional languages in Devanagari script with translation in Hindi.

6. A proposal to bring out a documentary film for popularising the Parivardhit Devanagari script all over the country is under consideration.

7. It will thus be seen that the Government of India is taking various steps to gradually implement the above mentioned recommendation.

आबू पर्वत पर रेल अधिकारियों के लिए विशेष आवास नियतन का अनुपात

*573. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माउंट आबू में रेलवे अधिकारियों के लिए विशेष आवास का निर्माण किया गया है ;

(ख) निर्माण कार्य पर कुल कितनी लागत आई और पिछले तीन वर्ष में उन पर वर्षवार कितना व्यय हुआ ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में कमरों के प्रत्येक सैट के अधिवाश का अनुपात क्या है ; और

(घ) क्या सरकार, बहुत कम अधिवास अनुपात को देखते हुए इन सैटों का अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रयोग करने की अनुमति देगी जिससे कि इनका अधिकतम उपयोग किया जा सके ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी नहीं ; लेकिन रेलवे अधिकारियों के लिए आराम घर की व्यवस्था है, जिसमें कमरों के तीन सैट हैं।

(ख) 1922 में इस आवास का क्रय मूल्य कितना था यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है इस आवास का वार्षिक खर्च लगभग इस प्रकार रहा :—

1966-67 में	11,582 रुपये।
1967-68 में	12,628 रुपये।
1968-69 में	13,637 रुपये।

(ग) पिछले तीन वर्षों में कमरों के इन तीन सैटों के उपयोग का अनुपात क्रमशः इस प्रकार रहा : 1967 में 40 प्रतिशत, 35 प्रतिशत और 25 प्रतिशत, 1968 में 36 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत, और 1969 में 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 12 प्रतिशत ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राजस्थान में विद्यार्थियों के आन्दोलन के कारण रेलवे सम्पत्ति को क्षति

*575. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री रा० वे० नायक : **श्री कृ० मा० कौशिक :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के विभिन्न भागों में विद्यार्थियों ने हाल में गम्भीर आन्दोलन किये हैं ;

(ख) क्या विद्यार्थियों ने अपने आन्दोलनों के दौरान विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सम्पत्ति को बहुत क्षति पहुँचाई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि विद्यार्थियों के आन्दोलन के कारण रेलवे सम्पत्ति को कुल कितनी हानि हुई तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). जी हां। रेल सम्पत्ति को लगभग 21,300 रुपये की क्षति होने का अनुमान है।

उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों में सीमेंट की कमी

*576. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री सीमेंट के वितरण में भाड़ा 'पूल' पदति अपनाने से सीमेंट के उत्पादन में क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में 14 अप्रैल, 1969 को लोक सभा में दिए गए वक्तव्य के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अप्रैल, और 22 दिसम्बर, 1969 के बीच उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों में सीमेंट की कमी रही है जिससे सीमेंट पर से नियंत्रण हटाने का निर्णय लेने की वांछनीयता के बारे में पुनः विचार करना अपेक्षित समझा जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या भाड़ा 'पूल' पद्धति क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करने के लिए जिम्मेदार है और इस 'पूल' का हटाना स्थगित किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) 14 अप्रैल 1969 के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। इन कमियों को इस क्षेत्र को बाहर से सम्भरण कर पूरा किया गया क्योंकि भाड़ा समीकरण (फ्रेट पूलिंग) व्यवस्था उपलब्ध थी।

(ख) यह विचार कि भाड़ा समीकरण व्यवस्था असंतुलन की जिम्मेदार है उद्योग के केवल एक भाग का ही मत है। दूसरी तरफ उद्योग का दूसरा भाग पूरी तरह मानता है कि भाड़ा समीकरण व्यवस्था उपभोक्ता तथा समान वितरण के हित में है ;

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान सदन में दिये गये मेरे 22 दिसम्बर, 1969 के भाषण की ओर आकृष्ट किया जाता है।

नैपको बेवेल गीयर(इण्डिया) लिमिटेड बल्लभगढ़ को बन्द किया जाना

*577. **श्री जय सिंह :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बल्लभगढ़ (हरियाणा) में भारत अमरीकी सहयोग से स्थापित किया गया नैपको बेवेल गीयर (इण्डिया) लि० का कारखाना दो वर्ष से भी अधिक समय से बन्द पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 2 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा से आयात की गई कीमती मशीनें, जिनका ऋण अभी चुकाया जाना है ; कारखानों में लगा दी गई है किन्तु उन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार कीमती मशीनों के पूरे घाटे से बचने के लिए इस कारखाने को चलाने के लिए कोई उपाय करेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि भारतीय कंपनियां समय से यू० एस० ए० आई० डी० अधिकारियों को भुगतान करने में असमर्थ रही अतः पंजाब सरकार ने फर्म द्वारा लिये गये बन्धक पत्र पर कार्यवाही करके 9-4-67 को कंपनी की परिसंपत्तियों को अधिग्रहण कर लिया । किन्तु पंजाब सरकार कंपनी चालू करने के लिए कोई कदम न उठा सकी क्योंकि कुछ पार्टियां मामले को अदालत में ले गयी हैं ।

(ग) जी, हां । लेकिन यू० एस० ए० आई० डी० ऋण के माध्यम से आयातित मशीनों के लिए किया गया भुगतान 23 लाख डालर था ।

(घ) कंपनी के कार्य व्यापार से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मामले कोर्ट में अनिर्णीत पड़े हैं । कारखाने को फिर से चालू करने के लिए उठाया जाने वाला कोई भी कदम कानूनी अदालत में अनिर्णीत पड़े मामले पर विचार करने के बाद ही लिया जा सकता है । पंजाब सरकार ने बताया है कि वह कारखाने को क्रियाशील (चालू) करने के तरीकों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है ।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन

*578. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1972 में होने वाले साधारण निर्वाचनों के लिए विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि करने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन करने का है ;

(ग) क्या परिसीमन आयोग को यह कार्य करने के निदेश दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, संसद् द्वारा जैसे ही और जब पारित कर दिया जाता है, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं दोनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए इस समय आरक्षित स्थानों में कुछ समायोजन और परिवर्तन करने आवश्यक हो सकते हैं ।

(ग) जी, नहीं । अभी कोई परिसीमन आयोग अस्तित्व में नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

व्यापारियों को जाली रेलवे रसीदों का बेचा जाना

*579. **श्री राम किशन गुप्त** : **क्या रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल की प्राप्ति के लिये वास्तविक रसीदों के रूप में प्रयोग किये जाने के लिये व्यापारियों को जाली रेलवे रसीदें बेचे जाने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो सभी रेलों में जोनवार 1969-70 में ऐसे कितने मामले दर्ज किये गये ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है जिसमें जाली रेलवे रसीदों पर माल की सुपुर्दगी से बचने के लिए किये गये उपाय बताये गये हैं ।

विवरण

जाली रेलवे रसीदों पर माल की सुपुर्दगी से बचने के लिए रेलों पर निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(क) अग्रेषक स्टेशन का नाम यथासम्भव इन्वायस पुस्तकों पर छापा जाता है ;

(ख) प्रत्येक पुस्तक के प्रत्येक पन्ने पर इन्वायस पुस्तक के छपने का महीना और वर्ष दिया जाता है ;

(ग) थ्रू इन्वायसों को डाक से भेजने का जो वर्तमान नियम है, उसे कड़ाई से लागू किया जाता है ;

(घ) जब किसी कीमती माल (अर्थात् लगभग 1,000 रुपये से अधिक कीमत वाले माल) की सुपुर्दगी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मांगी जाती है जिसे स्टेशन के कर्मचारी नहीं जानते, तो जब तक रेलवे रसीद का श्रू इन्वायस से मिलान न कर लिया जाये, माल की सुपुर्दगी नहीं दी जाती। यदि श्रू इन्वायस उपलब्ध न हो, तो स्टेशन के कर्मचारी पार्टी से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान कराने के लिए कहते हैं जिसे स्टेशन का कोई कर्मचारी जानता हो। यदि वह ऐसा करने से इन्कार कर दे तो, सुपुर्दगी तभी दी जाती है जब स्टेशन मास्टर को सुपुर्दगी मांगने वाले व्यक्ति की सदाशयता का इत्मीनान हो जाये। यदि आवश्यक हो, तो सुपुर्दगी देने से पहले अग्रेषक स्टेशन को अत्यावश्यक तार भेज कर बुकिंग के ब्यौरे की पुष्टि करा ली जाती है।

(ङ) स्टेशन मास्टरों को हिदायत है कि वे ऐसे माल की सुपुर्दगी के बारे में सावधान रहें जो आमतौर पर उनके स्टेशनों पर नहीं आता।

(च) रेलों में रेल सुरक्षा दल की अपराध आसूचना शाखा और रेलवे बोर्ड का केन्द्रीय अपराध ब्यूरो, इस प्रकार के अपराध करने वाले व्यक्तियों और दूसरे असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा करने में वे, जहां-कहीं आवश्यक हो, राज्य पुलिस तथा केन्द्रीय जाच ब्यूरो की मदद लेते हैं।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के आसाम संवशन की रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*580. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के आसाम सेक्शन की रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की प्रस्तावित योजना को चौथी योजना में सम्मिलित न किये जाने के विरोध में आसाम के संसद् सदस्यों ने कोई अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव को चौथी योजना में सम्मिलित करने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) चौथी योजना के आमान-परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। फिर भी, बोंगाई गांव-गुवाहाटी मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव को रेलवे की आमान परिवर्तन सम्बन्धी संदर्भ योजना में शामिल कर लिया गया है जिसे अगले दस वर्ष या इसके बाद कार्यान्वित किया जाएगा। इस आमान-परिवर्तन के लिए पहले ही सर्वेक्षण किये जा चुके हैं और फिलहाल उनकी रिपोर्टों की जांच रेलवे बोर्ड द्वारा की जा रही है। जांच पूरी हो जाने के बाद इस आमान परिवर्तन के बारे में विनिश्चय किया जायेगा। इस खंड का वास्तविक आमान परिवर्तन इस बात पर भी निर्भर करता है कि आमान परिवर्तन के अन्य प्रस्तावों की तुलना में इस प्रस्ताव को क्या अग्रता मिलती है और इन कामों के लिए कितना धन उपलब्ध होता है।

नैप्को इंक० अमरीका द्वारा भारतीय फर्म को दोषपूर्ण मशीनों की सप्लाई

*581. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैप्को बेवल वीयर (इंडिया) लि० नई दिल्ली की सहयोगकर्ता अमरीकी फर्म नैप्को इंक० पर, भारतीय फर्म को अतिमूल्यांकित पुरानी और बेकार मशीनों को अच्छी मशीनों के रूप में सप्लाई कर धोखा देने के कारण अमरीका की सरकार द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमरीकी सहयोगकर्ता फर्म को उक्त मशीनें एक आभारकर्ता फर्स लन्डग्रेन से एवैस्को द्वारा आरम्भ में आके गये मूल्य में जो बहुत कम था बहुत अधिक मूल्य पर प्राप्त हुई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 38 मूल्यवान मशीनें अमीरीकी सहयोगकर्ता फर्म द्वारा भारत के कारखानों को भेजी नहीं गई थी यद्यपि उन्हें इन मशीनों के सिए भुगतान कर दिया गया था और इस तथ्य को भारतीय सहयोग कर्ताओं से मिलकर दबा दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मशीनों को खरीद के कारण लगभग 3 करोड़ रुपये कि विदेशी मुद्रा का भुगतान रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य-मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पता चला है कि संयुक्त राज्य अमरीका के न्याय विभाग ने फरवरी 1968 में मिशीगन के जिला न्यायालय में नैपको इंड० इंस, संयुक्त राज्य अमरीका के विरुद्ध शिकायत दायर की थी। इस शिकायत में उसने कहा है कि इबास्को सर्विसेज ने नवम्बर, 1960 में नैपको टूलिंग के बारे में मूल्यांकन किया था। यह नैपको टूलिंग ए० आई० डी० ऋण के मंजूर होने के बाद नैपको बीवल गियर आफ इंडिया को हस्तान्तरित किया जाना था। उस मूल्यांकन को छिपाकर नैपको इण्ड० इंस यू० एस० ए० मे संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को धोखा दिया।

(ख) ऊपर (क) में जैसा कि बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमरीका के न्याय विभाग द्वारा दायर की गई शिकायत में इस सम्बन्ध में आरोप लगाया गया है।

(ग) मई, 1966 में यू० एस० ए० आई० डी० नई दिल्ली को पेश किये गये अपने ज्ञापन में नैपको बीवर गियर आफ इण्डिया ने बताया है कि ऐसी कई अच्छी मशीनें जों उनको देने के लिए मशीनों की स्वीकृति सूची में रखी गई थी या जिनकी सप्लाई करना नैपको, यू० एस० ए० का कर्तव्य था वे संयुक्त राज्य अमरीका में रख ली गई हैं और उनमें से कुछ मशीनों का प्रयोग नैपको यू० एस० ए० ने मिन्नी पोलिया वाले अपने संयंत्र में किया है।

(घ) नैपको इस यू० एस० ए० को जहाज का भाड़ा ए० आई० डी० द्वारा इंडियन कम्पनी को दिये गये ए० आई० डी० ऋण के हिसाब से डाल कर पहले ही भुगतान कर दिया है और इण्डियन कम्पनी को इस ऋण का भुगतान भारत सरकार की रुपये के रूप में 9 वर्षों में करना है इन 9 वर्षों में दो वर्ष रियायत के भी शामिल हैं। भारत सरकार को

वह राशि ए० आई० डी० को विदेशी मुद्रा के रूप में 40 वर्षों के भीतर अदा करनी है, जो उसे इण्डिया कम्पनी से ऋण के भुगतान के रूप में मिलेगी। हां, भारत सरकार ने ए० आई० डी० को कोई भुगतान नहीं किया है क्योंकि इंडियन कम्पनी ने ए० आई० डी० ऋण के भुगतान स्वरूप सरकार को कोई किश्त नहीं दी है। भारत सरकार ने इंडिया कम्पनी को दिये गए ए० आई० डी० ऋण के बारे में कोई गारन्टी नहीं दी है, सिर्फ इतनी ही गारन्टी दी है कि इंडियन कम्पनी जितना भुगतान कर देगी उतना ही वह वापस कर देगी।

रीरोलर-निर्यातकों को बिलैटों के लिए अलग कोटा

*582. **श्री सु० कु० लापड़िया** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जिनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रीरोलर-निर्यातकों को इस्पात की सलाखों तथा छड़ों के निर्यात के सम्बन्ध में बिलैटों के लिए अलग कोटा दिया जा रहा है ;

(ख) 1969 तथा 1970 की विभिन्न अवधियों में किन-किन लोगों को यह कोटे दिये गये थे ; और

(ग) उन्हें कितना-कितना कोटा दिया गया था ; आधार अवधि में उनकी उत्पादन क्षमता कितनी थी तथा औसत निर्यात कितना था ?

इस्पात तथा भारी इन्जिनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-2944/70]

भारतीय रेलवे में काम करने वाले नैमत्तिक मजदूरों की सेवा सुरक्षा

*583. **श्री अदिचन** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के प्रत्येक जोन में कितने-कितने नैमित्तिक श्रमिक काम करते हैं ;

(ख) उनके सेवा सम्बन्धी हितों का संरक्षण किस रीति से किया जा रहा है ; और

(ग) उनके शोषण को समाप्त करने के लिए उनकी सेवा की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु क्या उनकी सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). इस बात की पहले से ही हिदायत है कि परियोजनाओं को छोड़कर दूसरे निर्माण कार्यों पर जो नैमित्तिक मजदूर छः महीनों की लगातार सेवा पूरी कर चुके हों, उन्हें स्थाई कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाये, जिससे वे उन सभी अधिकारों और सुविधाओं (जिनमें वेतन भत्ते शामिल हैं) को पाने के हकदार हो जायें जो अस्थायी रेल कर्मचारियों को मिलती हैं। ये हिदायतें सभी रेलों पर लागू होती हैं और इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

विवरण

31-3-1969 को भारतीय रेलों में नियुक्त नैमित्तिक मजदूरों की कुल संख्या का विवरण ।

रेलवे	संख्या
मध्य	39,942
पूर्व	46,734
उत्तर	52,811
पूर्वोत्तर	12,140
पूर्वोत्तर सीमा	4,039
दक्षिण	34,089
दक्षिण-मध्य	34,085
दक्षिण-पूर्व	68,624
पश्चिम	34,050
चितरंजन रेल इंजन कारखाना	779
सवारी डिब्बा कारखान	1,090
डीजल रेल इंजन कारखाना	658
जोड़	3,29,041

बिड़ला उद्योग समूह द्वारा पश्चिम बंगाल से उद्योगों का हटाया जाना

*584. **श्री मयावन :** **श्री सामिनाथन :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में व्याप्त असुरक्षा से उत्पन्न स्थिति को दृष्टि में रखते हुए बिड़ला उद्योग समूह ने अपने कार्यालयों तथा कारखानों को अन्य राज्यों में ले जाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस उद्योग समूह के बड़े अधिकारियों पर आक्रमण किया गया है और उनके लिए काम करना असम्भव हो गया है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर हां हो, तो क्या इससे देश की और विशेषकर पश्चिम बंगाल राज्य की अर्थ व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ऐसा पता चला है कि बिड़ला समूह की कुछ कम्पनियों का अपने प्रशासनिक कार्यालयों को अपने कारखानों को वर्तमान प्रांगण में स्थानान्तरिक करने का प्रस्ताव है।

(ख) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ). किसी लाइसेंस प्राप्त कारखाने को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण में सरकार की अनुमति की आवश्ययकता है। बिड़ला समूह का कोई लाइसेंस प्राप्त कारखाना हाल ही में पश्चिमी बंगाल से स्थानान्तरिक नहीं हुआ है। अतः उस राज्य की उत्पादन क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके साथ ही किसी क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति का दर तथा औद्योगिक वातावरण बहुत कुछ वहां की श्रमिक परिस्थितियों, सुरक्षा के वातावरण तथा शान्ति और व्यवस्था पर निर्भर करता है और ऐसी आशा की जाती है कि निकट भविष्य में पश्चिमी बंगाल की परिस्थिति में सुधार हो जायेगा।

ट्रैक्टर बनाने के कारखाने

*585. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से कौन-कौन से ट्रैक्टर निर्माण एकक अन्य देशों के सहयोग से काम कर रहे हैं; और

(ख) सहयोग देने वाले देशों के नाम क्या हैं और उनसे किन-किन शर्तों पर करार किए गये हैं?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). ट्रैक्टर बनाने वाले एककों ने विदेशी सहयोग के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं, वे इस प्रकार हैं :

1. **मै० ट्रैक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेंट लि० मद्रास** : इस फर्म ने कनाडा की फर्म मैसी फर्गूसन तथा ब्रिटेन में उनकी सहयोगी फर्मों के साथ सहयोग के लिए करार किया है। इस विदेशी फर्म ने भारतीय कम्पनी के 40 प्रतिशत शेयर खरीदती है और भारतीय कम्पनी जो ट्रैक्टर हिस्से व सहायक सामान बनाती है उस पर विदेशी फर्म को रायल्टी मिलती है।
2. **मै० इन्टरनेशनल ट्रैक्टर कं० आफ इण्डिया लि० बम्बई** : इस फर्म ने ब्रिटेन की मै० इन्टरनेशनल हार्वेस्टर कम्पनी के साथ सहयोग सम्बन्धी करार किया है इस विदेशी फर्म को भारतीय कम्पनी के 25 प्रतिशत शेयर खरीदने की अनुमति दी गयी है और इसे ट्रैक्टरों पर उत्पादन व अनुसंधान शुल्क दिया जाता है तथा भारतीय कम्पनी द्वारा बनाए जाने वाले सभी फालतू हिस्सों पर रायल्टी दी जाती है।
3. **मै० इयर ट्रैक्टर्स इण्डिया लि० फरीदाबाद** : इस फर्म ने पश्चिमी जर्मनी की फर्म

मैं० गेबर इयर ट्रैक्टर्स फैब्रिक के साथ सहयोग सम्बन्धी करार किया है। इस विदेशी फर्म ने लगभग 17 प्रतिशत शेयर खरीद रखे हैं और उसे ट्रैक्टरों व हिस्सों पर रायल्टी दी जाती है।

4. **मैं० हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लि० बड़ौदा** : इस कारखाने ने चेकोस्लोवाकिया की फर्म मैं० मौटोकोव के साथ सहयोग करार किया है। इस फर्म को भारतीय कम्पनियों द्वारा बनाये जाने वाले सभी पुर्जों पर रायल्टी मिलती है।

5. **मैं० एसकार्ट लि० फरीदाबाद** : इस कम्पनी ने पौलैण्ड की फर्म मैं० मोटो इंपोर्ट के साथ सहयोग करार किया है। इस विदेशी फर्म ने भारतीय फर्म को जो तकनीकी जानकारी दी उसके बदले में उसे 5.50 लाख रु० डाकूमेंटेशन शुल्क के रूप में दिये गये।

Memorandum by All India Railway Ministerial Staff Association

*586. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a delegation of the All India Railway Ministerial Staff Association had met the concerned officers of the Railway Board in Rail Bhavan, New Delhi on the 13th August, 1969 ;

(b) whether the said delegation had handed over any memorandum to them and, if so, the details thereof ;

(c) whether it is also a fact that an assurance was given to the delegation that their demands would be met by the end of January ; and

(d) if so, whether the said assurance has since been fulfilled and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). Meeting the then Minister for Railways on 13.8.69, certain Members of Parliament on behalf of the All India Railway Ministerial Staff Association presented their two main demands namely :

(1) fixing a time limit of one month to announce the promised upgrading in the cadre of Railway Ministerial Staff ; and
(2) Recognition of the Association.

The Minister for Railways promised to look into these demands.

(d) These demands have already been examined. As regards (1) above, Government's decision has already been announced to the effect that Class III and IV staff of all grades, who had been at the maximum of their scales of pay for more than two years, should be allowed an amount equivalent to the last increment drawn by them in the scale, as personal pay.

Regarding recognition, Government's decision has been repeatedly clarified on the floor of this House that it will not be possible to agree to any recognition being granted to the category-wise Associations on Railways, as this leads to multiplicity of unions, bringing in its wake conflicting interests and fragmentation of Trade Unions.

यात्री आरक्षण की स्थिति का पता लगाने के लिये रेलवे में इलैक्ट्रानिक्स उपकरणों का लगाया जाना

*587. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अन्य देशों विशेषतया जापान में यात्री आरक्षण की स्थिति

की अग्रिम जानकारी के लिए तथा अगले स्टेशनों पर यात्रियों को आरक्षण की सुविधा देने के लिए इलैक्ट्रानिक उपकरण लगाये गये हैं ;

(ख) क्या भारत की विभिन्न रेलों में ऐसे उपकरण लगाने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो कब तक इन मशीनों के लगाये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) केवल जापानी नेशनल रेलवेज के बारे में सूचना उपलब्ध है जो कि यात्री आरक्षण के लिए इलैक्ट्रानिक उपकरण काम में लाती हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

प्रतिभाशाली डिजाइन इंजीनियरों का उपयोग

*588. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के तकनीकी जनशक्ति विभाग द्वारा किया जा रहा डिजाइन इंजीनियरों का उपयोग करने सम्बन्धी अध्ययन पूरा हो गया और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ख) क्या यह पता लग गया है कि इंजीनियरी डिजाइन प्रतिभा का उपयोग नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो देश में इंजीनियरी प्रतिभा का पूरा उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Production of Stainless Steel

*589. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) the annual demand and production of stainless steel in the country ;

(b) the extent of demand for stainless steel being met from indigenous sources and that being met from imports, and the total foreign exchange expenditure incurred per annum on the import of the said commodity ; and

(c) the time by which India is expected to become self sufficient in the production of stainless steel ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) The Steering Group on Iron & Steel has estimated the demand for stainless steel, including heat resistant steel, at 9,600 tonnes for 1969-70 and 21,00 tonnes for 1973-74. As regards production, Alloy Steel Plant, Durgapur is the only producer of stainless steel in the country. They produced 66 tonnes in 1968-69 and will be producing approximately

1,500 tonnes in 1969 70. For 1970-71 they plan to produce 5,3 0 tonnes of finished stainless steel, of which 4,500 tonnes will be in sheets and plates.

(b) The indigenous availability of stainless steel in the years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 is given above. The demand will, therefore, be met from indigenous sources upto the extent shown and the rest will have to be imported. The actual imports of stainless steel sheets below 3 mm thickness, in 1968-69, amounted to 7,000 tonnes costing Rs. 4.6 crores. 1969-70 imports of these sheet are expected to be approximately 10,000 tonnes, costing Rs. 6.5 crores.

(c) The country is expected to achieve self-sufficiency in stainless steel bars, rods and plates before 1973-74. However, for Stainless Steel Sheets, mainly of the cold rolled quality there will be a shortfall of 7,600 tonnes, in 1973-74, between the availability and demand. This gap will increase in future. Steps are under consideration to either expand the present capacity or set up new capacity to meet this shortfall.

चौथी योजना में जनता रेलगाड़ियां चलाना

*590. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में और अधिक जनता रेलगाड़ियों के चलाये जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी गाड़ियां चलायी जायेंगी ; और

(ग) इन्हें किन मार्गों पर चलाया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). महोदय, जनता एक्सप्रेस गाड़ियां और अन्य अतिरिक्त गाड़ियां चलाने के प्रस्तावों पर, पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में नहीं, बल्कि आवश्यकताओं के अर्ध वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर विचार किया जाता है, और तब अप्रैल और अक्तूबर में नयी समय-सारणी लागू की जाती है । इस समय केवल ये विशिष्ट प्रस्ताव हैं :—(क) बम्बई वी० टी० और नागपुर के बीच एक जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलाना, अपेक्षित टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध होने पर यह गाड़ी चलायी जायेगी ; और (ख) 1-4-70 से 41 डाउन/42 अप बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस गाड़ी के फेरे बढ़ाकर उसे बम्बई और हावड़ा के बीच सप्ताह में तीन बार और बम्बई वी० टी० और इलाहाबाद के बीच सप्ताह में सातों दिन चलाना । लाइन टर्मिनल क्षमता और चल स्टाक के रूप में अपेक्षित साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मार्गों पर यातायात के स्वरूप के अनुसार तीसरे दर्जे के यात्रियों के लाभ के लिए ऐसी और गाड़ियां चलाने के बारे में समुचित विचार किया जायेगा ।

Contract in M/s. A. H. Wheeler & Co. for Bookstalls at Railway Stations

*591. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of years for which Government have given permission to M s A. H. Wheeler & Co. for putting up bookstalls at various Railway Stations ;

(b) the basis for granting such permission ;

(c) whether it is a fact that the cost of the passes issued by the Railways to the said Company is much more than the amount of royalty received from it ; and

(d) whether Government are proposing to end the monopoly of the said Company ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) In terms of the current agreements, M/s. A. H. Wheeler & Co. hold contracts for bookstalls at various stations on Indian Railways for 9 years with effect from 1.1.1967.

(b) The agreements entered into with M/s. A. H. Wheeler & Co. and certain other major bookstall contractors prior to 1.1.1967 contained a provision giving the contractors option, to extend the contracts at the end of the stipulated period of contract of five years, subject to the work of the licences being satisfactory. This clause in the agreements amounted to automatic renewal of the contracts after every five years. With a view to deleting this automatic renewal clause from the agreements, negotiations were held with M/s. A. H. Wheeler & Co. and other major bookstalls contractors in 1966 and they agreed to the deletion of the clause on the condition that they would be given a tenure of nine years for the contracts beginning from 1.1.1967. This was agreed to and the current agreements with M/s. A. H. Wheeler & Co. are, therefore, for a period of nine years from 1.1.1967.

(c) The passes are issued to M/s. A. H. Wheeler & Co. in terms of the agreements for ensuring smooth and proper functioning of the bookstalls. Neither the cost of such passes availed of by the Contractors can be worked out nor can it be compared with the royalty received from the Company.

(d) The Company has no monopoly to open bookstalls on railways.

लघु उद्योग क्षेत्र में वस्त्र तैयार करना

*592. **श्री समर गुह :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक उपयोग के लिए वस्त्र तैयार करने के काम को लघु उद्योग क्षेत्र माना जाता है ;

(ख) क्या इन उद्योगों में बड़ी संख्या में निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को काम पर रखा जाता है ;

(ग) यदि हां, तो शाहजहांपुर स्थित आयुध वस्त्र कारखाने में असैनिक उपयोग के लिए वस्त्र तैयार करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार की इस नीति का लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) असैनिक खपत के लिए कपड़ों के उत्पादन का कार्य अधिकांशतः लघु उद्योग क्षेत्र में केन्द्रित है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1962 में आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण आयुध, कपड़ा कारखानों (आर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्टरियों) की उत्पादन क्षमता काफी बढ़ानी पड़ी । 1965 के बाद सेना की कपड़े की मांग काफी घट गई और इन कारखानों में आवश्यकता से अधिक उत्पादन क्षमता थी ।

इस अतिरिक्त मानव शक्ति व उपकरणों का उपयोग करने के लिए सरकार को असैनिक खपत के लिए भी इन कारखानों में सिले सिलाये कपड़े बनाने का काम आरम्भ करना पड़ा ।

(घ) क्योंकि इन कपड़ों की बिक्री आयुध कारखानों, सहकारी संस्थाओं और स्टोर कैंटीन विभाग द्वारा की जानी है । अतः ऐसी कोई आशा नहीं है कि इसका लघु उद्योगों पर कोई गंभीर प्रभाव पड़ेगा ।

मैसर्स सिनथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स किलाचन्द देवचन्द एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को कमीशन देना

*593. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई उच्च न्यायालय ने मैसर्स सिन्थैटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स किलाचन्द देवचन्द एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को विक्रय एजेंसी कमीशन दिये जाने पर कुछ शर्तों के अन्तर्गत रोक लगा दी है ;

(ख) क्या मैसर्स सिनथैटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड ने 28 अप्रैल, 1969 को कमीशन के सम्बन्ध में हुई अपनी महा सभा में पास किये गये संकल्पों की पुष्टि करने के लिए समवाय विधि विभाग को आवेदन किया है ; और

(ग) अनेक अंशधारियों द्वारा किये गये कड़े विरोध को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उस कंपनी द्वारा मैसर्स किलाचन्द देवचन्द एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को कोई कमीशन देने की अनुमति देने से इंकार करेगी चाहे उच्च न्यायालय किलाचन्द देवचन्द एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में निर्णय दे ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) नहीं, श्रीमान । मै० सिन्थैटिक्स एन्ड कैमिकल्स को 28 अप्रैल, 1969 को सामान्य निकाय बैठक में पास किये गये संकल्प के लिए, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार/कम्पनी विधि बोर्ड का पुष्टीकरण अपेक्षित नहीं है ।

(ग) एक मात्र विक्रेता अभिकरण समझौते को वैधता का विषय, बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत है ।

कंपनी विधि बोर्ड यह परीक्षा कर रहा हैं कि समझौते के निबन्धन एवं प्रतिबन्ध, कंपनी के हितों के प्रतिकूल तो नहीं है, यदि ऐसा है तो क्या इन निबन्धनों एवं प्रतिबन्धों में कोई परिवर्तन करना चाहिये ।

नमक उत्पादन के लिए भूमि को पट्टे पर देना और नियत शुल्क का भुगतान

*594. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने लगभग 9 वर्ष के उपरांत जनवरी 1970 में

नमक उत्पादन के लिए सरकारी भूमि को पट्टे पर देने तथा नियत शुल्क का भुगतान करने संबंधी नीति के बारे में एक स्पष्टीकरण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नमक समिति ने अपना प्रतिवेदन 1958 में दिया था और इसकी सिफारिशों पर सरकार का निर्णय मई 1961 में घोषित किया गया था ;

(घ) इस विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 19 दिसम्बर, 1969 को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था ।

(ख) विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि स्पष्टीकरण तभी जारी कर दिया गया था जब उसकी आवश्यकता अनुभव की गई थी। सरकार को नमक के पट्टे दारों से 1967-68 से अभ्यावेदन प्राप्त होने शुरू हुए कि वह पट्टों के नवीकरण पर अभ्यर्पण शुल्क देने के लिये बाध्य नहीं हैं। इस प्रश्न पर कानूनी दृष्टिकोण से विचार किया गया था और स्पष्टीकरण दिसम्बर, 1969 में जारी कर दिया गया था ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि नमक समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने जितना व्यावहारिक था उतनी शीघ्रता से निर्णय किये । प्रतिवेदन लम्बा था और इसकी सविस्तार जांच करना आवश्यक था जिसमें विभिन्न स्तरों पर योजना आयोग, वित्त मंत्रालय तथा विभिन्न राज्य सरकारों से व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श करना पड़ा ।

(ङ) यह निम्न प्रकार हैं :

नमक निर्माण के लिए सरकारी भूमि को साधारणत: बीस वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिया जायेगा । ऐसे पट्टों की अवधि पर जो 20 साल से अधिक नहीं होगी और बढ़ाने के निवेदनों पर अभ्यर्पण शुल्क/धरती के किराये आदि के भुगतान किये जाने पर ऐसी शर्तों और उपबन्धों पर जिन्हें सरकार समय-समय पर तय करेगी । गुणावगुण के आधार पर उचित समय पर विचार किया जायेगा ।

नमक बनाने के लिए सरकारी भूमि के पट्टे को एक पार्टी से दूसरी पार्टी को हस्तान्तरण के समय उस पट्टे की चालू अवधि में अभ्यर्पण शुल्क नहीं लिया जायेगा यदि मौलिक पट्टेदार ने मौलिक पट्टे के समय पर अभ्यर्पण शुल्क का भुगतान कर दिया हो ।

विदेशी फर्मों से सहयोग करने वाले सरकारी उपक्रम

*595. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए विदेशी फर्मों से वित्तीय, तकनीकी तथा अन्य प्रकार का सहयोग प्राप्त किया गया है ;

(ख) उन विदेशी फर्मों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ सरकारी उपक्रमों ने सहयोग करार किये हैं तथा प्रत्येक मामले में ऐसे करारों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन वित्तीय, तकनीकी तथा अन्य किस्म के करारों से भारत में स्वसाधनपोषी अर्थ व्यवस्था के विकास में कहां तक सहायता मिली है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Training of Workers and Management in Small Scale Industries

*596. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state the progress made in regard to the imparting of training in modern technique to the workers and management of the small-scale industries during the last three years and the details of the future programme in this respect ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : During the year 1967-68 to 1969-70 workers trained in modern techniques through the Small Scale Industries Development Organisation numbered 3402, 3655 and 3860 respectively. In these years training in management were imparted to 2869, 3697 and 4022 persons respectively. In view of the increasing demand for trained workers efforts are being made to train more and more persons every year and it is hoped to increase the number of trainees by 20 per cent every year.

Facilities to Employees of M/s. A. H. Wheeler & Co., Allahabad

*597. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s. A. H. Wheeler & Co., 15, Elgin Road, Allahabad has got the licence to sell book etc. at the Railway Stations for the last 100 years ;

(b) whether it is also a fact that the said Company is not providing its regular employees with all the labour amenities after declaring them as its agents ; and

(c) if so, the reasons why the Company is not providing all the labour amenities to its employees and is also not regularising their services under the labour laws ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) M/s. A. H. Wheeler & Co. (P) Ltd., Allahabad have been running bookstals on Indian Railways since the year 1880. The tenure of their present agreements with the Railways is upto 31.12.1975.

(b) and (c). Under the terms of the agreements executed by M/s Wheeler & Co. with the individual Railways, the licences are responsible for compliance with the provisions of the various Labour Laws such as the Workmen's Compensation Act, Payment of Wages Act, Minimum Wages Act and Employment of Children Act etc. in relation to their employees. The staff incharge of the Bookstalls are, however, not functioning as employees but as agents of M/s. Wheeler & Co. and work under an agreement executed by them with the Company and as such do not fall within the scope of the aforesaid Labour Laws.

बैलगाड़ियों से होने वाला आन्तरिक व्यापार

*598. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में प्रति वर्ष बैलगाड़ियों से किये जाने वाले आन्तरिक व्यापार की मात्रा का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) देश में पशुओं द्वारा चालित गाड़ियों से किये जाने वाले व्यापार के आंकड़े या पूर्ण सांख्यिकीय विवरण का इकट्ठा करना अति बृहद कार्य है । इसमें सरकारी निधि का बहुत व्यय होगा, और इससे परिणामोवंलब्धि उस अनुपात में नहीं होगी ।

पारादीप बन्दरगाह को भीतरी प्रदेश से मिलाने के लिए कटक-पारादीप और तालचैर-विमलगढ़ रेल लाइनों का निर्माण

*599. **श्री क० प्र० सिंह देव** : **क्या रेलवे मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार केन्द्र से गहरे समुद्र वाले बन्दरगाह पारादीप को भीतरी प्रदेश से जोड़ने के लिए कटक-पारादीप और तालचेर-विमलगढ़ में जहां कोई रेल सम्पर्क नहीं है वहां रेल सम्पर्कों के निर्माण करने का अनुरोध कर रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि खड़गपुर से होकर और पारादीप और रुरकेला के बीच रेलवे लाइन की दूरी 702 किलोमीटर है और यदि इन रेल सम्पर्कों (रेलवे लाइनों) का निर्माण कर दिया जाये, तो यह दूसरी 300 से अधिक किलोमीटर कम हो जायेगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का विचार पारादीप पत्तन के माध्यम से जापान को कच्चे लोहे का निर्यात करने का है और इस्पात निर्यात समिति ने पारादीप पत्तन का मुख्य इस्पात निर्यात पत्तन के रूप में विकास करने की जोरदार सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हाँ, तो भारतीय निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से उपरोक्त दो रेलवे लाइनों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता देने के लिए उन मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) कटक-पारादीप और तालचैर-विमलगढ़ रेल सम्पर्क से निस्सन्देह राउरकेला क्षेत्र से पारादीप बन्दरगाह तक की वहन दूरी कम हो जायेगी ।

(ग) पारादीप बन्दरगाह को पहले से ही प्रमुख बन्दरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है ।

(घ) कटक-पारादीप रेल लाइन का निर्माण हो रहा है और तालचेर-बिमलगढ़ रेल संपर्क का सर्वेक्षण किया जा रहा है । लेकिन तालचेर-बिमलगढ़ रेल लाइन के निर्माण के बारे में निश्चय तभी किया जायेगा जब सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा और उसके परिणाम मालूम हो जायेंगे ।

Condition of Railway Compartments of S.S. Light Railway

*600. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that on the S.S. Light Railway running between Shahdara and Saharanpur, the condition of Railway compartments is very bad, arrangements for light and passengers safety inadequate and the Railway track is not sate ;

(b) if so, the reasons for entrusting the said particular Railway line to the different Indian successors of a foreign company, when almost all the Railway lines in the country have since been nationalised ;

(c) whether Government propose to take over this Railway line in the Public interest ; and

(d) if so, the time by which it is expected to be taken over by Government ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The Governmet are only aware that Rolling Stock of the S.S. Light Railway is not in a very good condition. However, Government have no information about the arrangements for the passengers' safety being inadequate, or the track being unsafe. To ensure compliance with standard for safe running, this Railway, in common with other such privately-owned Railways, is inspected periodically by the Additional Commissioner of Railway Safety. No adverse report to the effect that the use of the Railway or any of its rolling stock is attended with danger to the public using it, has been received from the Additional Commissioner of Railway Safety.

(b) It is not the policy of the the Government to nationalise the privately-owned Railways unless an examination of all relevant factors shows that such a step would, demonstrably, be in public interest. Government get an opportunity to carry out this review, at regular intervals, when an option to take over a privately-owned railway falls due under terms of an agreement with it.

(c) In the case of S.S. Light Railway, the last option for the purchase of the Railway fall due on 18.4 69 when, on financial grounds, it was decided not to purchase it. The next option falls due in April 1976, when the question will be considered again, taking all relevant factors into consideration.

(d) The Government have no proposal at present of taking over this Railway.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा चयन किये गये वैज्ञानिक

3595. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन वैज्ञानिकों के नाम, आयु और अर्हतायें क्या हैं जिनका चयन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपनी प्रयोगशालाओं के लिए पिछले तीन वर्षों में किया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : वैज्ञानिक 'ग' (700-1250रु०) तथा उससे ऊपर के वैज्ञानिकों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—2945/70]

बंगलौर के निकट जाली सिक्के तथा नोट बरामद होना

3596. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नोट छापने के लिए आयोग में आने वाले ब्लाक तथा अन्य सामान के साथ दस-दस रुपये के गांधी वाले तथा पचास-पचास पैसे के नेहरू वाले 100 जाली

सिक्के और दो-दो रुपये के जाली नोटों की प्रूफ प्रतियां जांच विभाग द्वारा हाल ही में बंगलौर के निकट पायी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) तथाकथित जाली सिक्के बनाने वालों द्वारा किराये पर लिये गये मकान पर 7 जनवरी 1970 को मारे गये छापे के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) जाली सिक्कों तथा नोटों का बनना रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् । मैसूर राज्य पुलिस के खुफिया विभाग ने दस-दस रुपये के गांधी वाले 7 जाली सिक्के और पचास-पचास पैसे के नेहरू वाले 220 सिक्के पकड़े ।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति गिरफ्तार किये गए थे :—

(1) हबीब उर्फ बाबू

(2) वी० सी० अब्राहम

(3) जोसफ

(4) चेल्लाप्पन

(5) हबीब की पत्नी खातिजा

(6) गंगाधरन

(7) गंगाधरन की पत्नी शान्ता

(ग) डोमलुर में मकान की तलाशी करने पर निम्नलिखित वस्तुएं पाई गई बताई जाती है :—

(1) प्रूफप्रिंट

(2) 8 जाली दो रुपये के ब्लाक जिसमें से प्रत्येक हस्तचालित प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी हुई थी ।

(3) मुद्रा नोटों के फोटों के निगेटिव

(4) विभिन्न किस्मों के रसायन ।

(5) तेजाब ।

(6) छपाई की स्याही ।

(7) अनेक प्रकार के औजार ।

(8) पंडित जवाहर लाल नेहरू के चित्र वाले 50 पैसे के बहुत से जाली सिक्के ।

थिप्पासन्द्रा गांव के मकान की तलाशी में परिपूर्ण और अपूर्ण दस रुपये और 50 पैसे के

जाली सिक्के, रसायन, औजार और 50 पैसे के सिक्के व दस रुपये के गांधी वाले सिक्के बनाने वाली दो डाई जैसी बहुत सी अधिशंसी वस्तुएं पुलिस द्वारा पकड़ी गई बताई जाती है।

(ध) नकली मुद्रा तथा बैंक नोट बनाना और उनका परिचालन में रखना भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध हैं, जिसमें ऐसे अपराधों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को कठोर दण्ड देने की व्यवस्था है। जाली सिक्के बनाने तथा धोखा धड़ी के अपराधों पर राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है, जो इस सम्बन्ध में निगरानी रखते हैं।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी अपनाई हुए विभिन्न तकनीकों के रिकार्ड रखकर तथा जाली भारतीय मुद्रा के आविर्भाव का समय-समय पर पुनरीक्षण करके नकली भारतीय मुद्रा की समस्या का निरन्तर अध्ययन करता रहता है। जाली मुद्रा बनाने की प्रवृत्तियों तथा तकनीकों के अध्ययन और राज्यों में ऐसे मामलों की जांच-पड़ताल के समन्वय के लिए एक विशेष कक्ष बनाया गया है।

दिल्ली में चोरी की गई मूर्तियों का पकड़ा जाना

3597. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दू मन्दिरों में चोरी उन मूर्तियों की संख्या, विवरण और मूल्य क्या है जो 4 जनवरी, 1970 को एक एम्बेसडर कार में सिकन्दराबाद राव से दिल्ली लाई जा रही थी और पुलिस द्वारा दिल्ली में रिंग रोड के निकट पकड़ी गई थी ;

(ख) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और व्यवसाय क्या हैं तथा उनके किस प्रकार के कागजात तथा अन्य प्रमाण प्राप्त हुए ; और

(ग) प्राचीन वस्तुओं के उन अन्य व्यापारियों के नाम क्या हैं जिनका इस मामले में हाथ है तथा उनके विरुद्ध मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बरामद की गई मूर्तियों की जन संख्या 15 है। प्रत्येक मूर्ति का विवरण और मूल्य निम्नलिखित है :

मूर्ति का नाम	मूल्य
1. सिरया	250 रुपये
2. महिषासुर मर्दिनी	1500 रुपये
3. तदेव	500 रुपये
4. विष्णु भगवान	500 रुपये
5. गणेश	250 रुपये
6. -तदेव-	150 रुपये
7. विष्णु	150 रुपये
8. बड़ा सिंह	75 रुपये
9. छोटा सिंह	75 रुपये
10. छः टेरा कोटा हेड्स और स्टोन हेड्स	1200 रुपये
जोड़	4650 रुपये

(ख) सर्वश्री नरेन्द्र धीर, लक्षमण सिंह, और मान सिंह । करोल बाग, दिल्ली का निवासी श्री नरेन्द्र धीर पुरातत्व के व्यापार में एक बिचोलिया बताया जाता है । श्री लक्षमण सिंह अलीगढ़ का एक छोटा दुकानदार है और श्री मान सिंह उस कार का ड्राइवर है जिस में मूर्तियां दिल्ली लाई गई थीं । श्री नरेन्द्र धीर के कब्जे में एक ब्रीफ केस था जिसमें मूर्तियों, पुरातत्व व्यापार से सम्बन्ति पेंटिंग तथा कुछ पुरातत्व व्यापारियों के टेलीफ़ोन नम्बर थे ।

(ग) मामले की अभी जांच पड़ताल की जा रही है और यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्य कोई पुरातत्व व्यापारी भी इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं ।

छात्रवृत्ति पाने वाले व्यक्तियों के बच्चों को यात्रा सम्बन्धी रियायत

3598. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उन पतियों तथा पत्नियों के बच्चों को यात्रा सम्बन्धी रियायतें देने की योजना बनाई हैं जिन्हें विदेशों में अधिछात्रवृत्ति अथवा अनुसंधान छात्रवृत्ति अथवा अध्यापन-कार्य मिलने के परिणामस्वरूप विदेशी सरकारों द्वारा निःशुल्क यात्रा करने के लिए पास दिये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डिया एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये विमान खरीदने के लिये सहायता देने का संयुक्त राज्य अमरीका का प्रस्ताव

3599. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडिया एयरलाइंस कारपोरेशन को बोइंग विमान तथा पुर्जे खरीदने के लिए संयुक्त राज्य, अमरीका ने आंशिक अथवा पूरी दीर्घकालीन गैर-परियोजना सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार प्रस्तावित तथा स्वीकृत सहायता की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या एयर इंडिया इन्टरनेशनल के लिए बोइंग विमान के उपकरण खरीदने के लिए पहले भी ऐसी ऋण सुविधायें देने का प्रस्ताव किया गया था ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा खरीदे गए अमरीकी विमानों के शुरू में लिये जाने वाले पुर्जों के वित्त प्रबन्ध के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने दीर्घावधि प्रायोजनेतर (नान-प्राजक्ट) सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है ।

(ख) सहायता की शर्तें निम्न हैं :—

(i) तत्काल अदायगी नहीं करनी होगी ;

(ii) पहले 9-1/2 वर्षों में मूल धन की अदायगी नहीं की जाएगी ;

(iii) ब्याज की अदायगी ऋण के अंतर्गत प्राप्त होने वाली पहली राशि के 6 मास बाद से प्रारम्भ होगी । पहले दस वर्षों में ब्याज दर 2 प्रतिशत वार्षिक होगी ;

(iv) बाद के 30 वर्षों के लिए ब्याज दर 3 प्रतिशत वार्षिक होगी ;

(v) ऋण कुल 40 वर्ष तक की अवधि के लिए होगा ।

(ग) जी, नहीं ।

प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया के एक वरिष्ठ संवाददाता की संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्धि

3600. **श्री जार्ज फरनेण्डीज** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उन संदिग्ध पाकिस्तानियों की ओर दिलाया गया है जिनमें कुछ महीने पूर्व प्रैस ट्रस्ट आफ इन्डिया के एक वरिष्ठ संवाददाता श्री एम० पी० अय्यर की मृत्यु हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इस मामले में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ग) क्या उन्हें पता है कि श्री अय्यर देश में कुछ तस्करों तथा चोरबाजारी करने वाले लोगों कुकृत्यों का पता लगाने में सरकार की सक्रिय सहायता कर रहे थे ; और

(घ) क्या सरकार उन परिस्थितियों की जिनमें श्री अय्यर की मृत्यु हुई थी, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जांच करायेगी ; और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने सूचना दी है कि श्री एम० पी० अय्यर की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हुई थी जबकि वे पिकनिक पर अन्य पांच व्यक्तियों के साथ जा रहे थे । श्री अय्यर स्टीयरिंग व्हील पर अपना नियंत्रण खो बैठे जबकि वे कार में लगे रिकार्ड प्लेअर को चलने का प्रयास कर रहे थे । ब्रैक के काम न करने के कारण कार बिल्कुल दायीं ओर को घूम गई और एक बिजली के खम्भे से जा टकराई । श्री अय्यर की पचधात्री में आवश्यक चिकित्सा सहायता दी गई जहां से उनको वाई और फिर पूना ले जाया गया । 12-10-1969 को रूबी हाल नर्सिंग होम में उनका आपरेशन किया गया । 13 अक्तूबर, 1969 को सायं 7 बजे उनकी मृत्यु हो गई ।

(ग) राज्य सरकार से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) ऐसे अनुरोधों पर उनके राज्य सरकारों से प्राप्त होने पर विचार किया जाता है ।

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना

3601. **श्री शिवशंकरन्** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 वर्ष का सेवा काल पूरा करने के पश्चात् सरकारी कर्मचारियों को स्वेच्छापूर्वक सेवा में निवृत्त होने की अनुमति देने की स्वैच्छिक सेवा निवृत्त योजना को, जिसे सरकार ने लोक सभा को दिए गए अपने आश्वासन में स्वीकार किया था, अंतिम रूप देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ख) अंतिम आदेश कब तक जारी किए जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या इन आदेशों की पूर्वव्याप्ति प्रभाव सहित लागू किया जायेगा और यदि हां, तो किस तारीख से ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 'प्रशासन को सशक्त बनाने के उपाय' विषयक लेख में, जो 10 अगस्त, 1961 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था, प्रशानिक ढ़ांचे को सशक्त बनाने तथा सरकारी कामकाज के निपटान में दक्षता, मितव्ययता तथा तीव्रता लाने के लिए विभिन्न सिफारिशें समाविष्ट थीं। उनमें से एक सिफारिश यह थी कि सरकार को किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी 50 वर्ष की आयु होने पर अथवा उसके 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, सेवानिवृत्त करने की, यदि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक हो, शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। भ्रष्टाचार निवारण समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में इसी प्रकार की सिफारिशें की थी। संयुक्त सलासकार तथा अनिवार्य विवाचन व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष ने सरकार के प्रस्तावों का पूर्णतया विरोध किया था। 50 वर्ष की आयु हो जाने पर अथवा 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर कर्मचारियों को सेवा निवृत्त करने के लिये सरकार द्वारा शक्तियां प्राप्त करने के प्रति कर्मचारी वर्ग के विरोध सहित सभी सम्बन्धित तत्वों को ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित बातों की व्यवस्था करने के लिये संबंधित नियमों को संशोधित करने का निश्चय किया गया :—

(i) श्रेणी I तथा श्रेणी II सेवाओं। पदों में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की, जिन्होंने 35 वर्ष की आयु होने से पूर्व सरकारी सेवा में प्रवेश किया था, 50 वर्ष की आयु हो जाने पर, तीन महीने का लिखित नोटिस देकर सेवा निवृत्त करना, यदि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक हो, तथा स्वैच्छापूर्वक सेवानिवृत्त होने के लिये इसी प्रकार का अधिकार ऐसे सरकारी कर्मचारियों को प्रदान करना, तथा

(ii) श्रेणी III सेवाओं। पदों में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की, जिनपर कोई पेंशन नियम लागू नहीं होते हैं, 30 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, तीन महीने का नोटिस देकर सेवानिवृत्त करना, यदि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक हो तथा स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्त होने के लिए ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी इसी प्रकार का अधिकार देना।

तदनुसार 17 मई, 1969 को संबंधित नियमों में संशोधन किया गया।

श्रेणी I तथा श्रेणी II पदों के लिए प्रवेश आयु को देखते हुए इन श्रेणियों के अधिकांश अधिकारियों ने 50 वर्ष की आयु पूरी करने तक 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली होगी। श्रेणी III कर्मचारियों के संबंध में, जो संयुक्त सलाहकार तथा अनिवार्य विवाचन व्यवस्था के अन्तर्गत आते हैं, इन संशोधनों ने केवल उन श्रेणी III कर्मचारियों की, जिन पर पेंशन नियम लागू नहीं होते, स्थिति उन कर्मचारियों के बराबर बना दी है जिन पर पेंशन नियम लागू होते हैं जिसके अनुसार वे पेंशन के लिए 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेने पर सेवानिवृत्त किये या स्वेच्छा-पूर्वक सेवा निवृत हो सकते हैं। वे 55 वर्ष की आयु होने पर स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति की भी मांग कर सकते हैं।

Changes Made in the Key Board of Hindi Typewriters

3602. **Shri Ramesh Chandra Vyas** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the number of times the keys of the Hindi typewriters were changed after 1950 ;

(b) whether it is a fact that a good deal of difficulty is being experienced by persons doing Hindi typing work due to frequent changes made in the key board of the Hindi typewriters ; and

(c) whether Government propose to adopt a uniform key board for the Hindi typewriters like the English typewriters ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). The Key board of Hindi typewriter underwent modifications on five occassions since 1950. These modifications were necessitated mainly for the purpose of bringing about some improvements and the removal of difficulties experienced by the users.

There is no proposal with the government to further modify the keyboard.

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की श्रम/कार्मिक-विरोधी नीति पर कर्मचारियों में असन्तोष

3603. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों में असन्तोष की भावना बढ़ रही है क्योंकि इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन का कार्मिक निदेशक दमनकारी तथा श्रम कार्मिक विरोधी नीति अपनाये हुये है जिससे अन्य बातों के साथ प्रबन्धक अनुचित श्रम कार्यवाहियां कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या 2 मार्च, 1970 को कार्यालय के समय के बाद एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ के तत्वावधान में हुई बैठक में जिसमें बहुत अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया था, प्रबन्ध की उक्त कार्मिक नीति का विरोध करने का आह्वान किया था ;

(ग) कर्मचारियों की मांगें क्या थीं ; और

(घ) कर्मचारियों की मांगों को दूर करने तथा उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार को ऐसी किसी स्थिति का पता नहीं है ।

(ख) कारपोरेशन ने सूचित किया है कि उनकी सूचना के अनुसार 7- -70 को कार्यालय समय के बाद एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ द्वारा एयरलाइंस हाउस के आंगन में की गई मीटिंग प्रबन्धवर्ग तथा यूनियन के बीच चल रही पारिश्रमिक (वेज) विषयक वार्ताओं के सम्बन्ध में हुई थी ।

(ग) कारपोरेशन की सूचना के अनुसार मुख्य मांगें ये हैं :

(क) एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ के साथ किये गये पारिश्रमिक विषयक समझौते में प्रबन्धकवर्ग की उत्पादिता में सुधार तथा अनुशासन से संबंधित प्रस्ताव शामिल नहीं किये जाने चाहियें ;

(ख) समझौते में "एयरक्राफ्ट तकनीशियनों" के वर्ग को शामिल किया जाना चाहिये जिसके लिये प्रबन्धक वर्ग ने एक और संघ को मान्यता प्रदान कर दी है ; और

(ग) पारिश्रमिक विषयक बात-चीत के सम्बन्ध में कोई फैसला होने तक 40/- रुपये प्रति मास की 'तदर्थ अदायगी ।

(घ) प्रबन्धकवर्ग तथा संघ के बीच बात-चीत हुई थी और सुलह सम्बन्धी कार्यवाहियाँ प्रगति पर हैं ।

तीव्र गति पारेषण (हाई स्पीड ट्रांसमिशन) के लिये दूर-संचार उपकरण

3605. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मौसम के बारे में पूर्व जानकारी की तीव्रगति से पारेषित करने के लिये आवश्यक दूर-संचार उपकरण तथा आंकड़े निकालने के लिए एक कम्पयूटर नीदरलैंड तथा अमरीका से उपहार रूप में प्राप्त होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इन उपकरणों का ब्यौरा क्या होगा तथा देश के किन भागों में इन उपकरणों का उपयोग किया जायेगा ?

पर्यटन यथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । मौसमी आंकड़ों के तीव्रगति से पारेषण के लिए कुछ आवश्यक दूर-संचार उपस्कर तथा एक दूर-संचार संगणक तन्त्र (टेलिकम्यूनिकेशन कम्प्यूटर सिस्टम) विश्व मौसम संगठन के ऐच्छिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमश: यू०एस०ए० तथा नीदरलैंड से प्राप्त करने की सम्भावना है ।

(ख) उपस्कर के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

(i) यूए०स०ए० से मौसम दूर-संचार के लिए टर्मिनल उपस्कर (अनुमानित लगभग 90,000 यू०एस० डालर) ; और

(ii) नीदरलैंड मे दूर-संचार संगणक तन्त्र (अनुमानित लागत 1,200,000 यू०एस० डालर)।

यह सब उपस्कर नई दिल्ली में उपयोग में लाया जायेगा जहां कि विश्व मौसम संगठन की विश्व मौसम निगरानी योजना के भाग के रूप में एक क्षेत्रीय दूर-संचार हब की स्थापना की जानी है।

Modification of Education Policy

3606. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether Government propose to modify their education policy with a view to check unemployment and made every educated youth of the country self-dependent ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The policy of Government is to strive, as stated in the Government Resolution on the National Policy on Education, "to maintain a proper balance between the output of the educational institutions and employment opportunities".

The present unemployment amongst the educated people is due mainly to three reasons :

(i) A very rapid growth in facilities provided for education and the output of educational institutions at the secondary and university stages ;

(ii) The disproportionately large output from institutions of general education which is unrelated to any specific jobs ; and

(iii) The slow rate at which employment opportunities are being expanded.

Regarding (i), it has often been suggested that the expansion of secondary and higher education should be slowed down. For various reason, it has not been possible to do so. It also seems unfair to rural areas and to backward classes among which secondary and higher education has begun to spread very recently.

Regarding (ii), Government is trying to vocationalise secondary education so as to reduce pressures on admissions to higher education and to divert young persons into different walks of life. Pilot projects to this end are proposed to be introduced.

Regarding (iii), which is the most important measure, Government is striving to accelerate economic growth and to adopt programmes which are less capital intensive and can produced more jobs per unit of investment.

The problem of educated unemployment is exrremely complex and difficult ; and its solution requires well-planned, sustained and vigorous action over a period of time.

भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा का बनाया जाना

3607. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री पी० पी० एस्थोस : **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा बनाने का विचार छोड़ दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कई राज्यों ने इस विचार का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विरोध के क्या कारण हैं और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा बनाने की योजना का विचार अभी तक नहीं छोड़ा गया है । फिर भी, कुछ राज्य सरकारों के संशोधित मत को देखते हुए कुछ और अधिक विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). इस सेवा को बनाने के लिए योजना का आरम्भ तब किया गया था जब सभी राज्य सरकारें सिद्धांत रूप में इस सेवा के बनाने के लिए सहमत हो गइ थीं । बाद में तमिलनाडु, मैसूर, आसाम, महाराष्ट्र और जम्मू और काश्मीर सरकारों ने इस सेवा के बनाने के लिए योजना में भाग न लेने के अपने निर्णय का संकेत दिया । राज्य सरकारों द्वारा अपने संशोधित मत के कारणों का एक विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है ।

केन्द्रीय सरकार की नीति नई अखिल भारतीय सेवा बनाने से सम्बन्धित मामलों में राज्यों को सदा साथ लेकर चलने की रही है ।

विवरण

तमिलनाडु सरकार—नई अखिल भारतीय सेवाओं का सम्बन्ध उन विषयों से है जो पूर्णतया राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के विषय हैं ।

मैसूर सरकार—ने सुझाव दिया है कि अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती की योजना में कुछ आधारभूत परिवर्तन किये जाएं और वे सुझाव केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार न किये जाने पर भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के बनाने के लिये योजना में भाग लेने की अपनी स्वीकृति वापस लेने के निर्णय का संकेत दिया था ।

महाराष्ट्र सरकार—चूंकि इस योजना में कुछ राज्य भाग नहीं ले रहे हैं, अतः भारतीय चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप नहीं हो सकेगा ।

असम और जम्मू व काश्मीर सरकारों ने कोई निश्चित कारण नहीं बतलाये ।

पश्चिम बंगाल ने सूचित किया है कि वे योजना में भाग लेने के लिए सहमत होंगे यदि केन्द्रीय सरकार इसके सम्पूर्ण अतिरिक्त व्यय को वहन करने को सहमत हो ।

पंजाब सरकार ने भी सूचित किया है कि वे भारती चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में भाग लेने के प्रश्न पर और अधिक विचार रहे हैं ।

Composition of Supreme Court

3608. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri S. S. Kothari :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring about some change in the composition of the Supreme Court ; and

(b) if so, the details in this regard and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Restriction of Gazetted Officers Joining Private Companies After Retirement

3609. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government propose to refuse permission in future to any of the Class I Gazetted Officers to take up job in any private company, within two years after retirement ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Under Article 531-B of the Civil Service Rules, if a pensioner who immediately before retirement was a member of a Central Service, Class I, wishes to accept any commercial employment before the expiry of two years from the date of his retirement, he should obtain the previous sanction of the President to such acceptance. Similarly, under rule 26 of the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, a pensioner who immediately before retirement was a member of an All India Service, shall not accept any commercial employment before the expiry of two years from the date of his retirement except with the previous sanction of the Central Government. Any blanket ban on Class I Gazetted Officers from taking up commercial employment within two years of retirement is not considered legally possible.

अंग्रेजी को राजकीय भाषा बनाये रखने की मांग

3610. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री कामराज द्वारा सलम में अभी हाल ही में भाषण नीति के बारे में दिये गये वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह मांग की जा रही है कि देश में अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बनाये रखने के बारे में श्री नेहरू द्वारा दिये गये आश्वासनों को सरकार क्रियान्वित करे ; और

(ग) अहिन्दी भाषियों द्वारा यह मांग किये जाने के फलस्वरूप सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) श्री नेहरू का आश्वासन यह था कि जब तक अहिन्दी-भाषा चाहें अंग्रेजी सह । अतिरिक्त राजकीय भाषा होनी चाहिए और इसका निर्णय अहिन्दी-भाषी लोगों पर छोड़ दिया जाये, न कि हिन्दी-भाषी लोगों पर । राज-भाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 के अधिनियम से इस आश्वासन को कानूनी रूप दे दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को सरकारी पदों पर नियुक्ति

3611. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवा निवृत्ति के उपरांत सरकारी पदों पर कार्य करने की अनुमति देती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जो सेवा से निवृत्त होने वाले होते हैं, सरकार के पास कोई उपयुक्त पद के लिए जाते हैं अथवा सरकार स्वयं योग्य न्यायाधीशों को सेवा निवृत्ति के उपरांत नया काम देने का प्रस्ताव करती है ;

(ग) क्या इस प्रकार की अनुमति से उनके न्याय करने के मार्ग में बाधा तो नहीं पड़ती है और क्या सेवा निवृत्ति के उपरान्त नया काम देने का प्रस्ताव करती है ; और

(घ) क्या इस प्रकार की अनुमति से उनके न्याय करने के मार्ग में बाधा तो नहीं पड़ती है और क्या सेवा निवृत्त होने वाले न्यायाधीश अपना कर्त्तव्य, जोकि न्याय क्षेत्र में सर्वोच्च है, ऐसे मामलों में भली-भांति निभा सकते हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उच्चतम न्यायालयों में "एडवोकेट आन रिकार्ड" होने की अनिवार्यता समाप्त करना

3612. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी शुल्कों तथा मुकदमें में बहस करने वाले वकील के अतिरिक्त अनावश्यक "एडवोकेट आन रिकार्ड" की अनिवार्यता के कारण न्याय पाने के लिए उच्चतम न्यायालय निर्धन लोगों की पहुंच से बाहर है जबकि "एडवोकेट आन रिकार्ड" मुवक्किलों से भारी फीस लेते हैं तथा अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे वकील अपने मुवक्किलों से नकद धन प्राप्त करते हैं और इसके लिए उन्हें कभी रसीद भी नहीं देते ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उच्चतम न्यायालय से न्याय पाने के मामले में निर्धन लोगों की सहायता करने के लिए "एडवोकेट आन रिकार्ड" की अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु अथवा विधि में संशोधन करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । उच्चतम न्यायालय में मुकदमों के लिए निर्धारित न्यायालय शुल्क को अधिक नहीं कहा जा सकता । गरीब मुवक्किलों के मामले में अकिंचन रूप में मुकदमों के चलाने के लिए उच्चतम न्यायालय की नियमावली में उपलब्ध हैं ।

अतीत में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखकर काफी विचार के बाद उच्चतम न्यायालय में एडवोके--आन-रिकार्ड की प्रणाली शुरू की गई थी। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि वरिष्ठ वकील इतने व्यस्त होते हैं कि वे उच्चतम न्यायालय में एक्टिंग का कार्य नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में किसी विख्यात वकील को अपने मुकदमें में नियुक्त करने के इच्छुक व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में एक्टिंग वकील के लिए किसी दूसरे वकील को नियुक्त करना पड़ता है। मुवक्किल जो दो एडवोकेटों को नियुक्त करना नहीं चाहते, केवल एक एडवोकेट-आन-रिकार्ड को नियुक्त कर सकता है ताकि वह एक्ट तथा वकालत दोनों कर सकें। यह कहना सही नहीं है कि एडवोकेट-आन-रिकार्ड मुवक्किलों पर अपनी फीस का बहुत बोझ डालते हैं। एडवोकेट-आन-रिकार्ड द्वारा अपने अधिकार के दुरुपयोग का कोई मामला सरकार के ध्यान में नही आया है।

(ख) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान नहीं आया है।

(ग) एडवोकेट-आन-रिकार्ड की प्रणाली के अपने गुण-दोष हैं अतः उच्चतम न्यायालय के नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नकली यात्री चैक बनाने वाले गिरोह की बम्बई में गिरफ्तारी

3613. **श्री क० लकप्पा :** **श्री हुचे गौडा :**
श्री पी० विश्वम्भरन : **श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नकली यात्री चैक बनाने के संबन्ध में बम्बई में धोखे बाजों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस जाल-साजी से एक विदेशी भी सम्बन्धित है ; और

(ग) की गई जांच का ब्यौरा क्या है ; और इस जालसाजी से संबंधित व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भारत मूल के दो व्यक्ति, जिसके पास ब्रिटिश पारपत्र थे, इस संबध में गिरफ्तार किये गये हैं।

(ग) मामला अभी जांचाधीन है। अभी तक निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है :

(i) जगजीत सिंह बंसिह ओबेराय

(ii) फतेहली लद्ध इब्राहीम

(iii) विनोद बैज शर्मा

(iv) एरामशेट्टी गणपतराय नाना नायडू

(v) त्रिभुवन नाथ रामचन्द्र खन्ना

(vi) तहेरभाई दारूदभाई लकड़ावाला ।

केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के विरुद्ध शिकायतें

3614. **श्री प० गोपालन :** **श्री के० एम० अब्राहम :**

श्री वि० कु० मोडक : **श्री उमानाथ :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में अधिकारियों की लापरवाही, भाई भतीजावाद तथा कर्मचारियों को तंग किये जाने के बारे में शिकायतों समेत कोई विरोध पत्र 1967 से 1969 के अन्त तक वैज्ञानिकों से प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन (सी० एस० आई० ओ०), चन्डीगढ़ के निर्देश के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनमें से कुछ केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा स्वमेव जांच-पड़ताल के अन्तर्गत हैं । इस समय उन शिकायतों के बारे में बताना जनहित में नहीं होगा ।

तेलंगाना समस्या का समाधान

3615. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना समस्या का शीघ्र हल ढूँढने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या आसाम अधिनियम पर चर्चा करते समय नागालैंड की तरह विशाल आंध्र राज्य के अन्दर प्रादेशिक स्वायत्तता प्राप्त तेलंगाना का एक उपराज्य बनाने के सुझाव पर सरकार ने पुनर्विचार किया है ; और

(ग) यदि सरकार इस पर विचार करने के लिये तैयार नहीं है, तो तेलंगाना समस्या का और क्या हल सरकार ने सोचा है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ग). जैसा 13 मार्च, 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2865 के उत्तर में बताया गया है, सरकार तेलंगाना प्रश्न का पुनरीक्षण पहले ही कर चुकी है और उसने अपने निर्णयों की 18 फरवरी, 1970 की प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा कर दी है । इन निर्णयों में, जिनका सम्बन्ध तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की वास्तविक चिन्ता के मामलों, जैसे, व्यय न किये गये आयाधिक्य का उपयोग, उस क्षेत्र का द्रुत विकास तथा क्षेत्रीय समिति के कार्यों तथा शक्तियों का विस्तार से है इस समस्या के समुचित समाधान की व्यवस्था है ।

(ख) जब संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक, 1969 सदन के समक्ष था, तो गृह मंत्री

ने यह स्पष्ट कर दिया था कि असाम में मेघालय के नमूने पर अन्य राज्यों में स्वायत्त राज्यों को बनाने का सरकार का इरादा नहीं है। इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

श्री लालडेंगा का अता-पता

3615. **श्री हेम बरुआ : क्या गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तथाकथित सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न मिजोलैंड के राष्ट्रपति श्री लालडेंगा का अब पता लगा लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस समय असाम की मिजो पहाड़ियों में क्या स्थिति है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार लालडेंगा अब भी पूर्वी पाकिस्तान में बताया जाता है।

(ख) कुल मिलाकर मिजो पहाड़ियों की स्थिति में सुरक्षा दल द्वारा सतत कार्यों और गांव के समूही करण इत्यादि जैसे उपायों के कारण निश्चय रूप से सुधार हुआ है।

प्रतिपक्षी दलों के संसद सदस्यों की गतिविधियों पर निगरानी

3617. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए ऐसी गुप्त हिदायतें दी गई है कि केंद्रीय जांच विभाग के लोग संसद के प्रतिपक्षी दलों के सदस्यों की गतिविधियों पर निगरानी रखें : और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Workers Killed in Roti-Bati and Girmit Colliery Riots in Asansol

*3618. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :*

(a) the number of workers killed in riots created by the Marxist labour leaders in Roti-Bati and Girmit Collieries of Asansol area in West Bengal ; and

(b) the cause of the riots ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Facts are being ascertained from the State Government.

वैज्ञानिक विभागों में विनियोजन में वृद्धि के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

3619. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि आगामी वर्षों में वैज्ञानिक विभागों में विनियोजन में वृद्धि की जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा कितनी वृद्धि की सिफारिश की गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

संविधान के अनुच्छेद 370 का निराकरण

3620. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के लिये कानून बनाने का है जिसके अन्तर्गत जम्मू तथा काश्मीर राज्य की देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा विशेष स्थिति है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन बनाये गये राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा संविधान के अधिक से अधिक उपबन्ध जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू किये गये हैं और किये जा रहे हैं । इस अनुच्छेद के निराकरण का कोई विचार नहीं है ।

1971 की जनगणना का कार्य

3621. **श्री विनयसिन्हा राव** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि आगामी जनगणना गोपनीय होगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) जनगणना का कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(घ) इस कार्य के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 स्वयं इस बात की गारंटी देता है कि जनगणना में एकत्रित ब्यौरों की गोपनीयता रखी जायगी और किसी व्यक्ति को कोई पुस्तक, रजिस्टर अथवा जनगणना अधिकारी द्वारा अपने कार्य के लिए तैयार किये गये रिकार्ड या इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन दी गई किसी अनुसूची को देखने का अधिकार नहीं होगा । वही धारा यह भी निर्धारित करती है कि ऐसी पुस्तक, रजिस्टर, अनुसूची के रिकार्ड में कोई प्रविष्ट जनगणना अधिनियम के अधीन चलाये गये मुकदमे अथवा किसी अधिनियम के कानून अथवा चूक, जो जनगणना अधि-

नियम के अधीन एक अपराध बनता हो, को छोड़कर किसी दीवानी मुकदमें अथवा किसी फौजदारी मुकदमें में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगी ।

(ग) जनगणना की तैयारियां पहले ही आरम्भ हो चुकी हैं । वास्तविक गणना 10 फरवरी 1971 को आरम्भ होगी और 28 फरवरी, 1971 तक जारी रहेगी तथा 1 मार्च, 1971 के सूर्योदय, जो आगामी जनगणना के लिए एक संदर्भ-तिथि है, के संदर्भ में सामग्री को नवीनतम बनाने के लिए 1 मार्च, से 3 मार्च, 1971 तक पुनरीक्षित अध्ययन किये जायेंगे ।

(घ) जनगणना के लिए इस प्रकार कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है किन्तु यह आशा की जाती है कि कुल 17.68 करोड़ रुपये की रकम की सभी कार्यों अर्थात प्रारम्भिक उपाय प्रपत्र व लेखन-सामग्री, वास्तविक गणना, सामग्री को तैयार करना तथा उसका प्रकाशन आदि के लिए आवश्यकता होगी ।

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायपीट के लिये नियुक्ति

3622. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा पास किये गये प्रस्ताव की सरकार को जानकारी है जिसमें उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायपीट के लिए नियुक्ति के संबंध में चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और उनकी शिकायतें दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नही, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० सी० वी० रमन का कानपुर में भाषण

3623. **श्री बेणीशंकर शर्मा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 फरवरी 1970 को कानपुर विश्वविद्यालय के दूसरे वार्षिक दीक्षान्त समारोह में भाषण देते हुए डा० सी० वी० रमन ने कहा था कि देश के सामने सब से बड़ा कार्य नवयुवकों के मन को बदलना है ;

(ख) क्या अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने यह कहा था कि भारत में प्रतिभावान व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है परन्तु प्रोत्साहन की कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). दीक्षान्त भाषण की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं हुई है । तथापि, समाचार पत्रों में छपी खबरों से पता चलता है कि डा० सी० वी० रमन ने इन विषयों के बारे में कहा था ।

(ग) सरकार, देश में उपलब्ध प्रतिभा को समृद्ध करते की आवश्यकता महसूस करती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को उनके विकास कार्यकलापों के लिए, उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दे रहे हैं।

स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में, भारत सरकार ने शिक्षा विशेष रूप से विज्ञान के स्तरों में सुधार करने का एक कार्यक्रम आरंभ किया है। योजना में नई पाठ्य पुस्तकें, अपनाना, स्कूलों तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को उपस्कर प्रदान करना तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण शामिल है। विशेष विज्ञान शिक्षण किटों का निर्माण किया गया है और आगामी वर्ष में एक प्रायोगिक प्रायोजना के रूप में उनका परीक्षण किया जाएगा। सरकार ने विज्ञान प्रतिभा छात्रवृत्तियां प्रदान करने के जरिए प्रतिभावान युवकों को प्रोत्साहन देने की भी एक योजना प्रारम्भ की है।

(उच्च न्यायालयों की नयी न्यायपीठ स्थापित करना)

3624. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1969 तक उच्च न्यायालयों की कितनी और किन-किन स्थानों पर नयी न्यायपीठ स्थापित की गई हैं ;

(ख) इन नयी न्यायपीठों ने अपने मुख्य अधिकार-क्षेत्रों से सम्बन्धित, अलग-अलग, कितनी अपीलों का निपटारा किया है और उन्होंने अपने दौरों के दौरान कितनी अपीलों का निपटारा किया है ; और

(ग) क्या सरकार की नीति प्रत्येक राज्य में कम से कम एक न्यायापीठ नियुक्त करने की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कोई नहीं, श्रीमान्

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है।

Discrimination between North and South Indian Construction and Repairing of National Highways

3625. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the policy of discrimination between the various parts of India is being followed in regart to the construction and repair of National Highways ;

(b) if not, the new National Highways (in kilometres) constructed and the old National Highways (in kilometres) on which repairs were carried out in Uttar Pradesh and Tamil Nadu, respectively, during the last three years ;

(c) the reasons for not carrying out any repairs on the 400 year old National Highway in Agra District and the Grand Trunk Road now and also during the President's rule ;

(d) whether Government propose to get the said National Highway repaired ; and

(e) whether Government propose to construct a road from Nai-ki-Sarai (District Agra) to Jaleshar and another from Ferozabad to Idadat Nagar with a view to earn foreign exchange and from the view point of tourism ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) No Sir.

(b) There was no addition to the national highway system either in Uttar Pradesh or Tamil Nadu during the last three years. However, in Uttar Pradesh about 9 kilometres of the missing link in National Highway No. 11 was completed. In Tamil Nadu, 19 kilometres of missing link in National Highway No. 49 is under construction. The entire length of National Highways in Uttar Pradesh (2328 Kilometres) and in Tamil Nadu (1710 Kilometres) has been kept maintained and repaired during this period.

(c) The member presumably refers to the portion of the Grand Trunk Road in Uttar Pradesh between Delhi and Kanpur which is a State Highway and therefore its maintenance and repairs are the responsibility of the State Government who look after them.

(d) National Highways in Agra District as also elsewhere are being repaired and maintained.

(e) There is no such proposal.

प्रधान मन्त्री के राज्यों के दौरे पर व्यय

3626. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री के द्वारा विभिन्न राज्यों का दौरा करने पर संबंधित राज्य को प्रतिदिन लगभग एक लाख रुपया खर्च करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को लिखा है कि उस राज्य को प्रधान मन्त्री के दौरे सम्बन्धी पूरा व्यय केवल इसलिए वहन करना चाहिए कि दौरा करने वाले व्यक्ति का दर्जा प्रधान मंत्री का है ; और

(ग) जनवरी, 1970 में प्रधान मंत्री के गुजरात के दौरे पर कितना व्यय हुआ था और वह व्यय किस ने वहन किया था ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है ।

(ग) राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

Regional Imbalance in Jammu and Kashmir State

3627. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Shardanand :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Suraj Bhan :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a great imbalance between Jammu and Ladakh on the one hand and Kashmir valley on the other and that Jammu and Ladakh are very backward as compared to Kashmir Valley ;

(b) whether the Gajendragadkar Commission appointed by Government had made certain recommendations to remove this imbalance ;

(c) if so, the details thereof and the recommendations out of them which have been implemented and the time by which the remaining recommendations are likely to be implemented ; and

(d) whether the Jammu and Kashmir Government are not cooperating with the Government of India in implementing the aforesaid recommendations ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) While Ladakh district is backward compared to the rest of the State, it is not possible to make a comparison between the other regions without specific economic indicators.

(b) The Gajendragadakar Commission has made certain recommendations for the balanced development of the State as a whole.

(c) and (d). The Gajendragadkar Commission submitted its report to the Government of Jammu and Kashmir, who have already published it. As the Commission was appointed by the State Government, action on the findings of the Commission is primarily the concern of that Government. The State Government have intimated that a large number of recommendations have been accepted and implemented by them. A statement is attached. [*Placed in Library. See* No. LT-2946/70].

All India River Navigation Scheme

3628. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government are considering and All India River Navigation Scheme on the completion of which one can travel from Calcutta to Uttar Pradesh and then to South India uninterruptedly through water-ways ;

(b) if so, the details of the said scheme, the expenditure likely to be incurred on that and the time by which it is likely to be completed and put into operation ; and

(c) the difficulties if any, due to which Government are not implementing this scheme ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c). No such scheme is under the consideration of the Government. However, some preliminary studies were initiated to explore the possibilities of linking various waterways in the country with a view to assessing their potential for navigation. These include :—

(i) linking the Narmada with the Ganga via the Sone.

(ii) linking the Narmada with the Yamuna via the Ken.

(iii) linking the Narmda with the Godavari via the Wainganga (a tributary of the Godavari).

(iv) linking the Tapi with the Godavari.

These preliminary studies were examined by the Gokhale Committee on Inland Water Transport (1959) who recommended that the question of linking of rivers might be examined after implementation of the various multipurpose projects during the next 30 years, which would make the rivers navigable to a greater extent that at present It is too early to assess the possibilities of navigation on the linked waterways and hence no detailed scheme based on these studies has been prepared.

गांधी दर्शन प्रदर्शनी में नेताओं का चित्र सम्मिलित न किया जाना

3629. **श्री समरगुह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी दर्शन प्रदर्शनी में यद्यपि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के

राष्ट्रीय नेताओं के साथ गान्धी जी के बहुत से चित्र लगाये गये थे परन्तु नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के साथ गांधी जी का एक भी चित्र नहीं लगाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस विशेष भूल के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या 'गांधी दर्शन' प्रदर्शनी द्वारा दर्शकों को यह स्मरण कराने का प्रयत्न किया गया कि नेता जी पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने महात्मा जी को राष्ट्रपिता के रूप में राष्ट्रीय श्रद्धांजलि अर्पित की थी ;

(घ) यदि नहीं, तो इस भूल का क्या कारण है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार गांधी शताब्दी राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष से नेता जी और गाँधी जी के सम्बन्धों की उपेक्षा करने के कारण पूछने और उनके स्पष्टीकरण से सभा को अवगत कराने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। नेताजी के साथ गांधी जी के फोटो, उनके पत्र व्यवहार की चित्र-प्रतिकृति तथा नेताजी सम्बन्धी प्रकाशन "गांधी तथा उनके समकालीन महान व्यक्ति" तथा "मेरा जीवन मेरा संदेश है" नामक मंडपों के प्रदर्शन में थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). गांधी दर्शन समिति ने बताया है कि ऐसा नहीं किया गया था क्योंकि प्रदर्शनी का उद्देश्य व्यापक होने की अपेक्षा प्रबोधात्मक था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तस्कर व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए पूर्व पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ पुलिस की चौकियां

3630. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्कर व्यापार पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से पूर्व पाकिस्तान के साथ सीमा-वर्ती क्षेत्र 24 परगना जिले, मुरशिदाबाद और नादिया में हाल ही में अधिक पुलिस चौकियां स्थापित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वहां कितनी पुलिस चौकियां स्थापित की गई है ; और

(ग) उक्त क्षेत्र में कितना तस्कर व्यापार होता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तस्करी व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए पूर्वी पाकिस्तान सीमा के निकट 24-परगना, मुर्शीदाबाद और नादिया जिलों में कोई अतिरिक्त बाहरी सीमा चौकियां स्थापित नहीं की गई हैं। तस्करी की रोक-थाक के लिए मौजूदा सीमा-बाहरी चौकियों ने सीमावर्ती गश्त को कड़ा कर दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1967, 1968 और 1969 के वर्षों में क्रमश: 1003, 1078 और 1474 तस्करी के मामले इस सीमा पर हुए थे।

कर्मचारी प्रशासन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

3631. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **गृहकार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी प्रशासन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो 'समान कार्य के लिये समान वेतन' के बारे में की गई सिफारिशों के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। इस सिफारिश विशेष पर निर्णय अभी नहीं किया गया है।

भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों को समाप्त करने के बारे में उच्चत्तमन्यायालय की राय लेने का सुझाव

3632. **श्री जय सिंह** : **श्री हरदयाल देवगुण** :
श्री यशपाल सिंह : **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराजा बड़ौदा ने भूर्तपूर्व नरेशों के संघ की ओर से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि भूर्तपूर्व नरेशों की निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने के प्रश्न को उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिये भेजा जाना चाहिये ;

(ख) क्या राष्ट्रपति ने उक्त ज्ञापन को प्रधान मंत्री को इस बीच भेज दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) बड़ौदा के महाराजा द्वारा राष्ट्रपति को ऐसा एक ज्ञापन दिया गया था।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) सरकार समझती है कि सर्वोच्च न्यायालय की राय लेना आवश्यक नहीं है।

परीक्षा प्रणाली में सुधार

3633. **श्री जय सिंह** : **श्री यज्ञदत शर्मा** :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों की सलाहकार समिति की बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के विषय पर चर्चा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या-क्या मुख्य सुझाव दिये गये ;

(ग) क्या सलाहकार समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार परीक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का है ; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा युवक तथा सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). क्योंकि शिक्षा राज्यों का विषय है, भारत सरकार अपने आप ही स्कूलों तथा कालेजों की परीक्षा-पद्धति में परिवर्तन नहीं कर सकती इसके साथ ही परीक्षा में सुधार पर मुख्य रूप से ऐसे शैक्षिक निकायों द्वारा विचार किया जाएगा जिन पर शिक्षा तथा परीक्षा के संचालन का कार्य सौंपा गया है, क्योंकि दोनों का परस्पर निकट संबंध है। फिर भी, भारत सरकार प्राप्त हुई सिफारिशों का निरीक्षण करके उन्हें राज्य सरकारों, परीक्षाओं के बोर्डों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालयों को विचारार्थ भेजने का विचार रखती है।

विवरण

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ने परीक्षा सुधार की समस्याओं पर 16-2-1970 की एक विशेष बैठक में विचार-विमर्श किया। सदस्यों ने बहुत से सुझाव रखे जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

(1) परीक्षा सुधार एकदम कोई अलग सी समस्या नहीं है। यह पाठ्यचर्या सुधार और अध्यापकों की सक्षमता से घनिष्ठ रूप से संबंधित है।

(2) बाह्य परीक्षायें कई तरह से अपरिहार्य हैं। उनकी रट्टा लगाने को प्रोत्साहन देना, प्रश्नों के पीछे भागना, केवल परीक्षा के समय ही पढ़ना, गलत तरीके अपनाने जैसी कमजोरियों को जिनसे सभी परिचित हैं, दूर करने के लिए सतत प्रयत्नों की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को बराबर अध्ययन के लिये प्रेरित करने के लिए, उपचारात्मक और सुधारात्मक कार्रवाई के आधार पर कार्य करने के लिए और व्यक्तित्व संबंधी पहलू जिनकी बाह्य परीक्षा में जांच नहीं हो सकती, आंतरिक मूल्यांकन अनिवार्य है। लेकिन इनका भी प्रतिरूप है जैसे, अध्यापकों पर दबाव, पक्षपातवाद, राजनैतिक अथवा सम्प्रदायिक विचारों की बढ़ोतरी आदि और इनको समाप्त करने के लिए कदम उठाये जाने हैं। सम्भवत: बाह्य और आन्तरिक मूल्यांकन पद्धति दोनों को जारी रखना आदर्श पद्धति होगी। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रयोगों को करना होगा।

(3) निम्न कक्षाओं में बाह्य परीक्षा की आवश्यकता नहीं, सभी विषयों में पास होना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए। परीक्षा प्रमाण-पत्रों में, बिना पास अथवा फेल लिखे छात्र की वास्तविक कार्य क्षमता का उल्लेख होना चाहिए।

(4) वस्तु-निष्ठ परीक्षाओं आदि को अपना कर प्रश्न-पत्रों में सुधार लाना चाहिए और प्रश्नों को याद करने को समाप्त करना चाहिए।

(5) कुछ प्रश्नों पर एकमत था। उदाहरणार्थ कुछ ने 'वर्गीकरण' पद्धति को वरीयता दी जबकि अन्यों ने 'ग्रेड' में अंक देना की आवश्यकता को बताया। कुछ मासिक परीक्षाओं की तरह बारंबार परीक्षा के पक्ष में थे जबकि अन्यों ने और छोटी संख्या को वरीयता दी।

(6) सभी क्षेत्रों के लिए एक जैसी पाठ्यचर्या वांछनीय होगी।

परीक्षा सुधार समस्या अनिवार्य रूप से स्कूल शिक्षा में राज्य सरकारों तथा उच्चतर शिक्षा में विश्वविद्यालयों से संबंधित है। यह निश्चय किया गया है कि इस बैठक में दिये गये मुख्य सुझावों पर एक कार्य की रूप रेखा तैयार की जायेगी और इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि परीक्षा सुधार को उन्नत कर रहे हैं, के आगे कार्य का आधार बनाया जाएगा।

Grants to Persons out of Discretionary Fund of Minister of Education

3634. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an application for grants to a certain person out of the 'Discretionary Fund' of the Minister of Education was forwarded to him by a Member of Parliment on the 7th October, 1969 ;

(b) whether it is also a fact that the said person has got no source of income ;

(c) whether Government propose to give him some grants out of the said Fund keeping in view his conditions and, if so, the amount thereof ;

(d) if not, the reasons therefore ; and

(e) the full details in respect of the names and the income of the persons to whom grants were given out of the said Fund during the years 1968-69 and 1969-70 ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). Yes, Sir. Amongst the applications received for financial assistance from the Discretionary Fund, there was an application forwarded by a Member of Parliament with his letter dated the 7th October, 1969. After necessary scrutiny, a grant of Rupees two hundred and fifty has been sanctioned.

(d) Does not arise.

(e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्राप्त हुई तथा उस के द्वारा निपटायी गई शिकायतें

3635. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल : **श्रीमती सावित्री श्याम :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सतर्कता विभाग को 1968-69 के दौरान प्रत्येक महीने कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और ये शिकायतें किन-किन अधिकारियों/विभागों के बारे में प्राप्त हुई ;

(ख) उनमें से कितनी शिकायतों को प्रत्येक महीने निपटाया गया ;

(ग) जनवरी, 1968 से कितनी शिकायतें विचाराधीन है और इनके निपटाने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ;

(घ) जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(ङ) ऐसे कितने मामलों का निपटारा किया गया जिनके उत्तर शिकायत करने वालों को भेज दिये गये थे ; और

(च) विवादग्रस्त व्यक्तियों को क्या सहायता दी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 1 अप्रैल, 1968 से 31 मार्च 1969 तक की अवधि में प्राप्त तथा निपटाई गई शिकायतों (उनको छोड़कर जिनका सम्बन्ध राज्य सरकारों से है) की संख्या महीनेवार इस प्रकार है :—

महीना	प्राप्त हुई	निपटाई गई
आगे लाई गई	10	
अप्रैल, 68	64	37
मई	69	81
जून	55	33
जौलाई	72	94
अगस्त	58	42
सितम्बर	63)	
अक्तूबर	70)	203
नवम्बर	65)	
दिसम्बर	65	65
जनवरी, 69	48	28
फरवरी	66	104
मार्च	56	36
जोड़ :	761	723

अधिकारियों के नामों को प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा। शिकायतों का सम्बन्ध मुख्यत: निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों से था :—

(1) वित्त मंत्रालय।

(2) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय।

(3) रेल मंत्रालय ।

(4) निर्माण, आवास तथा शहरी विकास विभाग ।

(5) डाक व तार महानिदेशालय ।

(6) प्रतिरक्षा मंत्रालय ।

(ग) इस समय ऐसी कोई शिकायत विचाराधीन नहीं है ।

(घ) 31 मार्च, 1969 तक कार्यवाही इस प्रकार की गई है :—

एक अधिकारी के वेतन से वसूली का आदेश दिया गया जिसकी निन्दा भी की गई थी । एक अधिकारी को सावधान किया गया । पांच मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नियमित जांच के लिए दर्ज किये गये हैं ।

(ङ) गुमनाम । कल्पित नामों की शिकायतों के उत्तर देना सम्भव नहीं है । फिर भी, भ्रष्टाचार से सम्बन्धि हस्तक्षरयुक्त शिकायतों की पावती भेजी गई थी । भ्रष्टाचार के अतिरिक्त अन्य मामलों से संबंधित शिकायतों के बारे में यदि मामले को सम्बन्धित विभाग को उपयुक्त कार्यवाही के लिए भेजा गया था तो इस सम्बन्ध में शिकायत कर्त्ताओं को सूचित किया गया ।

(च) किसी व्यक्ति को सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत का मोरिशियस के बीच नौवहन सेवा

3636. **श्री बलराज मधोक :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा मोरिशियस के बीच कोई नियमित भारतीय नौवहन सेवा नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत के नौवहन निगम की टन-क्षमता अभी हाल ही में बढ़ाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत तथा मोरिशियस के बीच शीघ्र ही नियमित नौवहन सेवा आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) से (ग). जी हाँ ।

दिल्ली में अपराध सम्बन्धी स्थिति

3637. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अपराध संबंधी स्थिति निरन्तर बिगड़ती जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि व्यक्तिगत लाभ के लिये थाना कर्मचारियों सहित कुछ पुलिस कर्मचारियों की समाज-विरोधी तत्वों के साथ साठ-गांठ की निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). ऐसी शिकायतें बहुधा की जाती हैं । शिकायतें प्राप्त होने पर आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के सतर्कता कर्मचारीवृन्द द्वारा जांच की जाती है । जब आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो दोषियों को उपयुक्त विभागीय दण्ड दिये जाते है और अधिकारियों के आवश्यक स्थानान्तरण भी लोक-हित है किये जाते हैं ।

Development of Places of Tourist Importance

3638. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on 1st January, he had inspected the temple and fort constructed by Maharani Ahilyabai in Maheshwar in West Nimar District of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the scheme formulated by Government to make this beautiful place more attractive for the Indian and foreign tourists and the steps proposed to be taken in this regard ;

(c) the nature of assistance provided by Governmennt for the development of such ancient and historical places :

(d) the assistance provided by Government for boating with motor boats in deep rivers in places of tourists importance ; and

(e) the attitude of Government in regard to provision of such facilities in tourist centres ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). In view of Limited resources and other priorities, it is not possible at present for the Central Government to taken up the development of Maheshwar at a tourist centre.

(d) and (e). Motor launches are to be provided at Nagarajunasagar and Govindsagar. It is also proposed to locate motor launches at Periyar lake and in the Cochin backwaters.

चंडीगढ़ प्रश्न तथा अन्य अन्तर्राज्यीय विवादों के बारे में निर्णय

3639. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब विरोधी दलों द्वारा प्रधान मंत्री से कहने पर कि चंडीगढ़ के प्रश्न पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाये, उन्होंने यह कहा था कि उक्त प्रश्न पर निर्णय उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक संत फतेह सिंह आत्म-दाह की धमकी पर अड़े रहेंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस वक्तव्य के बाद कुछ दिनों के भीतर ही सरकार ने इस मामले पर निर्णय किया और उसकी घोषणा भी कर दी, हालांकि संत ने अपना आत्मदाह का निश्चय नहीं बदला था ;

(ग) इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार किसी मामले में कठोर रूप अपनाने

और बाद में धमकियों के सामने झुकने की प्रवृत्ति को त्याग कर मामलों पर गुण-दोष और सिद्धांत के आधार पर निर्णय करना आरम्भ करेगी ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में मैसूर में महाराष्ट्र सीमा विवाद तथा तेलंगाना तथा नर्वदा जल विवाद को सुलझाने में पहल की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). गृह-मंत्री ने सदन में घोषणा की थी कि चंडीगढ़ पर निर्णय की घोषणा संसद के बजट अधिवेशन से पहले कर दी जायेगी। आत्मदाह करने का संत फतेह सिंह का बाद का निर्णय उस समय लिया गया जब सरकार इस विवाद को सक्रिय रूप से हाथ में लिए हुए थी और इससे समस्या की जटिलता बढ़ गई। विपक्षी नेताओं के साथ अपनी बातचीत में, जहां विवाद के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया, प्रधान मंत्री ने इस स्थिति का हवाला दिया और अपना विचार व्यक्त किया कि यदि इन परिस्थितियों के अधीन, जिनका संकेत यह है कि यह धमकी में आकर किया गया है, कोई निर्णय किया जाता है, तो इससे देश के अन्य भागों में प्रतिक्रियायें होगी। किन्तु, चूंकि सरकार ने इस मामले पर 29 जनवरी को निर्णय कर दिया था, अतः उन्होंने गृह मंत्री की उपरोक्त घोषणा की पूर्ति में उसी दिन उसकी घोषणा कर दी।

(ग) यह बात बिल्कुल असत्य है कि सरकार ने कठोर रूल दिखाने और बाद में धमकियों के सामने झुकने की प्रथा को अपनाया है।

(घ) मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद को हल करने का प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है। जहां तक तेलंगाना का सम्बन्ध है सरकार ने अपना निर्णय पहले ही घोषित कर दिया है। नर्मदा जल विवाद इस समय अन्तर-राज्य जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन नियुक्ति एक न्यायाधिकरण के समक्ष है।

Incidence of Crime in the Country

3640. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri K. M. Koushik :
Shri R. R. Singh Deo :
Shri D. Amat
Shri D. N. Deb :
Shri Nanja Gowder :
Shri V. Narasimha Rao :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri J. Mohamed Imam :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted any survey with a view to assessing whether there has been an increase or decrease in crime tendency in the country during the recent past ;

(b) if so, the State-wise details in respect of (murders, loot and dacoity during the years 1967, 1968 and 1969 ; and

(c) the measures proposed to be adopted by Government to check the crime ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government of India brings out an annual publication known as "Crime in India" ; this is a compilation of crime statistics and includes reviews of trends in crime in relation to area, population etc.

(b) A statement showing the numbers of cases of Murder, Robbery and Dacoity

(State-Wise) during the years 1967-1968 and 1969 is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—2947/70].

(c) 'Police' is a State subject and State Governments and Administrations of Union Territories are aware of the need to keep effective control over crime incidence and towards that purpose they take requisite steps in the form of increased manpower, better equipment, modernised scientific aids to investigation, etc., besides other preventive and correctional measures. There is constant exchange of ideas between the Centre and the State Governments and Government of India renders all possible assistance to the States in bringing the latest developments in crime control techniques and methods to the notice of those Governments.

Nationalisation of Education

3641. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2341 on 5th December, 1969 and State the reasons for not contradicting the news report obout the nationalisation of education as it appeared in the Press ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : The report appeared only in a section of the Press and was not considered significant enough to need a separate contradiction. But when the specific attention of Government was drawn to it, the reply given in the Lok Sabha on 5th December, 1969 was considered in itself an authoritative and adequate contradiction.

Examination for Appointment of Hindi Officers

3642. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6023 on the 11th April, 1969 regarding the examination of Hindi Officers and Hindi supervisors and state :

(a) whether it is a fact that the employees working in the offices, which are not included in the Central Secretariat Services, were also allowed to appear in the examination held recently for the appointment of Hindi Officers ;

(b) if so, the names of the said offices and whether the U. P. S. C. conducts any examination for such posts in these offices ;

(c) whether the Hindi-knowing staff working in the Central Secretariat are allowed to appear in such examinations ;

(d) if not, whether any other departmental examination concerning the Central Secretariat was held in which employees working in the offices not covered under the Central Secretariat Services were allowed to appear ;

(e) if so, the names of the said examinations and the dates on which these were held ; and

(f) if not, the reasons for adopting this new policy in the case of examination referred to in part (a) above ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). According to the Union Public Service Commission's advertisement No. 8/Part 'B' dated the 22nd February, 1969, candidates possessing—(i) a Bachelor's Degree with Hindi as one of the subjects, and (ii) about 5 years' (3 years' for those possessing Post-Graduate qualification in Hindi) experience of terminological work in Hindi and/or

translation work from English into Hindi and *vice versa* in posts created exclusively for Hindi work in various Ministries/Departments, including Attached Offices, in the scale of pay carrying a maximum of Rs. 425/- or more, were eligible to appear at the written test held on 19-7-1969, for recruitment to the posts of Hindi Officer and Hindi Supervisor. The test was intended for screening the candidates for interview. Thus, employees working in Attached Offices, whether included in the Central Secretariat Services or not, and fullfiling the above conditions were also eligible to appear at the test. The names of Attached Offices not included in the Central Secretariat Services whose employees were allowed to appear at the test will be ascertained and laid on the Table of the House.

Apart from this test, the Union Public Service Commission have not conducted any other examination for the posts of Hindi Officers/Hindi Supervisors or equivalent posts in the Ministries/Departments and Attached Offices.

(c) to (f). As mentioned earlier, there has been only one test so far for screening candidates for recruitment to the post of Hindi Officers/Hindi Supervisors, for which Hindi-knowing staff working in the Central Secretariat as well as in the Attached Offices were eligible, subject to their fulfilling the prescribed conditions.

The recruitment to various posts under the Government, including those in the Central Secretariat Service, is made according to the recruitment rules applicable to them.

The posts of Hindi Officers/Supervisors in various Ministries/Departments/Attached Offices are isolated posts. The Union Public Service Commission, who received the requisitions from various Ministeries/Departments/Attached offices for recruitment to these posts, decided to hold a single test for screening the candidates for interview for purposes of making selection for the posts, for which requisitions had been placed with them. Therefore, there is no question of adoption of any new policy in regard to the test held by the U. P. S. C. on 19th July, 1969.

Reported D. M K.'s Support to the Prime Minister on Condition that Hindi should not Enjoy the Status of Official Languages

3643. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Yashpal Singh :**
Shri Bansh Narain Singh : **Shri N. Shivappa :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news broadcast by the A. I. R. on the 20th February 1970 at 8.45 P. M. in Hindi and at 9.00 P. M. in English to the effect that the D. M. K. has decided to support the Prime Minister with some conditions ; and

(b) if so, the details of those conditions and whether it is a fact that one of those conditions is that the D. M. K. has asked that Hindi should not be allowed to enjoy the status of Official language and to achieve this end, either the Constitution be suitably amended or noting and drafting in the Central Secretariat should not be started in Hindi and that the importance of English should be continued to be maintained in the Union Public Service Commission examinations ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : The news broadcast was based on a report of a news agency on a resolution adopted by the General Council of the D. M. K. on 20th February. Government have not seen the text of the resolution.

Abolition of Posts of Hindi Assistants in Ministries

3644. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that orders have been issued to all the Ministries asking them

to abolish the posts of Hindi Assistants which were filled up through the Union Public Service Commission ;

(b) if so, whether the Ministries such as the Ministries of Finance, Food, Agriculture and Community Development, Irrigation and Power and Defence and in the attached offices, except the Ministries of Education and Youth Services, Home Affairs, Communications, Information and Broadcasting and Planning Commission have consequently converted those posts into those of the Senior Hindi Translators ;

(c) if so, the reasons for keeping some posts of Hindi Assistants alive when only junior Translators would be appointed against the posts of Hindi Assistant in future ; and

(d) whether it is proposed to convert the posts of Hindi Assistants in the Ministries of Education and Youth Services, Home Affairs, Information and Broadcasting, Communications and Planning Commission into those of the Senior Translators also so that uniformity is brought in all Ministries and the injustice done to certain persons is redressed ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. Instructions were, however, issued on 28th November, 1968 to all the Ministries that no new post of Hindi Assistant should be created and that whenever any existing post of Hindi Assistant, filled by through the U. P. S. C. or otherwise, falls vacant, it should be abolished. In order to cope with the Hindi work, the required number of posts of Hindi Translators, in appropriate scales of pay, could be created by the Ministries concerned according to their needs.

(b) to (d). There is no question of existing posts of Hindi Assitants being converted into those of Hindi Translators or only some posts of Hindi Assistants being kept alive. As and when the posts of Hindi Assistants fall vacant, they are required to be abolished in accordance with the instructions issued in November 1968. Posts of Hindi Translators in appropriate scales could be created and filled by the Ministries themselves according to their requirements and the provisions of the relevant recruitment rules.

Recruitment Rules for Hindi Officers and Hindi Supervisors

3645. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the recruitment rules for Hindi Officers and Hindi Supervisors are being revised or are proposed to be revised ;

(b) if so, the time by which these rules are likely to be finalised ; and

(c) the channels for direct departmental promotion likely to be provided for Hindi Assistants and other Hindi Translators workicg in the Central Secretariat ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). A written test was held by the Union Public Service Commission on 19th July, 1969 in accordance with the provisions of the Recruitment Rules for the posts of Hindi Officer and Hindi Supervisor. However, before the commencement of the written test, certain employees of the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology filed writ petitions before the Delhi High Court against their non-admission to the test. By their judgement delivered on 11-2-1970, the Delhi High Court have directed the Union Public Service Commission by a writ of *mandamus* to entertain the applications of the petitoners for the posts of Hindi Officer etc. The matter is being examined in consultation with the Ministry of Law and the Union Public Service Commission. As a copy of the judgement was received on 7-3-1970, it is not possible to State at this stage the precise provisions which might be incorporated in the Recruitment Rules and the time by which the amendments would be finalised.

संयुक्त अरब गणराज्य के पर्यटन मंत्री का भारत का दौरा

3646. **श्री मयावन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य के पर्यटन मंत्री ने फरवरी, 1970 में भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के मंत्रियों के बीच किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ;

(ग) क्या भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच पर्यटकों को प्रोत्साहन देने की सम्भावना पर सहमति प्रकट की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) बातचीत पर्यटन के क्षेत्र में अधिक निकट सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से सामान्य प्रकार की थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) निम्नलिखित उपाय विचाराधीन हैं :

1. दोनों देशों के बीच सूचना प्रसारण में सुधार ।

2. ऐसे क्षेत्रों की खोज करना जहां निकटतर सहयोग संभव हो ।

3. भारत तथा यू०एस०आर० के बीच पर्यटक दलों के "पकेज टूर"

Changes in the System of Education

3647. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the decisions taken to bring about changes in the system of education during the Fourth Plan period and the progress made so far in this direction ; and

(b) whether any Commission is likely to be set up in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The Government Resolution on the National Policy on Education indicates the broad changes which are proposed to be introduced in system of Education. This has been accepted as the basis of the Fourth Five Year Plan.

The first year of the Fourth Five Year Plan is just coming to a close. It is, therefore, too early to report the progress made. However, it may be stated that the resources available to education in the Fourth Five Year Plan are far too inadequate and this is one of the principal impediments to satisfactory progress.

(b) No, Sir.

Facilities to Indian Tourists going Abroad

3648. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

the facilities proposed to be provided by Government during this year to the Indian tourists going abroad and their likely effect on the foreign exchange reserve of the country ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : Government have recently decided that persons who have not been abroad for a period of three years will be exempted from the operation of 'P' form control in respect of one such visit. It is not possible, at this stage, to assess the effect on our foreign exchange reserves.

"सर" उपाधि का प्रयोग

3649. **स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कुछ लोग अपने नामों से पूर्व "सर" (सर की उपाधि) का अभी भी प्रयोग कर रहे हैं ;

(ख) क्या ब्रिटिश साम्राज्यवाद की उक्त परम्परा को समाप्त करने के लिए कोई निदेश जारी किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास इस मामले में कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को जुलाई 1949 में अनुदेश जारी किये गये थे कि सरकारी दस्तावेजों में भारतीयों के नामों के पूर्व "सर" जैसी उपाधियों का प्रयोग नहीं किया जाय । अत: सरकारी प्रयोजनों के लिए यह कार्य-विधि कई साल पहले समाप्त कर दी गई है ।

कार्मिक संघ कर्मचारियों को राजनैतिक कैदी मानना

3650. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजनैतिक कर्मचारियों तथा कार्मिक संघों के कर्मचारियों का साथ, उनके गिरफ्तार अथवा नजरबंद किये जाने पर, राजनैतिक कैदियों के जैसा व्यवहार नहीं किया जाता ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन्हें उच्च श्रेणी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कारागार-संहिता में संशोधन किये जाने की सम्भावना है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). अधिकांश राज्यों के जेल नियमों में राजनीतिक बन्दियों के लिए पृथक वर्गीकरण जैसी कोई व्यवस्था नहीं

है। सामान्यत: सभी बन्दियों को उन्हें दोषी ठहराने वाले न्यायालय की सिफारिश पर, जेल में व्यवहार की दृष्टि से दो या तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।

(ग) और (घ). चूंकि "बन्दीगृह" राज्य के उत्तरदायित्व के क्षेत्र का विषय है अत: केवल राज्य सरकारें ही बन्दियों के पुनर्वर्गीकरण के लिए अपनी कारागार संहिता में संशोधन करने के लिए सक्षम है।

पुलिस अधिकारियों के लिए सैनिक जनरलों का रैंक

3651. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री भजहरि महता :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय पुलिस बल के कुछ अधिकारियों को सैनिक जनरलों का रैंक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनको सैनिक जनरलों के रैंक किन नियमों या विनियमों के अधीन दिये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस आदि जैसे केन्द्रीय दलों में सेवारत किसी पुलिस अधिकारी को सैनिक जनरल का रैंक नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

असैनिक उड्डयन अधिकारियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन एसोसिएशन के दल के बीच हुआ विचार-विमर्श

3653. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन एसोसिएशन के पांच सदस्यों के एक दल ने असैनिक उड्डयन के अधिकारियों से अभी हाल ही में कोई विचार-विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या सुझाव थे ; और

(ग) उन सुझावों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख), अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संगठन की सरलीकरण सलाहकार समिति 24 फरवरी, 1970 को अन्तर्विभागीय सरलीकरण समिति से मिली, एवं उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिये :—

(1) यात्री सूची का हटाया जाना।

(2) पर्यटक सामान संबंधी पुनर्निर्यात फार्म का हटाया जाना।

(3) मुद्रा संबंधी घोषणा फार्म का हटाया जाना ।

(4) आप्रवास सेवाओं का सुव्यवस्थित किया जाना ।

(5) भू-संचालन (ग्राउंड हैंडलिंग) उपस्कर का शुल्क मुक्त आयात ; और

(6) विदेशों के कुछ विमान क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन ।

(ग) इन सुझावों पर ध्यान दिया जा रहा है ।

पुस्तक वित्त निगम की स्थापना

3654. **श्री यशपाल सिंह : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेताओं के महासंघ ने सस्ती तथा अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन का संवर्द्धन करने के लिए एक पुस्तक वित्त निगम गठित करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) पुस्तक वित्त निगम की स्थापना जरूरी नहीं समझी गई है, क्योंकि मौजूदा कानून में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उन पुस्तक-प्रकाशकों के मार्ग में बाधा पड़े जो वाणिज्य बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं ।

तकनीकी शिक्षा की उत्तम सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु उद्योगों पर कर लगाना

3655. **श्री गाडिलिंगन गौड :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी शिक्षा में अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए उद्योगों पर कर लगाने के बारे में सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). सरकार इस प्रकार की एक योजना पर विचार कर रही है, जो कि इग्लैण्ड में चल रही है, किन्तु इसे भारत में लागू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

विदेशी विमान कम्पनी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता

3656. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विमान कम्पनी ने जनवरी, 1970 में नई दिल्ली में सुन्दरतम विदेशी बाला चुनने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में अन्तिम निर्णय क्या किया गया ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक सूचना नहीं है ।

Development of Tourist Centres in States

3657. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total number of places in the country which have been included in the list of tourist centres ;

(b) the details of the various measures adopted by their development and the expenditure being incurred on that account annually ;

(c) the nature of assistance proposed to be provided to the various States during the Fourth Plan for the development of tourist centres ; and

(d) the provision made for the development of tourist centres in Uttar Pradesh ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). A list of places where tourist facilities have so far been provided either by the Central Government or jointly with the State Governments is attached Except for the Tourist Bungalows (Class I), now designated as travellers' Lodges, and the flood-lighting of the Purana Qila and India Gate in New Delhi, all other facilities are being maintained by the respective State Governments. The expenditure incurred on the management of the Traveller's Lodges by the ITDC from 1.1 1969 to 31.12 1969 was Rs. 11.36 lakhs and an expenditure of Rs. 35,300 is expected to be incurred on the flood-lighting during the current year. [*Placed in Library. See* No. LT-2948/70].

(c) With the discontinuance of Part II schemes, the question of providing assistance to State Governments for development of tourist centres does not arise.

(d) The Central Government draws up and implements Tourism schemes not on the basis of a State-wise allocation but having regard to the actual or potential attraction of a place for tourists. Central schemes are in addition to the programmes of the State Governments under their respective plan allocations. During the Fourth Plan, the tourist centres included for development in Uttar Pradesh are : Agra, Varanasi, Lucknow and the Corbett National Park. It is also proposed to provide a youth hostel at Mussoorie and improve tourist facilities at Nangarh, Sankasya, Sravasti (Saheth-Maheth), Sarnath, Kushinagar under the development of Buddhist Centres. The expenditure on the development of these centres will be determined after the Tourism schemes are finalised.

संघ राज्य-क्षेत्रों के अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतनमान

3658. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 फरवरी, 1970 को गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कहा था कि संघ राज्य क्षेत्रों जिनमें हिमाचल प्रदेश भी सम्मिलित है के अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतनमानों के बारे में निर्णय की घोषणा शीघ्र कर दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमान् । अब हिमाचल प्रदेश सहित सभी संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय वेतन-मान तथा भत्ते अपनाने का निश्चय किया गया है । 11-3-1970 को संसद के दोनों सदनों में एक वक्तव्य दिया गया है । उस वक्तव्य की एक प्रति संलग्न है ।

विवरण

निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों तथा नेफा के सामने लिखित पड़ौसी राज्यों में सादृश्य पक्षों के लिए मिलने वाले वेतनमानों के आधार पर संघ राज्य क्षेत्रों तथा नेफा में वेतनमान व भत्ता निर्धारित करने की भारत सरकार की पहले नीति रही है :

(i)	हिमाचल प्रदेश (सचिवालय को निकाल कर)	पंजाब
(ii)	मनीपुर	असाम
(iii)	त्रिपुरा	पश्चिमी बंगाल
(iv)	पाण्डिचेरी	तमिलनाडु
(v)	दादरा व नागर हवेली	गुजरात
(vi)	चंडीगढ़	पंजाब
(vii)	नेफा	असम

किन्तु दिल्ली, गोवा, दमन व दीव, अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्कदीव, अमिनिदीव व मिनिकाय के संघ राज्य क्षेत्रों में कर्मचारियों के वेतनमान व भत्ते केन्द्र के वेतनमान व भत्तों के नमूने पर आधारित हैं । सभी संघ राज्य क्षेत्रों और नेफा के कर्मचारियों के लिए वेतनमान व भत्ते निर्धारित करने की नीति का सरकार द्वारा पुनरीक्षण किया गया है और 6 मार्च, 1970 से सभी संघ राज्य क्षेत्रों और नेफा के कर्मचारियों के लिए अब केन्द्रीय नूमने के वेतन तथा भत्ते अपनाने का निश्चय किया है ।

कुकी तथा मिजो उपद्रवियों द्वारा सुरक्षा सेनाओं पर हमला

3659. **श्री कार्तिक उरांव :**

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुकी तथा मिजो उपद्रवियों के एक दल ने मिजो पहाड़ियों की सीमा पर जरीबम सब-डिविजन की सत्रीमुख चौकी पर 4 जनवरी, 1970 की रात को हमला किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उस समय ये विद्रोही लोग स्वचालित शस्त्रों से लैस थे और वे बाद में जंगल में भाग गये ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

छोटा नागपुर में युवक सेवाएं

3660. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटा नागपुर तथा संथाल परगनों में युवक सेवाओं के बारे में कोई परियोजना हाथ में ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन एयरलाइंज कारपोरेशन की सिलचर (आसाम) तक तथा वहां से उड़ानों को रद्द तथा निलम्बित किया जाना

3661. **श्री भगवान दास** :
श्री बदरुद्दजा :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में सिलचर (आसाम) तक और वहां से जाने वाली इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की कितनी उड़ानों को पृथक-पृथक रद्द किया गया तथा निलम्बित किया गया ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : सिल्चर (आसाम) के लिए इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों की संख्या, जो 30 मिनट से अधिक देरी से की गयी तथा जो पिछले दो वर्षों के दौरान रद्द की गयी, नीचे दी गई है :

	1968	1969
(i) 30 मिनट से अधिक की देरी से की गयी उड़ानें	637	718
(ii) रद्द की गई उड़ानें	80	61

रामपुर के स्वर्गीय नवाब के कुलागत आभूषण

3662. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री रामपुर के स्वर्गीय नवाब के कुलागत आभूषणों के बारे में दिनांक 19 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4718 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच इस बात की कोई जांच की गई है कि क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली के वाल्टों में रखे हुए रामपुर के स्वर्गीय नवाब के तथाकथित कुलागत आभूषणों को उनकी मृत्यु के पश्चात् किसी समय बदला, बेचा अथवा छेड़ा गया है ; और

(ख) यदि सेफ डिपाजिट वाल्ट में रखे हुए इन कुलागत आभूषणों को बदला अथवा छेड़ा गया हो, तो क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली, के सम्बन्धित अधिकारी अथवा अधिकारियों के विरुद्ध और आगे कोई कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ख) ऐसी कार्रवाई के लिये कोई अवसर नहीं आया है ।

राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन

3663. **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रा० की० अमीन :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री बी० ना० देव :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों ने अभी हाल ही में कुछ लोगों को मार डाला और उग्रतम तरीके अपना रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच की जा रही है ; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच का ब्यौरा क्या है ?

गृह-काय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह ने 3 फरवरी, 1970 को तीन छात्रों पर आक्रमण किया जिससे घायल होकर एक की मृत्यु हो गई और अन्य दो को चोटें आई ।

(ख) और (ग). इन घटनाओं के सम्बन्ध में एक मामला दर्ज किया गया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उसकी जांच की जा रही है ।

महत्वपूर्ण संचार योजनाओं के निर्माण में हुए अत्यधिक, विलम्ब की जांच के लिए अध्ययन दल की नियुक्ति

3664. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार महत्वपूर्ण संचार सम्पर्क, यथा पुलों, के निर्माण में होने वाले अत्यधिक विलम्ब का अध्ययन करने के लिए किसी अध्ययन दल की नियुक्ति पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दल की कब तक नियुक्ति की जायेगी ; और

(ग) उसके सदस्य कौन-कौन होंगे तथा उनके निर्देश पद क्या होंगे, और यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन दे देगी ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). यह प्रस्ताव अभी तक प्रारंभिक अवस्था में है अत: दल की नियुक्ति के सम्भावित समय, उसके विचाराधीन विषय, कर्मचारियों, इत्यादि के बारे में इस समय अपेक्षित सूचना देना असामयिक होगा ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में चीनी भाषा प्रशिक्षण विभाग

3665. **श्री शारदा नन्द :** **श्री सूरज भान :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय में चीनी भाषा अध्ययन विभाग पर गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि खर्च की है ;

(ख) उस विभाग में कितने छात्र हैं तथा कितने अध्यापन तथा अन्य कर्मचारी है और उक्त अवधि में उन्हें कुल कितना वेतन दिया गया है ;

(ग) इस विभाग द्वारा प्रकाशित किये गये अनुसंधान पत्रों तथा विश्वविद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम के संदर्भ में इस विभाग ने कितनी प्रगति की है ; और

(घ) इस विभाग की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के चीनी भाषा अध्ययन विभाग पर (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये अनुदान में से हुए खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार से दें :

(i) 1967-68	72,396.67 रुपये
(ii) 1968-69	96,336.96 रुपये
(iii) 1969-70 (जनवरी, 1970 तक)	97,692.14 रुपये

(ख)

वर्ष	भाषा पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या	अध्यापकों की संख्या	अन्य कर्मचारियों की संख्या	दिया गया कुल वेतन
				रुपये
1967-68	40	6	2	56,843.95
1968-69	40	7	3	56,499.14
1969-70	50	7	3	46,712.53 (जनवरी 1970 तक)

इसके अतिरिक्त, 7 ऐसे छात्र भी हैं जिन्होंने चीनी भाषा के अध्ययन के क्षेत्र में या तो स्वयं को पंजीकृत करा लिया है या पी० एच० डी० डिग्री के लिए कार्य करना आरम्भ कर दिया है। साथ ही क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अधीन एक विजिटिंग फैलो भी हैं।

(ग) यह विभाग निम्नांकित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करता है :

(i) चीनी भाषा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

(ii) चीनी भाषा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(iii) चीनी भाषा में निर्देशित शिक्षा पाठ्यक्रम

(iv) इतिहास विभाग में एम० ए० के छात्रों के लिए आधुनिक चीनी इतिहास के विषय में पाठ्यक्रम

(v) राजनीति शास्त्र विभाग में एम० ए० के छात्रों के लिए आधुनिक चीनी राजनीति संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विषय में पाठ्यक्रम

(vi) चीनी भाषा अध्ययन के क्षेत्र में पी० एच० डी०

शिक्षण कर्मचारियों ने जिनमें विभाग के अध्यक्ष भी शामिल है, 5 पुस्तकें, 3 मोनोग्राफ तथा लगभग 12 अनुसंधान पत्र लिखे हैं।

(घ) विश्वविद्यालय के मतानुसार, इस विभाग ने अपने पाँच वर्षों के कार्यकाल में उल्लेखनीय प्रगति की है। गत वर्ष इस विभाग के कार्य का पुनरावलोकन करने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक समिति ने कहा है कि इस विभाग द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों की सफलता तथा छात्रों के उत्साह को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। इस समिति का प्रतिवेदन दिल्ली विश्वविद्यालय को भेज दिया गया है तथा विश्वविद्यालय के विचार जो अभी नहीं मिले हैं जानने के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उक्त समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर यथोचित कार्यवाही करेगा।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

3667. **श्री म० ल० सोंधी :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के तैयार करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उक्त निगम के तत्वावधान में चल रहे होटलों की समुचित व्यवस्था के लिए नियमों और विनियमों के बारे में किन्हीं विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया है ; और

(ग) उक्त निगम के तत्वावधान में चल रहे होटलों में कुशलता तथा मितव्ययी प्रबन्ध तथा नियोजकों और कर्मचारियों के अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिए उन्हें क्या मार्गदर्शन दिये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के सेवा नियम तैयार किये जा रहे है ।

(ख) और (ग). जी, नहीं । इस समय भारत पर्यटन विकास निगम केवल लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर, का परिचालन कर रहा है, अतः होटलों की उचित प्रबन्ध-व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मार्ग दर्शन-सिद्धांतों (गाइड लाइंस) के प्रतिपादन के समग्र प्रश्न को तब लिया जायेगा जब अशोक होटल्स लिमिटेड और जनपथ होटल्स लिमिटेड का भारत पर्यटन विकास निगम के साथ विलय हो जायेगा ।

काश्मीर में पाकिस्तानी एजेंटों की रिहाई

3668. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर सरकार ने अचानक ही गुलाम मोहम्मद रेशों तथा कुछ अन्य पाकिस्तानी एजेंटों और तोड़-फोड़ करने वाले को जेल से रिहा कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनकी रिहाई किस-किस तारीख को की गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जम्मू-काश्मीर के मुख्य मंत्री ने काश्मीर विधान सभा में कहा था कि रेशा तथा उनके साथी पाकिस्तानी एजेंट तथा तोड़-फोड़ करने वाले हैं और उनसे कई महत्वपूर्ण कागजात तथा शस्त्र-बारूद मिला था तथा उनके विरुद्ध भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 3125 और भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम की धारा 44(बी) के अधीन मुकदमें दायर किये गए थे ; और

(घ) यदि हां, तो इन तोड़-फोड़ करने वालों को अचानक ही रिहा करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (घ). जम्मू व काश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गुलाम मोहम्मद रेशों सहित कुछ कैदी कानून के अधीन अनुमेय अधिकतम निरोधावधि की समाप्ति पर जनवरी, 1970 में रिहा कर दिए गए थे ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार से सूचना अपेक्षित है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा महानगरों में कर्मी दल के होटल बिलों पर किया गया व्यय

3669. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले लेखा-वर्ष में इण्डियन एयर लाइन ने कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली तथा मद्रास के होटलों के बिलों पर कितना धन अपने कर्मी दलों पर व्यय किया ;

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइन कारपोरेशन ने हिसाब लगाया है कि अपने बोर्डिंग हाउस चलाने पर खर्च कम आएगा ;

(ग) यदि हां, तो इण्डियन एयरलाइन कारपोरेशन की इन नगरों में अपने कर्मी दलों के लिए बोर्डिंग हाउस चलाने में कितना लाभ अथवा हानि होगी ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'नहीं' हो तो क्या सरकार इस कारपोरेशन को इस बारे में जांच करने को कहेगी और उस अध्ययन के परिणामों को सभा पटल पर रखेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1968-69 के दौरान विभिन्न स्टेशनों पर इंडियन एयरलाइंस द्वारा कार्मिकों के लिए होटल-व्यय पर किया जाने वाला कुल खर्च 34 लाख रुपए था । स्टेशनवार पृथक-पृथक विवरण तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ख) से (घ). भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के साथ किए गए करार की शर्तों के अधीन, इंडियन एयरलाइंस को पांच-स्टार वाले होटलों में होटल आवास की व्यवस्था करनी होती है । यदि कारपोरेशन को पांच-स्टार वाले होटल के स्तर के अपने बोर्डिंग हाउस स्थापित करने पड़ें तो इनका पूंजीगत निवेश एवं परिचालन व्यय स्वयं में प्रतिषेधात्मक होगा । अतः इस सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली पुलिस अधिकारियों के मकानों की तलाशी

3670. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री कं० हाल्दर :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में दिल्ली पुलिस के अधीन कितने पुलिस अधिकारियों (सब-इंसपेक्टर और इससे ऊपर) के मकानों की तलाशी ली गई ;

(ख) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) तलाशी के बाद क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दो ।

(ख) 1. श्री ब्रह्म प्रकाश जैटले,
पुलिस उप अधीक्षक, दिल्ली ।

2. श्री शिव कुमार,
पुलिस उप निरीक्षक, दिल्ली ।

(ग) इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध मामलों की जांच की जा रही है ।

गृह-कार्य मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस बल की संख्या

3671. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह- कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 से 1969-70 तक, वर्षवार, केन्द्रीय गृह मंत्रालय के पुलिस तथा

सामान्य प्रशासन सहित पोलिटिकल विभाग के अन्तर्गत निदेशालय, ब्यूरो, विंग और विभागों के नाम क्या हैं ;

(ख) 1967-68 से 1969-70 तक गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस बल की प्रत्येक श्रेणी में पुलिस कर्मचारियों की संख्या वर्षवार कितनी-कितनी थी ;

(ग) 1967-68 से 1969-70 संघ गृह मन्त्रालय के अधीन पुलिस बल की प्रत्येक श्रेणी में रैंकों के अनुसार पुलिस अधिकारियों की संख्या वर्षवार कितनी-कितनी थी ;

(घ) 1967-68 से 1969-70 तक राज्यवार तथा वर्षवार प्रत्येक केन्द्रीय पुलिस बल के कितने-कितने पुलिस कर्मचारी रखे गये ;

(ङ) गत 10 वर्षों में किन-किन नये विशेष बलों का निर्माण किया गया ; और

(च) प्रत्येक मामले में नया पुलिस बनाने के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दो विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखे गये देखिये** संख्या एल० टी०-1949/70]

(ख) से (घ). इस प्रकार का कोई "पुलिस दल" गृह मन्त्रालय के अधीन नहीं है।

विशेष दल अर्थात् गृह मन्त्रालय के अधीन सीमा सुरक्षा दल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, आसाम राईफल्स "संघ के किसी अन्य सशस्त्र दल" की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं जैसा कि संविधान की सातवीं अनुसूचि की केन्द्र सूची (सूची-I) की प्रविष्टि 2 में दिया गया है।

गृह मन्त्रालय के अधीन के० ओ० सु० दल और सचिवालय सुरक्षा दल रक्षा-प्रेक्षा दल हैं न कि पुलिस बल ।

(ङ) (i) सीमा सुरक्षा दल

(ii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल

(च) चूंकि कोई पुलिस दल नहीं बनाया गया है अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

बड़े पत्तनों तथा परियोजनाओं का विकास

3672. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े पत्तनों का विकास करने की विभिन्न परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा अगले पांच वर्षों में कौन-कौन सी नई परियोजनायें आरम्भ की जायेगी ;

(ख) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

संसद् कार्य, विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजनाकाल में बड़े पत्तनों के विकास के लिए 280 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का एक निर्माण कार्यक्रम मंजूर किया गया है। इस कार्यक्रम में मौजूदा आठ बड़े

पत्तनों का विकास, मंगलौर और तूतीकोरिन पर दो नये बड़े पत्तनों का विकास और पत्तनों की निकर्षण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक केंद्रीय निकर्षण संगठन की स्थापना शामिल हैं। पत्तनवार। परियोजनावार नियतन, पीछे से बची हुई और नयी योजनायें, अनुमानित निवेश और संबद्ध विदेशी मुद्रा इत्यादि से संबंध ब्यौरा संलग्न विवरण (अनुबन्ध 1-14) में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2950/70]

पर्यटन के सम्बन्ध में समान नीति बनाने के लिए आयोग की नियुक्ति

3673. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष ने अनुरोध किया है कि एक आयोग नियुक्त किया जाये जिसे सारे देश में पर्यटन के सम्बन्ध में समान नीति बनाने की शक्ति प्राप्त हो ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष ने नवम्बर, 1969 में निगम की चौथी आम सभा में अपने भाषण के दौरान सारे देश में पर्यटन के आधारभूत उपादानों के विषय में समान नीति अपनाये जाने के बारे है एक विशेष आयोग की नियुक्ति की सिफारिश की थी।

(ख) इस सुझाव की जांच की जा रही है।

कालिका का हिमाचल प्रदेश में विलय

3674. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में कालका नगर के निवासियों ने कालका कालका नगर को हिमाचल प्रदेश में मिलाने की माँग की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कालका नगर को हिमाचल प्रदेश में मिलाने की मांग करते हुए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की वर्तमान अंतर्राज्य सीमाओं के पुनर्समायोजन के लिए दावों तथा प्रति-दावों की जांच करने के लिए उपयुक्त विचारार्थ विषय के साथ एक आयोग नियुक्त करने के अपने इरादे की सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है।

दिल्ली नगर निगम में सेवा निवृत्ति के नियम

3675. **श्री सी० के० चक्रपाणि** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री दिल्ली नगर निगम में सेवा-निवृत्ति के सम्बन्ध में 19 दिसम्बर, 1969 के अतासंकित प्रश्न संख्या 4565 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के दो कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा में रखा गया था, यद्यपि उन्हें वैतनिक अभ्यार्थियों अस्थाई के रूप में कमशः 18 अप्रैल, 1937 तथा 5 अक्तूबर, 1937 को अस्थाई रूप में नियुक्त किया गया था तथा उन्हें क्रमशः 20 जनवरी, 1939 तथा 5 सितम्बर, 1938 को स्थाई बनाया गया था, यदि हां, तो क्या ये मामले पूर्णतया एफ० आर० 56 (ग) के अन्तर्गत आते हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि एफ० आर 56(ग) की निगम की व्याख्या प्रत्येक व्यक्ति के मामले में अलग-अलग होती है ; यदि हाँ, तो क्या विधि मंत्रालय की अधिकृत व्याख्या प्राप्त की जाएगी और सभा सटल पर रखी जाएगी तकि 60 वर्ष की आयु तक सेवा में रखने के बारे में निगम की मर्जी के अनुसार निगम के कर्मचारियों के साथ भेदभाव न किया जा सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) दिल्ली नगर निगम द्वारा सूचना दी गई है कि दोनों कर्मचारियों को, जिनकी 18 अप्रैल, 1937 और 5 अक्तूबर, 1937 को नियुक्त हुई थी एक अस्थाई रूप में और दूसरा वैतनिक अभ्यर्थी के रूप में, 31 मार्च 1938 से पहले स्थाई कर दिया गया था क्योंकि अस्थाई वैतनिक अभ्यर्थी को भी 5 अक्तूबर, 1937 को स्थाई कर दिया गया था। अतः उनके मामले पूर्णतः एफ़० आर० 56(ग) के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) निगम ने यह भी सूचना दी है कि उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु तक सेवा में रखने के बारे में किसी कर्मचारी के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता गया है और यह कि एफ० आर० 56(ग) की उनकी व्याख्या जो कि मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा दी गई है सब पर समान रूप से लागू होती है।

Provision of Road Facilities in Tourist Resorts

3676. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the funds allocated by Government in the Fourth Five Year Plan for providing road facilities upto the tourist resorts ; and

(b) the programme likely to be implemented in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). Provision of food facilities is the responsibility of the State Governments The Department of Tourism has, however, made a provision of Rs 20 lakhs in the Fourth Plan for the development of essential tourists amenities on important road routes.

तकाफत उल हिन्द पत्रिका में छपे लेख आदि

3677. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृति सम्बन्ध परिषद द्वारा अरबी पत्रिका "तकाफत-उल-हिन्द" को प्रकाशित करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि यह पत्रिका भारत तथा अरब देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने में एक माध्यम के रूप में सफल नहीं रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस पत्रिका में आज के भारत के बारे में पर्याप्त सामग्री नहीं होती तथा इसके बदले भारत का प्राचीन इतिहास संबंधी सामग्री होती है जिसमें किसी वशिष्ट धर्म की भूमिका, भावना तथा गौरव का वर्णन होता है जिससे आज के धर्म के निर्पेक्ष भारत का प्रतिनिधित्व नहीं होता ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार प्राचीन भारत के स्थान पर आज के भारत का यथोचित चित्रण करने के लिए इस पत्रिका की विषय सूची में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) परिषद भारत तथा अरब देशों के मध्य परस्पर बेहतर समझ-बूझ पैदा करने के लिए आरम्भ से दी "तकाफत-उल-हिन्द" नामक इस त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करती आ रही है ।

(ख) जी, नहीं, बल्कि भारत और अरब देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों तथा बेहतर समझ-बूझ बढ़ाने के संदर्भ में यह पत्रिका अपने पाठकों द्वारा बड़ी पसन्द की गई तथा की जा रही है, अरब देशों के योग्य विद्वान इस पत्रिका में अपने लेख देते हैं तथा परिषद को अरब देशों के निमित स्थानों से प्रशंसा के पत्र प्राप्त होते हैं ।

(ग) जी नहीं, इस पत्रिका केवल प्राचीन भारत के बारे में ही नहीं बल्कि आज के धर्म-निर्पेक्ष तथा लोक तांत्रिक भारत के सम्बन्ध में भी लेख प्रकाशित होते हैं ।

(घ) इस पत्रिका के लेखों में और आगे सुधार करने के प्रश्न पर पहले से ही विचार किया जा रहा है ।

मेघालय के लिए पहाड़ी जिलों का विकल्प

3678. **श्री रवि राय** : **क्या गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिकिर पहाड़ी जिलों की परिषद ने निर्णय किया है कि वे मेघालय में शामिल नहीं होंगे ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन पहाड़ी जिलों ने मेघालय में मिलने के लिए अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). नार्थ कचार हिल्स जिला परिषद ने भी मेघालय के लिए विकल्प नहीं दिया है । अतः मेघालय में केवल वे क्षेत्र सम्मिलित होंगे जो आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधि-नियम, 1969 के खंड 3 के उप-खंड (1) में निर्दिष्ट हैं ।

'पी' फार्म की समाप्ति का पर्यटन पर प्रभाव

3679. **श्री रवि राय** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'पी' फार्म के समाप्त किये जाने से भारत से विदेशों को जाने वाले पर्यटकों तथा भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस कारण से होने वाले अतिरिक्त यातायात का अभी इतनी शीघ्र अनुमान लगाना कठिन है ।

Chowkidars Working at Aerodromes

3680. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total number of Chowkidars working in the various aerodromes in the country ;

(b) whether their duty hours are fixed ;

(c) if so, the details thereof ;

(d) whether it is a fact that the chowkidars working at Patna and certain other aerodromes are required to perform extra-hours of duty ;

(e) if so, the reasons therefor ; and

(f) the details in respect of other facilities provided to chowkidars ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) 1354, including 639 aerodrome attendants.

(b) and (c). For purposes of fixation of duty hours, the type of work allotted to chowkidars is classified in three categories, *viz.*, continuous duty, intermittent duty and casual duty. The hours of duty in these categories are as follows :

Continuous	—	54 hours per week with one day off in a week.
Intermittent	—	75 hours per week with one day off in a fortnight.
Casual	—	No duty hours fixed.

(d) and (e). No, Sir. When required to work over-time in special circumstances they are given over-time allowance.

(f) Chowkidars are entitled to the facilities provided to similar categories of staff under the Central Government such as compensatory allowance, house rent allowance etc.

कान्फीड्रेशन आफ ब्रिटिश इण्डष्ट्रीज द्वारा इन्जीनियरों को छात्रवृत्तियां

3681. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांफीड्रेशन आफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, लन्दन भारतीय इंजीनियरी

स्नातकों को से 12 महीने तक की अवधि के लिए 'सी' टाइप की छात्रवृत्तियां प्रदान करता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त छात्रवृत्तियां भारत में प्रतिवर्ष उनके मंत्रालय द्वारा दी जाती हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनका मंत्रालय उपरोक्त छात्रवृत्तियों के लिए भारत के सभी बड़े समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र निमंत्रित करता है ;

(घ) क्या 1968-69 की अवधि के लिए उम्मीदवारों की सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है और कान्फीड्रेशन आफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, लन्दन को भेज दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो पूर्वी खंड में परिचालन के लिए कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले उन समाचार पत्रों के नाम तथा उनकी तिथियां क्या हैं जिनमें उपरोक्त छात्र वृत्तियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) छात्रवृत्तियां शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के जरिये दी जाती हैं परन्तु ये प्रत्येक वर्ष उपलब्ध नहीं होती हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) विज्ञापन 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' में 6-12-1968 को प्रकाशित हुआ था । यह 21-12-68 के 'यूनियर स्टेट्मैन', साप्ताहिक में भी प्रकाशित हुआ था ।

विश्वविद्यालयों में पर्यटन का अध्ययन

3682. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों में, पर्यटन को एक अध्ययन के विशेष रूप में चालू करने में रूची दिखाई है ;

(ख) यदि हां, तो इन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अनौपचारिक रूप से मालूम करने पर मद्रास, मराठबाड़ा, बम्बई, आगरा, राजस्थान और नेहरू विश्वविद्यालयों ने इस विषय में रूचि दिखाई है ।

(ग) पर्यटन में शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की एक योजना पर विचार किया जा रहा है ।

Demand for Withdrawal of Circular on Learning of Hindi by Central Government Employees

3683. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a resolution was adopted in the Tiruchirapalli District Conference of the D.M.K. demanding the immediate withdrawal of the circular asking the Central Government employees to learn Hindi ; and

(b) if so, Government's reaction in the matter and the steps proposed to be taken in this respect ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have seen press reports to this effect

(b) Under the bilingual phaze introduced by the Official Languages Act 1963, it is necessary, for expeditions disposal of Government work, that every Central Government employees knows either Hindi or English well enough to be able to use that language for official work and would have working knowledge of the other language so as to obviate the dilatory and costly processes of translations. Government therefore do not consider any change in this policy necessary.

Visit by Tourists to National Parks

3684. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a negligible number of tourists visit the National Parks developed by Government for wild life ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to attract tourists towards the National Parks ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) In recognition of the importance of this matter, the Department of Tourism has set up a Cell for the development of wild life tourism and accommodation and transport National Parks and Sanctuaries in cooperation with the State Governments concerned.

Spying for Pakistan

3685. **Shri Om Parkash Tyagi :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item published in the Vir Arjun dated the 30th December, 1969 to the effect that a dancing girl of Delhi and a Pakistani national in the assumed name of Jagdish are carrying on spying activities for Pakistan ;

(b) whether it is also a fact that a sister of the said dancing girl suddenly left for Pakistan and that this girl is in collusion with several high officers of the Central Government ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yer, Sir.

(b) and (c) According to information available, one Abdul Hakim *alias* Jagdish was being prosecuted in 1964 for an offence under the Foreigners Act. In the cource of the trial, he was declared as absconding on 25th June 1965. It is suspected that he may have

escaped to Pakistan. It is also suspected that he was friendly with a woman, a dancing girl by profession, and she may also have gone away to Pakistan with him. Abdul Hakim was not suspected to have committed any offence under the Official Secrets Act. Government have no information about the alleged complicity of and Government servant in this matter.

Delay in the Publication of Monthly Magazine 'Yatri'

3686. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry publishes a monthly magazine named 'Yatri' ;

(b) if so, whether it is also a fact that this magazine is very often brought out as late as three months ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Some of the issues last year were regrettably delayed by as much as three months due to dislocation of work resulting from a change of editors. However, the magazine has now started appearing regularly.

Overseas Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students of Madhya Pradesh

3688. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have finally selected some students belonging to the Scheduled Castes aud Scheduled Tribes in Madhya Pradesh for Overseas scholarships for the year 1969-70 ;

(b) if so, the details thereof : and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir : no student from Madhya Pradesh could be selected.

(b) and (c). Selection of candidates is made on All-India basis and on considertions of merit alone. For the 1969-70 awards, out of 101 applications received, 70 candidates were found eligible and all of them were called for interview. Of them, 4 belonged to Madhya Pradesh, out of whom, at the final interview, only two attended ; however, neither of them was found upto the mark for selection.

Foreign Guests Visiting Madhya Pradesh

3689. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names and designations of those foreign guests who visited the places of tourist interest in Madhya Pradesh from August 1969 to December, 1969 ; and

(b) the expenditure incurred on them by Government ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). A statement giving the requisite information regarding foreigners who visited Madhya Pradesh as guests of the Department of Tourism, Government of India, is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—2951/70].

राज्यपालों के कर्त्तव्य

3690. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967 के आम चुनावों के पश्चात् राज्यपालों ने राज्य मन्त्री-मण्डलों को बनाने तथा समाप्त करने में भिन्न-भिन्न ढंग अपनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1967 के आम चुनावों से लेकर अब तक प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति के शासन के परिणाम स्वरूप अथवा अन्य कारणों से कितनी बार मन्त्री मण्डल बनाये गये हैं अथवा समाप्त किये गये हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों को संहिताबद्ध करने के बारे में विचार कर रही है ताकि एक सी परिस्थितियों में प्रत्येक राज्यपाल द्वारा उनको समान रूप से लागू किया जा सके ; और

(घ) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तो, राज्यपालों द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में विशेषकर राज्यों में दल बदल तथा प्रति दल बदल की स्थिति में समानता किस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). जब किसी आम चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो मुख्य मन्त्री की नियुक्ति करने में राज्यपाल को जिन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुकरण करना चाहिये उन्हें तैयार करने के प्रश्न की 1967 में जांच की गई थी और देश के कुछ प्रमुख विधि वेत्ताओं के विचार मालूम किये गये थे । इस मामले पर विपक्षी दलों के नेताओं के साथ फरवरी-मार्च, 1968 में हुई दो बैठकों में आगे चर्चा की गई । यह निष्कर्ष निकला कि कुछ मुद्दों पर सामान्य सहमति थी और भाग लेने वालों से यह पुष्टि करने का अनुरोध किया गया कि क्या राज्यपालों को तदननुसार सूचित कर दिया जाय । स्मरणपत्र दिये जाने पर भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए इसलिये इस मामले को आगे नहीं चलाया गया ।

तत्पश्चात्, प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी केन्द्र-राज्य सम्बन्ध विषयक अपने प्रतिवेदन में अपने स्वविवेकाधीन कार्यों का प्रयोग करने के लिए राज्यपालों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने की सिफारिश की थी । आयोग की सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

Conversion of Reserved Posts into Unreserved Posts

3693. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 931 on the 21st November, 1969 regarding the conversion of reserved posts into unreserved posts and state :

(a) the reasons for converting the reserved posts into unreserved posts ;

(b) whether these posts have now been filled up by the candidates for whom they had been reserved ; and

(c) if not, the reasons therefor and, if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c). A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2952/70].

Reservation Quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for Posts of Post-Graduate Teachers in Delhi Administration

3694. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1967 on the 28th November, 1969 regarding reservation quota of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the posts of Post-Graduate Teachers in Delhi Administration and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) No interviews for posts of Post-graduate Teachers were held in the Hindi Directorate, Delhi Administration. However, such interviews were held in the Directorate of Education, Delhi Administration. A statement giving detailed information is attached.

According to the information supplied by the Delhi Administration, since sufficient number of qualified candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not forthcoming, it has not been possible to fill up the posts of Post-Graduate Teachers reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. All the available candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, who were qualified, are being appointed to the posts of Post-Graduate Teachers.

(c) Does not arise.

Milk Powder Allegedly Disposed of by D.M.C. Employees

3695. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3679 on the 12th December, 1969 and state :

(a) whether the Central Bureau of Investigation has since completed its investigation in regard to the alleged sale of Milk powder by the Officers of the Delhi Municipal Corporation ; and

(b) if so, the details therefore and the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). The matter is still under investigation by the Central Bureau of Investigation.

प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष द्वारा त्रिपुरा प्रशासन के बारे में टिप्पणी

3696. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष ने त्रिपुरा प्रशासन में सुधार करने के संबंध में अपनी आगरतला यात्रा के दौरान वहां अत्यधिक व्यय वाले प्रशासन के बारे में बातचीत करते हुए यह टिप्पणी की थी कि प्रशासन की व्यवस्था ऐसी हो जैसे आप पोशाक के ऊपर अचकन पहनना ;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए इस बीच क्या कार्यवाही की गई है कि त्रिपुरा प्रशासन में अत्यधिक धन व्यय न हो ; और

(ग) त्रिपुरा में प्रशासन में सुधार लाने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा यदि कोई विशिष्ट सिफारिशें की गई हों तो वे क्या हैं ; और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अप्रैल, 1967 में त्रिपुरा के अपने दौरे में अध्यक्ष ने विचार-विमर्श के दौरान संकेत किया था कि यद्यपि त्रिपुरा का आधार किसी राज्य के एक जिले के बराबर है तथापि अपनी प्रशासविक स्थापना में यह एक राज्य के सदृश्य हैं अत: प्रशासनिक स्थापना को अधिक कार्य कुशल बनाने के लिए गुजांइश थी ।

(ख) और (ग). प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन 20 फरवरी, 969 को सदन के सभा पटल पर रख दिया गया था । संघ राज्य क्षेत्रों और नेफ़ा के बारे में उसकी सिफारिशों की परीक्षा की जा रही है ।

त्रिपुरा सरकार द्वारा छात्रवृत्ति का भुगतान करने में विलम्ब

3697. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 दिसम्बर, 1969 के 'त्रिपुरा टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार क्या उन विद्यार्थियों को जो कि त्रिपुरा सरकार द्वारा मंजूर की गई छात्रवृत्तियों पर मुख्य रूप से निर्भर हैं और त्रिपुरा के बाहर कलकत्ता जैसे स्थानों में अपनो पढाई कर रहे हैं उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और उनको अपनी पढ़ाई अधूरी ही छोड़ देने को मजबूर किया जा रहा है क्योंकि गत मई से उनको कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गई है और इन छात्रों में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति-धारी भी शामिल हैं ;

(ख) क्या विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भेजने में ऐसा असाधारण विलम्ब करना त्रिपुरा सरकार के लिये सामान्य बात हो गई है ; और यदि हां तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या विद्यार्थियों को इस बीच छात्रवृत्तियों का भुगतान कर दिया गया है : भविष्य में नियमित रूप से छात्रवृत्ति भेजने के लिये व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). त्रिपुरा प्रशासन से आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इन्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं में डकोटा विमान का पुन: प्रयोग

3698. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि कुछ समय पूर्व इन्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं से हटाये गये डकोटा विमानों को पूर्वी क्षेत्र में इन्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं में पुन: प्रयोग में लाया जा रहा है ; और इन सेवाओं से कुछ आधुनिक किस्म के विमानों को प्रयोग हेतु हटाया जा रहा हैं ;

(ख) यदि हां, तो डकोटा विमान को जो कि अब पुराने और अप्रचलित हो चुके हैं, किन सेवाओं में पुनः चालू किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र में अपर्याप्त संचार सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये विमान द्वारा यात्रा करता अब 'विलास का साधन' नहीं रह गया है बल्कि आवश्यक हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन सेवाओं में आधुनिक विमानों के स्थानों पर डकोटा विमान के प्रयोग के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). इन्डियन एयर-लाइन्स हमेशा से पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित सेवायें डकोटा विमान द्वारा परिचालित करती आ रही हैं :—

(1) कलकत्ता-अगरतला-खोवाई-कमालपुर-कैलाशहर ।

(2) कलकत्ता-बागडोगरा-कूच-बिहार ।

(3) कलकत्ता-जमशेदपुर-रूरकेला ।

(4) कलकत्ता-अगरतला-सिल्चर ।

परिचालन संबंधी कारणों से, कलकत्ता-गोहाटी-कलकत्ता की दूसरी सेवा अब वाइकाउंट के स्थान पर डकोटा से परिचालित की जा रही है । इन्डियन एयरलाइन्स के शीघ्र ही इस सेवा को वाइकाउंट अथवा एफ-27 विमानों द्वारा परिचालित करने की आशा है ।

अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन में सरकारी कर्मचारियों का निलम्बित किया जाना

3699. **श्री के० आर० गणेश** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन में गत दो वर्षों में कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है ;

(ख) उनमें से कितनों का बहाल किया गया है ;

(ग) और उन में से कितने लोग अभी भी निलम्बित हैं ; और

(घ) उनके विरूद्ध मामलों को निपटाने में इतना विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). गत दो वर्षों में अर्थात् 1968 और 1969 में अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के 75 कर्मचारी निलम्बित किये गये थे । इनमें से 44 कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है और 6 को सेवा में बर्खास्त कर दिया गया है । शेष 25 कर्मचारी अभी तक निलम्बित हैं । इनमें से 15 आपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त है जो न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हैं और शेष 10 व्यक्तियों के मामलों में विभागीय कार्यवाहियां प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के मुख्यायुक्त का यात्रीपोत "तरमुगली"

3700. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **गृहकार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मुख्यायुक्त के यात्रीपोत "तरमुगली" पर कितना धन खर्च किया गया ;

(ख) मुख्यायुक्त की यात्राओं के अतिरिक्त इस पोत का किन विशिष्ट कार्यों के लिये उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या मुख्यतः मुख्यायुक्त के लिये एक पोत की व्यवस्था करना न्यायसंगत था विशेषकर जब कि अन्तर-द्वीप संचार में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पोत के लिए निर्माता द्वारा मशीनों के आयात पर वास्तव में दिये गये सीमा शुल्क को मिलाकर पोत की कीमत 31,48,177 रुपये है। इस कीमत में परिवहन, बीमा तथा डिलिवरी खर्च शामिल नहीं है।

(ख) यह एक यात्री पोत है और मुख्यायुक्त के अतिरिक्त विशिष्ट आगन्तुकों तथा अन्दमान व निकोबार के अन्य अधिकारियों द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है।

(ग) अधिकारियों के लिए एक यात्री पोत उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाने के लिए आवश्यक था ताकि वे विभिन्न द्वीपों और उनके निवासियों से अधिक अच्छी तरह सम्पर्क बनाये रख सकें।

अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा जीपों का दुरुपयोग

3701. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन की सेवा में कितनी जीपें हैं ;

(ख) किन अधिकारियों को जीपें आवंटित की गई हैं ;

(ग) क्या प्रशासन में जिनको जीपों का आवंटन किया गया है उन श्रेणियों के अधिकारी सरकारी परिवहन लेने के अधिकारी हैं ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि जीपों का दुरुपयोग किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकारी परिवहन के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 68, श्रीमन्।

(ख) अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों/विभागों को आवंटित जीपों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी०-2954/70]

(ग) जब भी सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक समझा गया विभिन्न अधिकारियों/विभागों को दौरों के लिए जीपों का आवंटन किया गया।

(घ) और (ङ). लोक निर्माण संघ, कार निकोबार, ने अभी हाल ही में एक अभ्यावेदन पेश किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी आरोप लगाया गया था कि वहां के अधिकारियों द्वारा सरकारी जीपों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दिये थे। जांच अधिकारी ने पाया कि ये आरोप सत्य भी थे।

Declaration of Shivratri as Holiday

3702. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shivratri used to be declared as a Government holiday in the past ;

(b) if so, whether it is also a fact that Shivratri (Rishibodhotsava) is not included in the list of Government Holidays this year ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether Government would declare Rishibodhotsava as a Gazetted Holiday permanently ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (e). Following the recommendations of the Second Pay Commission, from the year 1960 the total number of closed holidays was reduced from 23 to 16. The actual festivals for which closed holidays were to be given were also determined. In this process some of the festivals, including Shivratri, for which closed holidays used to be given in the previous years had to be taken out from the list of closed holidays. These festivals were, however, included in the list of restricted holidays. An employees can avail of two restricted holidays in a year. If in any particular year any of the festivals included in the list of 16 closed holidays fell on a Sunday or Second Saturday, the practice was to consider Shivratri for being treated as a closed holiday in substitution. No such substitution was possible in the year 1970 with the result that Shivratri which fell on 6th March was included in the list of restricted holidays. As the total number of closed holidays cannot exceed 16, it is not possible to include Shivratri in the list of closed holidays permanently.

Demonstration by Haryana Teachers

3703. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 5,000 teachers of Haryana had held a demonstration on the 25th January, 1970 in front of the residence of the Prime Minister ; and

(b) if so, whether Government have issued any directives to the State Government in regard to their demands ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. It is for the State Government of Haryana to consider the demands of the school teachers.

Checking of Goondaism in Shivaji Marg (Najafgarh Road)

3704. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a delegation of leading citizens of West Delhi met the Inspector General of Police recently ;

(b) whether it is also a fact that the delegation invited the attention of the Inspector General to the increasing goondaism in Shivaji Marg (Najafgarh Road), Delhi ; and

(c) if so, steps taken by Government to check goondaism in that area ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Yes, Sir. A delegation from Subash Nagar/Rajouri Garden area led by Shri Vashist Kumar Pushkar, a Member of the Metropolitan Council, met the Inspector General of Police in the first week of January, 1970 and invited his attention mainly to incident of pick-pocketing on Najafgarh Road, particularly between Moti Nagar and the Subhash Nagar corner. There were no allegations of increasing goondaism in general.

(c) Besides existing beat patrolling and deployment of men on important bus stands etc. special arrangements were made on the Subhash Nagar corner and the stretch of road between Moti Nagar and Subash Nagar. A checking of scooters/taxis alleged to the linked with pick-pockets was also done. 14 pick-pockets were arrested red handed between November, 1969 and February, 1970 from the area of Shivaji Marg. Special patrolling in strength in the evening has also been arranged.

Pak. Nationals Living Illegally in India

3705. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made during the last three months in respect of expelling those Pakistani nationals from India who are living here illegally after the expiry of their passports ;

(b) whether it is a fact that some of them were found taking part in activities against India ; and

(c) the number of Pakistani nationals putting up in India at present with or without valid passports, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to the information received from the State Governments so far, 64 Pakistani nationals were deported during the months of November and December, 1969 and January, 1970. Information from some of the State Governments has not yet been received. It is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) A few Pakistani nationals have come to notice for undesirable activities. Suitable action under the law is taken against those found indulging in undesirable activities.

(c) As on the 31st October, 1969, the number of Pakistani nationals staying in India legally and illegally was 26,369 and 7,587 respectively. Of those staying illegally, about 3,000 belong to minority communities in Pakistan.

Talks Regarding Unanimous Decision on Chandigarh

3706. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether talks were held by him and the Prime Minister also with the representatives of both parties in connection with Chandigarh dispute ;

(b) if so, the difficulty in finding out an unanimous solution ; and

(c) whether Government are examing the problem of Chandigarh keeping in view that the discontentment does not take a serious turn ?

The Minisiter of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). As mentioned by the Home Minister in his statement in the House

on 18th November, 1969, in spite of repeated discussions with the two Chief Ministers and persons belonging to various shades of public opinion in the two States, no agreed solution to the Chandigarh dispute was forthcoming. It was also mentioned in the statement that Government would continue their efforts to find an agreed solution but in any case would take a decision and announce it before the budget session of Parliament. Accordingly, Government considered various alternatives for settling this matter and as no agreed solution was possible, they announced their decision on 29th January 1970. The question of further examining the problem of Chandigarh does not arise.

Relaxation of Restrictions on Government Employees Having Connections with Communist Parties

3707. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the restrictions imposed on the Government employees having connections with the Communist Parties have since been withdrawn ;

(b) whether it is also a fact that this has been done under some political pressure ; and

(c) whether the State Governments were also consulted in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Under Rule 5 of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, which are still in force, no Government servant shall be a member of, or be otherwise associated with, any political party or any organisation which takes part in politics nor shall he take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or activity.

(b) and (c). Does not arise.

श्री दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच करने के लिये जांच आयोग

3708. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये जांच आयोग के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस मामले में अब तक कोई उल्लेखनीय प्रगति न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस आयोग को नियुक्त किये जाने से पहले इसके निदेश-पदों के बारे में जनसंघ दल की सलाह ली थी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के सिलसिले में श्री दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु से सम्बन्धित तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में आयोग को लिखित बयान प्राप्त हुए हैं। गवाहों के मौखिक बयान अब दर्ज किये जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

उप-मन्त्रियों का दर्जा

3709. **श्री स० कुण्डू** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोटोकोल के मामलों में उप-मन्त्रियों का दर्जा मन्त्री-मण्डलीय सचिव तथा भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों के सचिवों से कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). भारत सरकार के प्रशासनिक गठन में मन्त्री-मण्डलीय सचिव की सरकारी स्तर पर प्रधान स्थिति होती है और उसके कार्यों तथा दायित्वों पर विचार करते हुए सरकारी तथा रसमी समारोहों के लिए उनका दर्जा भारत का दौरा करने वाले विदेशी राजदूतों के साथ तथा केन्द्रीय उप-मन्त्रियों से ऊपर रखा गया है । भारत सरकार के सचिवों का स्थान अग्रताक्रम की तालिका में उप-मन्त्रियों से नीचे है ।

बालासौर, उड़ीसा में केंद्रीय विद्यालय

3710. **श्री स० कुण्डू** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासौर, उड़ीसा में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) सरकार का विचार कब तक ऐसा विद्यालय चालू करने तथा उसके लिए इमारत बनाने का है ?

शिक्षा तथा युयक सेवा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). इस आशय का एक सुझाव प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

छात्रवृत्तियों पर पब्लिक स्कूलों में दाखिल बच्चों के अभिभावकों को देय भुगतान दरों में वृद्धि करना

3711. **श्री स० कुण्डू** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास निम्न आय वर्ग के अभिभावकों जिनके बच्चों को कुछ छात्र-वृत्तियों पर पब्लिक स्कूलों में दाखिल किया जाता है, के लिए अदायगी की दरों में पुनरीक्षण करने की कोई योजना है ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि ऐसे अभिभावकों के वेतन क्रम में मामूली वृद्धि होने से उनकी अदायगी में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, जो उन्हें पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को रखने के लिए करनी होती है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) योजना के अन्तर्गत वर्ष 1967 में आय वर्ग संशोसधन किये गये थे और इस स्तर पर आगे उनमें संशोधन करने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) योजना के नियमों को अन्तिम रूप देने से पहले सरकार ने सभी सम्भव तथ्यों पर विचार कर लिया था । प्रति वर्ष प्रत्येक छात्र के माता-पिता तथा अभिभावक से आय घोषणा-पत्र प्राप्त किया जाता है और तद्नुसार उसका वर्ग निश्चित किया जाता है । फिर भी, यदि वर्ष भर के दौरान आय वर्ग में परिवर्तन होता है, तो छात्र का वर्ग नहीं बदला जाता है, क्योंकि यह प्रशासनिक रूप से व्यावहारिक नहीं है । जब छात्र चुनाव के लिये आवेदन-पत्र देता है, तब अभि-भावक/संरक्षक को योजना की शर्तों की जानकारी भी होती है ।

बिहार में मण्डन मिश्र विश्वविद्यालय

3712. **श्री शिवचन्द्र झा : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार (एक प्राचीन विद्वान् के नाम पर जिसने शंकराचार्य के साथ शास्त्राथ किया था) बिहार के सहरसा जिले में माहीशी गांव में जोकि उनका जन्म-स्थान है, मण्डन मिश्र विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली से काश्मीर के लिए पर्यटक बस-सेवा की व्यवस्था

3713. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से काश्मीर और काश्मीर से दिल्ली के लिए पर्यटन बसों की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). यद्यपि दिल्ली और श्रीनगर के बीच कोई सीधी पर्यटक बस सेवा नहीं है, तथापि दिल्ली-श्रीनगर मार्ग पर दिल्ली-जम्मू तथा जम्मू-दिल्ली के लिए एक दैनिक बस सेवा परिचालित होती है । पर्यटकों के दल

दिल्ली से श्रीनगर के लिये ठेके पर भी बस प्राप्त कर सकते हैं जिनके लिए परमिट सुलभता से जारी किये जाते हैं।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है।

पर्यटन सम्बन्धी दक्षिण एशिया यात्रा आयोग की सिफारिश

3714. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस क्षेत्र (अफ़गानिस्तान, लंका, भारत, ईरान, मंगोलिया तथा पाकिस्तान) में पर्यटन का समन्वय करने के लिए एक सचिवालय स्थापित करने के बारे में दक्षिण एशिया यात्रा आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो दक्षिण एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में पर्यटन का विकास करने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा अब तक कितनी सफलता प्राप्त है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण एशिया यात्रा आयोग क्षेत्र के पर्यटन मन्त्रियों के एक सम्मेलन ने, जिसकी कि बैठक मार्च, 1969 में दिल्ली में हुई थी, सिफारिश की कि आयोग के एक स्थाई सचिवालय की नई दिल्ली में स्थापना की जाये। तद्विषयक संकल्प का मूल पाठ तथा होने वाले व्यय का प्राक्कलन संलग्न हैं। यह प्रस्ताव दक्षिण एशिया यात्रा आयोग के सदस्य देशों, अर्थात् अफगानिस्तान, लंका, भारत, ईरान, मंगोलिया, नेपाल तथा पाकिस्तान, द्वारा अनुसमर्थन करने के बाद ही लागू होगा। अब तक, केवल भारत व लंका ने इसका अनुसमर्थन किया है। इस आयोग का सदस्य होते हुए भी पाकिस्तान ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-2955/70]

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में गैर-सरकारी नौवहन समवायों के जहाजी बेड़े

3715. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गैर-सरकारी नौवहन समवायों के नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक समवाय के जहाजी बेड़े की शक्ति कितनी है ;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक समवाय को विदेशों से जहाज और मरम्मत आदि कार्य के लिए पुर्जे खरीदने के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा की मजूरी दी गई ; और

(घ) वर्ष 1967-68 से वर्षवार, प्रत्येक समवाय को जहाजी बेड़े की शक्ति और टन-भार क्षमता में कितनी वृद्धि की गई है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

भुवनेश्वर में तूफान की चेतावनी देने वाला राडार लगाना

3716. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री रवि राय :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की तटीय पट्टी पर तूफान की चेतावनी देने वाला राडार लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या बंगाल की खाड़ी के साथ-साथ उड़ीसा में बहुत लम्बा तट है जहां तूफान बहुत आते हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में तूफान की चेतावनी देने वाला राडर लगाने की प्रार्थना की है और वह इस उद्देश्य के लिये भूमि उपलब्ध करने को भी सहमत हो गई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव से सहमत हो गई है और यदि हाँ, तो भुवनेश्वर में राडार लगाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । जनवरी, 1970 में विशाखापत्तनम् में एक राडार संस्थपित कर दिया गया है, तथा कलकत्ता, भुवनेश्वर, मसूलीपतनम्, मद्रास, नागापट्टिनम्, गोआ और बम्बई में भी क्रमशः राडार लगाये जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां । पहले दो राडारों को, जो मेसर्ज भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा डिलीवर किये जायेंगे, मद्रास और कलकत्ता में लगाये जाने का प्रस्ताव है । विशाखापत्तनम् में पहले से लगाये गये राडार के साथ-साथ यह दो केन्द्र समस्त उड़ीसा तट सहित पूर्वी तट पर अधिकतम 'कवरेज' प्रदान करेंगे । कार्यक्रम के दूसरे चरण में, पूर्वी तट पर चक्रवात तूफानों के बारे में निकट-परास निगरानी प्रदान करने के लिये भुवनेश्वर, मसूलीपत्तनम् और नागापट्टिनम् में राडार संस्थापित किये जायेंगे ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

ओलम्पिक खेलों तथा एम्पायर खेलों में भारत के नाविकों द्वारा भाग लेना

3717. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कुछ विश्वविख्यात नाविक हैं जिन्होंने पूर्व के अव्यवसायी नौका विहार संघ की प्रतियोगिता में नाम कमाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें ओलम्पिक अथवा एम्पायर खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का भी कभी मौका दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) मालूम हुआ है कि कलकत्ता के लेक क्लब ने पूर्व के अव्यवसायी नाविक संघ द्वारा संचालित प्रतियोगिताओं को, जिसके भारत, बर्मा, श्रीलंका पाकिस्तान तथा हांगकांग सदस्य हैं लगातार दो वर्ष जीता है ।

(ख) और (ग). इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से, जो ओलम्पिक खेलों राष्ट्रीयमण्डली खेलों में भारतीय दल को भेजने की जिम्मेदार है, किसी भारतीय नाविक क्लब ने इन खेलों में भाग लेने के लिये पहले कभी निवेदन नहीं किया है ।

नौका विहार क्लब के सदस्यों को यात्रा सुविधाएं

3718. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **शिक्षा तथा युवक** सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्व का एक अव्यवसायी नौका विहार संघ दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की बारी-बारी से कलकत्ता, मद्रास कोलम्बो तथा रंगून में वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित करता है ;

(ख) क्या सरकार ने अन्य खेलों की तुलना में नौका विहार क्लब के सदस्यों की रियायती दरों पर यात्रा की सुविधाएं दी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरकार ने पूर्व के अव्यवसायी नौका विहार संघ को 1959-60 तथा 1964 में हुई वार्षिक नौका दौड़ में भाग लेने के लिए विशेष मामले के तौर पर रेल भाड़ों में रियायत दी । किन्तु 1967 में ऐसी रियायत नहीं दी गई क्योंकि अखिल भारतीय खेल परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त नौका विहार पर नियंत्रण रखने वाला कोई अखिल भारतीय निकाय नहीं था । रेल की रियायतें उन टीमों को दी जाती हैं जो अखिल भारतीय खेल परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा प्रायोजित की जाती हैं ।

भारतीय ओलम्पिक संघ से पता चला है कि अखिल भारतीय नौका विहार संघ स्थापित करने का प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

अर्जुन पुरस्कार देने के लिये मानदण्ड

3719. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्जुन पुरस्कार देने का मानदण्ड क्या है ;

(ख) किन-किन खेलों के लिये यह पुरस्कार दिया जाता है तथा किन-किन खेलों के लिये यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है ;

(ग) क्या यह पुरस्कार देने के लिए नौका दौड़ की मान्यता देने के बारे में विचार किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अर्जुन पुरस्कार की पात्रता के लिए एक खिलाड़ी का राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले लगातार तीन वर्षों का कार्य अच्छा तथा जिस वर्ष के लिये राष्ट्रीय खेल संघ ने पुरस्कार की सिफारिश की हो, उस वर्ष का कार्य सर्व-श्रेष्ठ होना चाहिये ।

(ख) अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित खेलों के लिये दिये जाते हैं :

एथलेटिक्स, बैडमिन्टन, बास्केट बाल, बिलियर्डस, बाक्सिगं, बाल बैडमिन्टन, ब्रिज, चैस, क्रिकेट, साइकिल पोलो, साइकिल चलाना, फुटबाल, गोल्फ, गलाइडिंग और फ्लाइंग, जिम्नास्टिक्स हाकी, जूडो, कबड्डी, खो-खो पर्वतारोहण, पोलो, निशानेबाजी, एक्वेंश रैकेट्स, तैराकी, टेबल-टेनिस, लान-टेनिस, बाली-बाल, भारोत्तोलन, कुश्ती और यार्टिंग ।

'इक्वेस्ट्रियन' के अतिरिक्त, जिसके नियंत्रण के लिए अखिल भारतीय खेल कूद निकाय विद्यमान है तथा सरकार से मान्यता प्राप्त है, कोई भी ऐसा खेल नहीं छोड़ा गया है । भारतीय 'इक्वेस्ट्रियन' संघ की स्थापना हाल ही में हुई है ।

(ग) और (घ). नौका दौड़ के क्षेत्र में किसी अखिल भारतीय निकाय न होने के कारण नौका दौड़ को उन खेलों की सूची में शामिल करना सम्भव नहीं हो सका है जिनके लिये अर्जुन पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं । भारतीय ओलिम्पिक संघ ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय नौका दौड़ संघ स्थापित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

इलाहाबाद में हुआ अखिल विश्व संस्कृत सम्मेलन

3720. **श्री हेमराज** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में इलाहाबाद में एक अखिल विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या संकल्प पारित किया गया था तथा संस्कृत के विकास के लिये क्या सिफारिश की गई थी ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन में से किसी सिफारिश को स्वीकार करने का है और यदि हां, तो उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). सरकार के पास उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, अखिल विश्व संस्कृत सम्मेलन इलाहाबाद में 7 से 9 फरवरी 1970 तक आयोजित किया गया था । अब तक सरकार को उक्त सम्मेलन से कोई विशिष्ट प्रस्ताव अथवा सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

मुख्य मार्गों तथा घनी आबादी वाले मार्गों पर इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के यातायात में वृद्धि

3721. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968-69 में मुख्य मार्गों तथा घनी आबादी वाले मार्गों पर इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के यातायात में 73.6 प्रतिशत तथा कहीं तो 80 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हो गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विमानों की मध्यमान उड़ानें बढ़ा कर 2017 घण्टे कर दी गई थीं और इस कारण इनकी उड़ानों में और अधिक वृद्धि करने की कोई गुंजाइश नहीं थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उड्डयन संबंधी स्वीकृत प्रथा के अनुसार जब यातायात 65 प्रतिशत से बढ़ जाता है, तो उड़ानों को बढ़ाने की कोई गुंजाइश न होने की व्यवस्था में विमान समवायों की अपनी क्षमता में वृद्धि करने की योजना बनानी चाहिये ;

(घ) क्या इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की क्षमता में समय पर वृद्धि करने के लिये कार्यवाही न करके सरकार ने उक्त प्रथा की अवहेलना की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इण्डियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन द्वारा अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिये समय पर कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1968-69 में क्रमशः कारवेलों और वाइकाउंटों द्वारा परिचालित मुख्य और घनी आबादी वाले मार्गों पर यातायात (लोड फैक्टर) बढ़ गया । निम्न तालिका में 1967-68 और 1968-69 में यात्री यातायात और समग्र भार वहन का विवरण दिखाया गया है :—

	यात्री यातायात		समग्र भार वहन	
	1967-68	1968-69	1967-68	1968-69
(i) मुख्य मार्ग (कारवेल)	67.9%	75%	69.5%	80.2%
(ii) घनी आबादी वाले मार्ग (वाइकाउंट)	61.3%	64%	61.3%	65.1%

(ख) जी, हां ।

(ग) सामान्यतः जब किसी एक खण्ड पर भार अनुपात 70% तक पहुँच जाता है तो परिचालक अपनी क्षमता में वृद्धि करने की योजना बनाते हैं क्योंकि मार्ग आवृत्तियां साधारणत. इस स्तर के पूर्व-निर्धारित भार अनुपात की दृष्टि में रखते हुए नियत की जाती हैं ।

(घ) और (ङ). जी, नहीं । इण्डियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े की अभिवृद्धि के लिये समय पर ही कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी । सरकार द्वारा इण्डियन एयर-लाइन्स के मुख्य मार्गो

तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रीय मार्गों पर क्षमता बढ़ाने के लिये 7 बोइन्ग-737 विमानों को खरीदने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

विश्वविद्यालय के प्रबंध में छात्रों द्वारा भाग लेना

3722. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रमण्डलीय अन्तर-विश्वविद्यालय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में छात्रों के भाग लेने की आवश्यकता पर जोर दिया था ;

(ख) उन्होंने यह भी कहा था कि "यदि हम उपरोक्त प्रश्न का कोई शैक्षिक उत्तर नहीं ढूँढ सके तो हम समय से पीछे रह जायेंगे और एक राजनीतिक स्थिति पैदा हो जायेगी ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या उनके वक्तव्य का आशय यह था कि यदि विश्वविद्यालयों ने उनका हल स्वीकार न किया, तो विश्वविद्यालयों को उसे स्वीकार करने के लिये बाध्य किया जायेगा ; और

(घ) क्या उन का मत यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन में सरकार का हस्तक्षेप इतना ही अवांछनीय है जितना छात्रों का असंतोष तथा एक बुराई को दूसरी बुराई से दूर नहीं किया जा सकता है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). मेरे भाषण का सबंधित उद्धरण नीचे दिया गया है :—

"अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार भर के विद्यार्थी अशांत हो गए हैं और विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध तथा प्रशासन के संचालन में अपने उचित योगदान और उनमें निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं। विद्यार्थियों के भाग लेने के मामलों में इससे कई जटिल समस्यायें उत्पन्न होती हैं कि उन्हें किस प्रकार और किस सीमा तक भाग लेने की इजाजत दी जाये तथा विद्यार्थियों के प्रतिनिधि कैसे चुने जायें। इनमें से कोई भी मांग देर तक टाली नहीं जा सकती क्योंकि इसमें अधिक जोखिम रहेगा तथा उन्हें स्वीकार करने से विश्वविद्यालय शासन में विद्यमान ढांचे में संशोधन की आवश्यकता होगी तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की सिद्धान्त पद्धत्ति में बुनियादी तबदीली करनी होगी।

(घ) मैं इस विचार से सहमत हूँ कि विश्वविद्यालय के प्रशासन में सरकारी हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है जहां तक कि सम्बन्धित विधान द्वारा इस विषय में सरकार पर दायित्व नहीं सौंपा गया हो।

एयर इंडिया द्वारा एक स्मारिका के लिये एक विज्ञापन देना

3723. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने जनवरी, 1970 के महीने में महाराष्ट्र के वित्त मन्त्री श्री

एस० के० वानखेडे की रजत जयन्ती के अवसर पर निकाली गई एक स्मारिका के लिये 2000 रुपये का एक पूरे पृष्ठ का विज्ञापन दिया था ;

(ख) क्या यह विज्ञापन ऐसे विज्ञापन देने के लिये निर्धारित किये गये नियमों के अनुकूल है ; यदि हां तो नियमों का संगत अंश क्या है ;

(ग) क्या एयर इण्डिया ने वानखेडे स्मारिका के मुद्रण आदेश के बारे में जांच की थी ; और

(घ) क्या एयर इण्डिया को पता है कि इस स्मारिका की आय से किन को लाभ होगा ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर-इन्डिया ने मार्च, 1970 में श्री एस० के० वानखेड़े की 55वीं वर्ष गांठ समारोह समिति द्वारा निकाली गई स्मारिका में 2000/- रुपये के मूल्य का एक पूरे पृष्ठ का विज्ञापन दिया ।

(ख) जी, हां । विज्ञापन एयर-इन्डिया को प्रचार से वाणिज्यिक लाभ की कसौटी के आधार पर जारी किये जाते हैं ।

(ग) जी नहीं, क्योंकि स्मारिका कोई नियमित प्रकाशन नहीं था ।

(घ) जी, नहीं ।

शिव सेना द्वारा एक धार्मिक स्थान पर हमला

3724. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें संसोपा, बम्बई से थाना जिले में मुमरा के निकट कोसा गांव में शिव सेना द्वारा एक धार्मिक स्थान पर हमला किये जाने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस घटना की कोई जांच की गई है ; और

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें अब तक इस सम्बन्ध में की गई किसी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) अभ्यावेदन में यह बताया गया था कि शिव सैनिकों ने बेरोक-टोक ट्रकों में इधर-उधर जाकर कोसा ग्राम के व्यक्तियों को डराया, आग लगाई और मुसलमानों पर आक्रमण किये किन्तु पुलिस ने पूर्व सूचना होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की ।

(ग) और (घ). राज्य सरकार से इस विषय पर सूचना भेजने के लिये निवेदन किया गया है ।

बंगालियों के विरुद्ध इश्तहार

3725. **श्री गणेश घोष** : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री भगवान दास : **श्री ज्योतिर्मय बसु** :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार पंथी, धनबाद के आयोजक ने कुछ समय पूर्व बंगालियों के विरुद्ध घृणा पैदा करने वाले इश्तहार जारी किये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या बिहार पन्थी का आयोजक नवम्बर, 1969 के अन्तिम सप्ताह में उनसे मिला था ; और

(घ) यदि हां, तो इस विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). बिहार सरकार ने सूचना दी है कि बिहार पन्थी के संयोजक श्री भगवत त्रिपाठी ने एक इश्तहार जारी किया है जिसमें उसने पश्चिम बंगाल के गैर-बंगालियों के विरुद्ध तथा कथित अत्याचारों का उल्लेख किया था। उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करना सम्भव नहीं पाया गया।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद की कार्यप्रणाली सुधारने के लिये सुझाव

3726. **श्री ई० के० नायनार** :
श्री नम्बियार :
श्री प० गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिषद के महा-निदेशक ने इन परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सुझाव दिये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सरकार समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी०एस०आई० आर०) के सभी कार्यों का पुनरीक्षण करना तथा उनके सुधार के साधन व उपाय सुझाना है। महानिदेशक को जैसे ही बुलाया जाएगा, वह समिति को अपने सुझाव पेश कर देंगे।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी लाल फीताशाही के बारे में डा० सी० वी० रमन द्वारा आलोचना

3727. **श्री यशपाल सिंह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विज्ञान तथा टेक्नोलाजी के विकास के सम्बन्ध में डा० सी० वी० रमन द्वारा सरकारी लाल फीताशाही के बारे में की गई आलोचना की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). सरकार ने डा० सी० वी० रमन द्वारा दिल्ली में दिए गए प्रेस इन्टरव्यू को देखा है। व्यक्त किए गए विचार सम्भवतः उनके व्यक्तिगत विचार थे लेकिन उन पर ध्यान दिया जाएगा।

एम० बी० "इण्डियन ट्रम्फ" नामक जहाज के कर्मचारियों द्वारा रूस में शिपिंग मास्टर द्वारा अपमानजनक व्यवहार के सम्बंध में अभ्यावेदन

3728. **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री पी० गोपालन :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूस में शिपिंग मास्टर द्वारा किये गये अपमानजनक व्यवहार के बारे में एम० बी० 'इंडियन ट्रम्फ' नामक जहाज के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन मिला है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय लिया है, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी, हां। एम० वी० 'इंडियन ट्राइम्फ' नामक जहाज के कर्मिकों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) जहाज के एक रूसी पत्तन पर पहुँचने पर अधिकारियों और कर्मिकों में इस बात पर लड़ाई हुई कि कर्मिक होटल में खाने की उसी मेज पर क्यों बैठे जिस में अधिकारी बैठे थे।

(ग) और (घ). शिपिंग मास्टर, बम्बई, द्वारा की गई जांच में कर्मिक अनुशासनहीनता तथा दुर्व्यवहार के लिए दोषी ठहराये गये।

Naxalities in Rajasthan Getting Arms from Pakistan

3729. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement made by the then Home Minister of Rajasthan that the Naxalities active in Rajasthan are getting weapons from Pakistan ;

(b) if so, Government's reaction thereto ;

(c) whether among weapons seized from Naxalites, certain weapons supplied by Russia to Pakistan have also been found : and

(d) if so, whether the attention of the Russian Government has been drawn towards this fact ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Government have seen the report that appeared in the 'Hindu' of February 8, 1970, regarding the activities of extremists in Ganga Nagar District of Rajasthan. The position was explained in a statement issued by the Home Minister of Rajasthan on

February 25, 1970. He had clarified that "there is no evidence of any large scale collobora-tion of anti national elements in Ganga Nagar district" with forces in Pakistan.

(c) Facts are being ascertained from the State Government.

(d) Does not arise at this stage.

तलकर्षकों की विलम्बित सप्लाई के लिए एक फर्म से निर्धारित हर्जाने की वसूली

3730. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक फर्म से तलकर्षकों की विलम्बित सप्लाई के लिए परिसमर्पित हर्जाने के रूप में 139.89 लाख रुपये का दावा किया है ;

(ख) यदि, हाँ तो इस फर्म का नाम क्या है ;

(ग) क्या यह राशि वसूल कर ली गई है, और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). मैसर्स इलीकोट मशीन कारपोरेशन, वाल्टीमोर, यू० एस० ए० को दिये गये आदेश के निकर्षकों की सुपुर्दगी में विलम्ब के लिए 139.89 लाख रुपये के लिए दावा उनके विरुद्ध दिया गया । इसके अलावा दो निकर्षकों के लिये फर्म को दिए जाने वाली 33,24,659 रु० की रकम की अदायगी सरकार द्वारा रोक दी गई ।

मामला मध्यस्थता के लिये भेजा गया मध्यस्थ ने अक्तूबर 1969 में अभिनिर्णय दिया पंचाट के अनुसार फर्म भारत सरकार को 4,25,390 डालर देगा और सरकार फर्म को 15,11,180 रुपये देगी ।

Cultural, Educational and other Delegations Sent Abroad

3131. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state the following details in respect of various cultural, educational and other delegations sent abroad with the approval or consent of his Ministry during the periods from 1st April, 1967 to 31st March, 1968, 1st April, 1968 to 31st March, 1969 and 1st April, 1969 to 28th February, 1970, separately ;

(i) the total number of members of each delegation, the names of the leader and Members of Parliament included therein as also the criteria of their selection ;

(ii) the names of the countries, cities, places and institutions which they visited and the time for which they stayed there ;

(iii) the total expenditure incurred on this account ; and

(iv) the purpose of the visit and whether the leader and other Members submitted reports of achievements in this respect ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (i) to (iv). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Realisation of Bridge-Tax for Crossing Over Certain Bridges

3732. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are certain bridges in respect of which bridge-tax is realised from pedestrians, owners of cattle, horses and elephants, and various types of vehicles such as bicycles, tumtums, tongas, bullock-carts, motor-cars, buses and trucks for crossing over those bridges while in respect of certain other bridges, no such tax is realized ;

(b) if so, the details of both types of bridges as also the basis of this dual policy ; and

(c) the extent of share of the Central Government and the concerned State Governments in the said tax ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) to (c). The Central Government are responsible for National Highways only and it is their policy not to levy any bridge tax on bridges falling on National Highways.

संसद् सदस्यों के बच्चों के लिए साउथ एवेन्यू नई दिल्ली में नर्सरी किस्म का प्राथमिक स्कूल

3733. **श्री बै० ना० कुरील :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ एवेन्यू नई दिल्ली में रहने वाले संसद् सदस्यों ने मांग की है कि उनके छोटे बच्चों के लिए वहां एक नर्सरी किस्म की प्राथमिक पाठशाला खोली जानी चाहिए ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने सलाहकार समिति को आश्वासन दिया है कि सरकार आवास आदि की व्यवस्था करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां, नई दिल्ली नगर पालिका को ऐसी माँग प्राप्त हुई है।

(ख) जी नहीं, इस मन्त्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति की हाल ही की बैठकों में यह प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं उठाया गया था।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने बताया है कि संसद् सदस्यों के बच्चों को तालकटोरा पार्क और कीलिंग लेन, नई दिल्ली के एन० पी० प्राथमिक स्कूलों में दाखिला मिल सकता है जिनके साथ नर्सरी यूनिट सम्बद्ध है और जो संसद सदस्यों के क्वाटरों से ज्यादा दूर नहीं है।

Propagation of Principles of Socialistic Pattern of Society in Educational Institutions

3734. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have ever felt the need of incorporating the principles of the socialistic pattern of society, which is the declared goal of Government and is also in the interest of the masses, in the text-books and propagating these principles in the educational

institutions and amongst the teachers so that the young generation is made conscious of this new approach and make some contribution towards reaching this goal :

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the details of the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K R. V. Rao) : (a) to (c). The Government's appreciation of the problem is contained in paragraph 3 of the Government Resolution on National Policy of Education which states. "The Government of India is convinced that a radical reconstruction of education on the broad lines recommended by the Education Commission is essential for economic and cultural development of the country, for national integration and for realising the ideal of a socialistic pattern of society. This will involve a transformation of the system to relate it more closely to the life of the people ; a continuous effort to expand educational opportunity ; a sustained and intensive effort to raise the quality of education at all stages ; an emphasis on the development of science and technology ; and the cultivation of moral and social values."

The various programmes required to bring about this radical reconstruction of education have been indicated in the Government Resolution on the National Policy on Education. This has been accepted as the basis of the Fourth Five Year Plan and, to the extent resources are available, the Central and State Governments are trying to implement them.

Air Service from Patahi and Motihari Aerodromes in Bihar

3735. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the reasons for which regular air services have not been introduced from Patahi aerodrome in Muzaffarpur District and from Motihari aerodrome in Champaran District in Bihar consequently these aerodromes are lying unutilised ;

(b) whether a daily air service is expected to be operated from Patna to Mazaffarpur in the near future ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c). The air-field at Muzaffarpur is fit for Dakota operations only and Indian Airlines are gradually phasing out these aircraft from their fleet. The Corporation have, therefore, no plans to air-link Muzaffarpur. Motihari has a fair-weather strip only and is not considered suitable for regular operations.

Effective from the 16th February, 1970, a private operator has started operating a service on the route Calcutta-Bhagalpur-Patna-Muzaffarpur-Raxaul and back purely on a non-scheduled basis.

दक्षिण भारत के हिन्दी माध्यम वाले कालिजों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना

3736. **श्री यशपाल सिंह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के हिन्दी माध्यम वाले कालिजों को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के प्रस्ताव का परित्याग किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन कालिजों को बचाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम 1966 के उपबन्धों में निर्दिष्ट है कि दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र से बाहर स्थापित कोई संस्था अथवा निकाय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करना चाहता है, तो विश्वविद्यालय का अधिकार तथा कार्यक्षेत्र ऐसी संस्था अथवा निकाय के लिए, इस शर्त पर बढ़ा दिया जाएगा :—

(i) उस राज्य में जिसमें संस्था है, उसके कानून के अन्तर्गत हो, और

(ii) जिस विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में वह संस्था तथा निकाय स्थित है, उस पर विश्वविद्यालय के नियम तथा अधिनियमों के अन्तर्गत हो ।

2. इस मामले में दक्षिण भारत के तथा देश के अन्य भाग में विश्वविद्यालय अधिनियमों के उपबन्धों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी निर्दिष्ट है कि उन विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्र के अन्दर स्थित कोई शैक्षिक संस्था, राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति लिए बिना संबंधित राज्य के कार्यक्षेत्राधिकार से बाहर स्थित किसी अन्य विश्वविद्यालय से मान्य प्राप्त नहीं करेगी । इसके अतिरिक्त, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह राज्य सरकारों तथा संबंधित अन्य विश्वविद्यालयों के साथ, उनके क्षेत्राधिकार में स्थित संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए विचार तथा पत्र व्यवहार करें ।

इसीलिए उन राज्यों के विश्वविद्यालयों को समझाने-बुझाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं जिनके क्षेत्राधिकार में ये हिन्दी माध्यम वाले कालेज स्थित हैं ।

दिल्ली के एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की बदली

3737. **श्रीमती सुचेता कृपलानी :**
श्री राजशेखरन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (इस समय उप-सचिव) को वर्ष 1969 में भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि इस अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). यह प्रश्न कदाचित दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा के एक अधिकारी के बारे में है जो कि जून 1963 से जून 1969 तक दिल्ली में एक अतिरिक्त जिलाधीश के पद पर कार्य कर रहे थे जब तक उन्हें दिल्ली प्रशासन में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया

था। उनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई या की जा रही है। क्योंकि वह दिल्ली में लम्बे समय से कार्य कर रहे थे उनको अन्दमान में स्थानान्तारित करने के आदेश दिये गये थे। करुणा मूलक आधार पर उनका स्थानान्तरण 16-5-1970 तक के लिए रोक दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश के लिए कर्मचारियों का नियतन

3738. **श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार समिति के प्रतिवेदन पर सचिवालय प्रशासन के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार को कितने सचिवालय लिपिक दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन में से कितने लिपिकों ने अपना नियतन पंजाब तथा हरियाणा के लिए मांगा है और उनमें से कितने व्यक्ति उन राज्यों को वापस गये हैं :

(ग) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के लिए नियत इन लिपिकों को यदि कोई संरक्षण दिया गया है, तो क्या ; और

(घ) क्या यह सच है कि उनकी वेतन वृद्धियां 5 तथा 5 रुपये से घटाकर क्रमशः 3 तथा 4 रुपये की जा रही है ?

(क) और (ख). हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचना की है कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय को अस्थायी तौर पर आवटित किये गये 73 लिपिकों में से 9 लिपिकों ने पुनः पंजाब हरियाणा में नियुक्ति की इच्छा की थी। 4 लिपिकों को पंजाब में तथा 5 लिपिकों को हरियाणा में पुनः आवंटित किया गया है।

(ग) हिमाचल प्रदेश को आवंटित लिपिकों को अपने पूर्ववर्ती वेतनमान बनाये रखने की छूट दी गई है।

(घ) आवंटित लिपिक जो 60-4-80/5-120/5-175 रुपये के वेतनमान में थे, उनको अन्तिम रूप से हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कनिष्ठ लिपिकों के समान ही वेतन-मान दे दिया गया है जो कि 110-3-131-4-155-4-175-5-180 रुपये के केन्द्रीय वेतन मानों में कार्य कर रहे हैं क्योंकि आवंटित लिपिकों को अपने पहले वेतन मान बनाए रखने की छूट दी गई है। अतः उनकी वेतन वृद्धि में कमी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के कनिष्ठ लिपिकों का केन्दीय वेतनमान आवंटित लिपिकों के वेतन मान से कहीं अधिक है।

गोआ में न्यायिक आयुक्त की अदालत में मामलों का निपटारा

3739. **श्री शिंकरे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोआ में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में एक न्यायाधीश के रिक्त पद के न भरे जाने के कारण सैकड़ों मामलों को निपटाने में बहुत विलम्ब हो रहा है क्योंकि वहां के वर्तमान दो न्यायाधीशों के लिए इतना काम निपटाना बहुत कठिन हो रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि पुराने मामलों पर दायर सभी अपीलों

के मामले में मुक्ति पूर्व कानून प्रक्रियाओं का अनुसरण करना पड़ता है जिस कारण इन मामलों के निपटाने में भारी कठिनाई हो रही है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि पुर्तगाली भाषा न जानने वाले न्यायाधीशों के लाभ के लिये मामला सामग्री—'प्रोससो'—का अंग्रेजी अनुवाद अत्यावश्यक है ; और

(घ) क्या इस बात को दृष्टि में रखते हुए, सरकार का विचार न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में रिक्त स्थान को भरने और यदि आवश्यकता पड़े, तो इस वर्ग में मामले निपटाने के लिये पुर्तगाली जानने वाले कुछ न्यायाधीशों को अस्थायी रूप से मनोनीत करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गोवा में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में कोई रिक्ति नहीं है । स्वीकृत बल में एक न्यायिक आयुक्त और एक अतिरिक्त न्यायिक आयु त के पद हैं और दोनों ही पद भरे हुये हैं । बकाया मामलों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि दूसरे अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्त को न्यायोचित ठहराया जा सके ।

(ख) न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में आठ अनुवादक हैं । अतः उन अपीलों को निपटाने में किसी कठिनाई का अनुभव नहीं किया जाता जिसमें पुर्तगाली कानून निहित हो ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) चूंकि आठ अनुवादक हैं, अतः बकाया मामलों को निपटाने के लिए पुर्तगाली भाषा जानने वाले न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई औचित्य नहीं है ।

केन्द्रीय पुस्तकालय, गोआ में रखी पुस्तकों तथा दस्तावेजों को सुरक्षित रखना

3740. **श्री शिंकरे** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि गोआ के केन्द्रीय पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व के कई मूल्यवान ग्रंथ तथा दस्तावेज हैं जिसमें उन धर्म प्रचारकों की पाण्डुलिपियाँ शामिल हैं जिन्होंने इस उपमहाद्वीप में काम किया,

(ख) क्या इन पुस्तकों तथा सामग्री का ऐतिहासिक महत्व मालूम करने के लिए सरकार ने उनका अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन पुस्तकों तथा सामग्री को समुचित रूप से सुरक्षित रखने तथा हितबद्ध पक्षों के लाभ से लिए उसमें से कुछ सामग्री प्रकाशित करने के लिये ठोस कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) पुस्तकों तथा प्रलेखों को पुस्तकालय में संरक्षण देने के लिए कदम उठाये गये हैं, किन्तु उनमें से कुछ प्रकाशित हो चुके हैं । फिर भी, डा० गोम्स द्वारा रचित एक दुर्लभ पुस्तक "दि ब्राह्मणज", जो अप्राप्य है और गोआ के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए जिसका साहित्यिक मूल्य बहुत है, उसे फिर से प्रकाशि . किया जा रहा है ।

राज्यों की राजधानियों को बस सेवा से दिल्ली के साथ जोड़ने का प्रस्ताव

3741. **श्री शिंकरे** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे का सभी राज्य-राजधानियों को रेल से नई दिल्ली के साथ मिलाने की योजना है ;

(ख) क्या सरकार इस पद्धति का अनुसरण करने तथा सभी राज्यों की राजधानियों से भारत की राजधानी तक बस की व्यवस्था करने की कोई योजना बनाने का विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू हो जायेगी ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी योजना बनाने तथा उसे किसी परिवहन निगम के जरिये निष्पादित करने का है ; और

(ङ) यदि उक्त भाग (घ) का भाग नकारात्मक है तो क्या सरकार उन गैर-सरकारी परिवहन कम्पनियों को जो ऐसी योजना को क्रियान्वित करने के लिये आगे आने के इच्छुक हैं, वित्तीय सहायता देने तथा उनके लिये अन्तरराज्य यातायात लाइसेंस प्राप्त करने में मदद देने के लिये सहमत होगी ?

संसद्कार्य विभाग और **नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय** में **उप मन्त्री** (**श्री इकबाल सिंह**) : (क) शिलोंग, श्रीनगर और कोहिमा के सिवाय सभी राज्यों की राजधानियां नई दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। यह रेल मंत्रालय की नीति है कि राज्यों की राजधानियों और नई दिल्ली के बीच जहां कहीं भी संभव हो सीधी गाड़ियां या कम से कम सीधे डिब्बे होने चाहिए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल में लूट और आगजनी की घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों के अभ्यावेदन

3742. **श्री दे० अमात** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में 20 और 21 अक्तूबर, 1969 को हुई लूट और आगजनी की घटनाओं से पीड़ित मारवाड़ियों और अन्य व्यक्तियों से संसद सदस्यों के माध्यम से तथा अन्य तरीकों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार से इन पीड़ितों को राहत देने और अपराधियों को दंड देने का आग्रह किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वे केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप का अनुरोध करने से पूर्व स्थानीय स्तर पर अपनी शिकायतों को दूर करवाने में असफल रहे थे ; और

(घ) पश्चिमी बंगाल में मारवाड़ियों तथा अन्य व्यक्तियों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा और पीड़ितों को राहत देने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अभ्यावेदनों में घटनाओं के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करने और घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था ।

(ग) और (घ). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार विशिष्ट घटनाओं के सम्बन्ध में मामले दर्ज किये गये हैं और जांच-पड़ताल की जा रही है । मामलों की जांच-पड़ताल में हुई प्रगति और राज्य के प्राधिकारियों द्वारा किये गये राहत उपायों के बारे में मालूम किया जा रहा है ।

विशेष रुचि वाले स्थानों को जोड़ने वाली विमान सेवा चालू करना

3743. **श्री दे० अमात** :

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि विदेशी पर्यटक कोनार पुरी वाराणसी, खजुराहो, आगरा तथा दिल्ली, जो सभी उनके लिए विशेष रुचि के स्थान हैं, सुविधा पूर्वक जा सकें, सरकार का विचार इन सभी पर्यटक केन्द्रों से होकर निकलने वाली विमान सेवा चालू करने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या ऐसी विमान सेवा के लिए पर्यटकों की वास्तविक मांग का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). इंडियन एयर-लाइन्स दिल्ली, आगरा, खजुराहो तथा वाराणसी को मिलाने वाली एक दैनिक सेवा दोनों दिशाओं में पहले ही परिचालित कर रही है । इंडियन एयरलाइंस द्वारा और भी विमान सेवायें परिचालित की जाती है जो वाराणसी को कलकत्ता से मिलाती है और कलकत्ता को भुवनेश्वर से, जो कि कोणार्क और पुरी के लिये हवाई अड्डा है, मिलाती है । इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा अपने विमान बेड़े में वृद्धि करने के बाद इन सेवाओं का और आगे विकास करने की सम्भावना है ।

भुवनेश्वर को पटना/काठमांडू के साथ मिलाने वाली विमान सेवा

3744. **श्री दे० अमात** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार केन्द्रीय सरकार पर इस बात के लिये बार-बार जोर दे रही है कि भुवनेश्वर को पटना/काठमांडू विमान-उड़ानों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है ताकि ये

उडाने बाहर जाते समय भुवनेश्वर से शुरू हों और भारत आते समय वहां इनका अन्त हों क्योंकि इससे पर्यटक कलकत्ता गये बिना उड़ीसा क्षेत्र में जा सकेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या निर्णय है ; और

(ग) इस प्रस्ताव से अब तक सहमत न होने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडिया एयरलाइन्स ने सूचित किया है कि भुवनेश्वर को पटना और काठमांडू से जोड़ने के लिए एक प्रार्थना की थी ।

(ख) और (ग). अपने विमान बेड़े कि तंग स्थिति के कारण कारपोरेशन के लिए फिलहाल ऐसी सेवा का प्रबन्ध करना सम्भव नहीं है ।

भारत और पोलैंड के बीच नौवहन के विकास के बारे में बातचीत

3745. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री न० कु० सांधी :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पोलैंड के बीच नौवहन के विकास के मामले में और अधिक सहयोग की गुंजाइश का पता लगाने के लिए दोनों देशों में हाल ही में बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किये गये ?

संसद्कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां । इण्डो-पोलिश जहाजी सेवा, जिसने दस वर्ष पूर्व नौचालन शुरू किया था, की द्विपक्षीय बैठकों में आवधिक पुनरीक्षण किया जाता है और नवीनतम पुनरीक्षण नई दिल्ली में 23 फरवरी 1970 से 27 फरवरी 1970 तक किया गया ।

(ख) इस बैठक में निम्न प्रवर्तन निष्कर्ष लिये गये हैं :—

(1) सामान्य माल को तथा तेल की खली, उर्वरक इत्यादि जैसे न्यून भाड़े वाले माल को किस्म के आधार पर आवंटित करने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे ताकि व्यापार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का दोनों पक्ष पूरा कर सके और राजस्व को आपस में समान रूप से विभाजित कर सके ।

(2) उपरोक्त आधार पर माल का आवंटन पूर्व और पश्चिम दोनों ही ओर जाने वाले माल का किया जायेगा ।

(3) तेल-खली का भारत में पोलैंड ले जाने के लिए कुल टनभार के 50 प्रतिशत भाग के लिए प्रत्येक पक्ष अपने जहाजी अथवा भाटकिन जहाजों की पर्याप्त व्यवस्था करेगा ।

(4) दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि पोलिश और भारतीय लाइनों के बीच संक्रमण माल के विभाजन की वर्तमान स्थिति में सुधार की आवश्यकता है और

दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति हुई कि जहाजी-कम्पनियों के स्तर पर हंगरी और चैकोस्लावेकिया की एजेंसियों के साथ संयुक्त विचार विमर्श इस दृष्टि से किया जाना चाहिए कि वे इण्डो-पोलिश जहाजी सेवा के माध्यम से जहाज द्वारा जाने वाले अपने माल को समान रूप से विभाजन के लिए सहमत हो जाय।

(5) यह भी सहमति हुई कि इस प्रबंध के सम्पूर्ण कार्यकरण का आवधिक पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए भविष्य में तीन वर्ष में एक बार सरकारी स्तर पर बैठकें बुलायी जा सकती हैं।

इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली द्वारा सांस्कृतिक तथा रिहायशी सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था

3746. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया इन्टरनेशनल सेन्टर का निर्माण सरकार के अनुमोन से किया गया था तथा इसका उद्देश्य पर्यटकों तथा भारतीय लोगों को सांस्कृतिक तथा रिहायशी सुविधायें देने का था ;

(ख) क्या इंडिया इन्टरनेशनल सेन्टर के भोजन के मूल्य तथा आवास-शुल्क में अकस्मात वृद्धि कर दी है ;

(ग) यदि हां, तो इस वृद्धि का कारण और स्वरूप क्या है ; और

(घ) क्या लाभ न कमाने वाली संस्था को सरकार द्वारा दी गई विशेष रियायत की दृष्टि में रखते हुए सरकार इस मामले को इंडिया इन्टरनेशनल में उठाने का विचार कर रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). इंडिया इन्टरनेशनल सैंटर 1860 के सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट XXi के अधीन पंजीकृत एक प्राइवेट संस्था है और यह अपने पूंजीगत व्यय अथवा संधारण के लिए पर्यटन विभाग से कोई अनुदान प्राप्त नहीं करता।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोंकण नौका सेवा का राष्ट्रीयकरण

3747. **श्री हेम बरुआ** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण नौका सेवा का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई परामर्श किया था ; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीयकरण के इस मामले को सरकार कितना महत्व देती है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकाश स्तम्भ वेनगुरल्ली(महाराष्ट्र) के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता न दिया जाना

3748. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रकाश स्तम्भ वेनगुरला (महाराष्ट्र) के कर्मचारियों को समयोपरि कार्य करने के उपरांत भी समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता, और रविवार को तथा छुट्टियों में काम करने के लिए प्रतिकर भत्ता नहीं दिया जाता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रकाश स्तम्भ के मुख्य कीपर नियमित पदोन्नति तथा प्रकाश स्तम्भ के परिचारकों को वरीय वेतनमान नहीं दिये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं । भारत में दीपघारों में नियोजित कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता है क्योंकि उनका कार्य ऐसा है कि उन्हें 24 घंटों के लिए अपनी जगह पर रहना पड़ता है और इस प्रयोजन से उन्हें किराया मुक्त घर दिया जाता है जिसमें परिसर में जल पूर्ति भी शामिल है ।

(ख) और (ग). मौजूदा भर्ती नियमों के अधीन मुख्य दीप पाल (वरिष्ट मान) का संवर्गसहायक इन्जीनियर (विद्युत) और सहायक इन्जीनियर (रेडियो) के पदों पर प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों के उद्गम के तौर पर शामिल है । प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों का 30 प्रतिशत कोटा मुख्य दीप पाल (वरिष्ट मान) जो शैक्षणिक अर्हत है के सवर्ग के लिए सुरक्षित हैं । सहायक इन्जीनियर (विद्युत) की श्रेणी में अभी तक भरा गया कोई भी मुख्य दीप पाल (वरिष्ट-मान) से भरे जाने वाले कोटे को नहीं दिया गया है । सहायक इन्जिनियर (रेडियो) के पद पर प्रोन्नति के लिए कोई भी मुख्य दीप पाल शैक्षणिक अर्हत नहीं है । बम्बई दीपघर जिला में दीपघर अटेंडेन्ट के संवर्ग भर्ती नियमों के अधीन ऊंचे पदों पर प्रोन्नति के लिये पात्र नहीं है ।

अहमदाबाद में दंगों के दौरान विस्फोटक पदार्थों तथा ट्रांसमीटर बरामद करना

3749. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दंगों के दौरान अहमदाबाद में कुछ मकानों की तलाशी लेने से वहां से ट्रांसमीटर और बहुत जोरदार आग्नेय अस्त्र पाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के पास से वे चीजें बरामद हुई और ये चीजें किस प्रकार की और कहां कि बनी हुई है ; और

(ग) क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच

3750. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक श्री नम्बियार के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा पद के दुरुपयोग के मामलों की जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस जांच का सम्बन्ध आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक तथा कतिपय अन्य अधिकारियों से है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट आन्ध्र प्रदेश सरकार के विचाराधीन है जो इस मामले से मुख्यतया सम्बन्धित है और उचित कार्यवाही आरम्भ करने के लिए नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी है । यदि इस अवस्था में रिपोर्ट में निहित बातों को प्रकट कर दिया गया तो मामले पर विचार करने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला

3751. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह निर्णय किया है कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय पाठयक्रमों के लिए दाखिल नहीं किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए सरकार ने किन वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार किया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय ने निर्णय किया है कि न्यूनतम पात्रता की शर्त यह होगी कि उम्मीदवार ने कला और वाणिज्य में पास पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये उच्च माध्यमिक परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत और विज्ञान में पास पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों ।

जो विद्यार्थी प्रवेश पाने में असमर्थ हैं उनके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम जैसे अन्य अवसर विद्यमान हैं ।

श्री बलदेव सिंह की हत्या की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच

3752. **श्री श्रीगोपाल साबू :** **श्री हुकमचन्द कछवाय :**
श्री रामगोपाल शालवाले : **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री टी० पी० शाह : **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री श्री बलदेव सिंह की हत्या के बारे में 27 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 940 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त जाँच के बारे में जांच पड़ताल पुलिस के माध्यम से की गई है, जिसने पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो किस अभिकरण के माध्यम से जांच पड़ताल की गई है ;

(ख) क्या सरकार को शव परीक्षा रिपोर्ट तथा जांच के निष्कर्ष प्राप्त हो गए हैं और क्या वह संतुष्ट है कि मृतक के शरीर पर जो जख्म थे वे मशीन के धुरे के पट्टे में फंस जाने के कारण हुए थे ; और

(ग) क्या शव परीक्षा रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक के शरीर को चीरा अथवा गोदा गया था, जैसा कि प्रायः ऐसी दुर्घटनाओं में नहीं होता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। मजिस्ट्रेटीय जांच देहरा के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई थी।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार को शव परीक्षा रिपोर्ट पहले ही प्राप्त हो चुकी थी और अब मजिस्ट्रेटीय जांच के निष्कर्ष भी प्राप्त हो चुके हैं और उन्होंने भारत सरकार को सूचित कर दिया था कि जांच में यह प्रथम दृष्ट्या साबित हो गया था कि श्री बलदेव सिंह की मृत्यु श्री मिल्खी राम की मिल में बिजली के झटके तथा शाफ्ट के कठोर पदार्थ से चोट द्वारा घायल होने के कारण मशीन के शाफ्ट की पट्टी में फंस जाने के बाद हुई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि शव-परीक्षा रिपोर्ट जाँच अधिकारी के निष्कर्षों के प्रतिकूल नहीं है।

पुराना किला, नई दिल्ली में खुदाई पर व्यय

3753 **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली स्थित पुराना किला में खुदाई कार्य पर अब तक कितनी राशि खर्च हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : 8-2-70 तक 45,534.98 रुपये।

विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा कलकत्ता के टर्मिनल भवन का प्रयोग

3754. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अहमद इस्माइल :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई विदेशी विमान कम्पनियां, डम-डम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई

अड्डे पर, दो करोड़ रुपये की लागत का जो नया टर्मिनल भवन बना है, उसका प्रयोग नहीं कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). नगर विमानन विभाग के कार्यक्रम के अनुसार विदेशी एयरलाइने कलकत्ता बम्बई अड्डे के नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मीनल से 1 अप्रैल 1970 से कार्य करना आरम्भ कर देगी । इस बीच वे एयरलाइनें, टर्मिनल भवन में दिये गये अपने-अपने स्थान को सज्जित एवं तैयार करने में लगी हुई हैं ।

सफदरजंग रेलवे स्टेशन (नई दिल्ली) के निकट पुलिस द्वारा एक झोपड़ी में आग लगाये जाने का आरोप

3755. **श्री सूरज भान :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग रेलवे स्टेशन, (नई दिल्ली) के निकट एक सफाई कर्मचारी की झोपड़ी नम्बर 9 को आग लगाई गई थी जिसके फलस्वरूप उसकी पत्नी गम्भीर रूप से जल गई थी, उसने अस्पताल में एक मृत बच्चे को जन्म दिया और अन्त में फरवरी के दूसरे सप्ताह में घावों के कारण मर गई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस सफाई कर्मचारी ने यह आरोप लगाया था कि उसकी झोपड़ी को पुलिस वालों ने आग लगाई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वह सफाई कर्मचारी अपनी पत्नी तथा बच्चे के शवों को प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर ले गया था और उसने विभिन्न अधिकारियों को न्याय के लिए अनेक अभ्यावेदन दिए थे ;

(घ) उस सफाई कर्मचारी को इन दो मोतों को छोड़ कर हुई कुल हानि कितनी आंकी गई है ;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है और यदि हां, तो जांच करने वाले व्यक्ति का नाम पदनाम क्या है और जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(च) क्या सरकार का विचार इस बर्बरतापूर्ण कृत्य की जांच पड़ताल कराने के लिए न्यायिक जांच करवाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमान् ।

(घ) लगभग 200.00 रुपये ।

(ङ) दक्षिण जिले के पुलिस अधीक्षक श्री एच० सी० जादव द्वारा प्रारम्भिक जांच.

पड़ताल की गई थी। श्री ए० सी० खैर, उप-जिला मजिस्ट्रेट, हौज खास, ने भी घटना स्थल का दौरा किया और अनौपचारिक जांच-पड़ताल का। पुलिस दल का नेतृत्व करने वाले अधिकारी के अनुसार झुग्गी का निवासी चोरी के एक मामले में संदिग्ध व्यक्ति था और पुलिस दल उसे पकड़ने वहां गया था। उसने कुछ कपड़ों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उनमें आग लगा दी जिस के परिणामस्वरूप उसकी पत्नी बहुत अधिक जल गई। झुग्गी निवासी का जबाबी ब्यान यह था कि पुलिस ने उसकी झुग्गी को आग लगाई थी। इन दो जबाबी ब्यानों के कारण दो मामले दर्ज किए गए हैं और उनकी जांच-पड़ताल का कार्य दिल्ली पुलिस के खुफिया विभाग की अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। जांच-पड़ताल के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

(च) जी नहीं, श्रीमान्। पुलिस की जांच-पड़ताल के निष्कर्षण की प्रतीक्षा की जा रही है।

एयर इण्डिया के अधिकारियों की पड़ताल

3757. **श्री देविन्दर सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एयर इंडिया के अधिकारियों ने 2 मार्च, 1970 से नियमानुसार कार्य करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उन अधिकारियों की मुख्य मांगे क्या हैं ;

(ग) इस स्थिति से निबटने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) इस हड़ताल के कारण कितनी हानि होने के संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कर्ण सिंह) : (क) एयर इंडिया आफिसर्ज (एसोसिएशन) ने अपने सदस्यों को 2-3-1970 से "नियमानुसार कार्य करने" का निदेश जारी किया था।

(ख) सबसे निम्न स्तर के अधिकारियों के लिये वेतन मान का पुनरीक्षण।

(ग) इस बारे में अब समझौता हो चुका है और संगठन ने "नियमानुसार कार्य करने" का निदेश 7-3-70 को वापस ले लिया।

(घ) इसके कारण कारपोरेशन को कोई हानि नहीं हुई।

आसनसोल कोयला खान पट्टी में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति

3758. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और गृह-कार्य मंत्री को लिखा है कि आसनसोल कोयला खान पट्टी में कानून तथा व्यवस्था बनाई रखी जाये और कोयले के उत्पादन में कमी न होने पाये ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इन मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में इन मन्त्रियों को न लिखने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस विषय में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से पत्र व्यवहार हुआ है ।

(ख) राज्य सरकार से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन संवर्धन के लिये सीमा सम्बन्धी औपचारिकताएं हटाने का सुझाव

3759. **श्री देविन्दर सिंह** : क्या **पयटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विमान यातायात एसोसिएशन की फेसिलिटेशन समिति के अध्यक्ष श्री जे० एल० शेफर्ड ने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि पर्यटन संवर्धन के लिये सीमा सम्बन्धी औपचारिकताओं को हटाया जाये ;

(ख) फेसिलिटेशन समिति की उच्च स्तरीय अन्तर्विभागीय समिति के साथ बातचीत के दौरान उक्त एसोसिएशन ने क्या सुझाव दिये हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संगठन की सरलीकरण सलाहकार समिति 24 फरवरी, 1970 को अन्तर्विभागीय सरलीकरण समिति से मिली, एवं उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिये :—

(1) यात्री सूची को हटाया जाना ।

(2) पर्यटक सामान संबंधी पुनर्निर्यात फार्म का हटाया जाना ।

(3) मुद्रा सम्बन्धी घोषणा फार्म का हटाया जाना ।

(4) आप्रवास सेवाओं का सुव्यवस्थित किया जाना ।

(5) भू-संचालन (ग्राउंड हैंडलिंग) उपस्कर का शुल्क मुक्त आयात ; और

(6) विदेशों के कुछ विमान क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन ।

(ग) इन सुझावों पर ध्यान दिया जा रहा है ।

पंजाब के मुख्य मन्त्री का सिख होमलैंड की धारणा पर टिप्पणी

3760. **श्री देवेन्द्र सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब विधान सभा में पंजाब के मुख्य मन्त्री की इस

टिप्पणी की ओर दिलाया गया है और केन्द्रीय सरकार जिस ढंग से हिन्दुओं को पंजाब से निकाल रही है उससे वह सिख होमलैंड की धारणा को खुद बल दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार से सम्बद्ध तथ्य भेजने का अनुरोध किया गया है।

गोहाटी में हुआ कनिष्ट यातायात सहायकों का साक्षात्कार

3761. **श्री नि० रं० लास्कर : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनिष्ठ आयात सहायक पदों के लिये नवम्बर, 1969 में गोहाटी में साक्षात्कार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो साक्षात्कार हेतु अनुसूचित जातियों के कितने अभ्यर्थी आये थे ;

(ग) इन अभ्यर्थियों को चुनने में अत्यधिक देरी होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस चयन में अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ; और

(ङ) आसाम प्रदेश से अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारी यातायात सहायकों के पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) नवम्बर, 1969 में गोहाटी में 23 उम्मीदवारों का साक्षात्कार (इन्ट्रव्यू) किया गया था तथा 14 और उम्मीदवारों का साक्षात्कार वहां अभी किया जाना है। 3000 उम्मीदवारों का साक्षात्कार कलकत्ता में किया जाना है।

(ख) अभी तक 2 का साक्षात्कार किया गया है।

(ग) इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि एक बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का साक्षात्कार अभी किया जाना है, अभी चयन (सिलेक्शन) पूरे नहीं किये गये हैं।

(घ) इस सम्बन्ध में हर प्रयत्न किया जायेगा।

(ङ) कोई नहीं।

अनुभाग अधिकारी ग्रेड की परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण

3762. **श्री किकर सिंह : क्या गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1955 से वर्ष 1963 तक विभागीय सहायक अधीक्षक। अनुभाग अधिकारी ग्रेड की परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए लागू 'आरक्षण' $12\frac{1}{2}$

प्रतिशत था और यदि हां, तो कुल 844 रिक्त पदों में से 775 पदों पर, जो लगभग 92 प्रतिशत हैं, अनुसूचित जातियों से भिन्न व्यक्तियों को रखे जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को 35 प्रतिशत अंक पर और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों से भिन्न लोगों को 45 प्रतिशत अंक पर पदोन्नत करती रही है और यदि हां, तो वर्ष 1963 की परीक्षाओं में 45 से 50 प्रतिशत तक अंकों के पास होने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को पदोन्नत न करके क्यों छोड़ दिया गया है ;

(ग) आरक्षित रिक्त पदों के लिये अर्हता (न कि चयन) के लिये न्यूनतम अंक कितने हैं।

(घ) क्या कारण हैं कि 1963 की परीक्षा से अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को केवल 4 रिक्त पद ही दिये गये हैं, जबकि 1959, 1960, 1963 परीक्षाओं के द्वारा 1964 से तथा आगे के लिए कुल पद लगभग 127 भरे जाने थे ; और

(ङ) यदि आरक्षण नियमों में या इनके निर्वाचन में कुछ कमी होने के कारण ऐसी बात हुई है, तो अनुसूचित जातियों के अर्हता-प्राप्त अभ्यर्थियों के प्रति हुए इस अन्याय को किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०— 2956/70]

ऋतु विज्ञान विभाग की पुना स्थित संस्था द्वारा भविष्यवाणी

3763. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋतु विज्ञान विभाग की पूना स्थित संस्था ने कृषि-सूखा के बारे में पहले बताने के लिए एक सूत्र निकाला है ;

(ख) यदि हां, तो 1970 के लिये यदि राजस्थान के लिये कोई पूर्वानुमान तैयार किये गये हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ये पर्वानुमान कब तक तैयार हो जाने की आशा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। यह बता सकना सम्भव नहीं है कि किस तारीख तक सूखे के सम्बन्ध में पूर्वानुमान देना सम्भव हो पायेगा। परन्तु बरसात और सर्दियों में मौसमी वर्षा के सम्बन्ध में आंकड़ों के आधार पर पूर्वानुमान जारी किये जा रहे हैं।

भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक का त्यागपत्र

3764. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक ने अपना त्यागपत्र दे दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसने अपना त्यागपत्र प्रधान मन्त्री को भेजा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि त्यागपत्र देने के मुख्य कारण वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा परेशान किया जाना तथा बाधाएं पैदा करना बताये गये हैं ;

(घ) यदि हां तो इस मामले के तथ्य क्या हैं तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ; और

(ङ) गत दो वर्षों में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संस्थाओं के कितने निदेशकों ने त्यागपत्र दिये हैं तथा उनके त्यागपत्र देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हाँ ।

(ख) यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) के अध्यक्ष के नाम लिखा गया है ।

(ग) जी, नहीं । उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से पूर्वाह्णेण त्याग पत्र दिया है ।

(घ) इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष ने श्री चौधरी से विचार-विमर्श किया था और उन्हें सुझाव दिया था कि वह पुनः इस मामले पर विचार करें और सोचें कि क्या वे कम से कम दो अथवा तीन वर्ष तक काम करते रहेंगे ।

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं के निदेशकों ने, प्रत्येक के सम्मुख दिये गये कारणों के लिए त्यागपत्र दिये हैं । त्यागपत्र प्रस्तुत किए हैं :

	निदेशक का नाम	त्याग पत्र देने के कारण
(1)	डा० बी० आर० निझावन निदेशक, राष्ट्रीय धातु-विज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर	राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन (यू० एन० आई० डी० ओ०) के अधीन नियुक्ति स्वीकार करने हेतु ।
(2)	डा० हरि नारायण, निदेशक, भूभौतिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	उनके त्यागपत्र में कोई कारण नहीं दिए गए हैं ।
(3)	डा० जी० एस० सिद्धु, निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद	वही

(4)	डा० जी० एस० चौधुरी, निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद	निजी आधारों पर ।
(5)	डा० एम० एस० आयंगर निदेशक क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहट	दिये गये मुख्य कारण :— (i) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जोरहट की कार्य-परिषद के निर्णयों को कार्यान्वित करने में विलम्ब, तथा (ii) प्रयोगशाला के काम-काज में केन्द्रीय कार्यालय द्वारा हस्तक्षेप
(6)	डा० एच० ए० बी० पारपीया, निदेशक, केन्द्रीय, खाद्य टैक्नोलौजिकल अनुसंधान संस्थान, मैसूर	गत ढाई वर्षों में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा उत्पन्न वातावरण के फलस्वरूप उनका प्रभावशाली ढंग से काम करना कठिन था ।

"खुदाई खिदमतगार" संस्था की स्थापना

3765. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में साम्प्रदायिक एकता लाने के लिए हाल ही में "खुदाई खिदमतगार" नाम की एक नयी संस्था बनायी गई है ;

(ख) क्या इस संस्था के कार्य एकता परिषद् के कृत्यों के अनुपूरक होंगे तथा क्या इस संस्था को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकारी सहायता मिलेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस संस्था को दी जाने वाली सहायता का स्वरूप क्या होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को ज्ञात है कि 1 और 2 फरवरी, 1970 को दिल्ली में हुए इन्सानी बिरादरी सम्मेलन में खुदाई खिदमतगार कहलाई जाने वाली एक नई संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया था ।

(ख) और (ग). यह पूर्णरूप से एक गैर-सरकारी संस्था है । सरकार से किसी सहायता के लिए कोई निवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

स्कूलों के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों में बार-बार परिवर्तन करना

3766. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूलों के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों में बारम्बार परिवर्तन किये जाते हैं जिनसे विद्यार्थियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता है, और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकतर पाठ्यपुस्तकों में से विभिन्न धर्मों संबंधी भागों को

धीरे-धीरे हटाया जा रहा है और इसके फलस्वरूप विद्यार्थी अपनी पुरानी परम्पराओं और संस्कृति से सर्वथा अनभिज्ञ रह जाते हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) शिक्षा राज्य का विषय है। राज्य सरकारों के सम्बन्धित अधिकारी ही पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करते हैं। ये अधिकारी इस सामान्य नीति का अनुसरण करते हैं कि एक पाठ्य पुस्तक कम से कम तीन वर्ष तक रहनी चाहिए तथा उसके बाद नई पुस्तक निर्धारित की जाये। परन्तु यदि इस बीच पाठ्यक्रम अथवा शिक्षा पद्धति में कोई परिवर्तन होता है तो नई पुस्तकें निर्धारित की जा सकती हैं।

(ख) किसी अवधि में पुस्तक का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है। राज्यों द्वारा चालित स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई है। धर्मों से सम्बन्धित पाठों की संख्या चालू पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है जिसे राज्य सरकारें समय-समय पर संशोधित करती रहती हैं।

चंडीगढ़ पर जनमत कराना

3767. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों के संसदीय ग्रुप ने, जिसकी नई दिल्ली में 25 दिसम्बर, 1969 को बैठक हुई थी, चंडीगढ़ के भविष्य का निर्णय करने के लिए वहां जनमत कराने की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रेस रिपोर्ट देखी हैं।

(ख) इस मामले को तय करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने चंडीगढ़ के भविष्य पर अपना फैसला 29 जनवरी, 1970 को घोषित कर दिया। चण्डीगढ़ में जनमत कराने का प्रश्न अब उठता ही नहीं है।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षकों को अन्य रोजगारों में लगाने की योजना

3768. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षकों के लिए, जिन्हें राज्य सरकारों ने नियुक्त नहीं किया है, रोजगार देने की कोई व्यवस्था करने का सरकार ने विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में योजना को अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). राष्ट्रीय

अनुशासन प्रोजना के प्रशिक्षकों को सम्बन्धित राज्य सरकारों की सेवाओं में खपाने के प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है । आशा है कि इसे निकट भविष्य में अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

धर्मशाला में चीनी जासूसों की गिरफ्तारी

3769. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में धर्मशाला में कुछ चीनी जासूस गिरफ्तार किये गये थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Allegations regarding Akali Leaders having Contacts with Pakistan

3770. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Gadilingana Gowd :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the allegations levelled by Shri Gian Singh Rarewala, ex-Chief Minister of PEPSU, that some of the Akali leaders are having contacts with Pakistan ;

(b) whether Government have looked into the said allegations ; and

(c) if so, the result thereof and the names of the guilty persons and the action taken aginst them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) Government of Punjab have reported that no information is available about any collusion between the Akali leaders and Pakistani agents.

(c) Does not arise.

Expenditure on P. M.'s Tours to States

3771. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Union Government had recently written to the State Governments that the expenditure incurred on the tours of the States by the Prime Minister should be borne by the States ;

(b) if so, the broad details thereof ; and

(c) the reaction of various State Governments thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The Government of India have recently issued clarifications on the question of appointment of the expenditure incurred by the State Governments during the Prime Minister's election meetings in the States. As the security of the Prime Minister during her visit to a State is the concern of that State Government. all arrangements for putting up the rostrum, the barriers etc., at the meeting place will have to be made by the

State Government concerned whether the meetings are for election purposes or otherwise. In the case of public meetings other than election meetings expenditure on all the arrangements will be borne by the State Government concerned. In the case of election meetings, expenditure on the public address system, decorative arrangement and a portion of the expenditure on the rostrum will be borne by the political party ; the cost of the rest of the arrangements will be borne by the State.

(c) The State Governments of Bihar and Mysore have sought certain clarification in this connection.

Expenditure on Scientific Education

3772. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Administrative Reforms Commission has recommended in one of its reports that more amount should be spent on scientific education ;

(b) if so, the other main recommendations made in the said Report ; and

(c) the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Indo-British Committee on Extension of Technical Training in India

3773. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to starred Question No. 434 on the 5th December, 1969 and state the progress made so far in connection with the setting up of an Indo-British Committee on the extension of technical training in India ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : The proposal to set up a Joint Indo-British Group for Education including Technical Education is still under consideration. Meanwhile, however, an expert committee has been set up to examine the whole question of polytechnic education, and a British expert has agreed to come to assist and advice the Committee. The Vice-Chancellors of Bradford and Brunel Universities in Britain have paid visits to our country and discussed various aspects of development of sandwhich courses.

Committee to Look into Complaints of National Botanical Gardens, Lucknow

3774. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether a committee was constituted by the C. S. I. R. in 1968-69 under the chairmanship of Father S. Santapo to go into the allegations levelled against the then Director of the National Botanical Gardens, Luckuow ;

(b) whether the said committee has submitted ite report to the Ministry ; and

(c) if so, the broad recommendations thereof and the decision taken by his Ministry thereon ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr V. K. R. V. Rao) : (a) A Committee under the Chairmanship of Dr. H. Santapau was appointed with the following terms of reference :—

(i) to review the work of the Gardens from the time of the last Reviewing Committee or from its inception ;

(ii) to study and make recommendations on what should be the scope of work of the National Botanic Gardens ; and

(iii) to look into difficulties, if any, faced by the staff of the National Botanic Gardens.

(b) Yes, Sir. The report has been submitted to the C. S. I. R.

(c) The Report was considered by the President, C. S. I. R who felt that Director, National Botanic Gardens, should first be given an opportunity to state his point of view before taking a final decision in the matter. Action has been taken accordingly and a reply from the Director is awaited. It is not in public interest to divulge the recommendations of the Committee at this stage.

एक चलचित्र की शूटिंग के लिये फिल्म कलाकारों द्वारा सीमा सुरक्षा बल की मोटर गाड़ियों का उपयोग

3775. **श्री न० कु० सांधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कुछ फिल्म कलाकारों को फिल्म की शूटिंग के लिए पाकिस्तान की सीमा पर जाने की अनुमति दी गई थी तथा सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को अपनी मोटर गाड़ियों में फिल्म कलाकारों को ले जाने तथा फिल्म की शूटिंग के लिए अपने हथियार देने की अनुमति दी गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : बम्बई की एक फिल्म कम्पनी ने राजस्थान सीमा के निकट एक क्षेत्र में एक फिल्म की शूटिंग की थी लेकिन यह सच नहीं है कि फिल्म कलाकारों ने सीमा सुरक्षा दल की गाड़ियां अथवा शस्त्रों का इस्तेमाल किया था।

भारतीय नौवहन उद्योग में धन लगाना

3776. **श्री न० कु० सांधी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन उद्योग में कुल कितना धन लगा हुआ है और इसमें सरकार का कितना अंश है ;

(ख) सरकार ने इस उद्योग को कितना ऋण दिया है और उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनको यह ऋण दिया गया है ; और

(ग) इस समय भारतीय नौवहन परिवहन कंपनियों की कुल संख्या कितनी है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) 37 भारतीय जहाजी कंपनियों के अपने जहाज है।

भारत आने वाले विदेशी पर्यटक

3777. **श्री हेम राज** :

श्री न०रा० देवघरे :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में कितने विदेशी पर्यटक **भारत** आये थे तथा वे किन किन देशों के थे ;

(ख) उक्त वर्ष में प्रत्येक देश से विदेशी मुद्रा की कितनी-कितनी आय हुई ; और

(ग) और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल०टी० 2957/70]

रेलवे बोर्ड की भांति केन्द्रीय सड़क बोर्ड का गठन करना

3778. **श्री हेम राज** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री रेलवे बोर्ड की भांति केन्द्रीय सड़क बोर्ड गठन के बारे में 21 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 834 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय सड़क बोर्ड बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है तथा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा सुझाया गया केन्द्रीय सड़क बोर्ड के गठन का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। अभी निश्चितरूप से यह बताना संभव नहीं है कि मामले में कब निर्णय लिया जायेगा।

दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध दायर अभियोगों को वापिस लेना

3779. **श्री किकर सिंह** : **श्री स० कुन्दू** :
श्री पी० एम० मेहता : **श्री न० रा० परमार** :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बदली हुई राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति को देखते हुए, क्या सरकार 1967 में दिल्ली पुलिस आन्दोलन में भाग लेने वाले पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालयों आदि में चल रहे अभियोग को वापिस लेने पर विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को वापिस लाना वांछनीय नहीं है। मामले न्यायालयों में अनिर्णीत पडे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई होने देनी चाहिए ताकि उस बल में अनुशासन बना रहे जिसे कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है।

गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार देना

3780. **श्री किकर सिंह :** **श्री ओंकार** लाल बेरवा :
श्री गुणानन्द ठाकुर : **श्री द० रा० परमार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न वर्गों के लोगों को राष्ट्रीय उपाधियां तथा पुरस्कार देती है ;

(ख) यदि हां, तो इसका आधार और कसौटी क्या है ;

(ग) इस वर्ष ऐसी कितनी उपाधियां तथा पुरस्कार, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री दिये गये हैं और उन्हें पाने वाले लोगों के नाम तथा उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों, संस्थाओं, राज्य सरकारों, कार्मिक संघों, फैडरेशनों तथा गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा सभी व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारत के राष्ट्रपति तथा अथवा सरकार को भेजे गये आवेदनों अथवा सिफारिशों को सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिये जाते हैं न कि उपाधियां ।

(ख) ये पुरस्कार व्यक्तियों को उनके कार्यकलाप के क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा के लिए दिये जाते हैं ।

(ग) 26 जनवरी, 1970 को दिये गये पुरस्कारों की संख्या इस प्रकार है :—

पद्म विभूषण	7
पद्म भूषण	28
पद्म श्री	69

सभी प्राप्तकर्त्ताओं के नाम तथा ब्यौरे 26 जनवरी 1970 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिये गये थे । अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये** संख्या एल० टी०–2958/70]

(घ) पुरस्कारों के लिए सिफारिश किये गये अथवा विचारे गये व्यक्तियों के नाम अथवा उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों के नाम, जिन्होंने विशेष व्यक्तियों के नामों का समर्थन किया था, प्रकट करना लोक हित में न होगा ।

दिल्ली में 1967 में हुए पुलिस आन्दोलन मुअत्तिल किये गये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों के पुलिस कर्मचारी

3781. **श्री अब्दुल गनी डार :** **श्री देवेन सेन :**
श्री ओंकारलाल बेरवा : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ए० श्रीधरन : **श्री प्र० न० सोलंकी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 1967 के पुलिस आन्दोलन में भाग लेने पर अनुसूचित

जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों को सेवा से मुअत्तिल किया गया था, हटाया गया था अथवा बर्खास्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पुलिस कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध न्यायालयों में चल रहे मुकदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस वर्ष मनायी जा रही गांधी शताब्दी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसे 199 पुलिस कर्मचारियों पर निम्नलिखित आरोपों के आधार पर मुकदमा चल रहा है ।

(i) धारा 188 आई० पी० सी० : निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन

(ii) धारा 147 आई० पी० सी० : दंगे बाजी

(iii) धारा 353 आई० पी० सी० : सरकारी कर्मचारी पर हमला

(iv) धारा 3 1922 का अधिनियम 22 : कर्तव्य विमुख करने के उद्देश्य से भड़काना

(v) धारा 7 अनिवार्य सेवा बनाये रखने के अध्यादेश : अनाधिकृत रूप से सेवा से हटना

(vi) धारा 4 पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबन्ध) : राजनैतिक बैठकों में भाग लेना अधिनियम 1966

(ग) और (घ) : अपराधों के स्वरूप को देखते हुए तथा शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने के ही उत्तरदायी बल में अनुशासन बनाये रखने के उद्देश्य से कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए ।

राष्ट्रीय पुरस्कार देना

3782. **श्री अब्दुल गनी डार** : **श्री देवेन सेन** :
श्री श्रीधरन : **श्री यशपाल सिंह** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में स्वतन्त्रता दिवस तथा गणतन्त्र दिवस के अवसरों पर विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दी गई राष्ट्रीय उपाधियों तथा पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों में ऐसे पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता व्यक्तियों के नाम तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में इस समय बदली हुई राजनीतिक तथा आर्थिक और सामाजिक स्थिति को तथा राष्ट्रीय नेताओं और केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा व्यक्त किये इस आशय के विचारों कि जनसाधारण और कार्मिक संघों के कार्य-कर्ताओं को सभी क्षेत्रों में समुचित स्थान दिया जायेगा, को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ऐसी उपाधियों और पुरस्कारों के मामलों में यथा योग्य विचार करेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गत दस वर्षों में गणतन्त्र दिवस पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री के पुरस्कार तथा स्वतंत्रता दिवस पर संस्कृत, फारसी और अरबी के सम्मान-पत्रों की घोषणा करने की प्रथा रही है। कुछ वर्षों में गणतन्त्र दिवस पर भारत रत्न पुरस्कार भी घोषित किये गये थे।

(ख) उन व्यक्तियों के नाम और ब्यौरे, जो ऐसे पुरस्कार प्राप्त करते हैं, भारत के राजपत्र में प्रत्येक वर्ष उसी दिन प्रकाशित किये जाते हैं जिस दिन इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की एक-एक प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०—2959/70]

(ग) पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाओं के लिए व्यवसाय और पद पर कोई ध्यान दिये बिना दिये जाते हैं और उन व्यक्तियों पर भी, जिन्होंने सामाजिक सेवा और कार्मिक संघों के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त की हो, ध्यान दिया जाता है।

बम्बई-मंगलौर विमान सेवा के लिये टिकट उपलब्ध न होना

3783. श्री लोबो प्रभु : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई-मंगलौर विमान सेवा के लिए टिकट प्राप्त न कर सकने वाले व्यक्तियों की मध्यमान संख्या कितनी है ;

(ख) इस स्थिति में बंगलौर से बरस्ता मंगलौर, बम्बई तक के यात्रियों का किराया कितना है ; और

(ग) बंगलौर से बरास्ता मंगलौर, बम्बई जाने वाली भीड़ कम करने हेतु मद्रास-बंगलौर-मंगलौर मार्ग से एक अलग विमान सेवा आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) प्रति दिन एक से कम।

(ख) बम्बई और बंगलौर के बीच उडान करने वाले यात्री सामान्यत: सीधी उड़ान करना पसन्द करते हैं और इन यात्रियों के कारण बम्बई-मंगलौर उड़ानों में स्थान की उपलब्धता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को दृष्टि मे रखते हुए एक अलग विमान सेवा आवश्यक नहीं समझी गयी है।

मारावंती में पर्यटन केन्द्र

3784. श्री लोबो प्रभु : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारावंती में एक पर्यटन केन्द्र के विकास के सम्बन्ध में सरकारी निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस आलोचना का क्या उत्तर दिया जायेगा कि यह परिवर्तन राजनीतिक कारणों से किया गया है क्योंकि इस क्षेत्र में विधान सभा तथा संसदीय चुनावों में कांग्रेस के विरोधियों की जीत हुई है ; और

(ग) इस केन्द्र के लिए अर्जित की गई भूमि के लिए कितनी राशि व्यय की गई है और इस भूमि को निरन्तर बेकार रखने का औचित्य क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). साधनों के सीमित होने, तथा चौथी योजना के दौरान भाग II स्कीमों का परित्याग कर दिये जाने के कारण, चौथी योजना के मसौदे में शुरू में शामिल की गयी कई स्कीमों को जिन में भारवांथे का विकास भी सम्मिलित है, छोड़ देना पड़ा है ।

(ग) नौचालय तथा परिवहन मन्त्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस मार्ग पर यातायात संभाव्यताओं की खोज की जा रही है और इस सेवा में अन्य लाइनों के अभिरुचि लेने का प्रश्न इस खोज के परिणाम पर निर्भर करेगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

न्यायालयों में मुकदमों का निपटारा

3785. **श्री लोबो प्रभु :**
श्री जगेश्वर यादव :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में ऐसे मुकदमों के निपटारे में कितना मध्यमान समय लगता है, जिनमें अभियुक्त अपना दोष स्वीकार नहीं करते ;

(ख) यदि उन राज्यों में अधिक विलम्ब होता है, जिनमें प्रशासी तथा न्यायिक कार्य अलग-अलग हैं, तो क्या राज्य सरकारों को कहा जायेगा कि वे अदालतों को उचित अधिकार दें ताकि पुलिस के कार्य में शीघ्रकारिता लाई जा सके ; और

(ग) क्या सरकार राज्य सरकारों को कहेगी कि वे मैजिस्ट्रेटों और पुलिस द्वारा शीघ्रता-पूर्वक मामले निपटाये जाने के लिये उनको प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का कार्य प्रमुखतया: राज्य सरकारों (Administration of Justice) है । मामलों का विस्तृत अध्ययन किये बिना ठीक ठीक यह जानकारी सम्भव नहीं है कि इस श्रेणी के मामलों को निपटाने में औसतन कितना समय लगता है । तथापि, विभिन्न राज्यों द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस पर प्रस्तुत प्रतिवेदनों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल० टी०—2960/70]

(ख) उपलब्ध विवरण से इस मामले में किसी प्रकार भी कोई निष्कर्ष निकलना आवश्यक

नहीं । यदि कोई विलम्ब हुआ है तो वह कानूनी प्राधिकरण की कमी के कारण नहीं क्योंकि कानून ने तो पहले ही न्यायालयों को अपने आदेशों पर तुरन्त कार्यवाही कराने के लिये समुचित शक्तियां दे रखी हैं ।

(ग) राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने तथा मामलों पर शीघ्रता से निर्णय करने का सुनिश्चय करने के लिये उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर लें । अदालती मामलों को तुरन्त निपटाने के लिये राज्य सरकारों को उच्च न्यायालयों की सलाह से कुछ विशिष्ट उपाय करने होंगे ।

बम्बई तथा मंगलौर के बीच स्टीमर सेवा

3786. **श्री लोबो प्रभु** : क्या नौवहन तथा **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने वर्षों से बम्बई और मंगलौर के बीच स्टीमर सेवा चलती रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसे इसलिये बन्द कर दिया गया था क्योंकि सरकार किराये में 50 रुपये की प्रस्तावित वृद्धि से सहमत नहीं हुई थी ;

(ग) सरकार ने अन्य स्टीमर कम्पनियों की इस स्टीमर सेवा को चालू करने के लिये आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) क्या सरकार जनता से यह पता लगायेगी कि उन्हें किराये की कौन सी दरें स्वीकार्य है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय के **उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह)** : (क) ज्ञात हुआ है कि बम्बई से श्रीलंका जाने वाला सबसे पहला जहाज मगलौर पत्तन पर 1845 में आया था ।

(ख) जी नहीं । जहाजी कम्पनी ने यह सेवा बन्द कर दी है क्योंकि सड़क परिवहन प्रतियोगिता के कारण यातायात में कमी आने के फलस्वरूप कम्पनी को घाटा उठाना पड़ा ।

(ग) इस रास्ते पर यातायात क्षमताओं की खोज की जा रही है और अन्य लाइनों के इस सेवा में दिलचस्पी लेना उस खोज के निष्कर्ष पर निर्भर करता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन

3787. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा आयोग पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) शिक्षा आयोग की सिफारिशों की राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा जांच की गयी थी और उन पर संसद के दोनों सदनों में विचार किया गया था। इन चर्चाओं के आधार पर, शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति विकसित की गई है और उसे शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के सरकारी संकल्प में सन्निहित किया गया है, जिसे 24 जुलाई, 1968 को सभा पटल पर रख दिया गया था।

बेरोजगार इंजीनियर

3783. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बेरोजगार अर्हता-प्राप्त इंजीनियर कितने हैं और उनके (एक) स्नातक इंजीनियर (दो) डिप्लोमाधारी व्यवसायवार, जैसे मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल, धातुकार्मिक, रासायनिक, वैमानिकीय, समुद्रीय और इलेक्ट्रानिक आदि श्रेणीवार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) विभिन्न तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं से प्रति वर्ष कितने स्नातक और डिप्लोमाधारी परीक्षा पास करते हैं ;

(ग) बेरोजगार इंजीनियरों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और करने का विचार है ; और

(घ) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न इंजीनियरिंग तथा निर्माणकर्ता संस्थाओं द्वारा कितने तकनीकी व्यक्ति प्रशिक्षित किये जाते हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या के बारे में सही सूचना उपलब्ध नहीं है। बेरोजगार इंजीनियरों में से उन इंजीनियरों की संख्या का मोटे तौर पर संकेत मिलता है जिन्होंने अपने नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज करा रखे हैं। बेरोजगारी के सूचक के रूप में इन आंकड़ों की परिसीमा यह है जबकि सारे बेरोजगार इंजीनियरों ने रोजगार कार्यालयों में अपने नाम पंजीकृत नहीं कराये हैं, पहले से ही सेवारत कुछ इंजीनियरों ने अच्छे पद पाने की आशा में अपने नाम पंजीकृत करा रखे हैं। उन बेरोजगार इंजीनियरों (स्नातकों तथा डिप्लोमाधारकों) की संख्या के बारे में सूचना अनुलग्नक-1 में दी जाती है जिन्होंने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण करा रखा है। इंजीनियरों की विभिन्न शाखाओं में इन इन्जीनियरों का अलग-अलग ब्यौरा अनुलग्नक-2 में दिया जाता है। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल०टी० 2961/70]

(ख) गत तीन वर्षों में विभिन्न तकनीकी संस्थाओं से निकलने वाले इन्जीनियरी के स्नातकों व डिप्लोमा-धारकों की संख्या नीचे दी जाती है :

वर्ष	डिग्री-धारक	डिप्लोमा-धारक
1966-67	13,051	22,260
1967-68	13.873	22,476
1968-69	14,593	23,224

(ग) सरकार ने इन्जीनियरों के लिए नियोजन के अतिरिक्त अवसर बनाने के लिए मई, 1968 में अनेकों उपाय किये थे। इन उपायों की एक सूची 26 जुलाई, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर में सदन के सभा-पटल पर रख दी गई थी। राज्य सरकारों और केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा इन उपायों को कार्यरूप दिये जाने में की गई प्रगति पर पूरी निगरानी रखी जा रही है।

(घ) शिक्षा मन्त्रालय की व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिष्ठानों में 1967-68 में लगभग 2000 इन्जीनियरों (स्नातकों व डिप्लोमा-धारकों) ने प्रशिक्षण लिया। ये आंकड़े 1968-69 में 11,000 से भी अधिक हो गये।

Arming of Peasants by Reds in Darbhanga District

3789. **Shri Mrityunjay Prasad :**
Dr. Karni Singh :

Will the Minister of Home Affairs bs pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item entitled "Reds arming peasants in Darbhanga" publised in the Hindustan Times dated the 31st December, 1969 ; and

(b) if so, the information that Government have in this regard and their reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) According to information received from the Government of Bihar, the extremists had made efforts to organise their cadres in different areas, including Darbhanga district, and to arm them with bows, arrows etc. However, there was nothing like a mass movement for arming the entire population of Darbhanga or other areas of north Bihar. The state government have been keeping a close watch on the activities of the extremists and have been taking action under the law.

अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा निपटाये गये कार्य का मूल्यांकन

3790. **श्री मृत्यंजय प्रसाद :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये (1) सरकारी सेवा में प्रत्येक अधिकारी तथा सहायक के दैनिक कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने (2) दैनिक कार्य-निष्पादन का रिकार्ड रखने और (3) एक व्यक्ति के एक दिन का युक्तिसंगत कार्य मानक निर्धारित करने के लिए कोई तरीका बनाया है ;

(ख) यदि नहीं, तो जहां नई भर्ती की आवश्यकता होती है और जहां कर्मचारी फालतू हों, वहां कैसे निर्णय किया जाता है ; और

(ग) पर्यवेक्षक अधिकारी अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के तुलनात्मक गुणावगुणों का निष्पक्ष मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). विभिन्न कार्यों विशेषकर गृहावेक्षण (हाउस कीपिंग) तथा विभिन्न कार्यालयों में एक समान होने वाले

विभिन्न प्रकार के कार्य को करने में, प्रति एकक कार्य में लगने वाले समय का हिसाब लगाने के तरीके तैयार किये गये हैं। जहां पर ये उपाय प्रयोग में लाये जा रहे हैं कार्य निष्पादन का उपयुक्त रिकार्ड रखा जाता है तथा उसी के हिसाब से कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान किया जाता है। जहां ये तरीके नहीं हैं परन्तु कार्य हिसाब-किताब लगाया जा सकता है ; वहां कार्य की मात्रा का अध्ययन करके कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है।

(ग) किसी सरकारी कर्मचारी की योग्यता उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर आंकी जाती है। इस आशय के निर्देश दिये गये हैं कि ये रिपोर्टें यथा सम्भव उद्देश्य-पूर्ण हों।

Pending Cases Regarding Demotion of Employees of Higher Secondary Schools in Delhi

3791. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Yashpal Singh :**
Shri P. L. Barupal : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4717 on the 19th December, 1969 regarding the pending cases, regarding demotion of Employees of Higher Secondary Schools in Delhi and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether it is a fact that the said information has revealed that the allegation that the appeal in regard to demotion cases of the Physical Training Instructors under the Delhi Administration has been under consideration for the last ten years is correct ;

(d) if so, the reasons therefor while the said Instructors are incurring heavy financial loss ; and the reply to part (a) above be in the negative ; and

(e) the reasons for delay in collecting the information ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (e). Some information was supplied by the Delhi Administration. But this was not enough to answer the specific queries raised. Hence, the matter was taken up with them for clarification and further information. The latter is reply is still awaited. Therefore, the necessary information will be placed on the table of the Sabha as early as possible.

Demonstration against Semester System by Students of Delhi University

3793. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the students of the Delhi University had demonstrated against the Semester System of examination ;

(b) whether it is also fact that the students have also threatened to boycott the examination in case the Semester System is not abolished ; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Some students demonstrated against holding the Semester examination during December, 1969.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Centre's Powers to Check Disturbances in States

3794. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Governmcnt do not possess adequate constitutional powers to check or intervene into the disturbances which take place in the States, as for example those which occurred in West Bengal, Kerala, Punjab aud Haryana ;

(b) if so, whether Government propose to amend the Constitution to have adcquate powers with a view to check such anti-national disturbances ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The constitutional position regarding the duties and executive power of the Central and State Governments relating to internal disturbance, pubiic order and allied matters is well known. There is no proposal to amend the Constitution in this behalf.

हैवी इलक्ट्रिकल्स (आई०) लिमिटेड, भोपाल में वस्तुओं का उत्पादन

3795. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में हैवी इलेक्ट्रिकल्स (आई०) लिमिटेड, भोपाल ने कुल कितने मूल्य का माल तैयार किया और उत्पादन में कमी के क्या कारण थे ;

(ख) उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में हैवी इलक्ट्रिकल्स (आई०) लिमिटेड को प्रति वर्ष कितना लाभ हुआ ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हैवी इलक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल में हुआ कुल उत्पादन का मूल्य विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित था :

वर्ष	(लाख रुपये में)
1966-67	1742.08
1967-68	2300.93
1968-69	3400.55

कुछ अंशों में निर्धारित लक्ष्य से कुछ कम उत्पादन हुआ जिसके मुख्य कारण ये हैं :—

(1) कुछ आयातित पुर्जों, कच्चे मालों तथा औजारों की देर से प्राप्ति ;

(2) ट्रैक्सन जनिवकों, वाटर टरबाइनों तथा जनिवकों आदि के निर्माण की स्थापना में प्रारम्भिक कठिनाइयों का आना ; तथा

(3) वर्ष के प्रारम्भ में 220 कि०वा० वाले पावर ट्रांसफार्मरों तथा स्विचगियर के लिये कुछ निर्माणकारी उपकरणों की अनुपलब्धि ।

(ख) भारी विद्युत उद्योग के प्रत्येक उत्पादन में लम्बी निर्माण अवधि लगती है एवं उच्च उत्पादन लागत आती है तथा विशेषज्ञता प्राप्त करने में समय लगता है । संयंत्र निर्माणकारी तकनीक में सुधार करके तथा निपज बढ़ाकर इसके लिये व्यय की प्रत्येक मद पर कड़ा नियंत्रण रखकर तथा संयंत्र और उपकरणों का प्रभावी प्रयोग कर और निर्माण की परापों का का चुनाव कर जिनमें अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है तथा श्रमिक उत्पादिता के लिये योजनाओं को प्रोत्साहन देकर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार का प्रयत्न कर रहा है । सरकार संयंत्र के काम पर निरन्तर निगरानी रख रही है ।

(ग) इस कम्पनी ने विगत तीन सालों में कोई लाभ नहीं दिखाया है ।

हावड़ा डिवीजन (पूर्व रेलवे) में वाणिज्यिक क्लर्क

3796. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में अप्रैल, 1956 से पहले प्रत्येक ग्रेड के वाणिज्यिक क्लर्कों की संवर्गवार स्वीकृत संख्या कितनी थी ;

(ख) उक्त डिवीजन में 1 अप्रैल, 1956 के बाद वाणिज्यिक क्लर्कों की मंजूरशुदा संख्या कितनी थी ;

(ग) हावड़ा डिवीजन में वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों का दर्जा बढ़ाने के कारण पदोन्नत किये गये कर्मचारियों के, उनकी नियुक्ति की तारीख सहित नाम क्या हैं ;

(घ) उन कर्मचारियों के उनकी नियुक्ति 1958 के पत्र संख्या ई०ए० (सी०) आई०/अप्र-ग्रेडेशन के अनुसार उपयोगिता परीक्षा ली गई थी ; और

(ङ) वर्ष 1959 से 1962 तक की अवधि में 100-185 रुपये (पी०सी०) 150-240 रुपये (ए०एस०) के वेतनमान में पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा उनकी नियुक्ति की तारीख क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पार्सल कार्यालय लखनऊ का सतर्कता दृष्टि से निरीक्षण

3797. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ पार्सल कार्यालय का नवम्बर, 1969 में लगातार एक सप्ताह तक सतर्कता अधिकारियों ने सतर्कता की दृष्टि से निरीक्षण किया था ;

(ख) इतने लम्बे निरीक्षण के क्या कारण थे ;

(ग) निरीक्षण के क्या परिणाम निकले ;

(घ) सतर्कता शाखा द्वारा निरीक्षण की सामान्य प्रक्रिता क्या है ; और

(ङ) क्या सतर्कता शाखा द्वारा इतने समय तक निरीक्षण जारी रखने का कारण यह है कि वहां कोई असामान्य परिस्थितियां विद्यमान थीं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) नवम्बर, 1969 में लखनऊ पार्सल घर का कोई निरीक्षण नहीं किया गया लेकिन 6-12-69 और 11-12-69 के बीच रेलवे बोर्ड के जांच निरीक्षकों ने इस पार्सल घर की जांच की थी ।

(ख) पार्सल घर के कर्मचारियों पर काम में गम्भीर अनियमितता बरतने की कुछ शिकायतें मिलीं थीं जिसकी वजह से यह जांच की गई थी ।

(ग) जांच के फलस्वरूप पार्सल घर के कर्मचारियों द्वारा काम में कुछ अनियमितता बरतने का पता चला ।

(घ) और (ङ). छद्म नाम से अथवा बिना नाम के की गई शिकायतों को छोड़कर बाकी उन शिकायतों की छान-बीन की जाती है जिसमें निर्दिष्ट आरोप लगाये जाते हैं । इसके अलावा, निवारक उपाय के रूप में भी जांच की जाती है । काम में सम्भावित कदाचार और अनियमितता की रोक-थाक के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है । किसी छान-बीन/जांच के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि यह कई बातों पर निर्भर करता है जैसे जिस यूनिट की जाँच करनी है, वह कितनी बड़ी है, जिस रिकार्ड की छान-बीन करनी है, उसकी मात्रा क्या हैं ; कितने व्यक्तियों से पूछ-ताछ की जानी है आदि ।

हरियाणा को लाइसेंस जारी करना

3798. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 969-70 में हरियाणा को नये उद्योगों की स्थापना के लिये कितने नये लाइसेंस दिये गये और इन फर्मों तथा स्थानों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : 1-1-1969 से 28-2-70 तक की अवधि में हरियाणा राज्य में नये औद्योगिक उपक्रमों के स्थापनार्थ दो औद्योगिक लाइसेंस तथा आठ आशय-पत्र जारी किये गये थे । इन आशय-पत्रों में से एक-एक की स्थापना के लिये हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश भी वैकल्पिक स्थान रखा गया है । लाइसेंस तथा आशय-पत्रों का ब्यौरा, फर्मों के नाम तथा पते औद्योगिक लाइसेंस, आयात लाइसेंस तथा निर्यात लाइसेंस के साप्ताहिक बुलेटिन, वीकली इण्डियन ट्रेड जरनल तथा मन्थली जरनल आफ इण्डस्ट्री और ट्रेड में प्रकाशित किये जाते हैं । इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय को दे दी जाती हैं ।

दिल्ली स्टेशन पर यात्री पथप्रदर्शक

3799. **श्री देव राव पाटिल** : क्या **रेलवे** मन्त्री दिल्ली स्टेशन अधीक्षक के अधीन कार्य कर रहे यात्री पथप्रदर्शकों के सम्बन्ध में 2 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2.02 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्टेशन में यात्री पथप्रदर्शक वास्तव में मुख्य जांच पर्यवेक्षक के अधीन कार्य कर रहे हैं और न कि स्टेशन अधीक्षक, दिल्ली के ;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं जब कि यात्री पथप्रदर्शकों को स्टेशन अधीक्षक के सीधे अधीन रखने की प्रणाली पिछले बीस सालों में सन्तोषजनक रही है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्य रेलवे में क्या प्रथा चल रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). दिल्ली स्टेशन के यात्री सहायक स्टेशन अधीक्षक के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन कार्य कर रहे हैं। 18-9-69 से उनसे अपनी हाजिरी मुख्य पूछताछ पर्यवेक्षक के कार्यालय में लगवायी जाती है, क्योंकि स्टेशन अधीक्षक सामान्यतया परिचालन कार्य में बहुत व्यस्त रहते हैं।

(ग) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेडियोग्राफरों (एक्सरे चित्रकार) के ड्यूटी के घण्टे

3800. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के रेडियोग्राफरों (एक्सरे चित्रकार) को प्रति दिन 8 घंटे की दिन की ड्यूटी देनी पड़ती है, जबकि यह अन्तर्राष्ट्रीय रेडियोलाजिकल आयोग की सिफारिशों के प्रतिकूल है ;

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रेडियोग्राफर (एक्सरे चित्रकार) का बहुत जोखिम वाला काम है, क्योंकि एक्सरे विकिरण और अल्ट्राबायलैट किरणों का नाशकारी प्रभाव पड़ता है, इन सिफारिशों को कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) रेलवे में कुल कितने रेडियोग्राफर (एक्सरे चित्रकार) हैं और उनके वेतनमान क्या है ; और

(घ) क्या उन्हें जोखिम भत्ता दिया जाता है और यदि हां, तो किन राज्यों द्वारा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

संसदीय मामलों के लिए न्यायिक समिति

3801. **श्री जुगल मंडल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से पहले सभी अध्यादेशों, विधेयकों तथा प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक न्यायिक समिति गठित करने का कोई प्रस्थापना हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० युनूस सलीम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इलैक्ट्रिक कैप लैम्पों का निर्माण

3802. **श्री जुगल मण्डल** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन उद्योग के लिये इलैक्ट्रिक कैप लैम्पों का निर्माण करने के लिये किसी गैर-सरकारी पार्टी ने कोई कारखाना स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका नाम क्या है और उसे कब तक स्थापित किया गया ; और

(ग) इस कारखाने में अब तक कुल कितने इलैक्ट्रिक कैप लैम्प तैयार किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) गैर-सरकारी क्षेत्र में खनन उद्योग के लिये इलैक्ट्रिक कैप लैम्पों का निर्माण करने वाली दो कम्पनियां हैं ।

(ख) और (ग). वे हैं :—

(1) में ओल्ड हैम एण्ड सन्स इण्डिया लि० तथा (2) मे० माइन्स सेफ्टी एप्लाएन्सेज । पहली कम्पनी ने 1961 में उत्पादन प्रारम्भ किया था अब तक इन्होंने 2,90,810 नग बनाये हैं। दूसरी फैक्टरी ने 1966 में उत्पादन प्रारम्भ किया था तथा 1967 के अन्त तक इसका उत्पादन 10,454 नग रहा जिसके बाद इसका राज्य उद्योग निदेशक की देखरेख में लघु उद्योग क्षेत्र में स्थानान्तरण कर दिया गया तथा तब से इसके उत्पादन संबधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

मध्य प्रदेश में ऊपरी पुलों का निर्माण

3803. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने और किन नगरों में गत दो वर्षों में रेलवे लाइनों पर ऊपरी पुल बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि विदिशा नगर में रेल लाइनों पर हुई अनेक गम्भीर घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ संसद् सदस्यों ने कुछ महीने पहले वहां पर एक ऊपरी पुल बनाने की मांग की थी ; और

(ग) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) दो । एक इन्दौर में और दूसरा ग्वालियर के नजदीक बिरलानगर में ।

(ख) और (ग). मध्य रेलवे की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति ने जिसमें कुछ संसद् सदस्य भी हैं, जनवरी, 1969 में हुई 49 वीं बैठक में यह सुझाव दिया था कि विदिशा स्टेशन के वर्तमान ऊपरी पैदल पुल का विस्तार किया जाये। इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि ऊपरी पैदल पुल का विस्तार करने से भारी मात्रा में बिना-टिकट यात्रा होने लगेगी। इसके अलावा स्टेशन के दूसरी ओर स्थित बस्तियों के लिए भी इसका महत्व बहुत कम होगा, क्योंकि स्टेशन यार्ड के दोनों सिरों पर स्थित दो समपारों से उनकी जरूरतें पहले से ही पर्याप्त रूप से पूरी हो जाती हैं।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में यात्री पथ प्रदर्शकों की हैड टिकट कलेक्टरों/ सीनियर ग्रुप इन्सपेक्टरों के रूप में पदोन्नति

3804. **श्री देव राव पाटिल** : क्या **रेलवे** मन्त्री उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में यात्री पथ प्रदर्शकों की हैडटिकट कलेक्टरों/सीनियर ग्रुप इन्सपेक्टर (ए० टी० ई० एस०) के रूप में पदोन्नति के बारे में 2 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2268 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय यह मामला किस स्थिति में है ;

(ख) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय में इतना अधिक विलम्ब देखते हुए सरकार ने इस वर्ग के उन कर्मचारियों को जो इस वर्ग में पिछले बीस वर्षों से अधिक समय से पड़े हैं, अस्थायी रूप से पदोन्नति करने की वाँछनीयता पर विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). टिकट जांच संवर्ग में समाहित किये जाने पर अपनी निर्धारित वरिष्ठता के विरुद्ध एक यात्री-सहायक ने जो रिट याचिका दायर की थी, उस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपनी व्यवस्था वापिस ले ली है। स्थिति की समीक्षा की गयी है और उत्तर रेलवे को आदेश दिया गया है कि दिल्ली मण्डल में रुके हुए चुनाव वर्तमान आदेशों के अनुसार किये जायें।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता

3805. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धकों और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कर्मचारी संघ के बीच कोई समझौता हुआ है जिसके अनुसार 650 रुपये मासिक तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को नवम्बर, 1969 से कुछ राहत दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और कितनी राहत दी जायेगी ;

(ग) क्या ऐसी राहत अन्य सरकारी उपक्रमों में भी देने पर विचार किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). लोहा और इस्पात उद्योग संयुक्त-वेतन-वार्ता-समिति की बैठक में हुए निर्णय पर आधारित दिनांक 19-12-1969 के समझौता-ज्ञापन के अनुसार और उसके आधार पर किये गए समझौतों के अन्तर्गत हिन्दुस्तान स्टील लि० के उन सभी कर्मचारियों को, जिनका वेतन-मान 650 रुपये से अधिक नहीं है और जिनको प्रथम लोहा और इस्पात वेतन बोर्ड की सिफारिशें लागू होती है अथवा जिनको करारों द्वारा अथवा अन्यथा इस वेतन बोर्ड की सिफारिशों का लाभ दिया गया है, 1 नवम्बर, 1969 से 33 रुपये प्रति मास की अन्तरिम सहायता देय है। अन्तरिम सहायता की भविष्य निधि, उपदान, अतिरिक्त समय भत्ता, प्रोत्साहन/उत्पादन बोनस आदि के लिये गणना नहीं की जाएगी।

(ग) और (घ). चूंकि यह सहायता केवल लोहा और इस्पात उद्योग के कर्मचारियों के लिये है अतः दूसरे सरकारी उपक्रमों को यह सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

Golcha Properties (Private) Ltd., Delhi

*3806. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of owners and partners of the Golcha Properties Limited, Delhi ; and

(b) the extent of their total liabilities and also that of their personal property ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Golcha Properties (Private) Ltd. was incorporated as a limited company under the Companies Act on 24-2-1948. As per the information available, the company had following four members :

1. Seth Harish Chandraji Golcha
2. Seth Mehtab Chandji Golcha
3. Shri Abhaymalji Shah
4. Smt. Jatam Kanwarji Golcha.

The Company was ordered to be wound up by the High Court, Rajasthan on 10-5-1968.

(b) Under the Companies Act, the liabilities of the members of a Company having share capital is restricted to the shares subscribed. Information about personal property of the members is not required to be furnished and hence it is not available.

Import of Cinema Carbons

3807. **Shri Ram Charan :**
Shri G. Y. Krishnan :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a shortage of low intensity Cinema carbons in India ; and

(b) if so, the expenditure which would be incurred by Government to import Cinema carbons during the next year and the quantity of Cinema carbons being imported by the State Trading Corporation this year ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) The S. T. C., who are not importing Cinema Arc Carbons at present, have been licenced to import the same worth Rs. 2.5 lakhs and import is expected to materialise during next financial year.

Quota of Imported Sheets and Licence given under Import Policy for Irrigation Purposes

3808. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1575 on the 8th May, 1969 regarding the quota of imported sheets for irrigation purposes and state the names, designations and addresses of the authorised parties together with the details of the year-wise quota specifying the gauge and licences given to them for their actual use upto January, 1970 under the import policy in force during 1964-65 and the names of those persons who have actually made use of the aforesaid quota ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : Statistical information on the lines sought is not readily available. The collection and compilation of the information will involve time, labour, and expenditure not commensurate with the results.

रूरकेला इस्पात कारखाने में श्रमिकों के स्वास्थ्य के बारे में प्रायोगिक सर्वेक्षण

3809. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा किये गये एक प्रयोगिक सर्वेक्षण से पता चला है कि उसके 30,000 श्रमिकों में से 30 प्रतिशत श्रमिक मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं ; और

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों का मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). जनवरी-मार्च, 1967 की अवधि में रूरकेला इस्पात कारखाने में प्रमुख चिकित्सक ने उन रोगियों का एक मार्गदर्शी सर्वेक्षण किया जो उसके बहिरंग रोगी चिकित्सालय में आये थे। सर्वेक्षण से पता चला कि इस अवधि में जो रोगी बहिरंग रोगी चिकित्सालय में गए थे उनमें से लगभग 30 प्रतिशत किसी न किसी प्रकार के भावुक असंतोष से ग्रस्त थे और उन्हें सहानुभूतिपूर्ण परामर्श की आवश्यकता थी । इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि वे मानसिक रोग से ग्रस्त थे । ऐसे रोगियों की आवश्यकताओं के लिये एक पूर्णकालिक मनश्चिकित्सक नियुक्त कर दिया गया है ।

मंगलौर में एक यात्री के पास से पाया गया ट्रांसमीटर

3810. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1970 के दूसरे सप्ताह में अथवा इसके आस-पास

मंगलौर स्टेशन पर दो यात्रियों के पास से एक बहुत ही सूक्ष्म एवं बढ़िया ट्रांसमीटर मिला था ; और

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) 20-1-70 को मंगलौर रेलवे स्टेशन पर एक यात्री के पास से ट्रांजिस्टर/रिसीवर उपस्कर का एक भाग बरामद किया गया था फरवरी, 1970 में ऐसा कोई उपस्कर नहीं बरामद किया गया ।

(ख) इस सम्बन्ध में मंगलौर रेलवे पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था । जांच पूरी होने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में एक आरोप पत्र दायर कर दिया गया । इस मामले की सुनवाई होनी है ।

लघु उद्योगों के लिये ऋण गारंटी योजनाओं में परिवर्तन

3811. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री मयाबन :**
श्री दण्डपाणि : **श्री सामिनाथन :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने लघु उद्योगों के लिये ऋण गारंटी योजनाओं में कुछ बड़े परिवर्तन करने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो इन परिवर्तनों से ऋणदाता संस्थाओं को उदारतापूर्वक ऋण देने में क्या सहायता मिलेगी ;

(ग) इन परिवर्तनों का लघु उद्योगों ने किस सीमा तक स्वागत किया है ; और

(घ) रिजर्व बैंक ने किन बड़े परिवर्तनों की घोषणा की है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (घ). जी, हां । लघु उद्योगों के लिये ऋण गारंटी योजना को 1 फरवरी, 1970 से संशोधित कर दिया गया है । पुनरीक्षित योजनानुसार ऋण प्रदात्री संस्थानों को ऋण सीमा के लिये प्रस्तुत आवेदन को गारंटी हेतु गारंटी संगठन की स्वीकृत प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं । इसके स्थान पर जब एक ऋण प्रदात्री संस्था गारंटी संगठन के साथ एक करार कर लेती है तो हकदार लघु उद्योग एककों को उस संस्था द्वारा प्रदान किये गये ऋण स्वतः ही गारंटी प्राप्त हो जाते हैं । इस गारंटी का लघु उद्योग एककों को दी जा रही सभी प्रकार की ऋण सुविधाओं तक विस्तृत कर दिया गया है । गारंटी की समाविष्टि जो कि पहले स्वीकृत सीमाओं के अनुसार और भुगतान न की गई राशि के अनुसार भिन्न भिन्न होता था अब उसके स्थान पर यह समाविष्टि भुगतान न की गई राशि के 75 प्रतिशत अथवा स्वीकृत की राशि जो भी कम हो, के तुल्य कर दिया गया है । गारंटी संस्थान से वसूल की जाने वाली

सांविधक ऋण की अधिकतम राशि 2 लाख रुपये थी किन्तु अब यह राशि कार्यकारी पूंजी ऋणों के लिये 7/1/2 लाख हो गई है और सांविधक ऋणों की प्रत्येक ऋण लेने वाले की अवस्था में 2/1/2 लाख रुपये हो गई है।

(ख) नई प्रक्रिया से ऋण प्रदावी संस्थाओं का काफी समय तथा श्रम बच जायेगा और प्रत्येक आवेदन को गारंटी हेतु गारंटी संगठन प्रस्तुत करने में होने वाला बिलम्ब भी बच जायेगा। स्वतः गारंटी लागू किये जाने से प्रक्रिया में जो सुधार किया गया है उससे ऋण दाता संस्थान अब लघु उद्योग एककों की बड़ी संख्या से सम्पर्क स्थापित कर सकेंगे तथा उनकी ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति में अधिक समय तथा ध्यान दे सकेंगे। इसके अतिरिक्त कि सभी ऋण गारंटी प्राप्त होने के कारण अब उपांत मामलों को अलग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और बैंक अधिकारी अब अधिक विश्वास से ऋण आवेदनों का निपटान कर पायेंगे।

(ग) लघु उद्योगों ने योजना में किये संशोधनों का सामान्यतः स्वागत किया है।

बाल कल्याण कार्यक्रम सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

3812. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री बे० कु० दास चौधरी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपयुक्त बाल कल्याण कार्यक्रम को सुझाव देने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त समिति की मुख्य उपपत्तियाँ तथा सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) समिति ने एक विस्तृत रिपोर्ट में बच्चों के कल्याण के लिये स्वास्थ्य, पोषण शिक्षा तथा विशेष और साधारण सेवाओं के बारे में 1 9 सिफारिशें की हैं। जो सदस्य इस रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहते हैं उनकी सुविधा के लिये इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ख) समिति की रिपोर्ट की परीक्षा कर ली गई है और क्योंकि अनेक सिफारिशें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा भारत सरकार के कुछ अन्य मंत्रालयों से संबंधित हैं, इसलिये सिफ़ारिशों पर विचार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिये रिपोर्ट की प्रतियां उन्हें भेज दी गई हैं। समाज कल्याण विभाग ने कुछ अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों को कार्यान्वित के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) 0-3 वर्ष की आयु के लगभग 10 लाख बच्चों को तथा 3-5 वर्ष आयु के लगभग 65,000 बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिये 1970-7. के बजट प्राक्कलनों में 4.20 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

(2) बाल सेवाओं से सम्बद्ध एक विस्तृत नीति संकल्प का मसौदा तैयार करने का काम हाथ में ले लिया गया है।

(3) बच्चों के लिये राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार ऊंचे स्तर तक पहुँच चुका है।

विदेशी कम्पनियों की वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्य

3813. **श्री सूरजभान :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री शारदा नन्द :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित कुछ वस्तुओं के मूल्य उनके अपने देशों में उन्हीं वस्तुओं के मूल्यों में अधिक होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उन वस्तुओं के नाम क्या हैं ;

(ग) इन कम्पनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्यों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार मूल्य पर नियंत्रण करने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) गत तीन वर्षों में उनको कुल और शुद्ध मुनाफा कितना हुआ ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—2962/70**]

Setting up of Cement Factory Based on Lime Stone Found in Damoh District in Madhya Pradesh

3814. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are of the view that lime-stone found in Damoh District in Madhya Pradesh can be utilised for producing cement be setting up a cement factory there and thus meeting the additional requirement of cement for the construction of houses under the housing scheme ; and

(b) if so, whether Government propose to consider a scheme in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The Report of Geological Survey of India on the limestone survey indicates availability of adequate high grade limestone suitable for cement manufacture in the area.

(b) Madhya Pradesh is at present surplus in production of cement. There is therefore at present no immediate prospect of any cement factory being set up in the public sector in this area.

विदेशी विनियोजन पर स्वामित्व का भुगतान करने की अवधि

3815. **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय काय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम जर्मनी के ड्यूस्चे बैंक के अध्यक्ष को कोई आश्वासन दिया है कि विदेशी विनियोजन पर स्वामिस्व के भुगतान की अवधि को कम नहीं किया जायेगा ।

(ख) यदि हां, तो ऐसा आश्वासन देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार भारत में गैर-सरकारी विदेशी विनियोजकों को अधिक सुविधाएं देने के लिए सहमत हो गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार की सुविधाएं देने के लिये सहमत हुई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) डयूस्चे बैंक के अध्यक्ष डा० हरमन जे० आब्स के नेतृत्व में आये जर्मनी के उद्योगपति तथा बैंक मालिकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुये विचार विमर्श में सरकार की विदेशी विनियोजन तथा सहयोग संबंधी नीतियों में बताया गया था । प्रतिनिधि मंडल को वर्तमान नीतियों में किसी प्रकार का संशोधन करने का आश्वासन नहीं दिया गया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Proportion of Increase in the Length of Railway Track and number of Officers in Railways

3816. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the length of Railway track increased, in Kilometres, since the 15th August, 1947 as also the number of officers increased and the ratio *inter se* thereof ;

(b) the percentage of the relatives of the Ministers and high officers amongst the said officers ; and

(c) whether any indication is given in respect of their relationship with the Ministers/ high officers in their Service Books and if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The total length of track on the Government Railways and the number of officers on open line (excluding Medical Officers) as on 31st March 1948 and 1969 and other relevant data are given below :—

GOVERNMENT RAILWAYS

	No. of officers on open line, excluding Medical Department.	Average Cost per Officer per annum.	Traffic Units (Net tonne kilometres plus Passenger kilometres (In million)	Total Track Kilometres	Officers per 1,000 track kilometres.
		Rs.			
As on 31-3-1948	1,457	19,724	79,898	62,459	23.3
As on 31-3-1969	4,166	14,080	232,080	97,785	42.6
Percentage increase in 1969 over 1948.	185.9	-28.61	190.5	56.6	82.8

Note : Number of Medical Officers on open line railways in 1948 and 1969 was 52 and 1,777 respectively.

(b and (c). Such details are not maintained or recorded in the Service Books. Therefore, the required information is not available.

It may, however, be clarified that relationship with Ministries or high officers is not a relevant factor in making either recruitment/promotion to Class I posts which is done through or with ths concurrence of the U. P. S C., or promotion to Class II posts made through duly constituted selection Boards functioning within the framework of a detailed procedure prescribed.

उत्तर रेलवे में इंजीनियरी अधीनस्थ कर्मचारियों के पदोन्नति तथा स्थानांतरण के आदेश जारी करना

3817. **श्री हुकम चंद कछवाय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरी अधीनस्थ (कर्मचारियों) का विशेषकर उत्तर रेलवे में पदोन्नति तथा स्थानान्तरण के आदेशों के लिए महीनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1968 से जनवरी, 1970 तक इंजीनियरी अधीनस्थ कर्मचारियों को इन आदेशों के लिए प्रतीक्षा करने के कारण कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Production of Electrical Machinery by Bharat Heavy Electricals Ltd.

3818. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the production of heavy electrical machinery has commenced in the Bharat Heavy Electricals Ltd., and whether the said machinery would also be exported to other countries in addition to being supplied to the power houses in the country ;

(b) the types of the heavy electrical machinery and spare parts being manufactured in the said factory ; and

(c) the place of the said factory among those factories manufacturing similar types of machinery in the world ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Production has commenced in the various units of Bharat Heavy Electricals Ltd., namely, High Pressure Boiler Plant, Tiruchirapalli, Heavy Power Equipment Plant Hyderabad, Switchgear Unit Hyderabad and Heavy Elecrical Equipment Plant Hardwar.

Steps are being taken to encourage exports of other Countries. The High Pressure Boiler Plant Tiruchirappali has already exported valves to Poland and West Germany and orders for two 60 M W boilers have been secured for export to Malaysia.

(b) the products being manufactured in various units of Bharat Heavy Electricals Ltd. are as under :—

(i) High Pressure Boiler Plant, Tiruchirapalli is designed to produce annually 30,000 tonnes high pressure boilers equivalent to 750 MW generating capacity, 2,500 tonnes high pressure boiler valve fittings, 10 package boiler units and 1100 tonnes of pressure vessels.

(ii) The Heavy Power Equipment Plant Hyderabad is designed to manufacture steam turbines, turbo alternators and pumps equivalent to total output of 900 MW per annum consisting of six units of 110 MW and four units of 60 MW each.

(iii) The Switchgear Unit, Hyderabad is manufacturing Air Blast Circut Breakers of 132 KV, 230 KV and 400 KV and Minimum Oil circuit Breakers of 25/33, 56 and 132 KV ranges.

(iv) The Heavy Electrical Equipment Plant Hardwar is designed to manufacture an annual production of 1.5 million KW of Steam turbo sets, 1.2 million KW of Hydraulic Turbines sets and about 5,15,000 KW of large size electric motors

(c) The acquisition of necessary skills and the absorption of technical know-how and designs takes time in a highly sophisticated and heavy industry like the manufacture of Steam Turbines, Turbo alternators, Hydro Turbines, Hydro generators and large Motors. The various units of BHEL are in initial stages of production and it is too early to compare them with well-known international heavy electrical complexes.

छोटे उद्योगों को लाइसेंस देने की शर्त से छूट

3819. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि उन उद्योगों को छोड़ कर जो सरकारी क्षेत्र के लिये आरक्षित हैं, जिनमें इतनी अधिक विदेशी मुद्रा नहीं लगती, जिसके लिये सरकार से पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है, बाकी सभी छोटे उद्योगों को लाइसेंस देने की शर्त से छूट दे दी जाय ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). औद्योगिक लाइसेंस के बारे में योजना आयोग के विचार चौथी

योजना के प्रारूप में सम्मिलित कर लिये गये हैं। योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि जिन उद्योगों को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है या थोड़ी सी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है उन्हें लाइसेंस की शर्त से छूट दे दी जाये। ऐसी सभी आधारभूत व सामरिक महत्व के उद्योगों के बारे में जिनमें काफी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, आयोग ने सुझाव दिया है कि उनकी योजना सावधानी पूर्वक बनाई जानी चाहिये और उनके लिये औद्योगिक लाइसेंस लेने की शर्त रखनी चाहिये। योजना आयोग की सिफारिशों पर औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के निष्कर्षों व सिफारिशों के साथ-साथ विचार किया गया है। सरकार ने अत्यन्त सावधानी पूर्वक इन सिफारिशों पर विचार किया है और देश में औद्योगिक विकास की गति को यथासंभव तीव्र करने के लिये नियंत्रणों में ढील देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक लाइसेंस नीति में कुछ परिवर्तनों की घोषणा की है किन्तु साथ ही इस बात का ध्यान रखा गया है कि आर्थिक शक्ति किसी एक में केन्द्रित न हो जाये तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हो। इस संबन्ध में जारी की गई दिनांक 1 फरवरी, 197 की प्रेस विज्ञप्ति और दिनांक 19 फरवरी, 1970 की दो अधीसूचनाओं की प्रतियां 24 फरवरी, 1970 को अतारांकित प्रश्न सख्या 311 के उत्तर के साथ संलग्न पत्रों के रूप में सभा पटल पर पहले रख दी गई है। 28-2-70 को जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की एक-एक प्रति और 13 मार्च, 1970 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति साथ में सलंग्न हैं। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2963/70**]

बड़े उद्योगों के लिये श्रम प्रधान मदों की सप्लाई के लिये ठेके

3820. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े उद्योगों में श्रम प्रधान मद की सप्लाई के लिए दीर्घकालिक ठेकों के बारे में अन्य देशों के साथ बातचीत हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के लिए किन-किन देशों के साथ सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में आयोजित गांधी शताब्दी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

3821. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री न० रा० देवघरे :**
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **निधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित गांधी शताब्दी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने

सरकार से अनुरोध किया है कि वह छूट सम्बन्धी अपनी वर्तमान नीति को वापस ले और संविधान में वर्णित सरकारी नीति के निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार पूर्ण मद्यनिषेध करने के लिए कार्यवाही करे ;

(ख) क्या सरकार ने उन राज्यों में शराब की दुकान बन्द करने के लिए जनमत तैयार करने के लिए एक स्थायी समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है, जहां सरकारों ने मद्यनिषेध करने से इंकार कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) (क) और (ख). गांधी स्मारक निधि, अखिल भारतीय मद्यनिषेध परिषद तथा एलकोहलइज्म के निवारण के भारतीय संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हुए सम्मेलन ने मद्यनिषेध के विषय पर अनेक सिफारिशें की थीं। उनमें से एक सिफारिश इस विषय से सम्बन्धित है।

(ग) और (घ). सम्मेलन के संकल्पों की परीक्षा की जा रही है।

Anomalies in I. P. C., Hindu Marriage Act and Railway Service Conduct Rules

3822. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are many anomalies in Section 494 of the I. P. C., Section 16 of the Hindu Marriage Act and Rule 21 of the Railway Service Conduct Rules, 1966 ; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken by Government to remove these anomalies ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Mohd. Yunus Saleem) : (a) The Government is not aware of any anomaly in section 494 of the Indian Penal Code, Section 16 of the Hindu Marriage Act and rule 21 of the Railway Service Conduct Rules, 1966.

(b) Does not arise.

इंजीनियरिंग सेवाओं में भर्ती (1969)

3 23. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में ली गई इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में, जिसका परिणाम मई, 1969 में घोषित किया गया था, कितने उम्मीदवार चुने गये थे और उनमें से कितनों को रोजगार मुहैया कर दिया गया है और कितनों को एम० ई० एस० में नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिक अंक प्राप्त करने वालों को छोड़ दिया गया है ; और

(ग) इस टोली (बैंच) में से चुने गये और नियुक्त किये गये प्रत्येक उम्मीदवार ने कितने अंक प्राप्त किये थे ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) परीक्षा के परिणामस्वरूप 354 उम्मीदवारों को नियुक्ति

के योग्य घोषित किया गया था। इनमें से 228 उम्मीदवार विभिन्न सेवाओं/पदों को आबंटित किये गये। 40 उम्मीदवार सैनिक इंजीनियरी सेवाओं को आबंटित किये गये।

(ख) जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, उनके लिए यह अपेक्षित था कि वे अपने आवेदन पत्रों में उन सेवाओं/पदों का नाम तरजीही क्रम में बतायें जिनके लिए वे प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते थे। परीक्षा का परिणाम निकलने पर उम्मीदवारों को सम्बन्धित सेवाओं/पदों की योग्यता-क्रम सूचियों के क्रम में उनकी योग्यता सम्बन्धी स्थिति के अनुसार ही विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए आबंटित किया गया और ऐसा करते समय उम्मीदवारों द्वारा सेवाओं/पदों के लिए बताये गये तरजीही क्रम, सम्बन्धित सेवाओं/पदों के लिए शारीरिक परीक्षा के परिणाम, और अलग-अलग सेवाओं/पदों में भरे जाने वाले खाली स्थानों की संख्या का समुचित ध्यान रखा गया। जिस उम्मीदवार ने तरजीही सूची में किसी विशेष सेवा/पद का नाम शामिल नहीं किया था जिसमें उस सेवा/पद के लिए योग्यता क्रम-सूची के अनुसार अपनी बारी आने पर उसे आबंटित किया जा सकता था, उसके लिए उसे केवल इसी कारण से आबंटित नहीं किया गया क्योंकि वह उस विशेष सेवा/पद के लिए उम्मीदवार नहीं था।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गयी है। ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2964/70]

Construction of New Railway Lines in Bundelkhand

3824. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Boundary Commission had made it clear in their report submitted at the time of reorganisation of Madhya Pradesh that with the object of development of Bundelkhand, a survey for the construction of new Railway lines would be undertaken and new Railway lines would be laid ;

(b) if so, the number of Railway lines which have been laid so far in the said area ; and

(c) if no line has been laid so far, the reasons therefor and the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The Hon'ble Member is perhaps referring to the mention made in para 487 of the Report of the States Reorganisation Commission, 1955, regarding the demand for construction of a railway line connecting Jabalpur with Lalitpur or Jhansi and the suggestion for another line running east to west through Vindhya Pradesh.

(b) No new lines have been laid in Bundelkhand area of Madhya Pradesh in the recent past.

(c) Railway lines are not built on regional or statewise considerations, but on overall development considerations in the national interest. As there are no developments in the area warranting the construction of a rail link, no new line is likely to be taken up for construction in the Bundelkhand area in the near future, as the funds for new lines are very limited and any new line in this area is not likely to be economically viable.

पुरी-हावड़ा एक्सप्रैस में सैनिकों द्वारा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार

3825. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री नम्बियार : श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरी-हावड़ा एक्सप्रैस में 15 फरवरी, 1970 को जब एक महिला

अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी तो प्रादेशिक सेना के सैनिकों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

नांगल में उद्योग की स्थापना

3826. **श्री हेमराज** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के एक अधिकारी ने नांगल बांध के निकट एक बड़ा उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये उस स्थान का दौरा किया था तथा वह नांगल बांध कर्मशाला का नियमित कार्यसंचालन देखने के लिए वहां गया था ? और

(ख) यदि हाँ तो उस दौरे का क्या परिणाम निकला है और इस मामले में अग्रेतर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मेरे मन्त्रालय का कोई अधिकारी उल्लिखित विशिष्ट कारण से नाँगल डेम नहीं गया ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Impact of Indian Railways (Amendment) Act, 1969 on Ticketless Travelling

3827. **Shri Kanwar Lal Gupta : Shri Sharda Nand : Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of ticketless travellers apprehended after the enactment of the Indian Railways (Amendmet) Act, 1969 providing for awarding severe punishment to persons who travel without tickets ;

(b) the impact of this legislation on the earnings of the Railways ;

(c) the steps taken by Government for its proper enforcement ; and

(d) the number of ticketless travellers apprehended during the period of two years prior to the enactment of the said legislation ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) During the period from June, 1969, when enhanced penalties came into force upto December, 1969, the number of passengers detected travelling without ticket or with improper ticket was 15,64,139.

(b) During the period June to December 1969, the sale of tickets and the amount realised therefrom recorded an increase of 7.3% and 6.9% respectively, compared to the corresponding period of the previous year. A major portion of this increase is assessed to be due to the legislation, referred to.

(c) Sectional, Concentrated and Spot checks by ticket checking staff besides intensified surprise massive raids in association with Railway Magistrates are undertaken frequently to apprehed ticketless travellers.

(d) The number of ticketless travellers apprehended during the period of two years prior to enactment of legislation was as under : —

June 1967 to May 1968 :	1,04,13,435.
June 1968 to May 1969 :	1,12,66,900.

रेलवे कर्मचारियों की छुट्टी वाले दिन काम करने पर विशेष भत्ता देने में भेदभाव

3828. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग ने भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए 3 दिन का अवकाश दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन दिनों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को डाक तथा तार विभाग के परिपत्र संख्या 12-3-69 : टी० ई० दिनांक 16 अगस्त, 1969 के द्वारा कुछ विशेष भत्ता दिया गया था ;

(ग) क्या डाक तथा तार विभाग द्वारा अपनाई गई वही प्रक्रिया रेलवे ने भी अपनाई थी ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार के दो विभागों के कर्मचारियों में ऐसा भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं । स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन के सम्मान में केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों और औद्योगिक स्थापनाओं को तीन दिनों के लिए बन्द कर दिया गया था :

(ख) डाक और तार विभाग के जिन कर्मचारियों को इन दिनों काम करने को कहा गया था, उन्हें कोइ विशेष भत्ता नहीं दिया गया । उन्हें इन दिनों काम करने के लिए केवल 'समयोपरि भत्ता' दिया गया ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ). ड्राइवरों, गार्डों, स्टेशन मास्टरों आदि को छोड़कर, सभी रेल कर्मचारियों को इन दिनों कार्यालयों के बन्द रहने का लाभ उठाने की अनुमति दी गयी । लाइन कर्मचारियों को कार्यालयों के बन्द होने का लाभ इस कारण नहीं दिया गया क्योंकि उनकी ड्यूटी गाड़ी सेवाओं को बनाये रखने से अभिन्न रूप से सम्बद्ध है । रेलों के ऐसे सभी कर्मचारी काम के घटे विनियमों द्वारा शासित होते हैं और उन्हें काम के घंटे विनियमों के अधीन स्वीकार्य समयोपरि भत्ता दिया जाता है ।

पश्चिम रेलवे में अधिकारियों के विश्राम गृहों के निर्माण तथा मरम्मत आदि पर हुआ व्यय तथा उनमें ठहरने का अनुपात

3829. **श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में अधिकारियों के लिए कितने विश्राम-गृहों का निर्माण किया गया और वे कहां-कहां हैं ;

(ख) प्रत्येक विश्राम-गृह के निर्माण पर कितनी लागत आई है और वर्ष 1967, 1968 और 1969 में प्रत्येक विश्राम-गृह की मरम्मत आदि पर कितना व्यय आया है ;

(ग) उपरोक्त तीन वर्षों में प्रत्येक विश्राम-गृह में ठरहने का अनुपात क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि इन विश्राम-गृहों की मरम्मत आदि के व्यय की तुलना में इसमें ठहरने का अनुपात नगण्य है ; और

(ङ) क्या सरकार इन विश्राम गृहों में उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग करने के लिए इनको अधीनस्थ कर्मचारियों को उपलब्ध करने का विचार करेगी ?

रेलवे मंत्री (**श्री नन्दा**) : (क) संलग्न अनुबन्ध 'क' के अनुसार। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—2965/70]

(ख) और (ग). संलग्न अनुबन्ध 'ख' के अनुसार। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-2965/70]

(घ) केवल कुछ स्टेशनों पर उपयोग का अनुपात नगण्य है।

(ङ) रेलवे द्वारा आवधिक समीक्षा की बात की जाती है और जहां उपयोग का अनुपात कम होता है वहां आवश्यकता पड़ने पर, अधीनस्थ कर्मचारियों के विश्राम-घर आदि के रूप में रेलवे के अन्य प्रयोजनों के लिए इन विश्रामघरों के उपयोग के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

पश्चिम रेलवे के बुलसर के पार्सल तथा टिकट-घर के लिए कर्मचारी

3830. **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में बुलसर स्टेशन के पार्सल तथा टिकट घर के कर्मचारी वहां की यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वथा अपर्याप्त हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो वहां जनवरी, 1968 से दिसम्बर, 1969 तक निम्नलिखित यातायात सम्बन्धी यातायात को पूरा करने के आंकड़े क्या हैं, कितने पी० डब्ल्यू० बिल जारी किये गये तथा कितने पार्सल बुक किये गये ; कितने पी० डब्ल्यू० बिल प्राप्त हुए और कितने पार्सल भेजे गये और सामान टिकट कितने जारी किये गये और यातायात सम्बन्धी कितने विविध कार्य किये गये ;

(ग) मापदण्ड तथा कार्यभार के अनुसार कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है तथा इस समय कितने कर्मचारी दिये गये हैं ; और

(घ) यदि कोई कमी है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) से (घ). पता चला है कि बलसाड़ स्टेशन पर पार्सल और बुकिंग कार्यालय में लगभग 4 क्लर्कों की कमी है जिसका मुख्य कारण यह है कि यातायात बढ़ गया है। अपेक्षित संख्या में पदों की सृष्टि करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

समाज कल्याण संस्थाओं के निवासियों के राशन पर होने वाले व्यय की सीमा की समाप्ति

3831. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने अपनी समाज कल्याण संस्थाओं के निवासियों के राशन पर होने वाले व्यय की सीमा समाप्त करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में सभी समाज कल्याण संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले व्यय की वर्तमान सीमा को समाप्त करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) समाज कल्याण संस्थाओं के निवासियों को भोजन देने पर खर्च की सीमा को हटा देने से खर्च पर नियंत्रण रखने में कठिनाइयां होने की सम्भावना के कारण, दिल्ली प्रशासन को वस्तुओं के वर्तमान मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रति व्यक्ति खर्च की सीमा का पुनरीक्षण करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी गई है।

(ग) तथा (घ). खर्च पर आवश्यक नियंत्रण रखने की आवश्यकता के कारण देश की सभी समाज कल्याण संस्थाओं को प्रदान की गई सामग्री पर खर्च की सीमा को घटाना सम्भव नहीं है।

Broad-Gauge Line from Raipur to Dhamtari (South Eastern Railway)

3832. **Shri Lakhan Lal Gupta** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to convert the Raipur-Dhamtari narrow-gauge line, South Eastern Railway, into a broad-gauge one ;

(b) the recommendation made in this regard by the Committee which was appointed to enquire into the functioning of uneconomic Railway lines ; and

(c) if a decision has been taken to convert the said line into a broad-gauge one, the time by which a survey is likely to be undertaken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). Based on the recommendations of the Uneconomic Branch lines Committee, surveys for the conversion of the Raipur-Dhamtari narrow gauge section into broad gauge are proposed to be taken up during the year 1970-71. A decision regarding the conversion will be taken after the surveys are completed and the results thereof become known.

Production in Mandhar Cement Factory (Madhya Pradesh)

3833. **Shri Lakhan Lal Gupta** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Mandhar Cement Factory in Madhya Pradesh, set up under the Cement Corporation of India has started production :

(b) if not, the time by which it is likely to start production ;

(c) the number of persons so far appointed to various posts in the said factory ; and

(d) the percentage of the local people to each of those posts and the policy followed in giving appointments to the local people ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). Trail run at Mandhar has started since 26th December, 1969. Commercial production is expected to commence by the middle of April, 1970.

(c) 281.

(d) A statement is attached. The instructions of Government regarding employment of local people through local Employment Exchanges are followed subject to availability of suitable candidates on the basis of recommendations of the Selection Committee in which an Officer of the State Government is associated. [*Placed in Library. See* No. LT—2966/70].

विकलांग तथा असमर्थ व्यक्तियों के लिये रोजगार

3834. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विकलांग तथा असमर्थ व्यक्ति कितने हैं ;

(ख) 16 वर्ष की आयु से अधिक कितने हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में उन पर कितना धन खर्च किया गया ;

(घ) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में उनके लिए कोई धनराशि का नियतन किया गया हैं ; और

(ङ) उनको लाभदायक रोजगारों में लगाकर देश के लिए उपयोगी बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख). कोई आधार सामग्री उपलब्ध नहीं है । नमूने के सर्वेक्षणों पर आधारित

कच्चे अनुदानों से यह अन्दाजा लगाया गया है कि भारत में विभिन्न वर्गों के विकलांग व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित होगी :

	लाखों में
नेत्रहीन	40—50
वधिर	10—15
अपंग	40—50
मंद-मति (बच्चे)	20—00

(ग) यह राज्य विषय होने के कारण राज्य सरकारों द्वारा किये गये खर्च के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार ने, अलबत्ता, पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय कार्यक्रमों पर लगभग 61,41,278 रुपये की राशि खर्च की है।

(घ) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिए 250 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

(ङ) निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाये गये हैं :

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित 9 विशेष रोजगार कार्यालय विकलांग व्यक्तियों को काम ढूंढने में सहायता करते हैं।

(2) केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए विकलांग व्यक्तियों को अग्रता संख्या 3 दी गई है।

(3) तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के प्रयोजन से नेत्रहीन, वधिर तथा अपंग व्यक्तियों को उच्च वय-सीमा में 5 साल की छूट दी गई है।

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक कारखानों के आस-पास सहायक उपयोग

3835. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक कारखानों के आस-पास सहायक उद्योगों को स्थापित करने के किसी क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार करने में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पुर्जों तथा हिस्सों इत्यादि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायक उद्योगों के विकास की वांछनीयता भली-भाँति मानी गई

है और इनके विकास के लिए विस्तृत मार्ग दर्शक सिद्धान्त सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भेजे गये हैं। जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

1. सरकारी क्षेत्र के बड़े पैमाने के उपक्रमों के परियोजना प्रतिवेदन, विकास युक्त लघु उद्योग को दिखाई जाने चाहिए ताकि ऐसे हिस्से या पुर्जे जो इस समय लघु उद्योग क्षेत्र में बन रहे हैं या जिन्हें कुशलता पूर्वक बनाया जा सकता है इसमें सम्मिलित न किये जाएं ताकि सहायक एककों को इनके पुर्जों, हिस्सों तथा सहायकों के उत्पादन में भाग लेने का अवसर मिले।
2. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सहायक उद्योग एककों की बस्तियाँ बनाने की सम्भावनाओं का पता लगायें जैसा कि मेसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बगलौर ने किया है।
3. सरकारी क्षेत्र के सभी विद्यमान उपक्रम हिस्सों तथा पुर्जों का पुनरीक्षण यह निर्धारित करने के आशय से करें कि कौन-कौन सी वस्तुएं सुगमता से सहायक उद्योगों द्वारा निर्मित की जा सकती हैं और कौन-कौन सी वस्तुएं औद्योगिक बस्तियों में प्रस्तावित सहायक एककों को निर्माण हेतु दी जा सकती हैं।
4. सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रम उन सहायक एककों को तकनीकी सहायता, औजारों तथा परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करें क्योंकि इन पुर्जों तथा हिस्सों को सन्निकट सहायक उद्योगों को दिये गये विशिष्ट विवरणानुसार निर्मित करना आर्थिक दृष्टि से अन्ततोगत्वा अधिक लाभप्रद होगा।
5. लघु उद्योग सहायक एककों को नई वस्तुओं के विकास में प्रोत्साहित करने के लिए, उसमें सुरक्षा की भावना का संचार करने के लिए और क्रयादेश के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित कर अनिश्चितता के वातावरण को हटाने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम यथा सम्भव लघु उद्योग एककों के साथ लम्बी अवधि के क्रय करार करें। गत वर्ष के अन्त में हुई इस मन्त्रालय के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रशासकों की उच्चस्तरीय बैठक में इन मार्ग दर्शी सिद्धान्तों पर और अधिक बल दिया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Introduction of Diesel Cars on Bhusaval-Itarsi Line (Central Railway)

3836. **Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to run Diesel Railway cars to remove the difficulties created due to the withdrawal of the Bhusaval-Itarsi Passenger train on the Central Railway ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) whether such Diesel Railway cars are running on some other sections ; and

(d) if so, the names of those sections and the circumstances under which Diesel cars were introduced there ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). Spare Diesel Rail Cars and

not available for introduction on Bhusaval-Itarsi section. Re-introduction of 349 Dn/350 Up Bhusaval-Itarsi Passenger trains which were cancelled in August, 1968, has not been found feasible at present because of the strained line capacity on Bhusaval-Itarsi main line section, nor has it been found justified having regard to utilisation of the existing two pairs of stopping Passenger trains viz. 357 Dn/358 Up and 387 Dn/388 Up, running on the section.

Having regard to the offering of traffic at Khirkiya, Banapura, Bir and Harsud statiods of Bhusaval-Itarsi section, 41 Dn/42 Up Bombay-Allahabad-Howrah Janta Express, or 27 Dn/28 Up Bombay-Varanasi Express, trains have been provided stoppage make up for the loss consequent on cancellation of 349 Dn/350 Up Passengers.

(c) Yes.

(d) Diesel rail cars are generally introduced in sections where traffic offering is small and does not justify a full train, but the frequency and distance is short. Diesel Rail Cars have been running on the following sections :—

BROAD GAUGE

(i) Ludhiana-Sirhand-Jullundur City-Amritsar.

(ii) Jullundur City-Tanda Urmar.

(iii) Jullundur City-Nawashahr Doaba.

(iv) Jullundur City-Lohian Khas.

(v) Samalkot-Kakinada.

(vi) Nidadavole-Narasapur.

(vii) Vijaywada-Waltair.

METRE GAUGE

(i) Kanpur-Brahamavart.

(ii) Kanpur-Lucknow.

(iii) Varanasi-Allahabad.

(iv) Tiruchchirappalli-Karaikkhudi-Manamadurai.

(v) Tiruchchirappalli-Kallakkudi Palanganatham.

(vi) Tiruchchirappalli-Manapari.

NARROW GAUGE

Burdwan-Katwa.

Contract for Removal of Half Burnt Coal on Central Railway

3837. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number and names of the stations on the Central Railway on which contracts to remove half burnt coal were given during the last two years :

(b) the number of contracts given to the Cooperative Societies in 1968 and 1969 ;

(c) the number of contractors who were fined and awarded punishment for committing irregularities and the number of times each contractor was fined and awarded punishment ; and

(d) whether the contract of some contractor was also cancelled ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (c). The information is given in the statement. [*Placed in Library. See* No. LT—2967/70].

(b) Nil.

(d) No.

Development of Ancillary Units in Madhya Pradesh

3838. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh have formulated a number of schemes for the development of ancillary industries in the State with a view to encouraging industrial development as well as to resolve the unemployment among the Engineers ;

(b) whether that State Government have sought any Central assistance in the form of technical know-how or money or guidance for chalking out the scheme in this respect ;

(c) if so, the nature of assistance proposed to be provided so as to enable the State Government to achieve the objective ; and

(d) the funds proposed to be provided to the State for the development of these industries during the Fourth Year Plan as also the funds provided on this account during the last three years ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Inspection Tours by Divisional Superintendents of Central Railway

3839. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Divisional Superintendents of the Central Railway had conducted inspection tours during the last year ?

(b) if so, the total expenditure incurred on their Travelling Allowances and Daily Allowances and the number of staff who accompanied them, Division-wise ; and

(c) The details of complaints lodged with them during their inspection tours and the action taken thereon ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) (i) The total expenditure incurred on their Travelling Allowances and Daily Allowances is Rs. 3,631.32 P. Division-wise figures are being collected and will be placed on the table of the Sabha.

(ii) Number of staff who accompanied them on each inspection tour, division-wise, is as under :—

Bombay	1
Bhusawal	5
Jhansi	2
Jabalpur	3
Nagpur	4

(c) During these inspection tours, complaints were received from the staff in regard to promotions, transfers, fixation of pay, seniority, electric charges, reinbursement of cost of spectacles/school fees, Night Duty allowance, payment of unpaid wages, settlement dues, appointment of relatives of deceased employees on compassionate grounds, payment of arrears, allotment of quarters etc. The complaints were investigated and appropriate action taken thereon.

Construction of Buildings for Educational Institutions in Madhya Pradesh by Waqf Board

3840. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of buildings for schools, colleges and inns constructed by the Waqf Board in Madhya Pradesh during the last three years ;

(b) whether any major scheme for the welfare of Muslims has been implemented in Madhya Pradesh during the last three years ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The required information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as received.

सीमेंट के उत्पादन में क्षेत्रीय असंतुलन

3841. **श्री स० चं० सामन्त**: क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "फाइनेंशियल एक्सप्रैस" द्वारा अपने 22 जनवरी, 1970 के संस्करण में, सीमेंट के उत्पादन तथा वितरण के बारे में सरकार की नीति पर की गई टिप्पणियों तथा बाहुल्य वाले क्षेत्रों में सीमेंट की नई क्षमता को रोकने और उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमता के लिए प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या क्षेत्रीय उत्पादन तथा आवश्यकता में सन्तुलन कायम करने के लिए सरकार की कोई योजना है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सरकार की नीति कमी वाले इलाकों में अधिक सीमेंट उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने में प्रोत्साहन देना तथा अधिकता वाले क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता की स्थापना को निरुत्साहित करना है। इसके अनुसार सरकार ने सीमेंट उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र में अधिष्ठापित की जाने वाले क्षेत्रों में ही स्थापना करने का निश्चय किया है।

(ग) सरकार बोकाजन (आसाम) में 2 लाख टन वार्षिक क्षमता का एक सीमेंट का कारखाना लगाने को सिद्धांत रूप में सहमत हो गई है। इस परियोजना की स्थापना के लिए आवश्यक वित्तीय मंजूरी शीघ्र ही मिलने वाली है। पोन्टा (हिमाचल प्रदेश) में इतनी ही क्षमता का एक अन्य कारखाना स्थापित करने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

तमिलनाडु तथा गुजरात में सीमेंट उद्योग

3842. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वैज्ञानिक तथा आर्थिक अनुसंधान प्रतिष्ठान, नई दिल्ली

द्वारा भारत में कुछ बड़े उद्योगों की स्थापना के ढांचे के बारे में किये गये अध्ययन के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) इस प्रतिष्ठान के इस आशय के निष्कर्ष के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि सरकार की लाइसेंस देने की नीति ने तमिलनाडु और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में सीमेंट बनाने की क्षमता का केन्द्रीकरण किया है, जिससे सीमेंट उद्योग के सम्बन्ध में क्षेत्रीय असन्तुलन हो गया गया है ; और

(ग) सीमेंट उद्योग में आये क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने तथा उत्पादन कार्यक्रम को क्षेत्रीय आवश्यकता से सम्बन्धित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रतिवेदन में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि किन्हीं विशेष क्षेत्रों में सरकार की लाइसेंस नीति के परिणामस्वरूप केन्द्रीयकरण हुआ । वास्तव में तो अध्ययन से यह पता चला है कि सीमेंट उद्योग में बिखराव हुआ है ।

(ग) सरकार की नीति यह है कि फालतू क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमता की स्थापना को हतोत्साहित किया जाये तथा कमी वाले क्षेत्रों में ही केवल क्षमता की स्थापना की जाये । इसी के अनुसरण में, यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता को कमी वाले क्षेत्रों में ही स्थापित किया जाना चाहिए । बोकाजन (असम) में सीमेंट कारखाना स्थापित करने की बात सिद्धांत रूप से मान ली गई है तथा पोन्टा (हिमाचल प्रदेश) उसी क्षमता वाले अन्य संयंत्र की स्थापना की बात विचाराधीन है ।

अंगूरों की नौ टोकरियों के गुम हो जाने के कारण रेलवे द्वारा दावे का भुगतान

3843. **श्री जि० ब० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंगूरों की 68 टोकरियों की एक बिल्टी 6 अगस्त, 1967 को पी०डब्ल्यू० बी० नं० 56736 के अन्तर्गत उत्तर रेलवे में फीरोजपुर छावनी से अम्बाला शहर के लिये बुक की गई थी ;

(ख) क्या यह बिल्टी अम्बाला शहर स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा गार्ड के स्पष्ट हस्ताक्षरों से 7 अगस्त, 1967 को प्राप्त कर ली गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों ने अंगूरों की 9 टोकरियों का गोलमाल करने के बाद 8 अगस्त, 1967 को क्षतिपूर्ति तथा कमी का आदेश (एडवायस) जारी कर दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे प्रशासन ने दावे का कितना भुगतान किया है तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं । यद्यपि पावती 68 पैकेजों की दी गई थी, परन्तु और जांच करने पर अंगूरों के केवल 59 पैकेज पाये गये। पार्सल क्लर्क ने इस सम्बन्ध में 7-8-67 को तार द्वारा सन्देश जारी किया ।

(घ) दावेदार को 361 रुपये 83 पैसे का भुगतान किया गया । जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ।

नकली रेशम की बिल्टी के गुम हो जाने के कारण रेलवे द्वारा दावे का भुगतान किया जाना

3844. **श्री जि० ब० सिंह :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नकली रेशम की एक बिल्टी दिनांक 19 नवम्बर, 1968 को पी० डब्ल्यू० बी० नं० 473508 के अन्तर्गत उत्तर रेलवे में अम्बाला शहर से हांसी के लिए बुक की गई थी ;

(ख) क्या अम्बाला शहर के पार्सल कर्मचारियों ने उसी तारीख को 353 अप गाड़ी से उक्त बिल्टी भेजी गई दिखाई गई है ;

(ग) क्या उसपर गार्ड के उचित रूप से हस्ताक्षर ले लिये गये थे ;

(घ) क्या अम्बाला शहर का रिकार्ड भी बदल दिया गया था ;

(ङ) इस बिल्टी के गुम हो जाने के कारण रेलवे प्रशासन को दावे का कितना भुगतान करना पड़ा ; और

(च) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ :

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) 1271 रुपये 25 पैसे के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है ।

(च) परेषण की हानि के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है ।

नैमको इन्क, यू० एस० ए० द्वारा खराब मशीनों की सप्लाई

3845. **श्री जय सिंह :**

श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैमको बीवल गीयर आफ इण्डिया, नई दिल्ली को सहयोग

देने वाली अमरीकी कम्पनी नैमको इन्क यू० एस० ए० ने भारत में एक कारखाने में लगाने के लिये खराब तथा मरम्मत न की गई निकम्मी मशीनें जिनमें भारी मरम्मत की आवश्यकता थी, सप्लाई की जिसके कारण वह कारखाना ठीक तरह से न चल सका ;

(ख) क्या यह भी सच है कि करार के अनुसार इस संयंत्र की समस्त मशीनों को भारत के कारखानों में चालू हालत में लगाने की जिम्मेदारी इस अमरीकी फर्म की थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अच्छी मशीनों के नाम पर निकम्मी मशीनें भारतीय फर्म को सप्लाई करने के लिये अमरीकी सहयोग कर्त्ताओं ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी अमरीकी संस्थान के माध्यम से डालर-ऋण का प्रबन्ध किया था ; और

(घ) सरकार ने अमरीकी कम्पनी द्वारा बेकार मशीनरी सप्लाई करके लगभग तीन करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा को हड़पने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस संबंध में भारतीय कंपनी तथा अमेरिका सरकार दोनों द्वारा आरोप लगाये गये हैं। अमेरिका सरकार ने अमरीका की कम्पनी के विरुद्ध इस मामले में एक मुकदमा दायर किया है।

(ख) और (ग). मशीनें खरीदने के लिये डालर ऋण के लिये यू० एस० ऐड० से मे० बेपको बेवेल गीयर (इण्डिया) लि० द्वारा पहल की गई थी। सरकार ने ऋण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर दी थी :-

(1) पेक करने तथा जहाज पर चढ़ाने से पूर्व, एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ द्वारा मशीन की दशा के बारे में इण्डियन सप्लाई मिशन, वाशिंगटन को सन्तुष्ट करना।

(2) मशीन की हालत के संबंध में नई मशीन के लिये नैपको बीवल गीयर आफ अमरीका एक गारन्टी देगी।

(3) निरीक्षण, साक्षाकंन आदि में होने वाले सारे व्यय अमरीका की नैपको बीवल गीयर कम्पनी करेगी।

(4) भारत में आने पर भी इसी प्रकार का निरीक्षण आदि का कार्य अमरीकी फर्म के खर्चे पर किया जायेगा तथा सन्तोषजनक सप्लाई न होने की स्थिति में वह बदलने की गारंटी भी देगी।

(घ) ए० आई० डी० ने भारतीय कम्पनी को ऐड ऋण के खाते से प्रदन राशि को जमा करके अमरीका ने नैपको इन्कोपोरेटैड को माल जहाज पर लादने के समय भुगतान कर दिया है। भारतीय कम्पनी द्वारा इस ऋण का भारत सरकार को दो साल की छूट सहित नौ वर्षों में रुपयों में पुनः भुगतान होना है। भारत सरकार ऐसी राशि को जो उसे ऋण के पुनः भुगतान में भारतीय कम्पनियों से प्राप्त होती है छूट वाले 10 वर्ष सहित 40 साल में ए० आई० डी० को विदेशी मुद्रा में पुनः भुगतान करने की जिम्मेदारी है। तथापि भारत सरकार ने ए० आई० डी० को ऋण का भुगतान नहीं किया है क्योंकि ए० आई० डी० ऋण का पुनः भुगतान किसी भी भारतीय कम्पनी ने सरकार को नहीं किया है। भारतीय कम्पनियों को दिये गये ए० आई० डी०

ऋण की भारत सरकार ने गारंटी नहीं की है केवल उस सीमा के अतिरिक्त जहाँ तक भारतीय कम्पनी पुनः भुगतान कर देती हैं ।

डीजल और विद्युत चालित इंजनों तथा यात्री डिब्बों का निर्माण करने के लिये रेल इंजन कारखानों की स्थापना

3846. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डीजल और विद्युत-चालित इंजनों तथा यात्री डिब्बों का निर्माण करने के लिये कुछ और रेलवे वर्कशाप स्थापित करने के मामले पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). डीज़ल और बिजली रेल इंजनों की सम्भावित मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान उत्पादन कारखानों में उत्पादन क्षमता का विकास किया जा रहा है । सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए भी देश में अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था की जा रही है ।

अभी इस प्रयोजन के लिए कोई नया कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ में सरकारी परियोजनाएं

3847. **श्री श्रीचंद गोयल** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये पंजाब तथा हरियाणा राज्यों और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ने सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी परियोजनाएं के लिए मांग की है ;

(ख) सरकार उन्हें कौन-कौन सी तथा कितनी परियोजनाये देने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ग) विचाराधीन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जीन्द में दुग्ध चूर्ण संयन्त्र

3848. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जीन्द में एक दुग्ध संयन्त्र स्थापित करने के बारे में हरियाणा सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार को आवश्यक स्वीकृति जारी कर दी गई है ।

टूंडला-दिल्ली रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

3849. **श्री राम किशन गुप्त :**

श्री देवकीनंदन पाटोदिया :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टूंडला तथा दिल्ली के बीच रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) टूंडला-दिल्ली खण्ड के विद्युतीकरण का काम अस्थायी तौर पर चौथी पंचवर्षीय योजना में किये जाने वाले विद्युतीकरण के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है । इस परियोजना की अर्थ-क्षमता का अनुमान लगाने के उद्देश्य से योजना की लागत या इसके लाभ का अभी आर्थिक अध्ययन किया जा रहा है । आशा है यह अध्ययन 1970 के मध्य तक पूरा हो जायेगा । इसके बाद अध्ययन के परिणाम, धन की उपलब्धता और विदेशी मुद्रा के साधनों को देखते हुए टूंडला-दिल्ली खण्ड के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में निर्णय किया जाएगा ।

(ख) अभी यह बताना संभव नहीं है कि इस खण्ड के विद्युतीकरण का काम कब तक पूरा होगा ।

उत्तर प्रदेश में उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे पर डकैती तथा जेब काटने की घटनाएं

3850. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल-मार्ग पर अराजकता बढ़ती जा रही है ;

(ख) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां जनवरी 1969 से जनवरी 1970 तक उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे में डकैती और जेब काटने के मामले हुए हैं ;

(ग) डकैती और जेब काटने के इन मामलों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) उक्त अवधि की तुलना में गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई ऐसी घटनाओं की क्या स्थिति है ; और

(ङ) इन समस्याओं के बारे में रेलवे प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Looting and Killing of Passengers in Running Trains

385'. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Atam Das :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of incidents involving looting of passengers in the running trains have occured during the last one year ;

(b) whether it is also a fact that passengers were killed in some of these incidents ; and

(c) if so, the number of such incidents, the extent of loss of property and the number of persons killed as a result thereof ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

रेलगाड़ियों में भीड़-भाड़ कम करने का कार्यक्रम

3853. **श्री अदिचन :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड ने रेलगाड़ियों में भीड़-भाड़ कम करने का एक कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी लागत आएगी ;

(ग) उसके अनुसरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अप्रैल, 1969 में की गयी विशेष समीक्षा के फलस्वरूप, विभिन्न मार्गों पर भीड़-भाड़ को दूर करने के उद्देश्य से, अप्रैल, 1969 के बाद 20 अतिरिक्त सवारी गाड़ियां चलायी गयी या उनका चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया और बड़ी लाइन की 40 तथा मीटर लाइन की 38 सवारी गाड़ियों में एक से लेकर तीन डिब्बे तक बढ़ाये गये। इसके अलावा, 1-4-69 से लागू हुई समय सारणी में 47 और 1-10-69 से लागू समय सारणी में 63 गाड़ियां चालू की गयी या उनका चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया।

रेलवे के पास पड़ी अप्रयुक्त रेलवे भूमि पर खेती

3854. **श्री अदिचन : क्या रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व, जब स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मन्त्री थे, रेलवे के पास पड़ी सभी अप्रयुक्त भूमि का खेती के लिये उपयोग करने का निर्णय लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी भूमि को खेती के काम में लाया गया है ;

(ग) क्या इसमें से कुछ भूमि पर इस बीच खेती करना छोड़ दिया गया है और यदि हां, तो कितनी भूमि पर और क्यों ; और

(घ) रेलवे के पास ऐसी कुल कितनी अप्रयुक्त भूमि पड़ी है जिसका खेती के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). खेती करने के अभिप्राय से रेल कर्मचारियों और जनता को लगभग 75,478 एकड़ जमीन का लाइसेंस दिया गया है। लेकिन यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि क्या लाइसेंस धारियों ने इसमें से कुछ जमीन पर खेती करना बन्द कर दिया है और यदि हां, तो क्यों ?

(घ) लगभग 46,259 एकड़, यदि इसके लिए मांग की जाये तो इसे भी खेती के लिए लाइसेंस पर दिया जा सकता है ।

रत्नागिरि से होकर बम्बई तथा गोआ के बीच रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

3855. **श्री मयावन :** **श्री सामिनाथन :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और गोआ के बीच रत्नागिरी से होकर एक रेलवे लाइन के लिये शीघ्र ही तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण संभवतः कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) क्या सरकार ने इच्छा व्यक्त की है कि इस योजना की शीघ्र क्रियान्विति के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध की जानी चाहिए ; और

(घ) क्या वर्ष 1970-71 के आय-व्यस्क में इसके लिये धन की कोई व्यवस्था की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). कोंकण क्षेत्र में बम्बई और मंगलूरु के बीच एक तटीय रेलवे लाइन बनाने के लिए तकनीकी-आर्थिक-व्यावहारिकता अध्ययन शुरू किया जा रहा है और इसे यथासंभव शीघ्र पूरा कर दिया जायेगा। 1970-71 के बजट पत्रों में अध्ययन के लिए व्यवस्था की गयी है।

रूसी सहायता से चल रहे कारखानों के कार्य-संचालन का पुनर्विलोकन करने के लिए रूस के वाइस चेयरमैन का भारत का दौरा

3856. **श्री मयावन :** **श्री सामिनाथन :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के प्रथम वाइस-चेयरमैन श्री वी० डिमसिट्स ने अपने हाल के भारत दौरे में रूसी सहायता से चल रहे कारखानों में कार्य-संचालन का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और बातचीत का क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या भारत ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि रूस के रवैये के कारण इन कारखानों की प्रगति की गति धीमी रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि यही रवैया बना रहा तो भारत को अन्य देशों से सहायता लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) सोवियत सहायता प्राप्त, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निर्माण, कार्य-संचालन, और प्रगति की वर्तमान स्थिति के विषय में चर्चा हुई थी । इस्पात कारखानों के मुख्य एककों की भारी मरम्मत, का कार्य सभालने के लिए एक 'भारी मरम्मत संगठन' स्थापित करने, और इस्पात कारखानों को उष्मसह की सप्लाई के लिए एक उष्मसह कारखाना लगाने, और सोवियत संघ के उपकरणों की समय पर सप्लाई आदि विषयों पर भी बातचीत हुई थी ।

(ग) ऐसा कहना उचित नहीं है कि कारखाने की मन्द प्रगति रूसी रवैये के कारण है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

लैम्प निर्माण उद्योग

3857. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लैम्प निर्माण उद्योग ने आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है तथा उसे अब विदेशी उपकरणों की कोई आवश्यकता नहीं है ;

(ख) प्रति वर्ष कितने लैम्प देश में बिक जाते हैं तथा कितने लेम्पों का विदेशों में निर्यात किया जाता है ; और

(ग) क्या छोटे तथा मध्यम दर्जे के लैम्प बनाने वाले कारखानों को कोई सहायता अथवा प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है ताकि उन्हें लैम्प बनाने वाली एकाधिकार प्राप्त कंपनियों की कड़ी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) देश में 1967, 1968, 1969 में क्रमशः 10750, 12059 तथा 13507 लाख लैम्पों की खपत हुई । निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) वैक्यूम वाले टार्च लैम्प, डायल लैम्प, साइकल डाइनमों आदि जैसे मिनियेचर लैम्प छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित हैं । मफौले आकार के लैम्प उत्पादन एककों को लाइसेंस प्राप्त-र्जाकृत क्षमता तक उत्पादन करने के लिए कच्चा माल दिया जाता है ।

भाड़ा बढ़ने के कारण सब्जियों की लागत में वृद्धि

3858. श्री जी० वाई० कृष्ण : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाड़ा-दरों में हाल में वृद्धि के कारण सब्जियों के मूल्यों में काफी वृद्धि हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दूरी के हाल्ट के मामले में सब्जियों के ढुलाई भाड़ा-दरों में भी अधिकतम वृद्धि हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) यह सच है कि कोचिंग गाड़ियों से सब्जियों की ढुलाई की भाड़ा दरों में 1-4-1970 से मामूली-सी वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है। यह वृद्धि एक पैसा प्रति किलोग्राम से कम बनती है, जिससे यह नहीं समझा जा सकता कि इसका सब्जियों के मूल्य स्तर पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

(ख) जी नहीं, कम दूरी के लिए भाड़ा-दरों में प्रस्तावित वृद्धि भी एक पैसा प्रति किलोग्राम से कम बनती है। अधिकांश सब्जियों की कम दूरी की ढुलाई विक्रेताओं द्वारा विशेष रूप से उपनगरीय खण्डों पर प्रोड्यूस वेंडर्स सीजन टिकट प्रणाली के अधीन की जाती है। प्रोड्यूस वेंडर्स सीजन टिकटों के प्रभारों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

Late Running of Banda-Lucknow Express Train and Ticketless Travelling

3860. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Banda-Lucknow Express of the North Eastern Railway generally becomes late by two to three hours as a result of which passengers bound for Delhi and other places do not get the connecting trains and the seat covers in the First Class compartments are removed and the ticketless travellers pull the chain ; and

(b) if so, whether Government would ensure that the said train runs in time and that action is taken against the ticketless travellers and those responsible for damaging the railway property ?

The Minister of Railways Shri Nanda) : (a) It is not a fact that 109 Dn. Banda-Lucknow Express generally arrives Kanpur late by 2-3 hours, although it does arrive Kanpur frequently late by about half-an-hour or so. 11 Up Express connects this train for Delhi on more that 75% of the occasions. There were only 5 cases of theft of Seat Covers during 1969 of which one was detected resulting into arrest of one person and recovery of property.

The incidence of alarm chain pulling mainly by students travelling without ticket by this train has come to the notice of the Government.

(b) All possible efforts are made to improve the punctuality so far as reasons within the railways control are concerned. As a preventive measure against theft and damage of Railway property passenger trains are being escorted by G.R.P. and surprise raids are carried out of R.P.F.

Frequent surprise and ambush checks including magisterial checks are being conducted on 109 Dn train to improve the position with regard to alarm chain pulling and ticketless travel ; these efforts have met with considerable success.

Change of Route of Upper India Express

3861. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the last year Government had received a proposal for changing the route of the Upper India Express and to divert it from Kanpur to Unnao and then from Unnao to Allahabad via Lalganj, Dalmau and Unchahar stations of district Rae Bareilly ;

(b) if so, the reasons for which the route of the Upper India Express has not so far been changed ; and

(c) whether Government would run the first fast train between the five districts of Kanpur, Unnao, Rae Bareilly. Pratapgarh and Allahabad by changing the route of the Upper India Express and help lakhs of passengers and traders going to Delhi in the West and Howrah in the East ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) No.

Charter of Demands by Association of Permanent Way Inspectors and Assistant Permanent Way Inspectors on Eastern and South Eastern Railway

3862. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a character of demands has been presented to him by the Association of Permament Way Inspectors and Assistant Permanent Way Inspectors working on the Eastern and South Eastern Railways ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether it is also a fact that the recommendations of the Kunzru and Wanchoo Committee's regarding the bringing about of improvement in the duty hours of the aforesaid employees and removing their other difficulties have not so far been implemented ; and

(d) if so, the reasons therefor and the time by which Government propose to implement these recommendations ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, Sir.

(b) Government could not accede to the general revision of pay scales and other service conditions of this category of staff in isolation.

(c) and (d). The accepted recommendations of the Committees referred to are in the process of implementation and a statement regarding the views of the Railway Board on the various recommendations of these Committees have already been laid on the Table of the House. There is no specific recommendation regarding hours of work. The recommendations generally relate to relief in their duties and responsibilities.

Setting-up of Factory in Nepal by Former Chief Minister of Orissa

3863. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Ministry of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of firms owned at present in the name of the former Chief Minister of **Orissa**, Shri Biju Patnaik, and his wife and the nature of business being carried on by them ;

(b) whether Shri Patnaik proposes to set up a factory in Nepal also ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Information is not readily available. The same is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) to (d). According to the Editorial published in Gorakhpatra of February 8, 1970, Shri Biju Patnaik is reported to have obtained permission from His Majesty's Government of Nepal to set up a Steel Tube industry in Nepal. Apart from this, Government have no information on this matter.

Issue of Licences to Companies in Bihar

3864. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the year-wise details in respect of the licences granted to the various Companies in Bihar during the last three years ;

(b) whether Government have also advanced loans to some of these companies ;

(c) if so, the names of such Companies ; and

(d) the conditions on which loans were advanced to them ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) 41 industrial licences and 18 letters of intent were granted to various Companies in Bihar during the last three years. Year-wise break up is as follows :

Year	No. of licences issued	No. of letters of intent issued
1967	21	8
1968	12	5
1969	8	5
Total :	41	18

Details of all licences and letters of intent issued are published in a number of Journals, *viz.*, the Weekly Bulletin of Industrial Licences Import Licences and Export Licences ; the Weekly Indian Trade Journal, and the Monthly Journal of Industry and Trade. Copies of these Journals are supplied to the Library of the Parliament.

(b) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Grants for Scholarships to Scheduled Caste/Backward Class/Tribal Students of Bihar

3865. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government give financial assistance to the States every year for granting scholarships to the students belonging to the Scheduled Castes, Backward Classes and other tribal students ;

(b) if so, the year-wise details of the amount granted to the Government of Bihar during the last three years ;

(c) whether it is also a fact that the Government of Bihar have requested to increase the said amount ; and

(d) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached.

(c) and (d) The expenditure incurred by the State Government on post-matric scholarships at the 1968-69 level is committed to the State's non-Plan budget. Central (Plan) assistance is, therefore, limited to cover the expenditure on scholarships to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in excess of the amount 'committed'.

For Pre-matric scholarships, the amounts proposed by the State Government and provisions made under the State Sector programme during the year 1969-70 are as follows :

	Proposed by State Government	Provisions made
	(Rs. in lakhs)	
Scheduled Tribes	14.80	12.80
Scheduled Castes	14.50	14.95
Other Backward Classes	5.85	5.85

STATEMENT

The following amounts were granted during the last three years.

(Rs. in lakhs)

	1966-67	1967-68	1968-69
i) *Post-Matric Scholarships*			
(a) Scheduled Tribes	23.57	33.55	27.60
(b) Scheduled Castes	25.00	30.00	32.79
(c) Other Backward Classes	2.49	0.94	0.94
ii) *Pre-Matric Scholarships*			
	*	**	**
(a) Scheduled Tribes	9.30	9.46	9.95
(b) Scheduled Castes	10 31	10.32	10.45
(c) Other Backward Classes	3.85	3.61	3.85

*Central share was 75% of the expenditure.

**Central share was 60% of the expenditure.

थाना बहीरपुर स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय

3866. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थाना बहीरपुर जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे पर एक बड़ा तथा महत्व-पूर्ण स्टेशन है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए कोई प्रतीक्षालय नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्टेशन के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या वहां पर तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए एक प्रतीक्षालय का निर्माण करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) यह एक जंक्शन स्टेशन है, फेरी द्वारा गंगा पार करके यहां से भागलपुर शाखा लाइन के लिए गाड़ी मिलती है ।

(ख) और (ग). थाना बिहपुर स्टेशन के मुख्य प्लेटफार्म पर 350'×50' शाखा लाइन प्लेटफार्म पर 108'×22' और द्वीप प्लेटफार्म पर 136'×30' छतदार स्थान की पहले से व्यवस्था है । ये छतदार स्थान तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय का काम कर देते हैं और इस समय वहां जितना यातायात होता है उसके लिए यह व्यवस्था पर्याप्त है ।

गैर-मान्यता वाले रेलवे कार्मिक संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्यवाही

3867. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या रेलवे मंत्री वाणिज्य लिपिकों (दक्षिण रेलवे) द्वारा जमानत राशि तथा जमा करने के बारे में 23 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5068 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन की यह नीति है कि गैर मान्यता वाले कार्मिक संघों के पत्रों आदि का उत्तर न दिया जाये और उनसे प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही न की जाये ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी नीति अपनाये जाने के क्या कारण हैं जो कि संविधान में दिये गये अधिकारों के विरुद्ध हैं ;

(ग) रेलवे कर्मचारियों के कितने संघ कार्मिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर हैं और उनमें से प्रत्येक के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है ;

(घ) यदि ये संघ अभ्यावेदन के अधिकार से वंचित है तो उनको रजिस्टर करने का क्या लाभ है ; और

(ङ) रेलवे किस प्राधिकार के अन्तर्गत ऐसे आदेश जारी करके कार्मिक संघ अधिनियम के उपबन्धों को रद्द करती है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) सही स्थिति यह है कि अभ्यावेदनों पर ध्यान दिया जाता है चाहे वे किसी भी स्रोत से प्राप्त हों, और प्रत्येक मामले में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है । यदि अभ्यावेदन किसी अमान्यता प्राप्त संघ से आता है तो उसका न तो उत्तर दिया जाता है और न उससे पत्र-व्यवहार ही किया जाता है ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

(ग) सरकार को अमान्यता प्राप्त संघों के बारे में चाहे वे ट्रेड यूनियन एक्ट के अधीन रजीकृत हों, ठीक-ठीक जानकारी नहीं है ।

(घ) यद्यपि पंजीकरण ट्रेड यूनियन एक्ट के अधीन होता है, लेकिन पत्र-व्यवहार का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब उस यूनियन को सम्बन्धित प्रशासन द्वारा मान्यता दी जाती है।

(ङ) ट्रेड यूनियन एक्ट के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं किया जाता।

रूस के विद्युत मंत्री के साथ भारी विद्युत कारखानों की क्षमता का उपयोग करने के बारे में बातचीत

3868. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने रूस के विद्युत उद्योग मंत्री से गत दिसम्बर में उनकी भारत यात्रा के दौरान, भारत में भारी विद्युत कारखानों से उपलब्ध क्षमता का पूरा उपयोग करने की सम्भावनाओं के बारे में, कोई विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) इस क्षमता का उपयोग करने के बारे में क्या निर्णय किये गये ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सोवियत रूस के वैद्युत उद्योगों के मंत्री श्री अन्तोनोव से विचार-विमर्श मुख्यत: सोवियत सहायता से हरिद्वार में स्थापित भारी वैद्युत उपकरण सयंत्र के उत्पादन कार्यक्रम पर केन्द्रित रहा। इस उपक्रम की क्षमता के प्रयोग को सुनिश्चित करने के प्रश्न पर भी सोवियत विशेषज्ञों से सविस्तार बातचीत हुई और सोवियत सहायता से इस संयंत्रों को रूसी सहायता से तीसरे देशों में निर्यात की संभावनाओं पर भी विचार किया गया ताकि हरिद्वार संयंत्र की क्षमता का प्रयोग किया जाये।

ट्रेन क्लर्कों तथा डिप्टी यार्ड मास्टरों के कार्य

3869. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रेन क्लर्कों तथा डिप्टी यार्ड मास्टरों को यार्ड में खुले में कार्य करना पड़ता है जो कि बहुत श्रम तथा उत्तरदायित्व का काम है और इसलिए इनका कार्य डैस्कों पर बैठकर काम करने वाले सामान्य क्लर्कों से भिन्न है ;

(ख) ट्रेन क्लर्कों तथा डिप्टी यार्ड मास्टरों को क्लर्कों की श्रेणी में रखने के क्या कारण हैं।

(ग) क्या यह भी सच है कि उनके लिए निर्धारित किये गये वेतनमान उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों तथा उत्तरदायित्वों के अनुरूप नहीं है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि रेलवे बोर्ड द्वारा 1964 में वेतनमानों का अग्रेतर पुनरीक्षण किया गया था, और यदि हां, तो किन श्रेणियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण किया गया था तथा कितना पुनरीक्षण किया गया था ; और

(ङ) क्या ट्रेन क्लर्कों तथा डिप्टी यार्ड मास्टरों के वेतनमानों का भी पुनरीक्षण किया गया था, और यदि नही तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). गाड़ी क्लर्कों को अधिकांशतः कार्यालय से बाहर काम करना पड़ता है। उनकी ड्यूटी क्लर्कों जैसी होती है और इसीलिए उन्हें गाड़ी क्लर्क का पदनाम दिया गया है। डिप्टी यार्ड मास्टरों को भी अधिकांशतः कार्यालय से बाहर काम करना पड़ता है, लेकिन उन्हें क्लर्क का पदनाम नहीं दिया गया है, क्योंकि उनका काम क्लर्कों जैसा नहीं है।

(ग) जी नहीं, वर्तमान वेतनमान दूसरे वेतन आयोग की विशिष्ट सिफारिशों पर आधारित हैं।

(घ) रेलों में यातायात संचलन में वृद्धि के फलस्वरूप परिचालन सम्बन्धी काम और जिम्मेदारियां बढ़ जाने के कारण 1964 में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के वेतन-मान के ढांचे में आंशिक संशोधन किया गया था। स्टेशन मास्टरों के लिए 150-240 रुपये के निम्नतम वेतनमान को समाप्त करके उसकी जगह 205-280 रु० का वेतनमान निर्धारित किया गया था। सहायक स्टेशन मास्टरों के सम्बन्ध में, 130-225 रु० और 150-240 रु० के दो वेतनमानों को मिलाकर 130-240 रुपये का एक वेतनमान निर्धारित किया गया था (इस वेतनमान में न्यूनतम वेतन 150 रुपने से शुरू होता है)।

(ङ) जी नहीं, गाड़ी क्लर्कों और डिप्टी यार्ड मास्टरों के मामले में इस तरह का औचित्य नहीं था।

प्लेटों तथा व्हील सैटों का आयात

3870. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में श्रमिकों की मंजूरी में वृद्धि होने के फलस्वरूप रेल डिब्बे निर्माताओं ने रेलवे बोर्ड से यह अनुरोध किया है कि वे कमी वाली मदें जैसे प्लैट्स (पट्टी चादरें इत्यादि) का आयात करें तथा व्हील सैटों (पहियों इत्यादि) के लिये दुर्गापुर स्टील प्लांट तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को सप्लाई के आदेश में या पहिले से ही उनका आयात करें जिससे कि इनकी सप्लाई में विलंब के कारण श्रमिकों को बेकार न बैठना पड़े और फलस्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि न हो ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार उद्योगों की आवश्यकतायें पूरा करने के लिए कोई निश्चित कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) जी, नहीं। रेल के डिब्बों के कुछ निर्माताओं ने सुझाव दिया है कि चूंकि दुर्गापुर इस्पात कारखाना पहियों की जोड़ियों की पूरी सप्लाई नहीं कर पा रहा है अतः इनका आयात किया जाना चाहिए। इसका पश्चिमी बंगाल में श्रमिकों की मजदूरी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ख) रेलवे बोर्ड ने बड़ी रेलवे लाइन के लिए जापान से 20 टन भार के 30,000 व्हील

सैट आयात करने के लिए कार्यवाही की है। शीघ्र ही और आयात के लिए भी आर्डर दिये जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फरीदाबाद के समीप भीड़ भाड़ के कारण गाड़ियों का देर से दिल्ली पहुँचना

3871. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सायंकाल में फरीदाबाद के निकट भीड़-भाड़ होने के कारण दिल्ली आने वाली सभी गाड़ियां बहुत देर से पहुँचती हैं और उनको दिल्ली पहुँचने में बहुत अधिक समय लगता है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई विधिवत अध्ययन किया गया है कि फरीदाबाद और दिल्ली के बीच मेल-एक्सप्रैस-पैसेन्जर गाड़ियों के आने जाने में कितना विलम्ब होता है ; और

(ग) क्या विलम्ब को कम करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं, जब कभी गाड़ियों के अनुसूचित चालन-समय में गड़बड़ हो जाती है तो दिल्ली क्षेत्र में और उसके आस-पास भारी रेल यातायात के कारण, दिल्ली आने वाली गाड़ियों में से केवल कुछ गाड़ियों को थोड़ा-सा विलम्ब हो जाता है।

(ख) विलम्ब के दैनिक मामलों का सविस्तार विश्लेषण किया जाता है।

(ग) दीर्घकालिक उपाय के रूप में, बल्लभगढ़ और तुगलकाबाद के बीच एक अतिरिक्त लाइन पलवल-असावती और फरीदाबाद-तुगलकाबाद के बीच अतिरिक्त ब्लाक स्टेशनों तथा हज़रत निजामुद्दीन-ओखला खण्ड पर स्वचल सिगनलों की व्यवस्था की जा रही है।

दिल्ली के लिये वृत्ताकार रेलवे

3872. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि योजना आयोग ने वर्ष 1969 में दिल्ली के लिए वृत्ताकार रेलवे का अनुमोदन कर दिया था, तथापि उस काम को आरम्भ करने के लिए अभी तक कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए क्या विशिष्ट उपबंध किये जायेंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) यह सच नहीं है कि योजना आयोग ने 1969 में दिल्ली के लिए एक "सर्कुलर रेलवे' की मंजूरी दी थी।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) दिल्ली के लिए एक "सर्कुलर रेलवे' के लिये व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बंगाल अनैमल कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध आयातित इस्पाती चादरों की चोर-बाजारी संबंधी शिकायतें

3873. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बंगाल अनैमल कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा आयातित इस्पाती चादरों का दुरूपयोग किये जाने और उनकी चोर-बजारी किये जाने के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की ओर दिलाया गया है ।

(ख) क्या उनका ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका 'दर्पण' के 20 फरवरी, 1970 के अंक में इस बारे में प्रकाशित हुए लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद पन्त) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) मुख्य निपंत्रक, आयात-निर्यात से छान-बीन करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है ।

बरौनी तथा थाना बीहपुर के बीच मेल तथा एक्सप्रैस गाड़ियों के रुकने के स्थान

3874. **श्री सीता राम केसरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी तथा थाना बीहपुर स्टेशनों के बीच के कौन से स्टेशन हैं जहां मेल तथा एक्सप्रैस गाड़ियां ठहरती हैं तथा इन स्टेशनों के बीच कितनी दूरी है ;

(ख) क्या यह उन सिद्धान्तों के अनुरूप है कि मेल तथा एक्सप्रैस तेज चलने वाली गाड़ियों को थोड़ी-थोड़ी दूरी पर नहीं रुकना चाहिए ; और

(ग) यदि नहीं, तो थोड़ी दूरी वाले स्टेशनों पर गाड़ियों को ठहराने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) बरौनी-थाना बीहपुर खण्ड पर खगरिया जं० और मानसी जं० स्टेशनों पर डाक एक्सप्रैस गाड़ियां रुकती हैं । चार डाक और एक्सप्रैस गाड़ियों में से दो गाड़ियां बेगूसराय पर और एक गाड़ी साहबपुर कमाल जंक्शन पर भी रुकती है । बरौनी और बेगूसराय के बीच 16 किलो मीटर, बेगूसराय और साहेबपुर कमाल जंक्शन के बीच 27 किलो मीटर, साहेबपुर कमाल जंक्शन और खगरिया के बीच 13 किलो मीटर, खगरिया जंक्शन और मानसी के बीच 8 किलो मीटर तथा मानसी जंक्शन और थाना बीहपुर जंक्शन के बीच 43 किलोमीटर का फासला है ।

(ख) और (ग). मध्यवर्ती स्टेशनों पर डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था सामान्यत: परिचालन और यातायात की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाती है ।

खगरिया और बेगूसराय, दोनों, सब-डिविजनल हैडक्वार्टर तो हैं ही परिचालन की दृष्टि से जैसे कि इंजनों को पानी देने के लिए भी खगरिया में गाड़ी का रुकना आवश्यक है। मानसी एक महत्वपूर्ण जंक्शन है, जहां विभिन्न दिशाओं से आने वाले यात्री इन गाड़ियों से मेल लेते हैं। साहेबपुर कमाल भी जहां केवल एक डाक गाड़ी रुकती है, एक जंक्शन स्टेशन है जहां से मुँगेर घाट शाखा लाइन निकलती है।

बरौनी से कटिहार तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण

3875. **श्री सीताराम केसरी** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी से कटिहार तक छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये एक सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवरण तैयार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो काम के कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). बरौनी-कटिहार मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के उद्देश्य से जून, 1969 में इन्जीनियरों और यातायात सर्वेक्षणों की मंजूरी दी गयी थी। ये सर्वेक्षण हो रहे हैं और आशा है, सितम्बर, 1970 तक ये पूरे हो जायेंगे।

(ग) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे से सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और रेलवे बोर्ड द्वारा उसकी जांच किये जाने के बाद ही इस आमान परिवर्तन के बारे में अन्तिम रूप से विनिश्चय किया जायेगा। इस खण्ड का वास्तविक आमान परिवर्तन इस बात पर भी निर्भर करता है कि आमान परिवर्तन के अन्य प्रस्तावों की तुलना में इस प्रस्ताव को क्या अग्रता मिलती है और इन कामों के लिए कितना धन उपलब्ध होता है।

राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचनों के लिए उम्मीदवारों की संख्या

3876. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1952, 1957, 1962, 1967 तथा 1969 में कितने उम्मीदवारों ने राष्ट्रपतीय तथा उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचनों के लिए नाम निर्देशन पत्र फाइल किए ;

(ख) नामनिर्देशन पत्रों की जांच के पश्चात् उक्त निर्वाचनों के लिए पृथक-पृथक कितने उम्मीदवार शेष रह गये थे ; और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों से अपने नाम वापिस लेने के बाद कितने उम्मीदवार निर्वाचन लड़ने के लिए रह गए थे।

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) से (ग). दो विवरण, जिनमें यह जानकारी दी गई है, सदन के पटल पर रखे जाते हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—2968/70]**

पश्चिम बंगाल के लिये औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

3877. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में उद्योग आरम्भ करने के इच्छुक उद्योगपतियों को उनके मंत्रालय के अधिकारी औद्योगिक अशांति के नाम पर दुरुत्साहित करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1968 तथा 1969 में पश्चिम बंगाल के लिए कितने लाइसेंस जारी किये गये ; और

(ग) महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु के लिए जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या की तुलना में ये लाइसेंस कितने अधिक हैं अथवा कम ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) 1968 तथा 1969 में पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु से प्राप्त आवेदनों और जारी किये गये लाइसेंसों एवं आशय-पत्रों को बताने वाला एक तुलनात्मक विवरण नीचे दिया जा रहा है :

	पश्चिमी बंगाल		महाराष्ट्र		तमिलनाडु	
	1968	1969	1968	1969	1968	1969
प्राप्त आवेदनों की संख्या	96	110	232	380	55	110
	206		612		155	
जारी किये गये लाइसेंस	34	64	80	81	9	13
जारी किये गये आशय-पत्र	18	26	53	122	12	22
	52	90	133	203	21	35
प्राप्त आवेदनों से निकाला गया प्रतिशत	142 69.3 प्रतिशत		386 54 प्रतिशत		58 36.1 प्रतिशत	

इस्पात कारखानों में मजूरी

3878. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर में स्थित तीनों इस्पात कारखानों में मजूरी बढ़ा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) टाटा आयरन एण्ड कंपनी और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी में दी जाने वाली मजूरी की तुलना में यह कम है अथवा अधिक है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग). लोहा और इस्पात उद्योग के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन में अंतिम रूप से संशोधन किये जाने तक सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को, जिनका प्रथम लोहा और इस्पात मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू होती हैं तथा उन कर्मचारियों को जिनको ये सिफारिशें लागू की गई हैं और जिनकी कुल मासिक उपलब्धि 650 रुपये से अधिक नहीं है। अंतरिम सहायता के रूप में प्रत्येक कर्मचारी को तेंतीस रुपये प्रति मास दिये गये हैं, यह सहायता लोहा तथा इस्पात उद्योग संयुक्त वेतन-वार्ता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दी गई है और हिन्दुस्तान स्टील लि० के सभी इस्पात कारखानों तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी को समान रूप से लागू होती है।

कानपुर नगर के कुछ क्षेत्र का निर्वाचन के प्रयोजन के लिये ग्रामीण क्षेत्र में शामिल किया जाना

3879. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आरमापुर बस्ती सहित कानपुर नगर का एक भाग परिसीमन आयोग द्वारा निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ग्रामीण क्षेत्र घोषित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह क्षेत्र वास्तव में नगर में है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र घोषित करने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) से (ग). जानकारी मुख्य निर्वाचन आफिसर, उत्तर प्रदेश से मंगाई जा रही है।

भारत को रूसी सहायता का आश्वासन

3880. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के उप-प्रधान मंत्री फरवरी, 1970 में आये थे ;

(ख) क्या उन्होंने भारत को रूसी सहायता का आश्वासन दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बात का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी, हां। सोवियत सरकार की मन्त्रि-परिषद् के उपाध्यक्ष महामहिम श्री वी० ई० दिमशित्स फरवरी, 1970 में भारत आये थे।

(ख) जी, हां।

(ग) सोवियत सहायता प्राप्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निर्माण, कार्य-संचालन, और प्रगति की वर्तमान स्थिति के विषय में चर्चा हुई थी। इस्पात कारखानों के मुख्य एककों की भारी मरम्मत कार्य भार संभालने के लिये एक भारी मरम्मत संगठन स्थापित करने और इस्पात

कारखानों को उष्मसह की सप्लाई के लिए एक उष्मसह कारखाना लगाने, और सोवियत संघ से उपकरणों की समय पर सप्लाई आदि विषयों पर भी बातचीत हुई थी।

Travelling of Passengers by Kalka Mail from Allahabad to Kanpur

3881. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no train is available to the passengers travelling by third class for going from Allahabad to Kanpur between 6.00 A. M. and 4.00 P. M.

(b) if so, whether Government propose to allow those passengers to travel by the Kalka Mail from Allahabad to Kanpur ; and

(c) whether Government have already allowed similar concessions to passengers at certain other stations ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) It is a fact that 1 AGA Up passenger which leave Allahabad at 06.45, the next train available for III class passengers travelling to Kanpur is 11 Up Express leaving Allahabad at 16.25 hrs.

(b) No. Kalka Mail is already crowded and there is no scope for putting in more passengers.

(c) No.

छोटे पैमाने के निर्माताओं की बजाय पैराशूट फैक्टरी कानपुर को डाक के लिये पटसन के थैले बनाने के लिये क्रयादेश देना

3882. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानपुर स्थित गवर्नमेंट पैराशूट फैक्टरी को एक करोड़ रुपये के डाक के लिए पटसन के थैले बनाने का क्रयादेश दिया है ;

(ख) क्या कलकत्ता में ऐसे थैले बनाने वाले लघु निर्माताओं में अधिक प्रतियोगी और लाभकारी शर्तें रखी थी ;

(ग) यदि हां, तो पैराशूट फैक्टरी को क्रयादेश दिये जाने के क्या कारण थे ;

(घ) क्या डाक वाले थैले के उत्पादन को काफी समय तक लघु उद्योगों के क्षेत्र में समझा गया था ;

(ङ) क्या लघु उत्पादकों को ऐसे थैले सप्लाई करने की संभावना से वंचित करने लगभग 1000 कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया है तथा इस लघु उद्योग के भविष्य को खतरे में डाल दिया गया है ; और

(च) क्या कानपुर स्थित पैराशूट फैक्टरी जैसी बड़ी फर्म को डाक के लिए पटसन के थैले सप्लाई करने का क्रयादेश देने की सरकार की नीति लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की सरकार की घोषित नीति के विपरीत है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मुगलसराय हावड़ा पैसेंजर गाड़ी का नरगंजों स्टेशन पर रुकना

3883. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को पूर्व रेलवे के झाझा-सिमलतला सैक्शन पर स्थित एक 'स्टेशन' नरगंजों क्षेत्र के हरिजनों तथा आदिवासियों की ओर से एक ज्ञापन-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनसे प्रार्थना की गई है कि इस स्टेशन पर अप तथा डाउन मुगलसराय-हावड़ा पैसेंजर गाड़ी नहीं रुकनी चाहिये ;

(ख) क्या यह सच है कि केवल कर्मचारियों की सुविधा हेतु सोमवार और मंगलवार को छोड़कर इस समय इस स्टेशन पर कोई भी गाड़ी नहीं रुकती ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह क्षेत्र अन्यथा दुर्गम है तथा वहां अधिकतर आदिवासी और हरिजन लोग रहते हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से इस मांग को पूरा करने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ). नरगंज स्टेशन की व्यवस्था केवल परिचालनिक सुविधा के लिए की गई है और यह यात्री यातायात के लिए नहीं खुला है । सार्वजनिक समय-सारणी में इस स्टेशन का उल्लेख नहीं किया गया है । इस स्टेशन को यात्री यातायात के लिए खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

बोकारो इस्पात कारखाने को हानि

3884. **श्री मधु लिमये** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में असाधारण विलम्ब तथा भारी हानि हुई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन अनियमितताओं, त्रुटियों तथा अकार्यकुशलता के लिए जिम्मेदारी नियत करने हेतु संसद् की एक समिति नियुक्त करने का है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) यह ठीक है कि बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में विलम्ब हुआ है परन्तु यह ठीक नहीं कि कारखाने के निर्माण में भारी हानि हुई है ।

(ख) जी नहीं । कारखाने के निर्माण में विलम्ब कई कारणों से हुआ है जिन पर प्रायोजना प्राधिकारियों का कोई अधिकार नहीं था परन्तु यह किसी अनियमितताओं अथवा किसी व्यक्ति या संगठन की लापरवाही के कारण नही हुआ है ।

क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में उड़ीसा के मुख्य मंत्री की टिप्पणी

3885. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा हाल में नई दिल्ली में आयोजित एक विचार गोष्ठी में केन्द्रीय सरकार पर पिछड़े राज्यों की केवल कोरी सहानुभूति दिखाने का आरोप लगाया था तथा भारत सरकार से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए आवश्यक विभिन्न कारगर उपायों को लागू करने की मांग की थी ;

(ख) क्या यह सच है कि मुख्य मंत्री ने उक्त विचार गोष्ठी में भारत सरकार से मांग की थी कि पिछड़े राज्यों की समस्याओं की जांच करने के लिए तथा औद्योगिक तौर से पिछड़े राज्यों में विशेषकर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में 80 प्रतिशत पूंजी लगाने और लाइसेंसों के जारी किये जाने में छूट देने अथवा विकेन्द्रीकरण की जांच के लिए एक नया वित्त आयोग नियुक्त किया जाये ताकि देश की औद्योगिक नीति के मुख्य ढांचे के अन्तर्गत औद्योगिक विकास को उन्नत किया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) संतुलन क्षेत्रीय विकास की समस्या को हल करने के लिये आवश्यक है कि इस संबंध में नीति सम्बन्धी जितने उपाय हैं उनका उपयोग केवल केन्द्रीय व राज्य सरकारें ही एक साथ मिलकर न करें बल्कि गैर-सरकारी व सरकारी क्षेत्र भी साथ-साथ उनका उपयोग करें ।

केन्द्रीय सरकार ने इस दिशा में कई पग उठाये हैं । इन पगों के साथ-साथ इसमें ये भी सम्मिलित है—केन्द्रीय सहायता के आवंटन में पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता देना, सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए स्थान निश्चित करना और वित्त सम्बन्धी तथा अन्य संस्थाओं की प्रक्रिया व नीतियों का समायोजित करना । इस कारक को पंचम वित्त आयोग ने भी अपनी सिफारिशों में प्राथमिकता दी है । योजना आयोग के कार्यकारी दल ने भी विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकासार्थ कई अभ्युपायों की सिफारिशें की हैं । राज्य सरकारों के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे उपयुक्त विकास कार्यक्रमों के लिए संसाधनों को गतिशील बनाने हेतु उपयुक्त अभ्युपाय करें ।

तकनीकी आर्थिक नियमों के अधीन सरकार भी इस नीति का अनुसरण कर रही है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं, जहां तक सम्भव हो, औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित की जायें । अतः क्षेत्रीय असंतुलनों को ठीक करने की समस्या को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार से निपटाया जाना चाहिए ।

वित्त आयोग का सम्बन्ध तो केवल अंशदायक केन्द्रीय करों तथा अनुदानों के हस्तांतरण से सम्बन्धित सिफारिश करना है । अतः नये वित्त आयोग की नियुक्ति से कोई लाभकारी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा ।

इस्पात की दुर्लभ किस्में

3886. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने निर्यात करने तथा देश की आवश्यकताओं के लिए दुर्लभ किस्म तथा श्रेणी के इस्पात की संपूर्ण उपलब्धता में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ; और

(ग) किस किस्म तथा श्रेणी के इस्पात के सम्बन्ध में ये उपाय किये गये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग). काली चादरों और प्लेटों तथा विलेट और वायर राड जैसे कुछ गैर चपटे उत्पादों की कमी है। सरकार ने कारखानों में इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किये हैं और जब कभी कोई बाधाएं आई है उनको दूर किया गया है। देशीय माँग की पूर्ति हेतु समय समय पर दुर्लभ किस्म के इस्पात का आयात करने के मामले में भी ढ़ील दी गई है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रकार के माल का थोक आयात करने की भी अनुमति दे दी गई है।

सरकारी तथा गैर-सरकरी क्षेत्रों के विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

3887. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग समूह मंडल संघ द्वारा इसी वर्ष जनवरी मास में नई दिल्ली में आयोजित "संतुलित औद्योगिक विकास द्वारा समृद्धि" विषयक गोष्ठी में अपना उद्घाटन भाषण देते हुए यह कहा कि यह बड़ा आवश्वक है कि क्षेत्रीय असन्तुलनों, आर्थिक शक्तियों के अधिक केन्द्रीयकरण तथा कृत्रिम कमी को रोकने के लिए राज्य सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के विकास के हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करें ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य-वाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) जी, हां।

(ख) आगामी वर्षों में औद्योगिक विकास की तीव्र गति प्राप्त करने के लिए तथा अन्य सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्रगति हेतु सरकार ने हाल ही में औद्योगिक लाइसेंस नीति में संशोधन किए हैं जिनके अनुसार महत्वपूर्ण उद्योग अर्थात् कुछ आधार भूत वस्तुयें तथा सामरिक उद्योग और उद्योगों के भारी विनियोजन वाले क्षेत्र जिसमें 5 करोड़ रुपये से अधिक वाले सभी औद्योगिक विनियोजन के प्रस्ताव औद्योगिक लाइसेंस देने के अधीन होंगे, इन क्षेत्रों में बड़े औद्यो-गिक गृहों, तथा विदेशी संस्थाओं, सहयोगियों अथवा विदेशी कम्पनियों की शाखाओं तथा अन्य

आवेदकों से आशा की जायेगी कि वे बाकी के क्षेत्रों में विशेषकर उद्यमियों की अन्य श्रेणियों के लिए अवसर देते हुए उद्योगों की स्थापना में भाग लें और सहयोग करें।

मध्यम क्षेत्र में 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये के विनियोजन वाली पार्टियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर, बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित उपक्रमों के अलावा विशेष विचार किया जाएगा तथा मुक्त रूप से लाइसेंस जारी किये जायेंगे। सिवाय उन प्रकरणों के जिनमें विदेशी मुद्रा की जटिलताओं पर ध्यान से समीक्षा करना आवश्यक है।

2. सरकारी क्षेत्र में भी विस्तार करने का प्रस्ताव है तथा सरकार इस क्षेत्र में अल्प अवधि में पनपने वाले ऐसे उद्योगों को प्रारम्भ करने की संभावनाओं पर विचार करेगी जिनके शीघ्र लाभ हों जिससे कि आगामी कुछ वर्षों में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित होने वाले सम्भावित उत्पादन व्यवधानों को एक सम्भव सीमा तक पूरा किया जा सके।

3. भारत सरकार आर्थिक शक्तियों तथा क्षेत्रीय असन्तुलनों के केन्द्रीकरण को रोकने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली के मामले में लाइसेंस समिति के लिए भी मार्गदर्शीय रेखा निर्धारित करने का प्रस्ताव रखती है।

राष्ट्रीय विकास में गैर-सरकारी उद्योगों का योगदान

3888. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय विकास के बारे में गैर-सरकारी उद्योगों के योगदान की निरन्तर हो रही निन्दा के बारे में औद्योगिक क्षेत्रों में भारी असंतोष व्याप्त है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने राष्ट्रीय उत्पादन तथा विकास के बारे में गैर-सरकारी उद्योग के योगदान संबंधी तथ्यों तथा आंकड़ों का ब्यौरा देने वाले दस्तावेज प्रकाशित किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस भावना को दूर करने तथा सरकार की उद्योग नीति के प्रभाव को सिशक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सरकार उद्योगों के विकास में गैर-सरकारी क्षेत्र के योगदान से भली भांति अवगत है और इस विषय पर सरकार की नीति का स्पष्टीकरण विभिन्न मंचों पर संसद में तथा संसद से बाहर किया जा चुका है। सरकारी नीति का कार्यान्यिन औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से नियंत्रित होता है। सरकार ने निम्न विषयों पर कई पग उठाये हैं :—(1) औद्योगिक लाइसेंस नीति (2) सरकारी वित्तीय संस्थानों से सहायता विषयक नीति और (3) प्रशासन सुधार आयोग, औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति तथा योजना आयोग की सिफारिशों की दृष्टि में सरकारी क्षेत्र के प्रवर्धन से सम्बन्धित नीतियां।

आसाम में उपभोक्ता वस्तुओं का बढ़ता हुआ मूल्य

3889. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवहन लागत अधिक हो जाने के कारण आसाम में उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य बहुत ही अधिक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आसाम सरकार ने परिवहन लागत में राजसहायता देने के लिए केन्द्र से प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रार्थना पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली) अहमद) : (क) से (ग). आसाम में वितरण को प्रोत्साहन देने तथा राज्य की जनता के निर्वाह व्यय को नीचा रखने के विचार से आसाम सरकार ने जुलाई, 1969 में आवश्यक वस्तुओं तथा कच्चे माल इत्यादि के लिए रियायती दर पर परिवहन व्यवस्था सुलभ कराये जाने वाली एक योजना तैयार करने की प्रार्थना की थी । । चूंकि ऐसा करना भारतीय रेल अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत अनपेक्षित पक्षपात समझा जाता अतः आसाम सरकार की प्रार्थना स्वीकार न की जा सकी । इसकी सूचना राज्य सरकार को अक्तूबर, 1969 में ही दे दी गई थी ।

आसाम के सिलचर क्षेत्र में बिजली अथवा डीजल कर्षण (ट्रेक्शन)

3890. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के सिल्चर क्षेत्र में रेलवे द्वारा किस प्रकार के कर्षण (ट्रेक्शन) का प्रयोग किया जाता है ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में बिजली अथवा डीजल कर्षण (ट्रैक्शन) के प्रयोग का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) उपर्युक्त क्षेत्र में गत 3 वर्षों में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) इस क्षेत्र में भाप कर्षण का प्रयोग किया जाता है ।

(ख) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) 4,01,300 रुपये ।

Withdrawal of Dinning Car from 57 Dn. Amritsar Express Train

3891. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that previously a dining-car used to be attached to 57-Dn. Amritsar Express Train but it has since been withdrawn as a result of which the passengers have been facing great difficulties regarding meals etc. ;

(b) if so, the reasons for which the said dining-car has been withdrawn ;

(c) whether Government would issue orders for attaching a dining-car again to this train as was being done previously, keeping in view the passengers' difficulties ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (d). Yes. Prior to 17-5-1967, a Dining Car was provided on 57 Dn/58 Up Bombay-Pathankot Express trains (now Amritsar Express) between Bhusaval and Jhansi. Since there was heavy overcrowding on this train, specially between Bhusaval and Jhansi, the Dining Car service was withdrawn and replaced by a third class coach with effect from 17-5-67 for the convenience of third class passengers. Adequate catering facilities exist at suitable stations en-route and halts of the trains are adequate to meet the requirements of passengers satisfactorily.

In the circumstances, it is not proposed to reintroduce the dining car.

Issue of a Fare Receipt or Ticket by a Guard

3892. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that under the existing rules, a Guard cannot issue a fare-receipt or ticket without charging penalty, to a passenger who does not possess the platform ticket of the station from where he boarded the train ;

(b) whether it is also a fact that no separate arrangements for selling the platform ticket exist in most of the stations and also when a passenger has the time to purchase a platform ticket he can as well purchase the railway fare ticket ;

(c) whether Government are aware that the foreign travellers are being greatly inconvenienced on this ground ;

(d) if so, whether Government propose to amend the said rules keeping in view the impracticability thereof as also the difficulties arising out of them ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Guards of trains are not required to issue any fare receipt or ticket.

Apparently, the reference is to the orders that have been inforced on all Railways that Guard's certificate should be issued in the case of passengers approaching the Guard at stations where platform tickets are sold only on their producing valid platform tickets. In cases where Guard's certificate is issued, no penalty is leviable.

(b) At all important stations separate arrangements exist for the sale of platform tickets.

The minimum requirement for lawful entry on the platform at stations where platform tickets are sold is the possession of a platform ticket, the purchase of which is comparatively simpler than journey tickets. Passengers are naturally expected to arrive at such stations in such time as would atleast enable them to purchase platform tickets.

(c) No such instances have come to the notice of the Government.

(d) and (e). The effect of the order is under constant watch.

Enquiry into Thefts from Machine Shops and Loco-Shed, Bhopal

3893. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one of the Assistant Loco Foremen at Bhopal (Central Railway) absented himself from duty for about 15 months instead of joining duties at some other place after he was transferred from Bhopal as a result of enquiry into the theft of lubricators in the Loco-Shed, Bhopal ;

(b) whether it is also a fact that he has been allowed to resume duty again at Bhopal without any action being taken against him ; and

(c) whether it is further a fact that the said person was also found guilty in the case of theft in the Machine shops at Bhopal and whether he would get the matter enquired into again to ascertain the facts ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Investigations established that this employee was not responsible for any theft of Railway property. He was however held guilty of slack supervision. His promotion has been withheld for a period of two years by the competent authority.

Late Arrival of Trains at Delhi/New Delhi Stations and their Detention at Outer Signal or Near by Station

3894. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the trains coming to Delhi and New Delhi do not enter the Stations direct but are stopped either at the outer signal or at a nearby station and they are made late and the passangers have to face great difficulties on this account ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government would look into this matter in order to improve the situation ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, but only occasionally.

(b) Operational factors like want of clear line and clear platform at New Delhi/Delhi stations, whenever the schedule of trains is upset, for any reason.

(c) The factors leading to detentions to trains while approaching New Delhi/Delhi are analysed on a day-to-day basis and every feasible effort is made to minimise the incidence of such detentions.

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का 23-2-70 को पत्रकार सम्मेलन

3895. **डा० प० मण्डल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 फरवरी, 1970 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के पत्रकार सम्मेलन में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ का भी एक प्रतिनिधि उपस्थित था ;

(ख) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के प्रतिनिधि को प्रैस सूचना ब्यूरो द्वारा आमन्त्रित किया गया था, और

(ग) क्या उक्त व्यक्ति ने भी जो कि पत्रकार भी थे पत्रकार सम्मेलन में प्रश्न पूछे थे ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). प्रैस सूचना ब्यूरो द्वारा आयोजित प्रैस सम्मेलनों में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित नहीं किया जाता । प्रैस सूचना ब्यूरो द्वारा प्रैस सम्मेलनों में केवल भारत सरकार के मुख्यालयों में प्रत्याशित प्रैस प्रतिनिधियों को ही आमंत्रित किया जाता है । संपादकों और सम्पादकीय लिखने वालों की उनकी प्रार्थना पर प्रैस सम्मेलनों में शामिल होने की अनुमति दी जाती है । रेलवे बोर्ड के

अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा बुलाये गये प्रैस सम्मेलन के लिए जो निमंत्रण भेजा गया था उसकी एक प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 2969/70]

(ग) सवाल नही उठता।

Rail-Cum-Road Bridge at Dumariya Ghat to connect Chupra and Motihari with Rail

3896. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Rail-cum-road bridge is being constructed at Dumariya Ghat on the Naraini River with a view to connect Chupra and Motihari, the two District headquarters in Bihar, with a Rail link ;

(b) if not, whether Government have found out some alternative method to connect Chupra and Motihari with a Rail link and, if so, the details thereof ; and

(c) if the reply to part (b) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). Due to paucity of funds and lack of adequate traffic justification it is not possible to consider the construction of a new railway line connecting Chupra and Motihari, eithey by crossing Naraini river at Dumariaghat, or by any other route, at present.

Complaint by an Employee of Irwin Hospital, New Delhi, Regarding Untouchability

3897. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has received a complaint dated the 3rd November, 1969 regarding untouchability from one Shri Rampal Singh, L. D. C. in the Irwin Hospital, New Delhi ;

(b) if so, the details of the action taken in this regard ; and

(c) in case no action has been taken the reasons therefor ?

The Minister for Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon) : (a) Yes.

(b) The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has addressed the Delhi Administration for enquiry and report.

(c) Does not arise.

निरमाली और जयनगर के बीच अतिरिक्त सीधी रेल गाड़ी चलाया जाना

3898. **श्री शिवचंद्र झा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर रेलवे में निरमाली और जयनगर के बीच एक और सीधी देलगाड़ी चलाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) इस समय वहां जितना यातायात होता है, उसे संभालने के लिए निर्मली और सकरी के बीच चलने वाली वर्तमान 6 जोड़ी सवारी गाड़ियां और सकरी और जयनगर के बीच चलने वाली 5 जोड़ी सवारी गाड़ियां पर्याप्त समझी जाती हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

3899. **श्री शिवचन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग अपने उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास की मद पर धन-राशि खर्च करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक उद्योग ने सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्योग की तुलना में प्रतिवर्ष कुल कितनी धन-राशि खर्च की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आसाम डाक/एक्सप्रैस गाड़ी में मनीपुर के यात्रियों के लिए सीटों का कोटा

3900. **श्री एम० मेघचंद्र : क्या रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम डाक गाड़ी तथा एक्सप्रैस गाड़ियों में दीमापुर मनिपुर रोड और उसके आगे मनीपुर के यात्रियों के लिए कितनी सीटों का कोटा है ;

(ख) क्या बरौनी रेलवे जंकशन से चलने वाली गाड़ियों में उपर्युक्त कोटे की व्यवस्था है ;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की सीटों का आरक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि बरौनी से आगे कोटा नहीं रहता, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कोटा इस तरह निर्धारित किया गया है कि गाड़ियों में बरौनी जंकशन तक और बरौनी जं० से आगे के लिए भी स्थान से आरक्षण की व्यवस्था हो सके।

(ग) यह सूचना ऊपर भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण में दी गयी है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

विवरण

मनीपुर से चलने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 4 डाउन असम डाकगाड़ी में दीमापुर-मनीपुर स्टेशन और इम्फाल आउट एजेन्सी को स्थान के आरक्षण का कोटा आवंटित किया गया है, जैसा कि नीचे बताया गया है :

(i) दीमापुर-मनीपुर स्टेशन के लिए :—

पहला दर्जा—नई दिल्ली की ओर बरौनी से आगे की यात्रा के लिए 4 डाउन/85 अप असम डाक गाड़ियों में एक शायिका ।

तीसरा दर्जा—नई दिल्ली की ओर बरौनी से आगे की यात्रा के लिए 4 डाउन/85 अप असम डाक गाड़ियों में :

एक 3—टियर शयन यान शायिका,

एक 2—टियर शयनयान शायिका,
और एक सीट ।

कलकत्ता की ओर बरौनी से आगे की यात्रा के लिए 4 डाउन असम डाकगाड़ी/22 डाउन नार्थ बिहार एक्सप्रैस में एक सीट बरौनी तक की यात्रा के लिए 4 डाउन असम डाकगाड़ी में एक 2—टियर शयन यान शायिका और 5 सीटें ।

(ii) इम्फाल आउट एजेंसी के लिए (दीमापुर-मनीपुर रोड स्टेशन द्वारा नियंत्रित) :—

पहला दर्जा—नई दिल्ली की ओर बरौनी से आगे की यात्रा के लिए 4 डाउन/85 अप असम डाक गाड़ियों में एक शायिका ।

तीसरा दर्जा—बरौनी तक की यात्रा के लिए 4 डाउन असम डाकगाड़ी में एक 3—टियर शयनयान शायिका और दो सीटें ।

पवित्र स्थानों की यात्रा करने के लिये मनीपुर के यात्रियों को रियायत

3901. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में पुरी, नवद्वीप, वृन्दावन और ऐसे वैष्णव धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले मनीपुर के हजारों रेल यात्रियों को कोई रियायत देती ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार की रेलवे रियायत देने पर विचार करेगी जिससे लोग इस प्रकार की यात्रा रेल द्वारा करने से निरुत्साहित न हों ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी नहीं ।

मुरादाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) में इंजीनियरिंग इंसपेक्टर्स के ट्रालीमैनों का तबादला

3902. **श्री हुकम चंद कछवाय** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग इंसपेक्टर्स के ट्रालीमैनों को रेलवे में सामान्य रूप से तथा मुरादाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) में विशेष रूप से 20 से अधिक वर्षों तक रखा जाता है ;

(ख) यदि हां, नियमित अन्तराल से उनका तबादला न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन्जीनियरिंग इन्सपैक्टर्स के ट्रालीमैनों का तबादला करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Grants for Uplift of Bhil-Bhima and other Tribes of Rajasthan

3903. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) the special grants provided by the Central Government for the uplift of Bhil-Bhima and other tribes living in South and West Rajasthan :

(b) whether Government are aware of the rapid conversion taking place in the said areas on account of poverty and wants ;

(c) if so, the steps taken or proposed to be taken to check the conversion ; and

(d) whether Government propose to make a study of their economic conditions and, if so, the time by which it is likely to be done ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon) : (a) No specific grants have been provided by the Central Government for the welfare of Bhil-Bhima separately. Grants are given for the welfare of Scheduled Tribes and development of Scheduled Areas for which a provision of Rs. 147.50 lakhs has been made during the IV Plan. Out of this an amount of Rs. 114.00 lakhs is earmarked for 18 Tribal Development Blocks located in the districts of Banswara, Dungarpur, Udaipur and Chittorgarh.

(b and (c). The information is being collected from the State Government and it will be placed on the Table of the House, when received.

(d) The State Tribal Research Institute at Udaipur has been making Socio-economic studies from time to time.

Udaipur-Delhi Chetak Express

3904. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any steps have been taken so far to remove the difficulties being faced by the passengers at the intermediary stations between Udaipur and Delhi as a result of their finding no room in the Udaipur-Delhi Chetak Express ;

(b) the steps being taken in respect of the demand made by the people that the said Express train should run as an Express train should run as an Express between Udaipur and Ajmer also ; and

(c) the action so far taken by Government in respect of the demand that the said train might be terminated at Delhi Junction and not at Delhi junction and not at Delhi Sarai Rohilla station ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Though there is marginal over-crowding in 15 Up 16 Dn. Delhi Sarai-Rohilla-Udaipur Chetak Express on Udaipur-Chitorgarh-Ajmer section, the accommodation available in other trains of this section is under utilised. Additional train is, therefore, not the remedy nor is it possible to augment the load since Chetak Express is already running with maximum load.

(b) Speeding up of 15Up/16 Dn. Chetak Express on Udaipur-Chitorgarh-Ajmer section is not possible except by withdrawing certain halts of the train ; which action will

inconvenience quite a sizeable proportion of the public travelling on these sections and is, therefore not considered desirable.

(c) It has not been found possible to accommodate the demand for want of requisite terminal facilities at Delhi Main Station.

Scheme for Expansion of Railway Lines in Rajasthan

3905. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether any long term scheme has been formulated for the expansion of the Railway lines in Rajasthan in view of its large area as also its traffic and development needs ;

(b) the action taken so far on the long standing demands pending consideration for constructing new Railway lines from Bari Sadari to Neemuch, Kota to Chittorgarh, Durgapur to Pratapgarh and Pratapgarh to Sigari Kota *via* Sadari so as to connect all these backward areas with each other ; and

(c) whether it is proposed to connect all the big cities in Rajasthan with broad-gauge line and, if so, the time by which it is likely to be done ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) A re-assessment is at present being made to find out the traffic prospects of the Kota-Chittorgarh broad-gauge/metre-gauge rail link. Due to paucity of funds and lack of adequate traffic justification, it is not possible to consider the construction of the other suggested rail links at present.

(c) No such proposal is under consideration at present.

Special Train for the Delegates of Congress Session at Bombay

3906. **Shri Hukam Chand Kachwai** :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a special Railway train was chartered out by Government for the delegates who went to Bombay to take part in the Congress Session held in Bombay in the month of December, 1969 :

(b) if so, the amount of Railway were realised by Government on this account ; and

(c) the number of Railway coaches attached to the said special train ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No special trains were run by the Railways exclusively for transport of delegates for the Session at Bombay, except those requisitioned and organised on payment of tariff rates under the normal rules.

(b) and (c). Does not arise.

Ticketless Travelling and Expenditure incurred on Vigilance Department of Northern Railway

3907. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of persons caught while travelling without tickets on the Northern Railway by the employees of the Vigilance Department during the last two years ;

(b) the expenditure incurred by the Railways on the Vigilance Department during the aforesaid period ;

(c) the number of complaints so far received by the Vigilance Department against the irregularities committed by the Railway employees and the action taken by Government thereon ;

(d) whether it is a fact that Government have also received complaints against the employees of the Vigilance Department ; and

(e) whether Government have set up any agency for looking into these complaints and if so, the number of cases in which this high-powered agency has completed its enquiry ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Checking of passenger tickets is normally done by the ticket checking staff. The staff of the Vigilance Department do such checking only occasionally and there too their checks are directed more towards the conduct of the regular ticket checking staff.

(b) The approximate expenditure incurred on the Vigilance Department of the Northern Railway during the years 1968 and 1969 are Rs. 4 52 lakhs and Rs. 4.73 lakhs respectively.

(c) During 1968, the number of complaints received by the Vigilance Department of the Northern Railway (including the carry forward from the previous year) was 3,165, out of which 732 was dropped without enquiry, 1,637 after enquiry and in 345 cases, either departmental action or action in a court of law was taken. During the year 1969, the number of complaints (including the backlog) was 2,869, out of which 421 was dropped without enquiry, 1.761 after enquiry and in 258 cases, action was taken departmentally or in a court of law.

(d) Yes.

(e) No separate machinery has been set up to enquire into the complaints against vigilance staff except for instructions that such enquiries should be done by an officer of appropriate rank.

Loss to Railways due to Political Disturbances, Agitations and Accidents

3908. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total value of loss sustained by the Indian Railways since Ist November, 1969 on account of political disturbances, agitations and Railway accidents ; and

(b) the measures proposed to be adopted by Government to ensure that the Railways do not sustain loss on these accounts in future ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Damages caused to the Railway property as a result of political dis urbances and agitations during the period Ist November, 1969 to 28th February, 1970 have been estimated at Rs. 22.9 lakhs approximately.

Cost of damage to Railway property as a result of train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains which occurred on the Indian Government Railways during the period 1.11.69 to 28.2.70 has been estimated at Rs. 42,41,824 approximately.

(b) The Railway Protection Force/Railway Protection Special Force are being increasingly deployed to protect Railway property and to assist the State Police in handling such situations. Closest liaison is also maintained with the State Police authorities who deal with law and order. A Bill is also proposed to be introduced in the current Session of the Parliament to provide for deterrent punishment for caused damage or destruction to Railway property. Steps are also taken to project before the public the baneful effects of destruction of such national assets.

Inquiries are held into all railway accidents and necessary steps are taken to prevent recurrence of similar accidents. As inquiries held into railway accidents reveal that failure of railway staff is the largest single factor responsible for causing accidents, a four-pronged safety drive, educative, psychological, punitive and technological, has been going on to arouse the safety consciousness of the staff and to prevent accidents.

Demands of Employees of Bharat Heavy Electricals Ltd., Hardwar

3909. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the reaction of Government in regard to the major demands of the Union of the employees of the Bharat Heavy Electricals Ltd., Hardwar that they may be provided with salaries, bonus and other facilities at par with employees working in other units of this company located at different places in the country ; and

(b) the action being taken by Government in the matter ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). Matters relating to salaries, bonus and other facilities to the employees of Bharat Heavy Electricals Ltd. at its various Units, fall within the purview of the management of the Company. The question of reaction of Government to employee's demands in respect of these matters, therefore, does not arise. However, an agreement was signed on 24.2.1970 by the Management of Heavy Electrical Equipment Plant, Hardwar of Bharat Heavy Electrical Ltd. and its workmen through Heavy Electrical Workers Trade Union covering the major demands of the Union including the demand for the revision of the wage structure. Although the agreement envisages that the revised wage structure will be valid for a period of 5 years, it provides that in case there is an upward revision of the wage structure in the other Units of BHEL the wage structure of the Heavy Electrical Equipment Plant, Hardwar, would also be revised on the same lines.

Setting up of Foundry for Bharat Heavy Electricals Ltd.

3910. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the reasons for the delay in setting up a separate foundry for the Bharat Heavy Electricals Ltd., specially when a large number of machines have already been procured for it ; and

(b) the time by which the said foundry is likely to be commissioned ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). In the light of indigenous capacity already available for casting and forgings in the country, the scope of setting up a Central Foundry Forge Plant at Hardwar in the Bharat Heavy Electricals Ltd. complex is being reviewed. A final decision in this regard will be taken towards mid 71. It is not correct that a number of machines have already been procured for the foundry unit.

निर्यातक रीरोलर्स को बिलेटों का वितरण

3911. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात के छड़ और सलाखें आदि निर्यात करने के सम्बन्ध में बिलेटों के लिए निर्यातक रीरोलर्स को अलग कोटा दिया जा रहा है :

(ख) क्या यह भी सच है कि अप्रैल/अक्तूबर, 1968 में किये गये निर्यात को आधारभूत अवधि माना गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मैसर्स आयरन स्टील रोलिंग मिल्स, बम्बई और मैसर्स के० आर० स्टील यूनियन लिमिटेड, कल्यानी को वर्ष 1969 की विभिन्न अवधियों में आधारभूत अवधि में उनके निर्यात से और उनकी निर्धारित क्षमता से अत्यधिक कोटा दिया जाता रहा है ;

(घ) इन फर्मों की निर्धारित क्षमता कितनी है, आधार-भूत अवधि में उनका निर्यात कितना था और वर्ष 1969 तथा 1970 में उनको कितना कोटा दिया गया है ; और

(ङ) उनको अधिक कोटा दिये जाने के क्या कारण हैं और क्या उनके साथ रियायत करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्यात का कोटा वितरण करते समय अप्रैल/अक्तूबर, 1968 की अवधि में निर्यात की प्रगति और निर्यात सम्बन्धी करारों में से अवशिष्ट करारों को भी ध्यान में रखा गया था ।

(ग) और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

	एरन स्टील रोलिंग मिल्स महाराष्ट्र	के० आर० स्टील यूनियन (प्रा०) लि० पश्चिमी बंगाल
तकनीकी समिति द्वारा आंकी गई मासिक दोपाली क्षमता	1000 टन	4833 टन
निर्यात कोटा का नियतन	2000 टन प्रति माह फरवरी 1969 से जुलाई 1969 तक	2000 टन मासिक फरवरी 1969 से जुलाई 1969 तक (इसमें बायर रोड के लिए 1250 टन की मात्रा शामिल है)
	अगस्त 1969 से 1840 टन मासिक	अगस्त 1969 से 1940 टन मासिक
आधार अवधि में निर्यात और निर्यात सम्बन्धी अनुबन्ध	अप्रैल से अक्तूबर 1968 की अवधि उनका औसत निर्यात 1625 टन था । जनवरी 1969 के आरम्भ	दो वर्ष तक इस इकाई का आधुनिकीकरण होता रहा । यह काम 1968 में पूरा हुआ । 1968 के पूर्वार्ध में उन्होंने

में विदेशों को निर्यात के लिए उनके पा। 10,000 टन के/सी साख-पत्र थे।	21805 टन के निर्यात के आदेश बुक किये जिसके लिए बिलेट का आयोजन जुलाई-अगस्त 1968 में किया गया था। निर्यात के लिए बिलेट की प्राप्ति सितम्बर, 1968 में प्रारम्भ हुई। अगस्त 1968 में माल का प्रेषण घरेलू कोटे में से किया गया। उन्होंने अगस्त-सितम्बर, अक्तूबर, 1968 में अपने मिलों से 2462 टन का निर्यात किया और इन्हीं तीन महीनों में बिलेट के अभाव में दूसरों से खरीद कर 67.2 टन का अतिरिक्त निर्यात किया।

हैवी इलैक्ट्रीकल्ज संयन्त्रों में क्षमता का इस्तेमाल

3912. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के हैवी इलैक्ट्रीकल्ज संयंत्रों के निर्माता वर्ष 1971-72 के बाद विशेषतया तापीय बिजली केन्द्र के उपकरणों के बारे में बिना क्रयादेश रहेंगे ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 और 1969-70 में उनके मन्त्रालय के अधीन विभिन्न हैवी इलैक्ट्रीकल संयंत्रों की क्षमता के इस्तेमाल सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या डिजाइन इत्यादि की समस्याओं को देखते हुए क्रयादेश जिन्हें दो वर्ष बाद क्रियान्वित किया जाना है इस समय अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिएं ; और

(घ) आगामी पांच वर्षों में इन संयंत्रों की क्षमता के इस्तेमाल सम्बन्धी अनुमान क्या हैं तथा पूरे उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जटिलतम तथा भारी उद्योग जैसे स्टीम टरबाइनों, टर्बो आलटानेटरों, हाइड्रो टरबाइनों, हाइड्रो जनित्रकों तथा बड़ी मोटरों, जिनका अभिकल्प विभिन्न ग्राहकों की निर्दिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किया जाता है, के उत्पादन के लिए क्षमता की प्रगति अधिकांशत: आवश्यक तकनीकी कुशलता की प्राप्ति पर तथा जानकारी और डिजाइन के समावेशन पर निर्भर करती है।

इन कारखानों में कार्यक्रमों के पूर्ण विकास की योजना बनाने के लिए कम से कम तीन वर्ष अग्रिम की पूरी क्षमता के लिये क्रयादेश प्राप्त हो जाने चाहिये ।

जहां क्रयादेश की स्थिति में सामान्यतः सुधार हो रहा है, वहाँ ऐसी भी सम्भावना है कि 1971-72 के पश्चात् तापीय जनित्रक उपकरणों को बनाने वाली क्षमता अप्रयुक्त रह जाये । प्रयत्न किये जा रहे हैं कि आन्तरिक रूप से अधिकाधिक क्रयादेश प्राप्त किये जाये तथा निर्यात को बढ़ाया जाये । आजकल इन संयंत्रों में कोई अप्रयुक्त क्षमता नहीं है ।

केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजायन ब्यूरो को बोकारो इस्पात कारखाने के द्वितीय चरण के विस्तार के डिजाइन का काम सौंपना

3913. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**

श्री का० प्र० सिंह देव :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस सरकार बोकारो इस्पात संयंत्र द्वितीय चरण के विस्तार के डिजायन का कार्य हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरिंग तथा डिजायन ब्यूरो (सी० ई० डी० वी०) को देने पर जोर दे रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि रूस सरकार ने तकनीकी जानकारी के हस्तान्तरण के बारे में केन्द्रीय इन्जीनियरिंग डिजाइन ब्यूरो से हाल ही में एक करार किया है और उक्त करार को सरकार ने स्वीकृत दे दी है ;

(ग) क्या उन्होंने केन्द्रीय इन्जीनियरिंग डिजाइन ब्यूरो को यह कार्य दिये जाने के गुण दोष की जांच कर की है जिससे उक्त करार को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की दूसरी अवस्था के विस्तार के लिये रूस के विशिष्ट विवरण कठोर हों ; और

(घ) क्या उक्त ठेके को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व वह इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे कि इस्पात संबंधी सक्षम परामर्श-दात्री सेवायें गैर-सरकारी क्षेत्र में भी उपलब्ध हों ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । इस समझौते के अन्तर्गत नए स्थान पर एक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना और सहायक इकाईयां लगाने के लिये रूपांकन करने हेतु त्याजप्रोमेक्सपोत केन्द्रीय इन्जीनियरी और रूपांकन ब्यूरो को मार्गदर्शक सामग्री और तकनीकी सहायता देगा ।

(ग) वास्तव में, केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपाकंन ब्यूरो को प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त करने से सरकार द्वारा पहले ही स्वीकृत रूसी विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन के अन्तर्गत बनाए जाने वाले सभी यन्त्र और उपयन्त्र भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाए जा सकेंगे ।

(घ) केन्द्रीय इन्जीनियरी और रूपाकंन ब्यूरो को बोकारो के विस्तार के लिए प्रमुख परामर्श दाता नियुक्त करने का निर्णय भारत के दूसरे परामर्शदाताओं की उपलब्धता सहित सभी सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखकर किया गया है ।

गुजरात लघु उद्योग निगम द्वारा स्कूटरों का निर्माण

3914. **श्री वीरेन्द्र कुमार भा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है बड़े पैमाने पर स्कूटरों के निर्माण के लिये गुजरात लघु उद्योग निगम से प्राप्त हुई प्रार्थना को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बीच उक्त निगम ने अपनी योजना में ऐसा परिवर्तन कर लिया है कि निर्माण के लिये किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, और उसे अब आशा है कि वह अप्रैल, 1970 तक स्कूटरों की पहली खेप का परीक्षण कर लेगा ;

(ग) क्या इससे स्कूटरों के निर्माण में उक्त निगम की योग्यता का पर्याप्त प्रमाण मिलता है और यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निगम को पुर्जों और कच्चे माल के आयात के लिये आयात लाइसेंस देने सहित सभी सुविधाऐं देगी ; और

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उक्त निगम सरकारी क्षेत्र का एक कारखाना है और स्कूटरों की भारी कमी है क्या सरकार का विचार गुजरात लघु उद्योग निगम को बड़े पैमाने पर स्कूटरों के निर्माण के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस देने का है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मई, 1965 में गुजरात लघु उद्योग निगम से स्कूटरों के निर्माण के लिए एक योजना प्राप्त हुई थी। उनकी योजना पर उसी प्रकार की अन्य योजनाओं के साथ ही विचार किया गया था परन्तु उनकी योजना को औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने के योग्य नहीं पाया गया। तदनुसार 9 सितम्बर, 1968 को उनकी योजना रद्द कर दी गई थी।

(ख) तथा (ग). पहली जनवरी, 1970 के इकोनोमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें उनके आवेदन पत्र के रद्द किये जाने पर निगम ने "ऐसे क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ कर दिया जहाँ किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी" तथा निगम द्वारा निर्मित 50 'गिरनार' स्कूटरों की पहली खेप परीक्षण के लिए अप्रैल, 1970 तक तैयार हो जायेगी। प्रत्यक्षतः निगम ने लघु क्षेत्र में स्कूटरों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा राज्य के उद्योग निर्देशक से, जो लघु क्षेत्र के एककों से सम्बन्धित है, अपेक्षित सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पास किसी अन्य सुविधा के लिए अनुरोध नहीं आया है। यदि कोई ऐसा अनुरोध किया जायेगा तो उसके गुणावगुण के आधार पर उस पर पूर्व विचार किया जायेगा।

(घ) यह विचार है कि यदि कोई पार्टी पूर्णतः देशीय जानकारी तथा कच्चे माल से स्कूटरों का निर्माण करने के लिए तत्पर है तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तदनुसार, सरकार ने इच्छुक पार्टियों से इस आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। प्राप्त हुए प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव गुजरात लघु उद्योग निगम का भी है जिस पर अन्यों के साथ ही विचार किया जा रहा है।

भावनगर (पश्चिम रेलवे) में विभिन्न रेलवे स्टेशनों के निकट निचले उपरि पुल

3915. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को, पश्चिम रेलवे के भावनगर डिवीजन में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर तथा/अथवा निकट रेलवे के निचले पुलों तथवा/थवा उपरि पुलों के निर्माण के लिये कई प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसी प्रत्येक प्रार्थना के बारे में निम्न जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ;

(एक) प्रार्थना प्राप्त होने की तिथि ;

(दो) यदि प्रार्थना स्वीकार कर ली गई, तो स्वीकृति की तिथि ;

(तीन) यदि उस पर निर्णय नहीं किया गया है तो किस तिथि तक निर्णय किये जाने की संभावना है ; और

(चार) यदि प्रर्थना अस्वीकार कर दी गई, तो अस्वीकृति के क्या कारण हैं ; और

(ग) मंजूर की गई योजनाओं के कार्य में वास्तव में कितनी प्रगति हुई है और प्रत्येक योजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—2970/70]

महाराष्ट्र में बिजली से चलने वाली गाड़ियों का चलाया जाना

3916. **श्री देव राव पाटिल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में बिजली से रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार को बिजली से रेल गाड़ियां चलाने के लिये बिजली सप्लाई करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार से कोई आश्वासन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त गाड़ियां, विशेषकर इगतपुरी से नागपुर तक कब से चलाई जायेंगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) महाराष्ट्र में बम्बई-भुसावल, बम्बई-पूना और बम्बई-विरार के बीच बिजली की गाड़ियां पहले से ही चल रही हैं । इस समय पश्चिम रेलवे के विरार-साबरमती खण्ड पर विद्युतीकरण का काम हो रहा है जिसका विरार-घोलवड खण्ड महाराष्ट्र में पड़ता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) विरार-घोलवड खण्ड के 1972-73 तक पूरे हो जाने जाने की संभावना है जिसके बाद इस पर बिजली की गाड़ियां चलाई जायेंगी । जहां तक इगतपुरी-नागपुर खण्ड का सम्बन्ध

है, इगतपुरी और भुसावल के बीच पहले से ही बिजली की गाड़ियां चलती हैं। विद्युत कर्षण को, फिलहाल, नागपुर तक बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंसों का जारी किया जाना

3917. **श्री रवि राय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय को उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना करने के लिये कुछ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या है और उनमें से कितनी फर्मों को लाइसेंस दिये गये और कितनी फर्मों को लाइसेंस नहीं दिये गये हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उनमें से एक फर्म सोडियम हाईड्रोसल्फेट का उत्पादन करना चाहती थी, यदि हां, तो आवेदन के बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, हां। 1969 में उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंस के लिए 10 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। एक मामले में औद्योगिक विकास निगम लि०, उड़ीसा को एक आशय पत्र जारी किया गया है और (1) मे० दि गंजेज मेन्यूफेक्चरिंग कं० लि०, (2) मे० जयश्री कैमिकल्प लि०, तथा (3) मे० जे० के० इण्डस्ट्रीज़ प्रा० लि० से प्राप्त तीन आवेदन पत्र रद्द कर दिये गये हैं। शेष 6 आवेदनों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, हां। आवेदन-पत्र विचाराधीन है।

महानगरों में उद्योगों के और विकास पर प्रतिबन्ध

3918. **श्री रवि राय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वांचू कार्यकारी दल के सुझाव दिया था कि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के महानगरीय क्षेत्रों में उद्योगों के और विकास पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये ताकि पिछड़े राज्यों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). पिछले क्षेत्रों में उद्योग आरम्भ करने के लिए आर्थिक तथा वित्तीय प्रोत्साहन देने वाले कार्य कारी दल (वांचू समिति) ने अन्य बातों के साथ-साथ विकसित क्षेत्रों में उद्योग की अधिक भीड़भाड़ के निरुत्साह की भी सिफारिशें की हैं। इसी संबंध में एक सिफारिश यह भी थी कि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास के कुछ निर्धारित क्षेत्रों में नये एककों के स्थापनार्थ तथा इन सघन क्षेत्रों में, विशेषकर बम्बई तथा कलकत्ता में, विद्यमान एककों के

प्रसारार्थ भी कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाना चाहिए। योजना आयोग का विचार है कि जहां बम्बई आदि के कुछ निर्धारित क्षेत्रों में नये एककों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना उचित प्रतीत नहीं होता वहां उन क्षेत्रों में विद्यमान एककों के प्रसार अथवा नये एककों की स्थापना को सामान्यतः हतोत्साहित ही किया जाना चाहिए। फिर भी, अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री विजयनन्द पटनायक का विचारण अभिखण्डित करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय आदेश को अपास्त करने वाला उच्चतम न्यायालय आदेश

3919. **श्री रवि राय :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के आदेश में कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को अपास्त कर दिया जिससे आपराधिक न्यासभंग के आरोप पर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, कलकत्ता द्वारा श्री विजयनन्द पटनायक का विचारण अभिखण्डित किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त कर दिया गया था और वह मामला अन्य दलीलों पर, जो उच्च न्यायालय द्वारा निपटाई नहीं गई थीं, विचार करके निपटाने के लिए उच्च न्यायालय को लौटा दिया गया था।

पश्चिम दिल्ली क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर झुग्गियों का निर्माण

3920. **श्री बलराज मधोक :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटेल नगर स्टेशन और दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन के बीच कीर्तिनगर और रमेश नगर के साथ-साथ रेलवे लाइन के पास रेलवे की भूमि पर बहुत बड़ी संख्या में झुग्गियां बनाई गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नागरिक सुविधाओं के अभाव में इन झुग्गियों में रहने वाले हजारों व्यक्तियों को नरकीय जीवन बिताना पड़ रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे प्रशासन को अपने लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है अतः उक्त भूमि पर इन झुग्गीवासियों का स्थायी रूप से बसाया जाना सम्भव नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे मंत्रालय उक्त भूमि को सफाई कराने और उन झुग्गीवासियों को स्थायी तौर पर बसाने के लिये आवास मंत्रालय पर जोर डालने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

दिल्ली के लिये नगर बाह्य लाइन तथा वृत्ताकार रेलवे

3921. **श्री बलराज मधोक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के रास्ते सीधे रेल यातायात के लिये एक नगर बाह्य लाइन बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां-कहां से गुजरती है तथा इस पर से प्रतिदिन कितनी यात्री गाड़ियां गुजरती हैं ; और

(ग) दिल्ली के लिये प्रस्तावित वृत्ताकार रेलवे का कितना भाग इसके अन्दर आता है, वृत्ताकार रेलवे का कितना भाग अभी पूरा होना बाकी है तथा इसे पूरा करने और चालू करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). माननीय सदस्य का आशय शायद 'दिल्ली परिहार लाइनों और यातायात की सम्बद्ध सुविधाओं की परियोजना' से है। इस परियोजना में निम्नलिखित मार्ग-निर्धारण शामिल थे :—

(i) दिल्ली-मथुरा लाइन को हजरत निजामुद्दीन और सफदरजंग लाइन से मिलाना और हजरत निजामुद्दीन और सफदरजंग के बीच वर्तमान लाइन का ग्रैडिएन्ट बदलना।

(ii) दिल्ली-दिल्ली छावनी, बड़ी लाइन से मिलाने के लिए हजरत निजामुद्दीन-सफदरजंग लाइन को बड़ाना।

(iii) दिल्ली-दिल्ली छावनी, लाइन को दिल्ली-फिरोजपुर लाइन से मिलाना और वर्तमान मीटर लाइन का फिर से मार्ग-निर्धारण करना।

(iv) दिल्ली-फिरोजपुर लाइन को दिल्ली-करनाल-अम्बाला लाइन से मिलाना।

यह परियोजना पहले ही पूरी हो चुकी है और 16-2-69 से माल यातायात के लिए खोल दी गयी है। यह परियोजना मुख्य रूप से माल यातायात के लिए बनायी गयी थी। इस लाइन को यात्री यातायात के लिए खोलने के लिए अभी तक कोई तारीख निश्चित नहीं की गयी है क्योंकि यह कुछ महत्वपूर्ण ऊपरी/निचले पुलों के पूरा होने पर निर्भर है जोकि फिलहाल निर्माणाधीन हैं। फिलहाल रिंग रेलवे के लिए किसी अन्य परियोजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण के लिए ठेका

3922. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे बोकारो इस्पात संयंत्र का निमाण करने के लिये

अमरीका से बातचीत विफल हो जाने के बाद सरकार ने मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी से समझौता किया था ;

(ख) यदि हां, तो मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को परियोजना के निर्माण करने संबंधी अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देने के लिए कहने और इस कार्य को एक रूसी कम्पनी तजहोप्रोमएक्पोर्ट को सौंपने का क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसा उक्त कंपनी के कार्य में त्रुटियों का पता लगाने के बाद किया ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या उक्त संयंत्र को (प्रथम चरण) निर्माण का कार्य उक्त रूसी कंपनी को राजनीतिक दृष्टिकोण से सौपना आवश्यक था ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रायल में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). अमरीका के साथ सितम्बर, 1963 में बातचीत टूट जाने के पश्चात् सरकार ने बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में परामर्श की व्यवस्था को अन्तिम रूप देने के उद्देश्य से मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी से विचार-विमर्श किया था लेकिन पूर्व इसके कि इस बातचीत का कोई कानूनी करार का रूप दिया जाता 1 मई, 1964 को सोवियत संघ ने प्रायोजना के लिये सहायता देने की घोषणा कर दी। तत्पश्चात् सोवियत पक्ष से सोवियत सहायता और कारखाने के निर्माण कार्यक्रम के बारे में बातचीत की गई। प्रायोजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के संदर्भ में अन्त में यह निर्णय किया गया कि सोवियत सरकार का ऋण और तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय। यह भी निर्णय किया गया कि सोवियत संगठन विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस ऋण के अन्तर्गत रूस से उपकरणों की सप्लाई में शीघ्रता करने तथा रूपांकन और इंजीनियरी सेवाओं का सर्वोपरि उत्तरदायित्व लेगें जिससे वे प्लांट की परफोरमेन्स की गारन्टी कर सकें। यह भी निर्णय किया गया कि दस्तूर एण्ड कम्पनी को भी प्रायोजना के निर्माण सम्बन्धी ऐसे काम और सेवाएं सौंपी जायेंगी जिनके बारे में पारस्परिक बातचीत के पश्चात् निर्णय लिया गया हो।

(ग) और (घ). जी, नहीं। घटनाओं के क्रम और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में ऊपर बता दिया गया है।

बोकारो इस्पात कारखाने के लिये परामर्श कार्य के बारे में मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी के साथ समझौते में परिवर्तन

3923. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1967 में बोकारो स्टील लिमिटेड और मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी के बीच हुए करार के खण्ड (ख), अनुच्छेद 2 के अनुसार दस्तूर एण्ड कम्पनी को आश्वासन दिया था कि '—यदि 17 लाख मीटरी टन लौहपिंड तक वार्षिक उत्पादन संबंधी वर्तमान करार की संतोषजनक ढंग से कार्यान्विति की जाती है, तो वार्षिक उत्पाद क्षमता का लगभग 40 लाख

मीटरी टन लौहपिंड तक विस्तार किये जाने तक कम्पनी का इरादा इस परियोजना के साथ परामर्शदाता इंजीनियरों को सम्बद्ध करने का है..." ; और

(ख) यदि हां, तो दस्तूर एण्ड कम्पनी के साथ किये गये इस करार को पूरा न करने तथा सैंट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो को, जिसे किसी करार के अन्तर्गत रूस द्वारा सहायता दी जाएगी, भारी लागत पर परामर्शदाता कार्य सौंपने का प्रस्ताव करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रथम चरण की तरह ही बोकारो के 40 लाख टन पिण्ड तक विस्तार के लिए भी मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को सम्बद्ध करने का प्रस्ताव है । केन्द्रीय इन्जीनियरी और डिजाइन ब्यूरो प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करेगा जैसा कि बोकारो के प्रथम चरण के लिए सोवियत संगठन ने किया था । केन्द्रीय इंजीनियरी और डिजाइन ब्यूरों का किसी सोवियत संगठन से बोकारो के लिए कोई समझौता नहीं है परन्तु जानकारी प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ के त्याजप्रोमैक्सपोर्ट के साथ उन्होंने एक सामान्य समझौता किया है । उनका पश्चिम जर्मनी के आटोस से भी समझौता है और आजकल आसिट्रया वोएस्ट्स के साथ समझोता करने के लिए बातचीत कर रहे हैं ।

बिहार में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना

3924. **श्री बाल्मीकी चौधरी : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में बिहार के प्रत्येक जिले में स्थापित किये गये कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक जिले में इन उद्योगों द्वारा वर्ष-वार कुल कितने मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन किया गया ; और

(ग) प्रत्येक जिले में रोजगार के कुल कितने अतिरिक्त अवसर उत्पन्न हुए और इन उद्योगों में वास्तव में कितने लोगों को रोजगार मिला ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

निर्माण सामग्री के मूल्य में वृद्धि

3925. **श्री बाल्मीकी चौधरी : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफेद सीमेंट, अन्य सीमेंट, ईटों, निर्माण कार्य में लगने वाले इस्पात, स्वच्छता-उपकरणों और अन्य इमारती निर्माण सामग्री के मूल्य देश में सामान्यत: और दिल्ली में विशेषकर संसद् में 1970-71 के आयकर प्रस्तुत होने से पहले बढ़ गए थे ;

(क) यदि हां, तो इन वस्तुओं में से प्रत्येक के वर्तमान मूल्य और उनके इस वर्ष जनवरी के आरम्भ के मूल्य और जनवरी, 1969 के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं ;

(ग) मूल्यों में यह वृद्धि कहां तक इन वस्तुओं पर वास्तविक अथवा प्रस्तावित करों में वृद्धि के कारण है और इस वृद्धि के और क्या कारण हैं ; और

(घ) इन वस्तुओं को चोर बाजार में जाने को रोकने और इसके वास्तविक ग्राहकों को पर्याप्त मात्रा में और उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए तथा कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दिल्ली में इनमें से कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई यद्यपि समूचे भारत के थोक व्यापार के सूचकांक में निर्माण सामग्री के मूल्यों में कोई वृद्धि दृष्टिगोचार नहीं हुई ।

(ख) निर्माण सामग्री के थोक मूल्यों के सूचकांक का एक विवरण तथा निर्माण सामग्री की विभिन्न वस्तुओं के दिल्ली में मूल्यों को दिखाने वाला दूसरा विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—2971/70]

(ग) मौसमी मांग तथा अन्य तत्वों के कारण मूल्यों में उतार-चढ़ाव कोई असाधारण बात नहीं ।

(घ) प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के अनुसार अनुचित व्यापारिक कुरीतियों से निपटने के लिए सरकार कानूनी तथा अन्य साधनों का प्रयोग करेगी ।

दिल्ली में वृत्ताकार रेलवे की व्यवस्था करने हेतु आय व्ययक में धन का नियतन न किया जाना

3926. **श्री अदिचन** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 के बजट प्रस्तावों में दिल्ली में वृत्ताकार रेलवे की व्यवस्था के न होने पर दिल्ली प्रशासन ने असंतोष प्रकट किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में प्रशासन द्वारा दिये गये अभ्यावेदन का विशिष्ट ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 1970-71 के बजट प्रस्ताव में दिल्ली के लिए एक "रिंग रेलवे" के लिए व्यवस्था न करने पर दिल्ली प्रशासन द्वारा असंषोष प्रकट किए जाने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

भारी उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता

3927. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 में जिन भारी उद्योगों की क्षमता अप्रयुक्त पड़ी थी उनकी नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) अप्रयुक्त क्षमता का लाभ उठाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) वर्ष 1969 की अवधि में कुछ भारी पूंजीगत वस्तुओं उद्योगों की उत्पादन क्षमता, उत्पादन और प्रतिशत उपयोग का विवरण ।

क्रम सं०	उद्योग	ए सी यूनिट	अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन	प्रयुक्त क्षमता का प्रतिशत
1.	मशीनी औजार	करोड़ रु०	61.00	25.32	42
2.	भट्टियाँ	लाख रुपये	650	376	58
3.	ट्रांसफारमर	हजार केवीए	5,995	4,902	82
4.	कंड्यूट पाइप	कि०मी०	2006	1614	76
5.	इस्पाती पाइप तथा ट्यूब	टन	471,456	318,252	68
6.	हैवी स्ट्रक्चरल	टन	182,256	33,550	18
7.	ट्रांसनिशन टावर	टन	71,414	51,625	72
8.	वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स	कि० मी०	451	243	53
9.	इस्पात की ढली हुई वस्तुएं	टन	129,000	50,100	39
10.	सी०आई० प्रैशर पाइप	टन	852,720	135,330	31
11.	इस्पात के तार के रस्से	टन	34,440	17,647	51
12.	चीनी मिल मशीनें	लाख रु०	2100	1,224	58
13.	सीमेंट मिल की मशीनें	लाख रु०	2300	980	43

(ख) भारत सरकार द्वारा उत्पादन क्षमता के कम उपयोग किए जाने की शिकायत को दूर करने के लिये जो कदम उठा रही है उनमें निम्नलिखित कदम सम्मिलित हैं :—

1. निर्यात मण्डिओं का पता लगाना ;
2. निर्यात संबर्धन योजनायों को फिर से चालू करना ;
3. कच्चे माल के आयात को उदारता पूर्वक अनुमति देना ;
4. परियोजना अधिकारियों तथा संभावी उत्पादकों के बीच विचार विमर्श की व्यवस्था करना ताकि अधिकारियों की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं के विशिष्ट मानकों के बारे में चर्चा की जा सके और यथासंभव देशी निर्माताओं को ही माल सप्लाई करने के आर्डर दिए जा सकें ;

5. आयातित वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुओं की देश में ही बनाने की स्थिति को तेजी से लागू करना । नीति देशी कारखानों को ऐसी वस्तुओं की सप्लाई करने के आर्डर देने के लिए बनाई गई है जिससे बाहर से मंगाई जाने वाली वस्तुएं अपने ही देश में बनने लगें ।

6. उद्योगपतियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने लगें और ऐसी वस्तुओं का बनाना आरम्भ करें जिनका अब तक आयात किया जाता रहा है ।

उमरेर नागपुर रेलवे लाइन पर यात्री यातायात

3928. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उमरेर-नागपुर रेलवे लाइन को जिनका इस समय उमरेर कोयला खानों से कोयला लाने के लिए उपयोग किया जाता है ; यात्री यातायात के लिए खोलने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) यह लाइन उमरेर कोयला खानों से केवल कोयले की ढुलाई के लिए बनायी गयी थी । इसलिए इसे यात्री यातायात के लिए खोलने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजा-की-मण्डी स्टेशन पर ताज एक्सप्रैस रेलगाड़ी का रुकना

3929. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताज एक्सप्रैस नई दिल्ली और आगरा छावनी के बीच राजा-की-मण्डी स्टेशन पर नहीं रुकती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बारे में सर्वत्र मांग की जा रही है कि ताज एक्सप्रैस को राजा-की-मंडी स्टेशन पर भी रोका जाए ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजा-की-मण्डी रेलवे स्टेशन पर ताज एक्सप्रैस को रोकने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां,

(ख) 79 डाउन/80 अप ताज एक्सप्रैस को राजा-की-मण्डी स्टेशन पर ठहराने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) ताज एक्सप्रैस गाड़ी मुख्यत: पर्यटकों के लिए दिल्ली और आगरा के बीच एक तेज गाड़ी के रूप में चलायी गयी है, और मार्ग में यह केवल मथुरा पर ठहरती है। राजा-की-मण्डी पर ठहराने से इस गाड़ी का चालन-समय बढ़ जाएगा जो वांछनीय नहीं है, क्योंकि आगरा क्षेत्र के यात्री आगरा छावनी स्टेशन पर चढ़-उतर सकते हैं।

Activities of Pakistan Nationals in Rourkela Steel Plant

3930. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minster of Steel and Heavy Engineering be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 229 on the 22nd July, 1969 regarding the activities of Pakistani Nationals in the Rourkela Steel Plant and state :

(a) whether Government have looked into the claims of the employees of the Rourkela Steel Plant that they had migrated to India from Pakistan before 1947 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the number of such employees and whether, Government keep a watch on their activities these days ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). The claims of some of the employees of Rourkela Steel Plant that they have migrated to India from Pakistan prior to 1947 have been forwarded by the Management to the State Government who do the verification. This verification has not been completed yet The Management keeps a watch on all the employees whose names have been forwarded to the State Government for their verification.

अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्य क्लर्क संघ की ओर से ज्ञापन

3931. **श्री किरुतिनन :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टायाम में 13 जनवरी, 1970 को अखिल भारतीय रेलवे का वाणिज्यिक क्लर्क्स संघ की ओर से उन्हें कोई ज्ञापन दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या मांगें की गई थीं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) एक संसद् सदस्य के जरिये, रेल मन्त्री के नाम, आल-इण्डिया रेलवे कमर्शियल क्लर्क्स एसोसिएशन, दक्षिण क्षेत्र, कोट्टयम, का एक अभ्यावेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है।

(ख) इस ज्ञापन में, इस कोटि के कर्मचारियों की कुछ मांगें दी गयी हैं, जैसे वेततमानों का संशोधन, असमर्थ कर्मचारियों का समाहित किया जाना, पदोन्नति की सरणि आदि।

इन मांगों की विगत में जांच की गयी है और सरकार किसी एक कोटि की सेवा की शर्तों में बड़े पैमाने पर कोई संशोधन नहीं कर सकती। एक वेतन आयोग शीघ्र ही सभी कोटियों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों पर विचार करेगा और उस समय वाणिज्यिक क्लर्कों के मामले पर भी विचार किया जाएगा।

इस बीच यह विनिश्चय किया जा चुका है कि सभी पदक्रमों के तीसरी और चौथी श्रेणी के जो कर्मचारी दो या इससे अधिक वर्षों से अपने वेतनमान के अधिकतम पर रूके हुए हैं, उन्हें उस वेतनमान में उनकी अन्तिम वेतनवृद्धि की रकम के बराबर वैयक्तिक वेतन की मंजूरी दी जानी चाहिए।

मदुरै डिवीजन के वाणिज्य क्लर्कों को सैनिक सेवा के लिए वरिष्ठता

3932. **श्री किरुतिनन :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन के वाणिज्य क्लर्कों ने कोई अभ्यावेदन दिया हैं जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि उन्हें सैनिक सेवा के लिए वरिष्ठता लाभ दिए जायें ;

(ख) क्या उनके इस आशय के अभ्यावेदन गत 15 वर्ष या उससे भी अधिक समय से अधिकारियों के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं और इन मामलों को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

रेलवे के टिकट बिक्री काउन्टरों पर छोटी रेजगारी का न मिलना

3933. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्टेशनों के रेलवे के टिकट बिक्री काउंटरों पर छोटी रेजगारी उपलब्ध न होने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रत्येक रेलवे काउन्टर के लिए अग्रदाय के रूप में केवल पांच या दस रुपये दिए जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो रेलवे काउंटरों पर छोटी रेज़गारी की व्यवस्था करने के लिए प्रशासन ने क्या प्रबन्ध किया है ;

(घ) किसी किसी काउंटर पर रेजगारी कम पड़ जाने की स्थिति में, रेजगारी की कमी को कहां से पूरा करने की व्यवस्था है ; और

(ङ) ऐसी स्थिति में जब कि टिकट बाबुओं को सरकारी धन को टिकट-घर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है तो वे रेजगारी कहां से लाते हैं और कैसे ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां, टिकट खिड़कियों पर छोटी रेजगारी उपलब्ध न होने के बारे में कभी-कभी शिकायतें मिली हैं।

(ख) से (ङ). यह सही नहीं है कि प्रत्येक टिकट खिड़की को अग्रदाय के रूप में केवल पांच या दस रुपये दिए जाते हैं। रेल प्रशासनों को इस आशय के स्थायी अनुदेश दिये गए हैं कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि टिकट बाबुओं के पास हर समय पर्याप्त मात्रा में छोटी रेजगारी उपलब्ध रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन मास्टर जिम्मेदार हैं कि जिस अवधि में टिकट जारी किए जाते हैं, उस अवधि में हर समय टिकट खिड़कियों पर पर्याप्त मात्रा में छोटी रेजगारी उपलब्ध रहे। इसके अलावा समय-समय पर रेल प्रशासनों को यह निदेश भी दिया गया है कि अधिकारियों/परिवीक्षाधीन अधिकारियों, यातायात वाणिज्यिक निरीक्षकों और लेखा विभाग के चल-निरीक्षकों से यह कहा जाए कि वे टिकटघरों की गुप्त रूप से जांच करने के अलावा निरीक्षणों के दौरान किसी स्टेशन पर उपलब्ध न केवल छोटी रेजगारी की बल्कि उस स्टेशन पर बुक किए जाने वाले यात्री यातायात की मात्रा और छोटी रेजगारी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध स्थानीय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, इस बात की भी जांच करें कि उस स्टेशन को अग्रदाय के रूप में जो रकम दी जाती है, क्या वह पर्याप्त है।

यह भी उल्लेखनीय है कि टिकट बाबुओं को स्वयं अपने साथ टिकट घर में छोटी रेजगारी ले जाना अपेक्षित नहीं है, बल्कि इसकी व्यवस्था स्टेशन अधिकारियों द्वारा की जाती है।

अजमेर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था

3934. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6000 रुपये से अधिक कीमत की चाँदी के पार्सल, चांदी की सलाखों और बीमा किये हुये पार्सलो को विशेष सुरक्षा गार्ड के साथ ले जाया जाना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे द्वारा प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा गार्डों के लिये व्यवस्था न किये जाने के परिणामस्वरूप इन पार्सलों के लाने ले जाने में देरी होती है और इन पार्सलों को मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों पर उतारा जा रहा है ;

(ग) यदि नहीं तो जून, 1969 से दिसम्बर, 1969 के बीच कितनी बार बीमा किये गये पार्सलों, चाँदी की सलाखों और चांदी के पार्सलों को अजमेर स्टेशन पर उतारा गया था ;

(घ) बीमाकृत गार्डों की व्यवस्था न होने के कारण उक्त पार्सलों को लाने ले जाने में औसतन कितनी देरी होती है ; और

(ङ) अजमेर स्टेशन पर अनुचित लदान को रोक के लिये अतिरिक्त बीमा किये गार्डो की व्यवस्था करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जून, 1969 से दिसम्बर, 1969 तक की अवधि में 64 बार।

(घ) एक दिन।

(ङ) अजमेर के रास्ते भेजे गये कीमती पार्सलों के यातायात के रूप पर तथा वहां से इन पार्सलों को शीघ्र भेजने में जिन कारणों से विलम्ब होता है, उन पर बराबर नजर रखी जा रही है और इस तरह के विलम्ब को दूर करने के लिये उपयुक्त प्रबन्ध किये गये हैं।

चेतक एक्सप्रैस तथा अन्य सम्पर्क रेलगाड़ियों का समय पर चलना तथा पहुँचना

3935. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेतक एक्सप्रैस का मेल पश्चिमी रेलवे के मारवाड़ जंकशन तथा मावली जंक्शन स्टेशनों पर संपर्क रेलगाड़ियों से प्रायः नहीं होता है ;

(ख) यदि हां, तो उदय पुर जाने वाली चेतक एक्सप्रैस का मेल पिछले छः महीनों में सम्पर्क रेलगाड़ियों अर्थात् मारवाड़ जंक्शन से आने वाली तथा वहां जाने वाली रेलगाड़ियों से कितनी बार नहीं हुआ है ;

(ग) यात्रियों को इस के बाद कौन सी तथा कितने घण्टों के पश्चात् रेलगाड़ी मिलती है ; और

(घ) रेलवे द्वारा इस बारे में क्या प्रबन्ध किये गये हैं कि मावली जंक्शन पर रेल-गाड़ियां समय पर पहुँचे तथा वहां से निश्चित समय पर चलें ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) 1-10-1969 से (जब से यह गाड़ी चलाई गई है) 150 दिनों की अवधि में 16 डाउन चेतक एक्सप्रैस का मावली में मारवाड़ से आने वाली 221 अप सवारी गाड़ी के साथ मेल लेने का प्रतिशत 92 था और 15 अप चेतक एक्सप्रैस का मारवाड़ को जाने वाली 220 डाउन सवारी गाड़ी के साथ मेल लेने का प्रतिशत 70 था।

(ग) 220 डाउन सवारी गाड़ी के बाद मावली से मारवाड़ की ओर जाने वाली दूसरी उपलब्ध गाड़ी 222 डाउन सवारी गाड़ी है जो 10 घण्टे 40 मिनट के अंतराल पर और विपरीत दिशा में 16 डाउन चेतक एक्सप्रैस के बाद मावली से चितौड़गढ़ के लिये दूसरी गाड़ी 218 डाउन सवारी गाड़ी है जो 14 घण्टे 22 मिनट के बाद चलती है।

(घ) समय सारणी को और अधिक व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से 15 अप चेतक एक्सप्रैस गाड़ी के निर्धारित समय में 25-1-70 से उपयुक्त परिवर्तन करके अजमेर स्टेशन पर शंटिंग आदि के लिये पर्याप्त ठहराव की व्यवस्था कर दी गई है। फलस्वरूप इस गाड़ी के समय पर चलने और मावली जंक्शन पर मेल लेने में फरवरी, 1970 में काफी सुधार हुआ है। इस गाड़ी और इसकी जोड़ी गाड़ी 16 डाउन एक्सप्रैस के परिचालन पर दिन प्रतिदिन निगरानी रखी जा रही है ताकि इन गाड़ियों के समय पर चलने में और सुधार हो सके।

बुलसर तथा पालघाट (पश्चिम रेलवे) में भेजे गये ताजे फलों तथा सब्जियों की गुम हुई बिल्टी के लिये मुआवजा

3936. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में पश्चिम रेलवे के बुलसर तथा पालघाट रेलवे स्टेशनों से बुक कराई गई ताजे फलों तथा सब्जियों की बिल्टी के लिये किए गए दावों पर मुआवजे के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में उक्त स्टेशनों से बुक कराई गई कितनी बिल्टियां अपने निर्धारित स्टेशनों पर नहीं पहुँची तथा कितनी खराब स्थिति में पहुँचीं ;

(ग) क्या यह सच है कि इन स्टेशनों पर कर्मचारी आवश्यकता से बहुत कम हैं और यही दावों का मुख्य कारण है ;

(घ) उपरोक्त स्टेशनों पर पिछले वर्ष उतारे गए तथा वहां से बढ़ाए गए माल का ब्यौरा क्या है अर्थात् कितने पी० डब्लू० बिल्स जारी किए गए तथा पार्सल बुक किये गये कितने पी० डब्लू० बिल्स और पार्सल प्राप्त किये गये और अन्य क्या विविध कार्य किया गया ; और

(ङ) सरकार द्वारा दावों के मामलों की रोकथाम के लिए क्या प्रबन्ध किए गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Fire Set to Bogies of Bangalore—Poona Mail at Hubli

3937. **Shri Ramesh Chandra Vyas :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a sleeper coach and many bogies of the Bangalore—Poona Mail were set on fire by the crowd on the 2nd March, 1970 at Hubli ;

(b) if so, the type of persons comprising that crowd ; and

(c) the extent of loss suffered by the Railways as a result thereof ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). Yes, on 2-3-1970 two bogies, one third class sleeper and another second and third class combined, were set on fire near Haveri Railway Station (not in Hubli) by a mob mainly comprising students.

(c) Rs. 3 lakhs approximately.

इस्पात की उत्पादन लागत

3938. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में, विशेषत: हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में, विभिन्न इस्पात उत्पादों की उत्पादन लागत टाटा लोहा और इस्पात कंपनी और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में निर्मित उन्ही उत्पादों की उत्पादन लागत से कितनी कम अथवा अधिक है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के कारखानों में उत्पादन लागत गैर-सरकारी कारखानों की उत्पादन लागत से अधिक है ; और यदि हां, तो प्रत्येक वस्तु की उत्पादन-लागत कितनी अधिक है ; और

(ग) उत्पादन लागत अधिक होने के क्या कारण हैं ।

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) व्यावसायिक प्रथानुसार इस्पात कारखाने इस्पात की विभिन्न वस्तुओं की उत्पादन लागत नहीं बताते हैं। वर्ष 1968-69 की हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखानों, टिस्के और इस्को में इस्पात पिण्डों के प्रति टन उत्पादन की लागत (मूल्य ह्रास और ब्याज निकाल कर) इस प्रकार है :-

टिस्को	रु० 320.00
इस्को	रु० 336.95
भिलाई	रु० 286.30
रूरकेला	
ओ० एच०	रु० 316.75
एल० डी०	रु० 323.02
दुर्गापुर	रु० 355.19

(ख) और (ग). भाग (क) के उत्तर में दिए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि दुर्गापुर के सिवाय सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में उत्पादन लागत निजी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की लागत से सामान्यतः अधिक नहीं है। दुर्गापुर में खराब औद्योगिक संबंधों तथा ईंधन की अधिक खपत और सिन्टर के कम प्रयोग आदि जैसे कुछ तकनीकी कारणों से उत्पादन लागत निजी क्षेत्र के कारखानों की तुलना में अधिक है। तथापि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में कुल उत्पादन लागत निजी क्षेत्र के कारखानों की अपेक्षा अधिक है। इसका कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के तुलनामक रूप में नये होने के कारण उनमें निजी क्षेत्र के पुराने कारखानों से अधिक पूंजी लगी है और इसलिए उन्हें अधिक मूल्य ह्रास तथा ब्याज खर्च आदि वहन करना पड़ता है।

बोकरो इस्पात संयन्त्र के निर्माण में विलम्ब

3939. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रूस के उप-प्रधान मन्त्री मिस्टर वी० ई० डिमशिट्स के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि बोकरो संयंत्र के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले तीन चौथाई उपकरणों की सप्लाई भारतीय स्रोतों से होनी थी जो विभिन्न स्तरों पर समय पर उपलब्ध नहीं किये जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त वक्तव्य से कहां तक सहमत है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। सोवियत उप-प्रधान मंत्री ने भिलाई इस्पात कारखाने और बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण की विभिन्न परिस्थितियों का उल्लेख किया था। उन्होंने बोकारो कारखाने के लिए विभिन्न भारतीय स्रोतों से साज-सामान की सप्लाई में समन्वय की समस्या का भी उल्लेख किया था और यह भी कहा था कि ऐसा विलम्ब होना असाधारण नहीं है और सभी विकासशील देशों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) सरकार उनके इस विचार से सहमत है कि बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में विलम्ब का एक बड़ा कारण देशीय स्रोतों से उपकरणों और साज-सामान की समय पर प्राप्ति न हो सकना है।

समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के कर्मचारियों की मांगे

3940. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के कर्मचारियों की कई मांगे अर्थात् यातायात, लोको, कैरिज, सिगनल तथा अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को दैनिक पास जारी करना, सहायक स्टेशन मास्टरों तथा प्वाइंट्समैन के काम के घण्टों को 12 से घटा कर 8 करना और कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को वर्दियों तथा अवकाश पासों का पुनः दिया जाना, संसद् सदस्यों तथा पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा के कार्य-कर्त्ताओं द्वारा 1969 में कई बार समस्तीपुर के डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट को पेश की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). रेलवे से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेल दुर्घटनाएं

3941. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1970 में रेलवे में कितनी दुर्घटनायें हुई ; और

(ख) उनसे रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) भारत की सरकारी रेलों में फरवरी, 1970 में गाड़ियों में टक्कर लगने, पटरी से उतर जाने, समपार पर सड़क यातायात से टकराने और गाड़ियों में आग लगने की कोटि में आने वाली 50 गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं।

(ख) रेल सम्पत्ति को लगभग 2,53,502 रुपये की क्षति होने का अनुमान है।

छोटे उद्योगों सम्बंधी मलैया समिति की सिफारिशें

3942. **श्री देविन्दर सिंह** :

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मलैया समिति की इस सिफारिश को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करने

के लिए सहमत हो गई है कि छोटे उद्योगों संबंधी विकास आयुक्त के कार्यालय में उच्चतम स्तर के विशेषज्ञ नियुक्त करके उसे शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये ; और

(ख) सरकार ने अब तक समिति की अन्य किन सिफारिशों को स्वीकार किया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य शिफारिशों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—2972/70]

Drinking in Rajdhani Express

3943. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the passengers travelling by the Rajdhani Express are allowed to drink publicly in the compartments of the train ;

(b) if not, whether it is a fact that restriction on drinking is not observed in the said train ; and

(c) if so, the action Government propose to take to ensure observance of the restriction on drinking ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) Some complaints of this nature have been received.

(c) The Train Superintendent and other Supervisory staff of Rajdhani Express have been instructed to request the passengers not to indulge in consumption of alcoholic drinks or any intoxicants in the train compartments which may cause discomfort and inconvenience to other passengers.

मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रेलवे लाइनों की लम्बाई

3944 **श्री रामावतार शर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल कितने मील लम्बी लाइनें बिछाई गई ;

(ख) यदि कोई रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई हैं, तो क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और उस क्षेत्र में कितने मील लम्बी रेल लाइनें बिछाई जायेंगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कोई नयी लाइन नहीं बिछायी गयी है ।

(ख) और (ग). बुन्देलखण्ड क्षेत्र में हाल में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है । निकट भविष्य में बुन्देलखंड क्षेत्र में किसी लाइन के निर्माण का काम शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि नयी लाइनों के लिए बहुत कम रकम उपलब्ध है और साथ ही इस क्षेत्र में किसी नयी लाइन के आर्थिक दृष्टि से सक्षम होने की सम्भावना नहीं है ।

बिना टिकट यात्रा करने में रेलवे कर्मचारियों की सांठ-गांठ

3945 **श्री रामावतार शर्मा :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय रेलों में बिना टिकट यात्रा कर रहे रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्धियों और मित्रों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान उस ओर दिलाया गया है कि रेलवे कर्मचारियों की उक्त सांठ-गांठ के कारण ऐसे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन भी मिल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे में उक्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). सरकार के पास ऐसी कोई सूचना अथवा ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि रेल कर्मचारियों के सम्बन्धी या मित्र रेलों में बिना टिकट यात्रा करते हैं अथवा इस प्रकार के कदाचार को बढ़ावा देने में रेल कर्मचारियों की मिली-भगत और सांठ-गांठ रहती है ।

(ग) रेल प्रशासनों को इस बात की सख्त हिदायत है कि जो रेल कर्मचारी बिना टिकट यात्रा को बढ़ावा देते या उसमें सहयोग देते पाये जाये, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाये ।

रेलवे बजट तैयार करना और उसकी स्वीकृति

3946. **श्री यशपाल सिंह :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने यह टिप्पणी की है कि 23 फरवरी, 1970 को उनके द्वारा प्रस्तुत बजट रेलवे बोर्ड द्वारा तैयार किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि बजट को प्रस्तुत करने से पूर्व मंत्रिमंडल ने इस पर अपना स्वीकृति नहीं दी थी ;

(ग) यदि हां, तो इस बार परम्परा से हटने का क्या कारण था ; और

(घ) भविष्य के लिए इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गयी थी ।

(ख) सामान्य परिपाटी के अनुसार रेलवे बजट का अनुमोदन मंत्रिमंडल द्वारा नहीं किया जाता ।

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता ।

Priority for Released Emergency Commissioned Officers in recruitment to Railway Protection Force

3947. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the reasons for not according priority to the released Emergency Commissioned Officers in matters of appointment to posts in the Railway Protection Force ;

(b) whether Government are formulating any scheme in this respect ; and

(c) if so, the details thereof and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). In accordance with the general orders issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs, a percentage of vacancies to be filled by direct recruitment in various Class I and Class II Railway Services/ posts (both technical and non-technical) are reserved for appointment of released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers. Since no direct recruitment is made to fill the gazetted posts in the Railway Protection Force, the question of making any reservation of vacancies for the released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers in the Force does not arise. However, in terms of the Recruitment Rules for the Railway Protection Force, seven released Emergency Commissioned Officers have been recently re employed as Assistant Security Officers/Assistants Commandants/ Adjutants, Class II, in the Railway Protection Force/Railway Protection Special Force.

सिल्चर रेलवे स्टेशन के निकट रेल पटरी के साथ विस्फोटक पदार्थों का पाया जाना

3946. **श्री वाल्मीकि चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के कचार जिले में सिल्चर रेलवे स्टेशन के निकट रेल पटरी के साथ आसाम पुलिस ने 9 शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं और तोड़-फोड़ करने वालों का पता क्या लिया गया है ।

(ग) क्या इन विस्फोटक पदार्थों के बारे में कोई जाँच कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां, रेल कर्मचारियों द्वारा विस्फोटक पदार्थ बरामद किये गये थे ।

(ख) और (ग). अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

(घ) सरकारी रेलवे पुलिस/बदरपुर ने एक मामला दर्ज किया है जिसकी जांच की जा रही है ।

फिल्म कम्पनियों की अधिकृत और प्रदत्त पूंजी

3947. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** :

श्री जुगल मंडल :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सात फिल्म कम्पनियों, अर्थात् बम्बई फिल्म लेबोरेटरीज प्राइवेट, लिमिटेड,

ऐसोसिएटिड फिल्म इंडस्ट्रीज प्रा० लिमिटेड, मोती महल थियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, चित्रलोक प्राडक्शन लिमिटेड, फिल्मालय प्राइवेट लिमिटेड, फिल्मिस्तान प्राइवेट लिमिटेड और जौहर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की उनकी स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1969 को प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी थी ;

(ख) इन कम्पनियों को 1969 तक सरकार, बैंकों या अन्य संस्थाओं से पृथक-पृथक कितना ऋण प्राप्त हुआ ;

(ग) इन कम्पनियों द्वारा गत तीन वर्षों में ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया : और

(घ) उक्त अवधि में उनके द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है और 1969-70 के अनुमान क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

फिल्म कम्पनियों को प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी

3950. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री जुगल मंडल :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच कम्पनियों, अर्थात् नटराज स्टुडियो (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई, प्रसाद प्रोडक्शन (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई, महल पिक्चर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई, अन्नपूर्णा पिक्चर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मद्रास तथा देवी फिल्म्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मद्रास को उनकी स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1969 को प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी-कितनी थीं ;

(ख) इन कम्पनियों को सरकार, बैंकों या अन्य संस्थाओं से पृथक-पृथक 1969 तक कितना ऋण प्राप्त हुआ ;

(ग) गत तीन वर्षों में इन कम्पनियों ने ब्याज के रुप में कितनी राशि का भुगतान किया ; और

(घ) उसी अवधि से उनके द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1969-70 के अनुमान क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

फिल्म कम्पनियों को प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी

3951. **अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नासिर हुसैन फिल्म्स (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई मनोरंजन पिक्चर्स कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली और जगत नोवेल्स एग्जिबिटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली को उनकी स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1969 को प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी-कितनी थी ;

(ख) इन कम्पनियों को 1969 तक सरकार, बैंकों या अन्य संस्थाओं से पृथक-पृथक कितना ऋण प्राप्त हुआ ;

(ग) इन कम्पनियों द्वारा गत तीन वर्षों में ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया ;

(घ) इन कम्पनियों के निदेशकों तथा अंशधारियों के नाम तथा पते क्या हैं ; और

(ङ) उक्त अवधि में उनके द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है और 1969-70 के अनुमान क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

दिल्ली तथा बम्बई की नाटक फर्मों के निदेशक

3952. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री दिल्ली तथा बम्बई की नाटक फर्मों के निदेशकों सम्बन्धी 16 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न सख्या 4139 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दि न्यू दिल्ली थियेटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, ईगल पिक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड और साइनकोज (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड को उनकी स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1969 को प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी कितनी थी ;

(ख) इन कम्पनियों को सरकार, बैंकों या अन्य संस्थाओं से पृथक-पृथक 1969 तक कितना ऋण प्राप्त हुआ ; और

(ग) इन कम्पनियों ने गत तीन वर्षों में ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया और उसी अवधि में उनके द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है और 1969-70 के अनुमान क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

लाइसेंस प्राप्त रेलवे कुलियों सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन

3953. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाइसेंस प्राप्त रेलवे कुलियों के सम्बन्धी अध्ययन दल की किन्हीं सिफारिशों एवं निर्णयों को क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो सिफारिशों के कब तक किये जाने की संभावना है ; और

(घ) अध्ययन दल का प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ था ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2973/70**]।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) अध्ययन दल की रिपोर्ट इस कार्यालय को मई, 1969 में मिली थी।

मनीपुर के अनुसूचित जातीय क्षेत्रों के लिये आवास योजना

3954. **श्री एम० मेघचन्द** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में अनुसूचित जातीय क्षेत्रों में वर्ष 1969-70 में आवास योजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) आवास योजनाओं का ब्यौरा क्या है और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मनीपुर में अनुसूचित जातीय क्षेत्रों से गत तीन वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत कितने मकान बनाये गये ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). पिछड़े वर्ग क्षेत्र में राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन अनुसूचित आदिम जातियों को मकानों के निर्माण के लिए उप-

दान देने के लिए 70,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अधीन प्रत्येक लाभ प्राप्त कर्ता को सी० आई० शीट्स के 5 बन्डल अथवा 1200 रुपए. जो कम हों, दिया जाता है।

(ग) 68 मकान।

दल्ली में मानसिक दृष्टि से अविकसित बच्चों के लिये स्कूल

3955. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री हरदयाल देवगुण: :**
श्री जय सिंह :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मानसिक दृष्टि से अविकसित बच्चों के लिये अभिप्रेत स्कूलों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इनकी संख्या आवश्यकता को पूरी करने के लिए पर्याप्त है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे और स्कूल खोलने का है।

(ग) क्या आवासी बच्चों के लिये आवास और भोजन की सुविधायें और गैर-आवासी बच्चों के लिए वाहन की सुविधायें नि:शुल्क उपलब्ध की जाती हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक मामले में कितनी राशि ली जाती है ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) दिल्ली में मानसिक दृष्टि से अविकसित बच्चों के लिए निम्नलिखित स्कूल हैं :—

1. मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए आदर्श स्कूल, लाजपत नगर, नई दिल्ली।
2. मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए गृह तथा स्कूल, महारानी बाग, नई दिल्ली।
3. मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए गृह, महारानी बाग, नई दिल्ली।
4. मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए स्कूल तथा गृह (एनेक्सी) पंजाबी बाग, नई दिल्ली।
5. अमृत कौर बाल विहार, ओखला, नई दिल्ली।

(ख) नहीं, श्रीमान्। मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय केन्द्र के विकास के लिए चतुर्थ योजना में व्यवस्था की जा रही है।

(ग) और (घ).

संख्या	स्कूल का नाम	क्या आवास तथा भोजन मुफ्त दिया जाता है ।	क्या गैर-आवासीय बच्चों के लिए मुफ्त परिवहन की व्यवस्था है ।	टिप्पणी
1.	मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए गृह तथा स्कूल, महारानी बाग, नई दिल्ली ।	मुफ्त	इसमें गैर-आवासीय बच्चे नहीं हैं ।	
2.	मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए गृह, महारानी बाग, नई दिल्ली ।	मुफ्त	इसमें गैर-आवासीय व्यक्ति नहीं है ।	
3.	मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए आदर्श स्कूल, नई दिल्ली ।	आवास, खाना तथा कपड़े उन बच्चों को मुफ्त दिए जाते हैं जिनके बालदेन/अभिभावकों की आय 500 रुपए प्रति मास से कम होती है । जिन आवासीय बच्चों के बालदेन/अभिभावकों की आय 500 रुपए तथा 999 रुपए के बीच होती है, उनसे 2[illegible] रुपये प्रति मास का नाममात्र खर्च लिया जाता है । जिन बच्चों के बालदेन अभिभावकों की आय 1000 रुपए अथवा उससे अधिक होती है, उनसे 50 रुपए प्रति मास लिया जाता है ।	गैर-आवासीय बच्चों से फासले को देखे बिना निम्नलिखित क्रमिक दरों पर वहन खर्च लिया जाता है :— 500 रुपए तक 5 रुपए प्रतिमास । 501 रुपए से 999 रुपए तक 10 रुपए प्रति मास 1000 रुपए तथा अधिक 15 रुपए प्रतिमास	यह महसूस किया गया है कि जिन बालदेन की उचित आय होती है, उन्हें अपने बच्चों के रख रखाव के लिए कुछ धन देना चाहिए।
4.	मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए स्कूल तथा गृह, पंजाबी बाग, नई दिल्ली ।	मुफ्त	इसमें गैर-आवासीय बच्चे नहीं हैं ।	
5.	अमृत कौर बाल विहार, ओखला, नई दिल्ली ।	इस स्वयंसेवी स्कूल में भोजन तथा आवास के लिए कोई प्रबंध नहीं है ।	15 रुपये प्रति मास	यह एक स्वयं सेवी संस्था है और इसने कुछ साधन जुटाने हैं ।

बोकारो इस्पात कारखाने के डिजाइन तैयार करने का काम हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इन्जीनियरिंग तथा डिजाइन ब्यूरो को सौंपा जाना

3956. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने के डिजाइन तैयार करने का काम हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इन्जीनियरिंग तथा डिजाइन ब्यूरो को सौंपा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने के द्वितीय चरण के लिए, जिसमें कारखाने की क्षमता 40 लाख टन इस्पात पिण्ड प्रति वर्ष की जाएगी, हिन्दुस्तान स्टील लि० के केन्द्रीय इन्जीनियरी और रूपांकन ब्यूरो को मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय किया गया है । केन्द्रीय इन्जीनियरी और रूपांकन ब्यूरो सोवियत संगठनों द्वारा तैयार किये गये और सरकार द्वारा अनुमोदित विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन अनुसार रूपांकन कार्य करेगा ।

(ख) इस बारे में बोकारो स्टील और केन्द्रीय इन्जीनियरी और रूपांकन ब्यूरो के बीच अभी कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है ।

भारत में विदेश विनियोजकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार अभियान

3957. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय--कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में हुई आंग्ल भारतीय औद्योगिक दल की हुई आंगल भारतीय औद्योगिक दल की एक बैठक में एक ब्रिटिश विशेषज्ञ ने भारत में पूंजी लगाने के लिए विदेशियों को आकर्षित करने के लिए प्रचार अभियान के बारे में कुछ सुझाव दिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). भारतीय तथा ब्रिटिश तकनालोजीकल दल की 9 से 11 फरवरी, को हुई प्रथम बैठक में जिन विषयों पर विचार किया गया था उसमें एक विषय निर्माण के ऐसे क्षेत्र भी थे जिसमें विदेशी सहयोग की सम्भावनाएं हैं विशेषकर उन्नत तकनालोजी वाला क्षेत्र ब्रिटिश दल को ऐसे क्षेत्रों तथा प्रक्षेत्रों की सूची दी गई थी जिनमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उत्पादन तथा तकनालोजी का अन्तर बढ़ सकता है । इसकी अधिकांश जानकारी अत्यंत रुचिपूर्ण पाई गई इस पर आगे विचार करने तथा अब तक के किये जा रहे प्रचार से अधिक प्रचार करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है । ब्रिटिश पक्ष द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि भारतीय विनियोजन केन्द्र ब्रिटिश उद्योग के महा संघ के सहयोग से इससे ब्रिटिश उद्योग को अवगत कराने के लिए अपनी गतिविधियों को बढ़ाये । सरकार ने इस सुझाव को नोट कर लिया है ।

रायचूर (मैसूर) के कोप्पाल स्थित चमड़े के पुनः शोधन उद्योग का बंद होना

3958. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **औद्योगिक विकास, आतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के रायचूर जिले में कोप्पाल स्थित शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र में केन्द्रीय सहायता से चल रहे चमड़े के पुनः शोधन उद्योग को बन्द किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यह उद्योग कब प्रारम्भ किया गया था ; चमड़े के पुनः शोधन उद्योग में कितना धन लगाया गया है तथा केन्द्रीय सरकार ने वर्षवार सहायता के रूप में कितना धन दिया है ;

(घ) इस योजना को आरम्भ किए जाने से इस पर वर्षवार कितना प्राशासनिक व्यय किया गया है ;

(ङ) पुनः शोधन उद्योग के आरम्भ किए जाने से अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है ; और

(च) इस उद्योग के आरम्भ किए जाने से अब तक वर्षवार कितने चमड़े का शोधन किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

येरगुंटला (आंध्र प्रदेश) में 'सीमेंट' का कारखाना

3959. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में येरगुँटला में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर, सरकार द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना काल से विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या येरगुंटली में कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेने वाले गैर-सरकारी व्यक्ति लाइसेंस का उपयोग नही कर सके ;

(ग) क्या भारतीय सीमेंट निगम के बाद में वहां सीमेंट का कारखाना स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए उस क्षेत्र का व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया था ;

(घ) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या थे ;

(ङ) क्या चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र में येरगुंटला के सीमेंट का कारखाना स्थापित किये जाने की संभावना है ; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कुछ पार्टियों को जिन्होंने 1956 से 1965 के दौरान येरगुंटला में सीमेंट का

कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किये गये थे। ये या तो वापस कर दिये गये अथवा किसी न किसी कारणवश रद्द कर दिये गये।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). भारतीय सीमेंट निगम ने येरगुंटला में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने पर एक सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस स्थान पर कारखाने की स्थापना उचित ठहराई गई है।

(ङ) और (च). चूंकि आंध्र प्रदेश में आवश्यकता से अधिक सीमेंट का उत्पादन हो ही रहा है अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा येरगुंटला में निकट भविष्य में सरकारी क्षेत्र में सीमेंट का कारखाना लगाने की कोई सम्भावना नहीं है।

अमृतसर रेलवे स्टेशन पर रबड़ के टायरों वाले पहियेदार ठेलों के प्रयोग की मांग

3960. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर रेलवे स्टेशन पर लोहे के पहिये वाले हाथ से चलाये जाने वाले ठेले प्रयोग में लाये जाते हैं जिससे वहां कर्कश और कर्णकटु ध्वनि उत्पन्न होती है ;

(ख) क्या कुछ प्रमुख लोगों ने यह मांग की थी कि उन हस्तचालित ठेलों के पहियों पर रबड़ के टायर चढ़ाये जायें ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) लोहे के पहिये वाली कुछ ट्रालियां अमृतसर स्टेशन पर इस्तेमाल की जा रही हैं।

(ख) जी नहीं। लेकिन फल के व्यापारियों ने पुराने ठेलों की जगह नये ठेलों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था।

(ग) लोहे के पहिये वाली ट्रालियों की जगह रबड़ के टायर वाली ट्रालियों की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई की गई है।

भगतावाला और संग्राणा साहिब रेलवे स्टेशनों के बीच फाटक संख्या 11 पर चौकीदार की हत्या

3961. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर जिले के भगताँवाला और संग्राणा साहिब रेलवे स्टेशनों के बीच फाटक संख्या 11 पर, 26 मई, 1969 को एक चौकीदार बेला सिंह की हत्या कर दी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसकी विधवा तथा पंजाब विधान सभा के सदस्य श्री सत्यपाल डांग ने इस सम्बन्ध में अधिकारियों को लिखा था लेकिन उनके पत्रों की प्राप्ति की सूचना तक नहीं दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। उत्तर रेलवे, फिरोजपुर के मंडल अधीक्षक को एक पत्र मिला था और कल्याण निरीक्षक द्वारा उक्त विधवा को स्थिति बता दी गई थी ;

(ग) स्वर्गीय श्री बेला सिंह की विधवा पत्नी श्रीमती कर्तार कौर को, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन, प्रतिकर के रूप में भुगतान करने के लिए कर्मकार प्रतिकर आयुक्त को 7,000 रुपये भेज दिये गये हैं। अन्तिम पावने की रकम का भी भुगतान कर दिया गया है।

लखनऊ में लोको कर्मचारियों की हड़ताल

3962. श्री रामावतार शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 जनवरी, 1970 को लखनऊ में हुई लोको कर्मचारियों की हड़ताल को तुड़वाने के लिए सेना की सहायता प्राप्त की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). उक्त तारीख को लखनऊ में लोको कर्मचारियों की कोई हड़ताल नहीं हुई थी ; लेकिन उस तारीख को मुगलसराय में कुछ श्रमिक अशान्ति हुई थी। इस मामले में भी सैनिक सहायता नहीं ली गई जैसा कि प्रश्न में कहा गया है।

Categorisation of Special Ticket Examiners as Running Staff

3963. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Special Ticket Examiners are not categories as running staff.

(b) whether it is also a fact that their duties are similar to those of the Guards and Brakemen who come in the category of running staff ;

(c) whether it is further a fact that the Railway Board had decided that the posts of the said Examiners should be treated equivalent to those of the Sleeper Coach Conductors but this decision has not been implemented by the General Managers ;

(d) whether their pay scale has also been fixed by the Railway Board but the same has also not been made applicable ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, T. T. Es. are not treated as running staff :

(b) No.

(c) No such decision was taken by the Railway Board.

(d) Railway Board's orders regarding the scales of pay of T. T. Es. have been implemented by railways.

(e) Does not arise.

राष्ट्रपति के निर्वाचन के विरुद्ध याचिकाएं

3964. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन के विरुद्ध निर्वाचन याचिकायें फाइल करने से सम्बद्ध उपबन्धों को निकाल देने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) और (ख). जी, नहीं, सरकार ने वर्तमान विधि में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की है।

अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण

3965. **श्री विद्याधर वाजपेयी** : क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दीर्घकाल से रेलवे में सेवा कर रहे "अस्थाई" अधिकारियों को नये भर्ती होने वाले अधिकारियों से कनिष्ठ समझा जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन दोनों ही श्रेणियों के अधिकारियों की शैक्षणिक अर्हताओं में कोई अन्तर नहीं है और दोनों ही को संघ लोक सेवा आयोग ने भर्ती किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन अधिकारियों की दशा में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) अस्थाई (अवर्गीकृत) अधिकारियों को सेवा में वरिष्ठता तभी मिलती है जब सेवा में स्थाई नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग उनका अनुमोदन कर दे।

(ख) श्रेणी I की सेवाओं में सीधी भर्ती का सामान्य तरीका यह है कि संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष एक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और उसके बाद इन्टरव्यू लेता है। प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए विश्वविद्यालय का स्नातक होना अपेक्षित है।

अस्थाई अधिकारियों को पूर्णतः अस्थाई पदों पर भर्ती किया गया था जो निर्माण और विकास सम्बन्धी कामों के लिए बनाये गये थे। चूंकि ये पद पूर्णतः अस्थाई थे, अतः उन्हें सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा नहीं भरा जा सकता था। इसलिए अस्थाई अधिकारियों की तदर्थ भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की गई थी। उम्मीदवारों के लिए विश्वविद्यालय का स्नातक होना अपेक्षित था। इस भर्ती के लिए कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं ली गई थी और संघ लोक सेवा आयोग ने केवल इन्टरव्यू के आधार पर प्रकरण किया था

(ग) अस्थाई कर्मचारियों के मामले में भर्ती का तरीका, जिन पदों पर उनकी भर्ती की जाती है, उनका स्वरूप और उनकी सेवा की शर्तें भिन्न होती हैं।

(घ) अस्थाई अधिकारी, रिक्त स्थानों के वार्षिक कोटे के अनुसार सेवा में स्थाई नियुक्ति के पात्र होते हैं।

सिलीगुड़ी में जिला इंजीनियरों के कार्यालयों को अन्यत्र ले जाना

3966. **श्री जि० मो० बिस्वास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया था कि सिलीगुड़ी में जिला इंजीनियर के कार्यालय का स्थानान्तरण न किया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि रेल मन्त्रालय में इस तरह का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

विधि विभाग में अधिकारियों को शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ न होने पर भी सरकारी सेवा में रहने देना

3967. **श्री इंद्रजीत मल्होत्रा :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधि विभाग में उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जो डाक्टरी जांच के अनुसार योग्य नहीं थे किन्तु फिर भी उन्हें सरकारी सेवा में रहने की अनुमति दी गई ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : एक अधिकारी अर्थात् श्री आर० एच० ढ़ेबर, सरकारी अधिवक्ता, डाक्टरी जांच के अनुसार 1953 में अयोग्य पाये गये, किन्तु उनको वित्त मन्त्रालय की सहमति से अपनी जोखिम पर सेवा में बने रहने दिया गया। 16 वर्ष से अधिक तक पूरे समय वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन दक्षता के साथ करते रहे। इसे ध्यान में रखते हुए चिकित्सीय प्रमाण-पत्र सम्बन्धी सुसंगत नियम, वित्त और गृह मन्त्रालयों की सहमति से उनके पक्ष में शिथिल कर दिया गया।

अमृतसर तथा चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशनों (उत्तरी रेलवे) पर सुविधाएं

3968. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक नई दिल्ली को, इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि अमृतसर तथा चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं का अभाव है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें की गई हैं ; और

(ग) उनपर क्या कार्यवाही की गई थी ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) इनमें, सामान्यत: चण्डीगढ़ और अमृतसर स्टेशनों पर मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है ।

(ग) अमृतसर में मौजूदा यात्री सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं । चण्डीगढ़ स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार के साथ-साथ स्टेशन की नई इमारत बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

आसाम (मालवाड़ी) के भूमिहीन कृषि श्रमिक आदिवासियों की बेदखली

3969. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी कार्यवाही की है जिससे मालवाड़ी, आसाम के आदिवासी क्षेत्र के आठ सौ भूमिहीन आदिवासी खेतीहार मजदूरों को बेदखल किये जाने से रोका जा सके ;

(ख) क्या इन आदिवासी लोगों को बेदखल कर दिया गया है और वे अब बेघर हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी सहायता के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). यह ब्यौरा राज्य सरकार से एकत्रित किया जा रहा है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के बारे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and I request that he may make a statement thereon :

> "Reported procedure followed by the Government of West Bengal is asking the non-CPI (Marxist) Parties to state the grounds as to why the CPI (Marxist) should not be called upon to form a Government in the State".

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : श्रीमन्, श्री अजय मुकर्जी द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के पश्चात्, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने वहां पर एक वैकल्पिक सरकार बनाये जाने की सम्भावना का पता लगाया और इसके फलस्वरूप जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वहां पर किसी अन्य सरकार के बनाये जाने की कोई सम्भावना नहीं है, तब उन्होंने राष्ट्रपति से अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा की सिफारिश की । राज्यपाल की इस सिफारिश को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : On a point of order, Sir, the hon. Minister has not uttered a single word about the procedure followed by the Governor to which our Calling Attention Motion mainly relates. He should, therefore be asked to throw light on the procedure so that we may ask further questions about it.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या राजनीतिक दल भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, राज्यपाल ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखा । इस पत्र के उत्तर में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) को छोड़कर जो स्वयं सरकार बनाना चाहते थे, प्राय: सभी राजनीतिक दलों ने लिखा कि वे इस सरकार का समर्थन नहीं कर सकते और हमारे इन विचारों से अवगत होने के पश्चात् भी यदि राज्यपाल ने उस दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, तो यह एक अनैतिक बात होगी । इस पर राज्यपाल ने उत्तर दिया कि मैंने इस प्रश्न के बारे में अभी न तो कोई निश्चय ही किया है और न ही किसी को कोई वचन ही दिया है परन्तु मैं इतना अवश्य जानना चाहूँगा कि यदि मैं श्री ज्योति बसु को आमंत्रित करता हूं, तो इसमें अनैतिकता की क्या बात है ?

Shri Madhu Limaye : It has been reported in a Newspaper of Calcutta that other political parties had already conveyed their views to the Governor to the effect that they would not support any Gavernment headed by the leader of CPI(M), before the letter was written by the Governor and if this is correct, may I know the reasons which compelled him to write such a letter ? In my opinion, it was a very objectionable thing. One sentence of which reads thus :

> "I have noted that you have purported to make it absolutely clear that your party is totally opposed to my permitting the formation of any Minisiry headed by the leader of the CPI(M), Mr. Jyoti Basu at the instance or with the support of the CPI(M) and further that in case such a Ministry, if at all, is allowed to be formed, you shall oppose it both from within and outside the Assembly".

Thereafter he asks :

> "Meanwhile I shall be obliged if you kindly give me reasons why you think it would be illegal and immoral if I allow Mr. Jyoti Basu, Leader of the single largest party in the Legislative Assembly to form a Ministry and than face the Legislative Assembly with a demand for seeking confidence of the majority to enable the opposite parties to move a motion of no-confidence against the Ministry...".

It can be observed from the above extracts of the letter in question that this letter was just like a show cause notice which is issued by a High Court or the Supreme Court and has no justification at all.

Secondly no guidlines have been provided in the Articles Nos. 163 and 164 of the Constitution about the procedure to be followed by a Governor in connection with the appointment of a Chief Minister and other Ministers. Will the Government evolve some guidlines for the Governor in regard to their matter in the light of the experience gained by it so far and will this be ensured that a procedure followed in a State by a Governor is made applicable in all the States uniformally. The practice of calling the leader of a single majority party in a Legislative Assembly was not followed in Kerala in 1965 and in Bihar recently but now a different procedure has been followed in the case of West Bengal ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : मेरे विचार में बिहार तथा पश्चिम बंगाल में बुनियादी तौर से एक ही प्रक्रिया अपनायी गयी है इन दोनों राज्यों में राज्यपालों ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया कि क्या बहुसंख्यक दल के नेता को अन्य दलों का समर्थन प्राप्त है । यह ठीक

है कि राज्यपाल को मुख्य मंत्री का चयन तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी पड़ती है परन्तु उन्हें इसके साथ-साथ संविधान में निहित इस सामान्य सिद्धांत के अनुसार यह भी सुनिश्चित करना होता है कि क्या चुने गये व्यक्ति को बहुसंख्यक सदस्यों का समर्थन प्राप्त है और क्या वह इस सामूहिक जिम्मेवारी को निभा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान यहां उस समय हुई चर्चा की ओर दिलाना चाहता हूं जब राजस्थान में उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार किया गया था। उस समय भी मैंने यह कहा था कि कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत बनाये जाने की वांछनीयता पर और विचार करने की गुंजाइश है। तब से मैंने इस दिशा में जो कदम उठाये हैं उनका ब्यौरा मैं इस सभा में तीन बार दे चुका हूं। उसे अब मैं फिर दोहरा देता हूँ। मैंने इस मामले में देश के कुछ प्रमुख विधि शास्त्रियों से विचार-विमर्श किया है। उनका विचार है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को मुख्य मंत्री बनाया जाये उसे विधान सभा में बहुसंख्यक सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। इस सम्बन्ध में मैंने राजनीतिक दलों के भी नेताओं को लगभग 1½ वर्ष पहले लिखा था परन्तु खेद है कि मुझे उनसे अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। यही बात थी जो पश्चिम बंगाल के राज्पाल सुनिश्चित करना चाहते थे कि क्या बहुसंख्यक दल के नेता को अन्य दलों का समर्थन प्राप्त है ताकि वह अग्रेतर कार्यवाही कर सकें।

Shri Madhu Limaye : Why in the form of a show cause notice?

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उस पत्र में कारण बताओ सूचना की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था। तथापि उन्हें यह सूचना नहीं मांगनी चाहिये थी। जो भाषा उन्होंने प्रयोग की थी, उसमें कारण बताओ वाली बात नहीं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राज्यपाल काफी समय तक न्यायाधीश रह चुके हैं।

जहां तक उनके भाषण में कविता का उल्लेख है तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें क्या आपत्ति है।

Shri Madhu Limaye : I had asked whether it was a fact that the Governor changed his mind when his messenger went to him. May I know whether his messenger met the Governor. He had made an effort to change the Governor's mind.

श्री यशवंतराव चव्हाण : माननीय सदस्य का अपना वक्तव्य हमेशा गलत सूचना पर आधारित होता है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : गृह-कार्य मंत्री ने यह बताया है कि वह एक भूतपूर्व न्यायाधीश हैं और इस लिए सम्भवत: कारण बताओ नोटिस दे सकते हैं, उन्होंने यह भी कहा है कि इस नीरस जिन्दगी में कविता का समावेश एक अच्छा परिवर्तन है परन्तु जिस तरह की बातें हुई हैं वे राज्यपाल के कर्तव्य की परिधि में नहीं आती।

हमारा यहां सबसे पहले उठाया गया आक्षेप प्रक्रिया सम्बन्धी है। यह निश्चय ही राज्यपाल का कार्य है कि वह सभी दलों के नेताओं को बुलाये और उनसे सलाह मशविरा करे। परन्तु यहाँ श्री धावन ने सभी दलों के नेताओं से पूछा है कि उनको श्री ज्योति बसु को सरकार बनाने के लिए क्यों नहीं बुलया जाना चाहिए।

गृह मंत्री महोदय ने केवल इतना कहा है कि उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग आवश्यक नहीं था । मुझे आशा है कि उनके कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो दबाव वाली हो ।

राज्यपाल को यह जान लेना चाहिए था कि बंगाल राज्य इस समय भारत की संसद के अन्तर्गत है, वहां कानून और संविधान की व्यवस्था लागू होनी चाहिए, यदि श्री धावन को दूसरा पता है तो वे क्यों राष्ट्रपति के शासन को एक विपदा मानते हैं ? उनके ये शब्द हैं कि यदि सहभागिता के मूलभूत नियमों को पालन किया जाता तो बंगाल के लोगों पर यह विपदा नहीं आती श्री अजय मुकर्जी ने कहा था कि राष्ट्रपति का शासन लागू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है परन्तु यहां राज्यपाल के कथनानुसार यह एक विपदा है । क्या राष्ट्रपति का शासन एक विपदा है और क्या राज्यपाल को ऐसा कहना चाहिए कि यह एक विपदा है ?

जब मैंने कलकत्ता के समाचार पत्र जैसे "दि नेशनल हेराल्ड" और 'अमृत बाजार पत्रिका' को पढ़ा तो मुझे बड़ा अजीब लगा । राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा था कि उनका उद्देश्य सम्बन्धित घटकों को समझा बुझा कर संयुक्त मोर्चे को पुनर्जीवित करने का होगा, क्या राज्यपाल के लिए ऐसा कहना ठीक है ? क्या इस प्रकार की बात से पक्षपात पूर्ण रवैये का संकेत नहीं मिलता है यदि कल यह सरकार बर्खास्त हो जाती है तो क्या राष्ट्रपति का यह कहना उचित होगा कि उनका उद्देश्य इसको पुनर्जीवित करने का होगा । यदि राज्यपाल की कविता की उड़ान सीमित होती तो मैं प्रसन्न होता । परन्तु वे तो अपनी सीमा से भी आगे चले गये हैं, उन्होंने ज्योति बसु को गलत सिद्ध करने के लिए लेनिन का उद्धरण दिया, इसी प्रकार अन्य बहुत सी बातें कहीं । राज्यपाल को इस प्रकार राजनीतिक अखाड़े में स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती है । मैं श्री चव्हाण से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे उनके द्वारा इस प्रकार के वक्तव्य को न्यायोचित ठहरा सकते हैं ।

अपना वक्तव्य समाप्त होने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि लंदन में राज्यपाल सम्मान में भारतीय पत्र कार संघ ने एक भोज का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने यह साफ-साफ कहा था कि भारत में संयुक्त मोर्चे के युग का आरम्भ हो गया है । उनका वहां यह कहना कहां तक उचित था कि भारत में राजनीति की धुरी संयुक्त मोर्चा सरकारें हैं । राज्यपाल को इस प्रकार नहीं कहना चाहिए । मैं श्री चव्हाण से एक बात पूछना चाहता हूं । क्या वे श्री धावन को कहेंगें कि यदि वे संयुक्त मोर्चा की वकालत करना चाहते हैं तो उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए ? क्यों नहीं वे अपने मूलभूत अधिकारों का प्रयोग करते है ? उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देकर संयुक्त मोर्चा का समर्थन करना चाहिए ।

श्री धावन का कहना है कि इस समय आवश्यकता इस बात की है कि लोगों के मन में सरकार की क्षमता के प्रति विश्वास पुनः स्थापित किया जाये और उनमें फैली हुई भय और असुरक्षा की भावना को दूर किया जाये . वे एक ही सांस में यह कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल की जनता, जिसने भारत के पुनर्जागरण को पुनः रूप धारण करते देखा है, आज भय से ग्रस्त हैं और वे इस भय को दूर करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री चव्हाण ने विपक्षी नेताओं पर दोष लगाया है परन्तु किसी ने इसका उत्तर देने की परवाह नहीं की है, उनके साथ दल-बदल तथा राज्यपाल के अधिकारों के बारे में बातचीत हुई है परन्तु उन्होंने इस पर कोई निश्चित कार्यवाही करना अस्वीकार कर दिया है अतएव हमने भी इसका उत्तर नहीं दिया है ।

क्या हमें गृह कार्य मन्त्री से इस बारे में आश्वासन मिल सकता है ? क्या राज्यपाल के लिए यह आवश्यक है कि वे संयुक्त मोर्चे के अग्रणी बन कर इस प्रकार पक्षपातपूर्ण वक्तव्य दें ? पश्चिमी बंगाल के लोग चाहते हैं कि उन्हें संसद से संरक्षण मिले और उनके अधिकारों तथा स्वतन्त्रता के प्रति आश्वासन दिया जाये । चूंकि अब वहां राष्ट्रपति शासन है और संसद का नियम लागू है तो क्या गृह कार्य मन्त्री श्री धावन को कहेंगे कि राज्यपाल का इस तरह भाषण देना ठीक नहीं हैं आगे वे अपने आपको संविधान की व्यवस्था भांति-भांति चलाने तक ही सीमित रखें । इस तथ्य को देखते हुए कि श्री धावन बहुत कुछ कहना चाहते हैं तो क्या वे उनको राज्यपाल के पद से कार्यमुक्त करके इसकी स्वतन्त्रता नहीं देंगे ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैं राज्यपाल द्वारा दिये गये वक्तव्य का औचित्य सिद्ध नहीं करना चाहता हूं । व्यक्तिगत तौर पर मेरा विचार है कि ऐसे अवसरों पर राज्यपाल के लिए मौन रहना बुद्धिमतापूर्ण होता है । मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है । मैं नहीं समझता हूँ कि यह राज्यपाल का दायित्व अथवा कर्तव्य है कि वह किसी विशेष दल को सत्तारूढ़ कराने में सहायता दे । परन्तु साथ ही साथ यदि हम पश्चिम बंगाल के परिणामों को देखें तो यह पायेंगे कि उन्होंने जो कुछ कहा वह संयुक्त मोर्चा के बारे में नहीं था। यह विनाश की बात नहीं थी कि संयुक्त मोर्चा सरकार हटा दी गई थी । एक अर्थ में यह विनाश की बात थी कि एक प्रतिनिधि सरकार को हटा दिया गया था । मैं यह स्पष्ट कर चुका हूँ कि जब उन्होंने यह कहा कि वह संयुक्त मोर्चा सरकार को पुनः स्थापित कर देंगे तो उनका अभिप्राय वास्तव में संयुक्त मोर्चा सरकार से नहीं था । मैं सोचता हूँ कि हरेक राज्यपाल का यह कर्टव्य है कि वह यह देखे कि प्रतिनिधि सरकार को पुनः स्थापित किया जाय ।

श्री नाथ पाई : राज्यपाल सरकार की असफलता पर खेद प्रकट कर रहे हैं । उनकी निराशा का कारण संयुक्त मोर्चा सरकार का असफल होना है ।

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैं उनके वक्तव्य की भावना को जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ । मैं उनके द्वारा कहे गये प्रत्येक शब्द को न्याय संगत नहो ठहरना चाहता, यदि मैं प्रजातंत्र को जान गया हूं, यदि मैंने इस संसद की रूचि को समझ लिया है तो मैं नहीं सोचता कि यह संसद बंगाल में हमेशा राष्ट्रपति शासन लागू रखना चाहेगी । यह हमारी चिन्ता का विषय रहेगा कि वहां यथा सम्भव शीघ्र प्रतिनिधि सरकार स्थापित की जाय । जहां तक दल बदल तथा अन्य मामलों का सम्बन्ध है मैंने पिछले वर्ष लोक सभा को नोटिस दे दिया था कि दल बदल समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा की जाय । इस सभा में प्रतिवेदन पर चर्चा किये जाने के बाद ही हम उस पर आधारित विधान को सामने लाने वाले थे । इस पर निर्णय करना कार्य मंत्रणा समिति का काम है । इस पर सदन निर्णय दे सकता है ।

श्री नाथ पाई : गृह-कार्य मन्त्री ने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्या इस सभा को तथा बंगाल के लोगों को ऐसी गारन्टी दी जायेगी कि वहां कानूनी सरकार की स्थापना की जायेगी तथा आतंक और भय को दूर किया जायेगा और चुनाव आने पर वहां स्वतन्त्र तथा न्यायपूर्ण स्थिति पैदा की जायगी ।

श्री यशवंतराव चव्हाण : यह केवल आश्वासन का प्रश्न नहीं है बल्कि यह तो इस सदन का तथा सरकार का कर्तव्य है कि वह यह देखें कि बंगाल में कानूनी सरकार कायम रखी जाय ।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : The hon. Minister has stated that he will try to maintain law and order in West Bengal. May I know whether his attention has been drawn to the statement published in the daily paper 'Jan Sakti' of C.P.I.(M) in which it has been stated that :

> "All West Bengal will be oblige if an alternative mini-front Government was formed at any stage without the C.P.I.(M). The mini-front Ministries will not be able to enter the Secretariat ".

It is such a threat which cannot be tolerated by any Government. May I know from the hon. Minister whether he will oppose it and atleast take proper action against such paper which give such threats.

Talks are going on about forming the types of United Front Government in Bengal. One consisting of other parties excluding C.P.I.(M) and the other one by including C.P.I.(M). May I know in which type of United Front Government, he is interested and whether he is not guilty of favouritism ? If he is guilty of favouritism and is favouring any Party, whether the hon. Minister will call him back immediately and will send him to any other place if it is necessary to assign him any job ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैं नहीं सोचता कि माननीय सदस्य का यह कहना सच है कि राज्यपाल किसी विशिष्ट मोर्चे अथवा किसी विशिष्ट दल का समर्थन करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

जहां तक पश्चिम बंगाल में वर्तमान प्रशासन के उत्तरदायित्व का सम्बन्ध है, वह वहां के दलों से कोई सलाह नहीं लेगी, बंगाल प्रशासन इस संसद का उत्तरदायित्व होगा ।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक मेलोड्रामा का युग अस्थाई रूप से समाप्त हो जायेगा और उसके साथ-साथ वहां की बर्बर तथा असभ्यतापूर्ण सरकार भी अस्थाई रूप से समाप्त हो जायेगी । दूसरी बात, इससे जो पैदा हुई है वह यह है कि संविधान लोगों की आशा तथा आकांक्षाओं को बनाये रखने तथा उनके हितों और अधिकारों की रक्षा करने में समय पर कहां तक खरा सिद्ध हुआ । मैं चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्री महोदय इस बात की जांच करें और पता लगाये कि क्या, संविधान केन्द्र तथा राज्यों के बीच पैदा होने वाले झगड़ों के दबाव तथा खिचाव पर खरा उत्तर सकता है । संकट के समय, अनुच्छेद 163 तथा 164 के अन्तर्गत राज्यपालों के सभी प्रकार के संवैधानिक उपबंधों तथा दांवपेचों का प्रयोग करने की अनुमति है । उनके कार्यकरण के सम्बन्ध में कुछ ठोस नियम बनाने के बारे में गृह-कार्य महोदय का दृष्टिकोण क्या है ? क्या वे सोचते हैं कि अनुच्छेद 163 तथा 164 से पैदा होने वाले अन्तराल को पूरा करने के लिए विधान के रूप में कुछ ठोस प्रस्ताव संसद के सामने लाने का समय आ गया है ?

पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक कार्यवाही फैलने के बारे में आरोप लगाये गये हैं । इस प्रकार

के आरोप लगाये गये हैं कि संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साँठ-गांठ करके कानून तथा व्यवस्था भंग कर दी गई है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या गृह-कार्य मंत्री संयुक्त मोर्चे के अन्य सभी लोगों द्वारा लगाये गये आरोपों की न्यायसंगतता का पता लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय गैर-राजनीतिक दलों की न्यायिक जांच समिति का गठन करेंगे, क्या वहाँ संविधान समय पर खरा उतरा और क्या वहाँ कानून तथा व्यवस्था भंग हुई ?

मैं जानना चाहता हूँ क्या गृह-कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में स्पष्ट निदेश देंगे कि जिन किसानों की भूमि छीन ली गई थी उनकी भूमि उनको वापस मिल जाए और उन गरीब भूमिहीन किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाय जिनकी जानें चली गई थी।

यूनियन गृहों को लूटा गया है तथा यूनियनों के वास्तविक लोकतांत्रिक कार्यों को समाप्त किया गया है, उसे पुनः स्थापित किया जाना चाहिए, मजदूर संघों के बारे में समय-समय पर जो आरोप लगाये गये हैं उनकी जाँच की जानी चाहिए। गृह-कार्य मंत्री ने कहा है, कि वे वहां कानूनी सरकार की निश्चित रूप से रक्षा करेंगे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उनके लम्बे भाषण से केवल एक बात निकलती है कि क्या इस अवधि में संविधान ने ठीक तरह कार्य किया है हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन संवैधानिक उपबन्धों ने वहां की कठिन स्थिति से निकलने में हमारी बड़ी मदद की। इसमें कोई संदेह नहीं।

जहां तक राज्यपाल को अनुदेश देने का सम्बन्ध है मैं महसूस करता हूं कि कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों को देने की गुंजाइश है विशेषकर अन्तर्कालीन अवधि के बारे में। लेकिन ये मार्गदर्शी सिद्धांत देश में सभी राजनैतिक दलों के समझौते पर आधारित करने होंगे।

जहां तक जाँच का सम्बन्ध है, मैं नहीं सोचता कि संवैधानिक पहलू के बारे में कोई जांच करना आवश्यक है। जहां तक कानून तथा व्यवस्था की स्थिति और रीति संबंधी मामलों का सम्बन्ध है, समस्याओं का अध्ययन करने के पश्चात् समय-समय पर बंगाल प्रशासन के साथ उन पर चर्चा की जायेगी।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : I want to prove that the procedure of the Governor was wrong and doubtful. He did it intentionally. The Governor had received the information earlier from all the Parties that they will not support the C.P.M. Party of Shri Jyotirmoy Basu, and therefore he should not form his Government. I want to know why the Governer after that wrote to all the other Parties that what objection they have got if he gives an opportuninty to Shri Jyotirmoy Basu to form the Government. In these circumstances does not his character become doubtful ? May I know whether Government consider it proper to keep such a Governor in Bengal ? May I know whether Government will consider to remove such a doubtful person from there ?

I want to have two assurances from the Government. Firstly, I would like to know whether in view of his leanings towards Communists, the Governor of West Bengal will be removed. Secondly, will the Government ensure that the party that had been responsible for the breakdown of law and order was not given a chance to form the Government again ? Thirdly, I want to know whether during the President's Rule the Government would set right the irregular promotions made in the Police Department by Shri Jyoti Basu during his tenure of Home Ministry.

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न के तीसरे भाग की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : राज्यपाल पर लगाये गये इस आरोप को मैं नहीं मानता कि उनका झुकाव किसी विशेष पार्टी की ओर है। राज्यपाल ने विशेष सतर्कता बरती है कि पश्चिमी बंगाल में जनता के प्रतिनिधियों की सरकार बने और इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। दूसरे प्रश्न के बारे में, मैं राज्यपाल की ओर से कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वह किसी पार्टी विशेष को सरकार बनाने के लिए नहीं कहेंगे। यह राज्यपाल का सांविधानिक उत्तरदायित्व है कि वह उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दें, जिसका विधान मंडल में बहुमत हो।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : श्रीमान्, कम्बोडिया जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए अनुसति दी जाए। अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में भारत को महत्वपूर्ण भाग अदा करना है।

श्री मनुभाई पटेल (उभोई) : कल जी भीषण भूकंप आया, उसके बारे में सरकार से मैं विवरण की आशा करता था किन्तु अभी तक सदन में कुछ भी नहीं कहा गया है। गृह-मंत्री ने दलबदल रिपोर्ट का जिक्र किया। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि केन्द्रीय मंत्री तथा सत्तारूढ़ दल के संसद सदस्य दलबदल को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री और श्री जगजीवन राम पर गैस्ट हाउस के प्रयोग करने का आरोप लगाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मना करने पर भी बोले जा रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : यह गंभीर विषय है और इस पर बहस करने की अनुमति दी जाए। सरकार स्थिति स्पष्ट करे और गृह मंत्री को चाहिए कि वह विशेष पुलिस विभाग से, 50000 रुपये जो इन दो दल बदलूओं के नाम आबू के एक बैंक में जमा हैं, की जांच कराय और पता लगायें कि यह आरोप ठीक है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। पत्र सभा पटल पर रखे जायें।

श्री बाकर अली मिर्जा सिकदराबाद) : संसद-कार्य के माननीय मंत्री ने पिछली बार आश्वासन दिया था कि वह प्रधान मंत्री से परामर्श करके तेलंगाना के प्रश्न पर बहस के लिए कुछ समय नियत करेंगे, उस बारे में क्या हुआ ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : May I know whether your are admitting the Call Attention Motion about the rail accident which occurred at Parel ? There was a notice of privilege also. Is it coming up tomorrow ?

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

चौथी पंचवर्षीय योजना—संशोधित परिव्यय

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रधान मंत्री की ओर से चौथी पंचवर्षीय योजना—संशोधित परिव्यय, 1969-74 की एक प्रति तथा उसके सम्बन्ध में एक

विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2932/70]

पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा
PROCLAMATION IN RELATION TO WEST BENGAL

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत, पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 19 मार्च, 1970 की उद्घोषणा की एक प्रति, जो दिनांक 19 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 490 में प्रकाशित हुई थी।

(2) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए दिनांक 19 मार्च, 1970 के आदेश की एक प्रति, जो दिनांक 19 मार्च 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 491 में प्रकाशित हुआ था।

(3) पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई दिनांक 19 मार्च 1970 की रिपोर्ट की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०2933/70]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर का वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT OF IIT, KHARAGPUR

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : श्रीमान्, मैं डा० वी० के० आर० वी० राव की ओर से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर, के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2934/70]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र
PAPERS UNDER COMPANIES ACT

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) बोकारो स्टील लिमिटेड के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) बोकारो स्टील लिमिटेड का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथ। लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2935/70]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें
NOTIFICATIONS UNDER ESSENTIAL COMMODITIES ACT

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं श्री अन्नासाहेब शिन्दे की ओर से अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) चीनी (मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1970, जो दिनांक 28 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 317 में प्रकाशित हुआ था।

(2) जी० एस० आर० 388, जो दिनाँक, 1 मार्च, 1970 के भारत में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक, 29 जुलाई, 969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1835 में संशोधन किया गया है।

(3) चीनी (मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1970, जो दिनांक 1 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 389 में प्रकाशित हुआ था।

(4) जी० एस० आर० 390, जो दिनांक 1 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 1969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० नं० 999 में संशोधन किया गया है। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2936/70**]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के लेखापरीक्षित लेखे
AUDITED ACCOUNTS OF ESIC

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 196?-68 के लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2937/70**]

दिल्ली मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) नियम
DELHI MOTOR VEHICLES (SECOND AMENDMENT) RULES

श्री इकबाल सिंह (फाजिल्का) : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) नियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 19 फरवरी 1970 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 3(34)/68-69 टीपीटी में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2938/70**]

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

103वां प्रतिवेदन

Hundred and Third Report

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, I present the Hundred and third Report of the Public Accounts Committee regarding paragraph 114 of Audit Report (Civil), 1969 relating to Medical Stores Depots (Department of Health).

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक
INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।"

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, this Bill touches only one aspect. A provision should be made in it that in case of lack of essential amenities in trains and at stations, action would be taken against persons responsible for the neglect, and a constitutional machinery should be set up for that. If this is done, only then this Bill will be complete. This is a one sided Bill, It should be suitably amended.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रक्रम पर केवल संवैधानिक आपत्ति उठायी जा सकती है । मैं इस प्रकार का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे सकता ।

Shri Shiva Chandra Jha : Sir, we used to oppose all Bills and constitutional points were raised. Besides that merit were also mentioned incidentally.

Mr. Speaker : Whenever a Member wants to speak at the stage of leave for introducing the Bill, he has to raise constitutional objections only. अब तो प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री नन्दा : मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूं ।

सांविधिक संकल्प तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक---जारी

STATUTORY RESOLUTION AND BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL--*Contd.*

श्री विक्रम चंद महाजन (चम्बा) : सरकार ने यह विधेयक लाकर बहुत ठीक और दिलेरी का कार्य किया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस शताब्दी का सब से बड़ा विधायी कार्य है। इससे देश की निम्न वर्ग की जनता को प्रोत्साहन और उत्साह मिला है। पहले बैंक कुछ एक व्यक्तियों के हाथ में थे और वे सब प्रकार का लाभ उठाते थे। बैंकों में गरीब जनता का धन होता था और मालिक लोग उसका लाभ उठाते थे। उन में अनेक प्रकार की कुप्रथाएं चलती थीं। अब राष्ट्रीयकरण के बाद यह चीजें नहीं चल सकेंगी। परिवर्तनों का अभी से आभास होने लगा है।

इस विधेयक के बारे में कुछ आपत्तियां उठायी गई हैं। एक तो यह कहा गया है कि पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो यह महसूस करता हूँ कि अधिक मुआवजा दिया जा रहा है। पहले सरकार ने भूल से कुछ सिद्धान्त निर्धारित नहीं किये थे और न्यायालय ने इसको रद्द घोषित कर दिया था। अबकी बार सरकार ने ठीक निर्णय किया है। मुझे आशा है कि अब इसे रद्द नहीं किया जायेगा।

दूसरी बात यह कही गई है कि विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया है।

हमें समझना चाहिये कि बैंकों के अनेक वर्ग हैं। यह आवश्यक नहीं कि सभी वर्गों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। विदेशी बैंक भी एक ऐसा वर्ग है जिसके राष्ट्रीयकरण को वांछनीय नहीं समझा गया। गत आठ महीनी में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा होने वाली राशियों में वृद्धि हुई है।

बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण से कोई लाभ नहीं हो रहा था। इस व्यवस्था में वास्तविक नियन्त्रण तो गैर-सरकारी लोगों के हाथ में ही था। अतः राष्ट्रीयकरण आवश्यक हो गया था। हमें कुछ व्यक्तियों की अपेक्षा समूचे समाज के हितों की ओर अधिक ध्यान देना है। वे लोग समाज की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देते थे। अब नीति ऐसे निर्धारित की जायेगी कि समाज के निम्न वर्गों की अधिकाधिक मांगें पूरी की जायें। अब ऐसी स्थिति में सरकार अपने मुनाफे की नहीं सोचेगी। निजी नियन्त्रण और सरकार के नियन्त्रण में यही तो अन्तर है। अब राष्ट्रीयकृत बैंक छोटे किसानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों की सहायता करेंगे। निजी नियन्त्रण में रहते हुए बैंक ऐसा कभी नहीं करते थे।

राष्ट्रीयकरण के बाद इन बैंकों ने कृषि के लिये पहले की अपेक्षा अधिक ऋण दिया है। ऐसा लघु उद्योगों के मामले में भी हुआ है। आगे इससे भी अच्छा कार्य होने की आशा है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री दंडपाणि (धारापुरम) : इस विधेयक द्वारा डी०एम०के० के उद्देश्यों की कुछ पूर्ति होती है। अतः मैं इसका स्वागत करता हूँ। हम कह सकते हैं कि हमारा देश सामाजिक न्याय की दिशा में बढ़ रहा है। हमारे देश के छोटे वर्गों के लोग देख रहे हैं कि सरकार आर्थिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ती है। क्या यह प्रगतिशील उपाय करके जनता की हालत में सुधार करती है अथवा

नहीं। हमारे देश में बड़े-बड़े उद्योगपति तथा मालिक लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुधार करना बहुत आवश्यक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक ऐसा ही कदम है।

बैंक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न समय-समय पर उठाया जाता रहा है। यह अनेक गैर साम्यवादी देशों में भी किया गया है। फ्रांस, कनाडा आदि देशों के उदाहरण हमारे समक्ष हैं। भारत में यह बहुत पहले किया जाना चाहिये था। हमारा दल आरम्भ से ही इसकी मांग करता रहा है। बैंकों में छोटे-छोटे लोग अपनी राशि जमा कराते हैं। पहले उन बैंकों के निदेशक आदि उस राशि से अनुचित लाभ उठाते थे। सभी बड़े-बडे व्यापार गृहों के अपने बैंक थे। इस प्रकार उनका एकाधिकार बना हुआ था। पांच बड़े बैंकों में लगभग 1604 करोड़ रुपया जमा था। इस बड़ी राशि को इन पांच बैंकों के 55 निदेशक जैसा चाहते थे प्रयोग में ला सकते थे। ऐसी स्थिति में यह लोग मनमाना मुनाफा कमाते थे और मंडियों के भावों में जैसा रूख चाहते हैं देते हैं। ऐसी चीजों को रोकने के लिये राष्ट्रीयकरण बहुत आवश्यक था।

बैंकों द्वारा छोटे किसानों और उद्योगों को बहुत ऋण दिया गया है। जापान में कुल ऋण का 47 प्रतिशत लघु उद्योगों को दिया जाता है। हमें इसपर विचार करके आवश्यक कार्यवाही करनी होगी।

हमारे देश में हमारा यह अनुभव रहा है कि बैंकों में जमा राशियों का उपयोग मुख्य रूप से बड़े-बड़े नगरों में किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वथा उपेक्षा की जाती रही है। इस विधेयक में अन्य छोटे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रावधान नहीं है। उनके बारे में सरकार को सतर्क होना होगा। मैं चाहता हूं कि समूचे बैंकिंग उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

मैं मांग करता हूँ कि यह प्रावधान किया जाये कि बैंकों की वार्षिक रिपोर्टें तथा खाते सभा पटल पर रखे जायें। अन्य देशो में भी ऐसी व्यवस्था है।

अब यह भी व्यवस्था की जा रही है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी निदेशक बोर्ड के सदस्य होंगे। राज्यों के हितों का भी संरक्षण होना चाहिये। इससे बैंकों के कार्यकरण में कार्यकुशलता आयेगी और बैंक अधिक उपयोगी कार्य कर सकेंगे। यह मांग भी की जा रही है कि राज्यों को वाणिज्यक बैंक चलाने की अनुमति दी जानी चाहिये। सामाजिक नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक को प्रस्तुत करते समय श्री मोरार जी देसाई ने इसकी बात की थी।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये। भाषा का प्रश्न इस बारे में भी खड़ा हो रहा है। मुझे बताया गया है कि प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहा है कि वे हिन्दी का प्रयोग आरम्भ करें। यह उचित, नहीं है। हिन्दी के प्रयोग से बहुत कठिनाईयां खड़ी हो जायेंगी।

बैंकों में भर्ती स्थानीय रूप से की जानी चाहिये। बैंक राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के लिये कर्मचारियों का सहयोग बहुत आवश्यक है। उनका सहयोग प्राप्त करने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें। इससे पूर्व बैंकों के सामाजिक नियंत्रण पर चर्चा करते हुए मैंने इस उपबन्ध के गम्भीर परिणामों का उल्लेख किया था। इसके बावजूद सरकार ने इस उपबन्ध को नहीं हटाया है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस बात की ओर ध्यान देंगे।

Shri Randir Singh (Rohtak) : I welcome the introduction of the Bill again in this form. It is an historic step and the depressed classes have also seen a ray of hope in the nationalisation of banks. After the decision of the Supreme Court we had felt that now all the banks would been nationalised but only 10-12 banks have been included. Had all the banks been nationalised we could have larger sum at our disposal, which could be utilised for the uplift of depressed classes of society. The Government should purchase all the shares and there is no need of giving large sums to them. Similarly I feel that objection can again be raised as to why only 14 banks have been taken over. Even if foreign banks are left out there are many other banks which have not been nationalised. In view of this I am of the opinion that all the banks should be nationalised so that this could not be challenged in the Supreme Court.

As this step has been taken to help the poor and needy, Government should ensure that they should not have difficulty is getting the assistance from the nationalised banks. 80 per cent people live in villages but atleast 60 per cent money should be given to the farmers and 40 per cent to other persons such as labourers, harijans and backward classes. The poor and needy should be benefited by this nationalisation and not the rich people who have already got enough of money so that a new class of society is not created.

Unless common man is benefited, there is no use of revolutionary schemes. The poor people should be given money for poultry farming bee—keeping etc. The farmers can be given money to purchase tractors through cooperative societies. Government should establish branches of the banks in villages so that the villagers been not go to cities to get money. There should be service at the door which will help national development.

The condition of rural eousing is deplorable. At present only Rs. 100 are given for construction of a house which is too meagre. I suggest that atleast Rs. 1000 should be given for this purpose.

I want to invite the attention of the Government towards this fact that there is large scale discrimination in giving money to the people. The people who do not possess any manage to get money from the banks but the farmers cannot get it for want of surety. Government should give specific instructions so that there is no discrimination in the matter is giving loans.

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) ; It has already been decided that the money deposited in the banks should not be at the disposal of a few capitalists but the same should be utilised for the well-being of the masses. In view of this, 14 banks were nationalised. But the decision of Supreme Court has necessitated rethinking on this measure It is, however, observed that the present Bill has become more retrogade than the previous one.

We have to pay more compensation and moreover there is provision to give the banks a free hand to give loans. In spite of these provisions we support this Bill because we do not want that the huge deposits should remain at the disposal of a few capitalists. We could, however, reduce the amount of compensations by purchasing the share as it was done in case of Imperial Bank. Foreign and other banks can also be nationalised. The question of giving compensation to foreign banks does not arise because they have not invested any money in them. They are taking away a sum of Rs. 2 crores annually and we could save it by nationalising them. The purpose of nationalising the banks was to remove the disparity between rich and the poor. In fact, Parliament should take legislative measures to achieve this object otherwise parliamentary democracy will be completely jeopardized. I suggest that fundamental right to property should be changed. The Supreme Court opines that full compensations should be paid for the property to be taken over by the Government In other words it means that no change can be brought about in the property. Now the point is whether the judges of the Supreme Court can interpret the constitution according to their own wisdom or they should act according to the interpretation of constitution makers. I feel that it is against the democratic set-up to interpret the constitution according to one's own wisdom...(*Interruptions*). It appears

that they have decided to give their verdicts with political bias. It has been stated that even if we nationalise the sources of banks, the requirement of our developing economy could not be fulfilled. It seems that they have crossed their jurisdictions because it is not for them to see whether our requirements are fulfilled or not...(*Interruptions*)...We cannot be sure whether this Bill will be held void or not.

In these circumstances I suggest that in the next general elections, let the new Parliament should first sit as a Constituent Assembly and delete the clause of right to property and then correct itself into a regular Parliament. Otherwise there could be no guarantee that the progressive measures brought here would not be struck down by the Supreme Court.

श्री राम मूर्ति (मदुरै) : इस विधेयक के मूल सिद्धान्तों पर विचार किया जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी है। अब पता नहीं कि यह विधेयक भी सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि में ठीक सिद्ध होगा या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने पहला अधिनियम इस आधार पर अस्वीकार किया था कि उससे संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन दिये गये मूल अधिकारों का उल्लंघन होता था और अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 31(2) का भी अतिक्रमण होता था।

जहां तक अनुच्छेद 19 का सम्बन्ध है, इस बारे में इसी सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य बनाम ए० के० गोपालन के एक मुकदमें में बिलकुल भिन्न दृष्टिकोण अपनाया था। उनका कहना है कि गत 19 वर्षों में वह कुछ और विचार रखते थे परन्तु अब जो हमारा विचार है वह ठीक है और वही कानून समझा जाना चाहिये। उपर्युक्त मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि मूलभूत अधिकारों से कैसी और कितनी सुरक्षा मिलती है उसका अनुमान व्यक्ति के अधिकारों पर राज्य की कार्यवाही से नहीं बल्कि उसके उद्देश्य से पता लगता है। उसके बाद यह स्थिति रही कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया है कि मूलभूत अधिकारों की क्षति के लिये कितनी सुरक्षा मिलती है। उसका अनुमान न तो विधान मंडल के उद्देश्य द्वारा और न ही कार्यवाही के स्वरूप द्वारा किया जाता है अपितु व्यक्तिगत अधिकारों पर उसके प्रत्यक्ष प्रभाव से निर्धारित किया जाता है। यह विचित्र बात है। इसी प्रकार मुआवजे के प्रश्न पर निर्णय दिया गया है। वर्ष 1968 में शान्ति लाल मंगल दास के मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि "असंशोधित अनुच्छेद 31 (2) के अन्तर्गत 'मुआवजा' शब्द का कोई भी अर्थ हो, जब संसद ने स्पष्ट रूप से यह अधिनियमित कर दिया है कि संशोधित खंड के अधीन इस आधार पर कि कानून द्वारा दिया गया मुआवजा काफी नहीं है, किसी न्यायालय में किसी ऐसे कानून के बारे में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता"। इसका आशय था कि मुआवजे के निर्धारण को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाये। किन्तु अब उसी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सुनाम, पट्टे की शेष अवधि का मूल्य जैसी महत्वपूर्ण बातों को छोड़कर जो मूल्य निर्धारित किया जायेगा हमारे विचार में वह उपक्रम का मुआवजा नहीं होगा। यह बिलकुल नया विचार है। स्वाभावतः यह प्रश्न उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है? ऐसी क्या बात है जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एकदम पलट गये हैं और पहले के सभी निर्णयों को उल्टा दिया है।

मेरे विचार में उच्चतम न्यायालय ने स्वयं संविधान को तोड़ा है। एंजिल्स ने कहा है कि 'लोकतंत्रीय गणराज्य में धन अपनी शक्ति का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से, किन्तु निश्चित रूप से पड़ता है।" इसमें कोई सन्देह नहीं कि धन सैकड़ों प्रकार से अपना प्रभाव डालता है।

इससे पहले जब न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 31 (2) के सम्बन्ध में अनुच्छेद 19 (2) की व्याख्या का प्रश्न आया, तो उस समय ऐसे मामले थे जब आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावी वर्ग, समाज में सर्वाधिक प्रभावी वर्ग पर उसका असर नहीं पड़ता था क्योंकि वे सार्वजनिक उद्देश्य के लिये किसी की भूमि अर्जिज करने के सम्बन्ध में थे । लेकिन इस मामले में, आर्थिक रूप से सर्वाधिक प्रभावशाली वर्ग, देश के सर्वाधिक शक्तिशाली निहित स्वार्थों तथा देश के बड़े एकाधिकारी गृह प्रभावित हुए हैं । और जब उनकी जेबों तथा स्वार्थों पर असर होने लगा, तो उच्चतम न्यायालय जागा और उसने कहा कि अब तक जो कुछ कहा गया है वह ठीक नहीं है । वह इगलैंड के कानूनों पर ब्रिटिश टिप्पणकार की इस अभ्युक्ति से प्रेरित हुआ है कि सम्पत्ति आय समुदाय के हितों की अपेक्षा अधिक पवित्र है । यही दृष्टिकोण उसने अपनाया है । मैं समझता था सरकार की इस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया भिन्न होगी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया केवल यही है कि हम मुआवजा अधिक देंगे ।

हमें आशा थी कि सरकार संविधान सम्बन्धी एक संशोधन लायेगी जिसमें यह व्यवस्था होगी कि मुआवजे का प्रश्न किसी भी रूप में किसी भी न्यायालय में नहीं उठाया जा सकेगा, सम्पति अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होगा क्योंकि सम्पत्ति की अपेक्षा समाज अधिक महत्वपूर्ण है । जीवन मृत्यु से अधिक महत्वपूर्ण है और हम जीने के लिए हैं, न कि मरने के लिए । यदि हम ऐसा विधान पारित करते, तब हम देखते कि उच्चतम न्यायालय समूचे देश की इच्छा को कैसे ठुकराने की हिम्मत रखता है । दुर्भाग्यवश, स्थिति ऐसी नहीं है, स्थिति बड़े-बड़े व्यापारियों तथा निहित स्वार्थों के सामने झुकने की है ।

मैं नहीं जानता कि इस विधेयक के साथ क्या गुजरेगी । फिर भी हम इसे पारित करते हैं लेकिन, इसके साथ-साथ मैं चेतावनी देता हूं कि उच्चतम न्यायालय जो संविधान में निर्धारित उपबन्धों को स्वतः तोड़-फोड़ रहा है, के इस निर्णय तथा इस किस्म के रवैये से आगे बढ़ाना संभव नहीं है और अन्ततोगत्वा इस देश के लोगों को उसे बताना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं और फिर देखना होगा कि वह समूचे देश की इच्छा को ठोकर मारने की हिम्मत करता है अथवा नहीं ।

Suri Tulsi Das Jadhav (Baramati) : I fail to understand why the Supreme Court has struck down the provisions of this Bill without going into the spirit of the Constitution. The Supreme Court was hardly concerned with what the Government did or did not. The preamble clearly stated that the country required money to increase its wealth and production.

The figures show that it was the rich and big people who took the maximum advantage of the money of these banks during the last twenty-two years. The Constitution provides for decentralisation of power and money. It is absolutely necessary for a State to adopt itself to the changing or changed circumstances and situations. It is rather very surprising that no objection was raised in 1955 when the Imperial Bank was nationalised and converted into the State Bank of India, and now these things are being interpreted as *ultra-vires* of the Constitutions.

The Commercial banking deposit in India is 14 per cent only whereas it is 84 per cent in Japan, 56 per cent in U.S.A. and 49 per cent in Canada. In our country the number of banks is so inadequate that on an average there is one bank to serve 79,000 people, and with regard thereto, there is a wide disparity in the States, too, for instance, Orissa has

only one bank for a population of 2.27 lackhs whereas in Kerala the corresponding figures are 37,000 to one bank.

The peasant in the country, today takes his 34 percent loans from cooperatives, 5 percent from Commercial banks and 60 percent from money-landers. That is, he is still grip of money-lenders who charge an exorbitant rate of interest and we have not been able to liberate him from the clutches. It is, therefore, a social obligation on the Government to provide and make available adequate loan facilities to the small people who can help develop our national economy and so nationalisation is the only course to pave way for and meet this national requirement in the present circumstances.

So far as the question of compensation is concerned, the Supreme Court has not specified any amount as compensation to be paid to these banks, however, the amount now raised to Rs. 87.40 crores appears to be quite reasonable.

Steps should be taken to open more and more branches in rural areas in order to provide adequate loan facilities to small peasants, self-employed persons and so one. In order to run the affairs of these banks smoothly, it is desirable to appoint State Committees to guide as also to look into the grievances of the people.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं उच्चतम न्यायालय के बहुमत निर्णय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों से सहमत नहीं हूँ और न ही विधि मंत्री के इस वक्तव्य से कि चूंकि सरकार ने मुआवजे की राशि निश्चित कर दी है, यह भ्रामक नहीं है और उच्चतम न्यायालय इसे अवैध घोषित नहीं करेगा।

हम जो विभिन्न प्रगतिशील उपाय अपना रहे हैं, उसमें उच्चतम न्यायालय भिन्न-भिन्न तरीकों से बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। मुझे अब भी यही शंका है कि उच्चतम न्यायालय इस विधेयक को भी पहले विधेयक की भांति अवैध ठहरायेगा। इस न्यायालय ने कहा है कि मुआवजा निश्चित करने का अधिकार वह अपने पास सुरक्षित रखेगा। विधि मंत्री ने मुआवजे की राशि 75 करोड़ से बढ़ाकर 87 करोड़ रुपये कर दी है, इस आशा में कि उच्चतम न्यायालय उससे संतुष्ट हो जायेगा। लेकिन मुझे यकीन है कि वह इससे सन्तुष्ट होने का नहीं है क्योंकि न्यायाधीशों ने कहना है कि यह मुआवजा समुचित नहीं है क्योंकि सरकार ने अरबों रुपयों के शेयरों के मूल्य पर विचार नहीं किया है।

विधि मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि "जब सरकार इन बैंकों को जो निगमित क्षेत्र के हैं और जिन्हें लिमिटेड कम्पनियां कहा जाता है, आम जनता के हित में अपने हाथ में ले रही हैं, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि अंशधारियों के, जो आम जनता के ही लोग हैं, हितों को किसी प्रकार हानि न पहुँचे"।

विधि मंत्री की प्रखर बुद्धि के लिए धन्य है जो मुआवजे के मामले में भारत के निर्धन तथा कमजोर आम जनता का मुकाबला उन बैंक वालों से कर रहे हैं जिनके करोड़ों रुपये मूल्य के शेयर हैं और जो पिछले कई वर्षों से भारत के समूचे उद्योग पर पूर्ण अधिकार किये हुए हैं।

वास्तव में स्थिति को अच्छी तरह समझने के लिए सम्पत्ति के बारे में स्पष्ट धारणा होना आवश्यक है। वस्तु स्थिति यह है कि सम्पत्ति-अधिकार ईश्वर की नहीं बल्कि ब्रिटिश हकूमत की देन है जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चिरस्थायी बनाने के लिए सम्पत्ति-अधिकार की नीव डाली। इसलिए, यदि हम आम जनता की वास्तव में कुछ भलाई करना चाहते हैं। समय आ गया है जब हम इस मामले पर निष्पक्ष रूप से विचार-विमर्श करें।

हमारे देश की आम जनता की परिस्थितियों को देखते हुए, ऋण सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करना आवश्यक है क्योंकि हर गरीब आदमी या भूमि हीन व्यक्ति बैंक को जमानत पेश नहीं कर सकता, परिणाम स्वरूप उसे ऋण सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद ऐसे मामले हुए हैं जब कि कुछ लोगों की साख या जमानत न होने के कारण बैंकों से ऋण नहीं मिले हैं। अतः ऋण सम्बन्धी नीति में परिवर्तन आवश्यक है अन्यथा बैंक राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

ग्रामीण क्षेत्र में महाजनों एवं निहित स्वार्थों ने देश का ग्रामीण जीवन खोखला कर रखा है। वे गरीबों का खून चूसते हैं। वे 200 प्रतिशत ब्याज लेते हैं। इसके लिये हमें गतिशील दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है और इस हेतु गांवों में अधिकाधिक बैंक शाखाएं खोलना अनिवार्य है अन्यथा धन बड़े व्यापारियों के हाथ में ही जायेगा। कुछ ऐसी व्यवस्था करनी आवश्यक है जिससे धन छोटी व्यापारियों तथा सामान्य जनता तक पहुँच सके।

श्री तिन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : उच्चतम न्यायालय के निर्णय में एक जगह यह कहा गया है कि :

> "स्पष्टतः ऐसा दावा है कि सरकार का उद्देश्य—न कि इस अधिनियम का—अन्ततोगत्वा सभी बैंकिंग संस्थाओं का अधिग्रहण करने का है, 14 बैंक अधिग्रहण के लिए चुने गये हैं क्योंकि इनका कारोबार ज्यादा फैला हुआ है।"

मेरा विश्वास है सरकारी वकील ने ऐसा कहा है अन्यथा निर्णय में ऐसा संकेत नहीं दिया होता। "ज्यादा फैला हुआ कारोबार इत्यादि" मुख्यतः वर्गीकरण के लिए आधार हैं और न कि वर्गीकरण तथा अधिनियम के उद्देश्य के बीच सम्बन्ध बताने के लिए।" यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जो प्रस्तुत विधेयक में नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में जो बातें कही हैं, उन पर सरकार को भली भांति गौर करना चाहिये और तदनुसार आवश्यक उपबन्धों का इस विधेयक में समावेश किया जाना चाहिये।

सरकार अब यह कह सकती है कि वर्तमान विधेयक में सिद्धांत विचाराधीन नहीं है और मुआवजे की एक निर्धारित राशि के रूप में व्यवस्था कर दी गई है। अतः अब शायद इन प्रश्नों को सर्वोच्च न्यायालय में न लिया जाये। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यह सच है कि जब नकद मुआवजा नियत कर दिया जाता है तो फिर इस पर कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। यह भी कहा गया है कि यदि राशि हमारे विचार में भ्रम उत्पादक हो तो इस पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। अतः यह भी एक त्रुटि है।

बैंकिंग कार्य के बारे में न्यायालय ने कहा है कि हम अपनी राय व्यक्त नहीं करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 301 के अन्तर्गत यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या राष्ट्रीयकरण से व्यापार स्वतन्त्रता की जो गारंटी है उसपर प्रभाव पड़ता है। इस मामले पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हम अपनी राय व्यक्त नहीं करेंगे।

मैं यह सभी बातें इस लिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्तमान विधेयक सभी आपत्तियों को हल नहीं करता है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 31 (2) के अन्तर्गत उठाये गये एक प्रश्न के

बारे में ही अन्तिम रूप से निर्णय दिया है। उन्होंने कहा है कि अधिनियम में दिये गये सिद्धान्त संगत नहीं है। संगत (रलेवन्सी) शब्द का बिल्कुल नया अर्थ दिया गया है। मुआवजे की गणना में दो चीजों को शामिल नहीं किया गया है। एक है 'साख' (गुड़ विल) दूसरी चीज है लम्बी अवधि के पट्टे। मैं नहीं समझता कि मुआवजे की गणना करते समय इनको शामिल करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि नये बैंकों को भी समूचा दायित्व निपटाना होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि जब स्टेट बैंक को लिया गया था कि क्या उस समय गुडविल का कोई मूल्य लगाया गया था ? मैं नहीं जानता कि गुडबिल का मूल्य लगाने की पहले से कोई प्रथा है कि नहीं।

जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक निर्णय दिया है और सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिये। क्या इस विधेयक में भी पर्याप्त विभेद नहीं किया गया है। यदि आप बैंकिग कार्य का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने में क्या कठिनाई है ? शेष बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सरकारी खजाने पर अधिक बोझ नहीं पडेगा। सरकार को समूचे मामले पर पहले से ही सोच विचार कर निर्णय करना चाहिये। सरकार को किसी मामले को अस्पष्ट नहीं छोड़ना चाहिए।

जहां तक मुआवजे का सम्बन्ध है हम नहीं जानते कि सरकार ने 89 करोड़ रुपये की राशि किस आधार पर नियत की है। हमें उन आधारों के बारे में बताया जाना चाहिये। क्या सरकार गुडविल तथा उन पट्टों के लिए जिनकी अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, के लिये अतिरिक्त 20 करोड़ दे रही है। इस विधेयक के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनः रद्द कर दिये जाने की सम्भावना है क्योंकि विभेद को समाप्त नहीं किया गया है अर्थात सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : There cannot be two opinions on that that national property should not be in the hands of few and those few only would not be allowed to make use of it. The banks which are going to be nationalised should not be put under the control of the bureaucrats and political parties should not be allowed to have their influence on them.

After the nationalisation of the banks the political parties should adopt some code of conduct for themselves and they should not allow to misuse the spirit of nationalisation. Formerly the political parties were getting donations from the banks.

The practice of keeping in view the status and standing of man concerned before granting him loan should be done away with.

I want to know whether there is any other bank in addition to these fourteen while one going be nationalised whose deposits were less than Rs. 50 crore prior to the previous Bill but rose to fifty crores of rupees after the Bill ? If that is so, what will be Government's policy about that I would suggest the Government to adopt uniform policy and made it applicable to all banks.

If the Communists (Marxist) criticise the Supreme Court it can be understood because these people are habitual of People's Courts. But in our country the position is different. We should not criticise the Supreme Court. I had come to know that some people were collecting signature for the impeacement of the judges of the Supreme Court. It was also heard that Chief justice of the Supreme Court should be directly appointed and that the seniority of the judges will not be taken into account while appointing Chief Justice. I would like to warn the Government that if that is done then the democracy in our country will be in danger and it will have vast repercussions in public.

The work of the banks should be done in all the Indian languages so that people can understand the decisions taken at the higher levels.

The new branches of the banks should be opened at the offices of Block Development Offices. In this way villagers will be benefited most as they have to come there.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखकर यह नया विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे देश में न्यायपालिका को एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है । परन्तु इस समय देश में राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं और न्यायपालिका को अब एक पृथक ढंग से कार्य करना है । संसद द्वारा पास किये गये किसी भी अधिनियम को लोगों का विनिर्णय समझा जाना चाहिए और इसको न्यायपालिका द्वारा उसी भावना में स्वीकार किया जाना चाहिये । कई बार कानून के शासन में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जबकि लोकतंत्र का जीवित रहना कठिन हो जाता है ।

न्यायपालिका में भी हमारे नये व्यक्ति है और वे भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराओं से प्रभावित हो सकते हैं । अतः संसद को इस सम्बन्ध में सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए । जब कोई कानूनी व्यवस्था लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय नहीं देती तब वह अपनी उपयोगिता खो बैठती है ।

लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सबसे उच्च है । अतः हमें इस बारे में तुरन्त निर्णय लेना है कि लोगों की इच्छा सर्वोच्च है और कि न्यायपालिका को इसके अनुसार ही कार्य करना होगा ।

कुछ एकाधिकारपतियों तथा निहित हितों को छोड़कर देश के शेष सभी वर्गों के लोगों ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी अतः बैंकिंग अधिनियम को रद्द कर दिये जाने पर देश के सभी वर्गों के लोगों ने इसका शोक मनाया है । देश के कमजोर वर्ग यह महसूस करने लगे थे कि उनको न्याय मिलेगा । इसी प्रकार लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों को नया उत्साह मिला था और वे भी महसूस करने लग थे कि अब उनको भी बैंकों में न्याय प्राप्त होगा । इसी प्रकार ट्रकों, बसों तथा टैक्सी आदि वालों में भी नया उत्साह उत्पन्न हुआ था । हम महसूस करते हैं कि साहूकारों के हाथों लुटने वाले आदिवासियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को बैंकों के राष्ट्रीयकरण से राहत मिलेगी ।

यदि इस विधेयक के भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिये जाने का खतरा हो तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह देश के पिछड़े वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए न केवल इन चौदह बैंकों बल्कि ऋण देने वाली संस्थाओं सहित सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मूल विधेयक पर चर्चा के समय हम सबने जोर दिया था कि विधेयक की कानूनी जटिलताओं की जांच के लिए तथा उनपर काबू पाने के लिए इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाये । परन्तु सरकार इस बात के लिए सहमत नहीं हुई ।

अनेक सदस्यों ने उस समय शंका प्रकट की थी कि इसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जायेगा । मेरे विचार में देश के इतिहास में यह पहला समय है जबकि किसी विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है ।

इस विधेयक में कुछ गलतियों को दूर कर दिया गया है। इसमें सरकार ने कुछ चालाकी से काम लिया गया है। भेदभाव के बारे में यह कहा गया है कि ये कम्पनियां भी बैंकिंग कार्य कर सकती हैं हालांकि उनको इसके लिए रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होगी और रिजर्व बैंक अपनी स्वविवेकात्मक शक्तियों को प्रयोग करेगा। अतः चोर दरवाजे से ऊपर रोक लगाई जायेगी जो कानून के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आ सकेगी।

अनेक सदस्यों ने कहा है कि संविधान का एक अनुच्छेद लागू किया गया है। परन्तु दूसरा लागू नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय देते समय इस बात की पूरी सावधानी बरती है कि संविधान का अनुच्छेद दूसरे के विरोध में न जाये। संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव न हो परन्तु अनुच्छेद 19(6) के अन्तर्गत आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। इसी प्रकार कभी अनुच्छेद 31 को और कभी अनुच्छेद 31(1) को पूर्णतया लागू किया गया है। निर्णय में भी कुछ परस्पर विरोधी बातें हैं। यह मुख्य रूप से अनुच्छेदों की दोषपूर्ण लिखाई के कारण हैं। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि विनिर्णय पर रहना दोष क्यों दिया जा रहा है। विनिर्णय में कहा गया है कि मुआवजा उचित नहीं है। परन्तु उन्होंने इस बात का निर्णय नहीं किया कि मुआवजे की राशि कितनी होनी चाहिए। मुआवजे की राशि का निर्णय सरकार ने किया था जोकि कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने केवल इतना कहा है कि ऐसा करते समय बैंकों की आस्तियों तथा गुडविल आदि को ध्यान में नहीं रखा गया।

उच्चतम न्यायालय को संसद् के अधिकारों पर कोई आपत्ति नहीं है अतः इस प्रश्न पर उसकी आलोचना करना अनुचित है। यह राजनीतिक प्रचार है जो किन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने ये सिद्धांत बनाकर बैंकों को 70 करोड़ रुपयों का मुआवजा देने की व्यवस्था की थी अतः यह भूल स्वयं सरकार की है।

सभा में यह बात उठाई गई थी कि जिस प्रकार श्री देशमुख ने बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया था इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी उसी प्रकार किया जाय। यह भी कहा गया था कि बैंकों के 41 प्रतिशत शेयर तो स्वयं सरकारी एजेंसियों के पास हैं, 31 प्रतिशत शेयर जीवन बीमा निगम के पास हैं तथा 10 प्रतिशत शेयर यूनिट ट्रस्ट के पास हैं। यदि श्री देशमुख द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया होता तो सरकार को केवल 10 से 11 प्रतिशत शेयर ही खरीदने पड़ते और बैंक सरकार के हाथ में आ जाते। किन्तु सरकार तो उस समय बिल्कुल अंधी हो रही थी। यदि सरकार इस उचित प्रक्रिया का अनुकरण करती तो श्रीमती इन्दिरा गांधी को समाजवाद के नाम पर अपना प्रचार करने का अवसर कहां से मिलता। अतः मुआवजे के सम्बन्ध में एकमात्र सरकार उत्तरदाई है। उच्चतम न्यायालय का इस सम्बन्ध में कोई दोष नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने केवल इतना कहा है कि मुआवजे के सम्बन्ध में सही सिद्धांत नहीं अपनाया गया है।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। इस विधेयक को फिर से उच्चतम न्यायालय में भेजना चाहिये। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में पक्षपात किया गया है। अनुच्छेद (19 (ख) के अन्तर्गत आंशिक

राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था अवश्य है किन्तु आंशिक राष्ट्रीयकरण में भी बैंकों के साथ भेद भाव नहीं किया जा सकता। सरकार ने जिन बैंकों में 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक रुपये जमा किये हैं उनका राष्ट्रीयकरण करने की नीति अपनाई है किन्तु 67 बैंकों में से 15 विदेशी बैंक ऐसे भी हैं जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है जबकि इनके पास 478 करोड़ रुपयों की जमा धन राशि है। इतना ही नहीं भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास केवल 324 करोड़ रुपयों की जमा धन राशि है। अतः यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया रहा है।

अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री आर० सी० चक्रवर्ती का कहना है कि विदेशी बैंक भारतीय धन राशि से मुख्यतः विदेशी उद्योगों की सहायता करते हैं। मेरे विचार में श्री चक्रवर्ती इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री से अधिक जानकारी रखते हैं।

मलेशिया जैसे देश ने यह स्पष्ट कह दिया है कि हम अपने देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों को कार्य करने की अनुमति नहीं देंगे तथा आपको हमारे देश के कानूनों का पालन करना होगा। सरकार ने इसीलिए उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया। हमारे देश की सरकार में इतनी क्षमता नहीं है कि वह विदेशी बैंकों से भी इसी प्रकार कह सके कि सभी को हमारे देश के कानूनों का पालन करना होगा। इन बैंकों में रुपया जमा करने वाले अपने देश के व्यक्ति ही तो हैं। अतः मुझे इन विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण न करने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker *in the Chair*]

नियमित और विशेषज्ञ प्राप्त सेविंग बैंक चलाने तथा बचत में वृद्धि करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत के बचत बैंकों में सबसे कम जमा राशि है। जापान की 85 प्रतिशत और ब्रिटेन की 60 प्रतिशत बचत की तुलना में हमारे देश में कुल राष्ट्रीय उत्पादन की 15 प्रतिशत बचत है जो अत्यन्त कम है।

सरकार ने इस बात का बहुत बार नारा लगाया है कि बैंकों के प्रबन्ध में कर्मचारियों का हाथ भी होना चाहिए किन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। निदेशकों को बोर्ड में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए और आज ही से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में कोई कानूनी कठिनाई नही थी। श्रीमती इन्दिरा गांधी का कहना है कि चूंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया हुआ है अतः इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ये केवल जनता को धोखा देने वाली बात है। उच्चतम न्यायालय ने रुपया जमा करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया था और न ही कर्मचारियों के प्रबन्ध में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में न्यायालय में कोई मामला था। अतः मेरा निवेदन है कि प्रबन्ध में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को तुरन्त लागू किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने 2.30 पर उत्तर देना था।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : आज इस पर पूरी चर्चा नहीं की जा सकती। कार्य

मंत्रणा समिति ने इस पर खण्डवार विचार-विमर्श करने के लिए तीन घण्टे का समय निर्धारित किया था तथा एक घण्टे का समय तीसरे वाचन के लिए निर्धारित किया गया था। बहुत से संशोधन आने के कारण हम नियत समय का उपयोग करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : समय किसी अन्य मद के लिये लिया गया। दुर्भाग्य से उस दिन श्री जयपाल सिंह की मृत्यु हो गई तथा सभा स्थगित हो गई। हमने यह भी निर्णय किया था कि आज विधेयक को पास किया जायेगा। फिर भी अभी पर्याप्त समय है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, the time for the discussion on this Bill should be extended to ten of the clock because so many constitutional and legal points are involved in the decision given by the Supreme Court.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, मुझे खेद पूर्वक कहना पड़ता है कि अध्यादेश 8/1962 तथा 1969 की अधिनियम संख्या 22 को अत्यन्त असावधानी से तैयार किया गया है तथा उसके पीछे तोड़ फोड़ करने वालों का हाथ रहा है।

मैं विधि मंत्री तथा उनके अधीन अधिकारियों पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि उन्होंने अधिनियम 22/1969 में कुछ उपबन्ध रखे थे जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने अवश्य हटा देना था तथा इस तथ्य का स्वयं उन्हें भी ज्ञान था क्योंकि यह उपबंध पहले अध्यादेश में पुरःस्थापित नहीं किये गये थे। बैंक कारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1969 में परस्पर विरोधी उपबन्धों को लाकर पूरे अधिनियम को रद्द करवा दिया।

अध्यादेश 8/1969 के द्वारा 14 बैंककारी कम्पनियों का अर्जन किया गया। अध्यादेश के उपरांत अधिनियम 22/1969 लागू किया गया किन्तु उच्चतम न्यायालय ने दोनों पर आपत्ति की। अधिनियम को रद्द किये जाने के दो मुख्य कारण थे। पहला कारण यह था कि अर्जित बैंककारी कम्पनियों के प्रति शत्रुतापूर्ण पक्षपात किया गया जिससे उनको उनके मूल अधिकारों से वंचित किया गया। दूसरा कारण यह था कि मुआवजा निर्धारित करने का ढंग दोषपूर्ण था तथा संवैधानिक व्यवस्था के प्रतिकूल था। उच्चतम न्यायालय ने जिन उपबन्धों पर आपत्ति की उन्हें अधिनियम में बाद में जोड़ा गया था। ये उपबन्ध अध्यादेश में नहीं थे कि अर्जित बैंक बैंककारी कार्य नहीं चला सकते। अध्यादेश की धारा 20 तथा अधिनियम की धारा 20 के आशय में अन्तर है। अधिनियम की धारा 15(ङ) के अंतर्गत बैंकों को बैंककारी कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य करते रहने की व्यवस्था है।

दूसरी अनुसूची में की गई व्यवस्था के अनुसार मुआवजा की राशि निर्धारित करनी थी। दूसरी अनुसूची के अतिरिक्त उप-खंड के बारे में दो स्पष्टीकरण जोड़ कर भी अध्यादेश के आशय का उल्लंघन किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने इन्ही जोड़े गये उपबन्धों पर आपत्ति की थी जिसके कारण अधिनियम रद्द हो गया। माननीय विधि मंत्री उन आरोपों का स्पष्ट उत्तर देने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय विधि मंत्री

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकदराबाद) : महोदय ! मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

समय बढ़ा दिया गया था और मुझे समय देने का वचन भी दिया था। इस प्रकार का पक्षपात-पूर्ण रवैया यहां नहीं चलाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप दो मिनट में अपनी बात कह दीजिये।

श्री बाकर अली मिर्जा : महोदय! उच्चतम न्यायालय ने शत्रुता पूर्ण भेद-भाव का उल्लेख किया है। इस भेद-भाव को समाप्त करने के लिए सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। पता नहीं माननीय वित्त मन्त्री, प्रधान मन्त्री या विधि मन्त्री को सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में क्या कठिनाई हैं।

इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन की विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण अवश्य होना चाहिए। इस सम्बन्ध में बहुत से आरोप लगाये गये थे कि चुनावों में विदेशी मुद्रा का इन बैंकों के द्वारा देश में पर्याप्त उपयोग होता है। यदि इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये तो विदेशी मुद्रा के देश में बहाव को रोका जा सकता है। इस सम्बन्ध में केवल 20 करोड़ या 30 करोड़ रुपयों के व्यय का प्रश्न है।

हमने उपयुक्त समय पर समाजवादी सिद्धान्त को कार्यरूप देना आरम्भ कर दिया है। यदि श्री मेनन का यह कथन सत्य है कि बैंक राष्ट्रीयकरण से थोड़ी सी अवधि में ही लोगों का लाभ होने लगा है तो सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देश की सारी जनता को लाभान्वित क्यों न किया जाये। अतः प्रधान मन्त्री से मेरा निवेदन है कि वह देश में पूर्ण समाजवाद लाने का साहस करें तथा सम्पूर्ण बैंक उद्योग को सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत लायें।

यदि जनता की इच्छा को सर्वोपरि माना जाता है तो आज जनता की यह मांग है कि सभी बैंकों को विदेशी बैंकों सहित राष्ट्रीयकृत किया जाये। मैं तेलंगाना के सम्बन्ध में जनता की मांग को बार-बार सरकार के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ किन्तु वह उस पर चर्चा करने के लिये भी तैयार नहीं है।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : अध्यक्ष महोदय! आज इस विधेयक पर चर्चा के समय सभा में और ही वातावरण है। वर्ष 1969 में विपक्षी दल के सदस्य राष्ट्रीयकरण के विरोधी थे। इस विधेयक पर चर्चा करते समय श्री मसानी ने पर्याप्त मुआवजा न देने के बारे में उल्लेख किया है। उनके अनुसार विधेयक पर चर्चा करने के लिए निर्धारित किया गया समय भी कम है।

इस विधेयक पर चर्चा करते समय बहुत से माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीयकरण का पक्ष लिया है। सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने या विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की विवादास्पद बातों को छोड़कर सदन ने यह बात एक मत से स्वीकार की है कि राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता अवश्य है।

कुछ माननीय सदस्यों ने उच्चतम न्यायालय तथा उसके द्वारा दिये गए निर्णय का उल्लेख किया है। मेरे विचार से उच्चतम न्यायालय तथा उसके निर्णय पर सभा में चर्चा करना उचित नहीं है। उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार है। पंडित नेहरू ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय का हमें पूर्ण आदर करना चाहिये क्योंकि

हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली का वह एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें उनकी मान्यता पर अडिग रहना चाहिए। फिर भी जहां तक इस प्रकार के कानून का सम्बन्ध है मुआवजा निर्धारित करने का अधिकार संसद तथा विधान सभाओं के हाथ में ही होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से भी समस्या का समाधान नहीं होगा।

जहां तक मुकदमेंबाजी का सम्बन्ध है कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि इसका यह परिणाम होगा। सरकार के कानूनी सलाहकार केवल इतना ही कर सकते हैं कि कानून का पूरा अध्ययन करें तथा सभी त्रुटियों को दूर करें जिससे उच्चतम न्यायायत द्वारा की जाने वाली समीक्षा में खरा उतर सकें। हमने यह सभी कार्य किये थे।

मुकदमेंबाजी का कोई अन्त नहीं है। संसद् ने यह निर्णय किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। अतः यह निर्णय अडिग रहेगा। एक पराजय का अभिप्राय यह नहीं है कि युद्ध ही समाप्त हो गया। मुझे पूर्ण आशा है कि लोक सभा और राज्य सभा में विद्यमान देश की जनता के प्रतिनिधियों ने जिस अधिनियम और विधेयक के सम्बन्ध में जो निर्णय किया है वह अवश्य पारित होगा।

प्रश्न यह है कि सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया। हम एक वर्गीकरण चाहते थे तथा इस विधेयक के लम्बे नाम में दो प्रकार के वर्गीकरण का उल्लेख है, अर्थात्:

> "अर्थ व्यवस्था की सीमाओं को नियंत्रित करने तथा राष्ट्रीय नीति और उद्देश्यों के अनुरूप अर्थ-व्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं के प्रगतिशील रूप से पूरा करने तथा उनकी पूर्ति अधिक अच्छी तरह से करने की दृष्टि से कतिपय बैंककारी कम्पनियों के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का, उनके आकार, संसाधन, सीमा क्षेत्र और संगठन को ध्यान में रखते हुए तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।"

इस बात का सभी वकीलों को पता होगा कि यदि उपयुक्त वर्गीकरण दिया गया हो तो अनुच्छेद 14 उस विधेयक के बीच में रोड़ा नहीं बन सकता। विधेयक को इस कारण उच्चतम न्यायालय ने रद्द नहीं किया कि उसके द्वारा केवल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। उसके कुछ अन्य ही कारण हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पृष्ठ संख्या 90 पर यह आशय व्यक्त किया गया है मुआवजा निर्धारित करने का यह ढंग प्रथम दृष्टि में उपक्रमों के अर्जन के लिये मुआवजा निर्धारित करने के ढंग से संगत नहीं है।

यदि उच्चतम न्यायालय केवल यहीं तक सीमित रहता तब भी यह कानून रद्द हो जाता किन्तु उसने और भी अनेक बाते कहीं हैं वे प्रासंगिक हैं।

प्रत्येक राज्य के कुछ मूलभूत अधिकार हैं। इन अधिकारों में कर लगाने के भी अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 265 में यह उल्लेख किया गया है कि जब तक कानून के अन्तर्गत मंजूरी प्राप्त नहीं होगी कर नहीं लगाये जा सकते। अनुच्छेद 31 (2) में उल्लेख किया गया है कि मुआवजा दिये बिना किसी भी सम्पत्ति को अर्जित नहीं किया जा सकता। कोई भी आधुनिक सरकार तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसे कर लगाने सम्बन्धी अधिकार और प्रभुताधिकार प्राप्त न

हो। अनुच्छेद 31 (2) में उल्लेख किया गया है कि संसद् को मुआवजा निर्धारित करने का अधिकार किया गया है। एक बार संसद् मुआवजा निर्धारित कर देती है तो न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सब न्यायालय मानने के लिए बाध्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय को हमारा मुआवजा देने का तरीका उचित नहीं लगा। अतः अब हम विधेयक में यह राशि निर्धारित कर रहे हैं। इसके लिए हमें मुआवजे में भारी वृद्धि करनी पड़ी है। इस सम्बन्ध में हमने मुआवजा निर्धारित कर दिया है और हमें आशा है कि संसद् द्वारा निर्धारित किये गये इस मुआवजे के बारे में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सम्पत्ति अर्जित करने के लिए दो तरीकों से मुआवजा निर्धारित किया जा सकता है। प्रथम, कानून के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया जा सकता हैं। दूसरे, 14 बैंकों का आधिपत्य प्राप्त करने सम्बन्धी अगस्त 1969 के अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारित किया जा सकता है। राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों को दिये जाने वाला मुआवजा विधेयक की दूसरी अनुसूचि के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। मुआवजे की एक विशेष रकम निर्धारित करते समय सरकार और रिजर्व बैंक अधिकारियों ने विभिन्न बातों पर विचार किया है। जिनमें 14 बैंकों द्वारा अर्जित किया गया लाभ जो प्रत्येक वर्ष बदलता रहता है और भविष्य में यदि वे गैर-सरकारी क्षेत्र में रहते तो भविष्य में कितना लाभ कमा सकते थे और वेतन, मजूरी, बोनस और उपदान पर बढ़ते हुए खर्चों आदि पर भी विचार किया गया। अन्य बातों जैसे प्रत्येक बैंक की प्रदत्त-पूंजी के सम्बन्ध में भी विचार किया गया था।

प्रत्येक बैंक को दी गई मुआवजे की राशि सदस्यों की राय में अधिक अथवा कम हो सकती है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को दी जाने वाली 87.40 करोड़ रुपये की मुआवजे की राशि, जो इन सब बातों को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है न तो बहुत अधिक है और ना बहुत कम है।

बैंकों के लाभ हानि लेखों में कहीं भी गुप्त धनराशि जैसे मद नहीं है।

बैंकों को दिये जाने वाला मुआवजा शेयरों के बाजार मूल्य के अनुपात में हैं।

इम्पीरियल बैंक को जब सरकार ने अपने अधिकार में लिया था तब उसके पास लगभग 208 करोड़ रुपये की जमा पूंजी भी और उसके लगभग 355 कार्यालय थे। जब 14 बैंकों को अधिकार में लिया गया था तब उनमें कुल जमा पूंजी लगभग 2626 करोड़ रुपये थी और उनके कार्यालयों की संख्या 4150 थी। इन 14 बैंकों को 87.40 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का प्रस्ताव है।

माननीय सदस्यों को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि बहुत कम मुआवजा देने से माध्यमिक दर्जे के व्यक्तियों को, जिनका बहुमत है, नुकसान होगा और धनी वर्ग के व्यक्तियों का नहीं।

मुआवजे की राशि का निर्धारण प्रत्येक बैंक की स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है। इस बारे में प्रत्येक बैंक के साथ समान आधार पर व्यवहार किया गया है।

विदेशी बैंकों को अधिकार में न लेने के कारण सरकार पहले ही बता चुकी है। उस संदर्भ

में मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहूँगा क्या हम भारत में निर्विदेश व्यापार व्यवस्था लाना चाहते है जिसके अन्तर्गत भारत के अन्य देशों से वित्तीय सम्बन्ध समाप्त हो जायेंगे ?

इस समय भारतीय बैंकों की लगभग 20 शाखाएं विदेशों में काम कर रही हैं। उनमें से दो या तीन ब्रिटेन में हैं। क्या ऐसा सम्भव है कि हम अपने यहां काम कर रहे ब्रिटेन के बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लें और विदेशों में हमारे बैंक काम करते रहे ? विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है क्योंकि यह हमारे राष्ट्र के हित में है। विदेशी बैंक विश्वव्यापी संगठन के अंग के रूप होते हैं। अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के कारण वे विदेशी व्यापार में अनेक भारतीय बैंकों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, नीदरलैंड का बैंक जेवरात के निर्यात और बिना तराशे हुए हीरों के आयात में विशेष रूप से वित्तपोषण करता है। रूई के निर्यात में जापान के बैंक विशेष सुविधाएं देने के लिए प्रसिद्ध है। विदेशी बैंक विदेशी मुद्रा में ऋण लेने में सहायता प्रदान करते हैं, साथ ही वे उद्यमशील व्यक्तियों को समुद्र पार की उन पार्टियों से मिलाते हैं जिनके पास तकनीकी जानकारी होती है। भारत में जो विदेशी बैंक काम कर रहे हैं, उनके साथ कुछ विदेशी कम्पनियों के अच्छे और चिर-स्थायी सम्बन्ध हैं। एक अन्य बात यह है कि इस मामले में पारस्परिकता पर भी विचार करना होता है। यदि कुछ विदेशी बैंक हमारे यहां काम कर रहे है तो कुछ भारतीय बैंक भी विदेशों में हैं।

सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इस मामले में शुरूआत की है। इस मामले के ठीक हो जाने के पश्चात् संसद को देश के सभी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की ओर बढ़ना चाहिए। इस विधेयक पर पहले हुई चर्चा के दौरान श्री कृष्णा मेनन ने कहा था कि यह बैंक राष्ट्रीयकरण नहीं है बल्कि यह तो कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने वाला विधेयक है। उन्होंने यह ठीक ही कहा था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 6 महीने पूर्व किया गया था, किन्तु उच्चतम न्यायालय के रोक आदेश के कारण सरकार उन्हें कोई भी निर्देश नहीं दे सकी थी। किन्तु इसी अवधि में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की 475 नयी शाखाएं खोली गई। वस्तुतः इस विधेयक का उद्देश्य कुछ बैंकों को सरकारी क्षेत्र में ले आना है ताकि बैंकों से उन लोगों को भी ऋण प्राप्त हो सके, जिनको अब तक उनसे कोई लाभ नहीं होता था।

इस बार इस विधेयक को सभा में अधिक समर्थन प्राप्त हो रहा है। मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि वह इस विधेयक को पूर्ण समर्थन दे।

श्री बसु ने यह उल्लेख किया था कि अध्यादेश की तुलना में विधेयक में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। उक्त अध्यादेश 19 जुलाई को जारी किया गया था और 21 जुलाई को सभा में इसके विरुद्ध आपत्तियां उठाई गई थीं। तत्पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने रोक आदेश जारी किया। इसका तात्पर्य यह है कि विधेयक में कुछ ऐसा अवश्य था जिस पर पुर्नविचार किया जाना चाहिये। इस स्थिति में हमने अध्यादेश पर पुर्नविचार किया और कुछ उपबन्धों की व्यवस्था करके उसमें सुधार किया। उदाहरण के लिए मूल अनुसूची में यह व्यवस्था थी कि उक्त बैंकों के भवनों के लिए मुआवजा 'बाजार भाव' पर दिया जायेगा किन्तु ऐसा करने पर तो उन्हें उस मूल्य से भी कहीं अधिक देना पड़ेगा जो मूलतः उन्होंने अपने भवनों पर लगाया था। अतः संशोधन करके 'बाजार मूल्य' के स्थान पर 'निर्धारित मूल्य' कर दिया गया है। जहां तक फर्म की साखा का सम्बन्ध है,

राष्ट्रीयकृत बैंकों की साखा बनाने का श्रेय रिजर्व बैंक और समवाय विनियम अधिनियम को है। अतः साखा के मूल्य के रूप में कुछ देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्त में, मैं यह अनुरोध करता हूँ कि सभा इसे पूर्ण समर्थन दे और इसे आज ही पारित कर दे।

Shri Beni Shanker Sharma : I am very sorry to say that the Minister has not replied to the objections raised by me while moving may resolution regarding disapproval of the ordinance. The Supreme Court announced their judgement on 10th February and an other ordinance was issued on 14th February. What was the necessity of issuing the ordinance on 14th while the House was going to meet on 20th July ? What was the need of taking the decision in haste on such an important matter related to crores of people of our country, as it may result in danger. If this Bill is passed in hurry, it may again be declared null and void by the Supreme Court on some other point. So I request the Minister to refer this Bill to Select Committee. Nationalisation of Banks is not creditable achievement of the Government as the same purpose was being served by the social control on banks. Moreover, the same purpose can be achieved, if Government take over 51 percent shares of the banks. The 'nationalization of banks' is nothing but a slogan to rouse the feelings of the masses. The political and economic problems should be given deep and serious consideration. So, I request that this Bill should be referred to select committee.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 14 फरवरी 1970 को मुख्यापित किये गये बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अध्यादेश 1970 (1970 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS NEGATIVED

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अर्थव्यवस्था की सीमाओं को नियन्त्रित करने तथा राष्ट्रीय नीति और उद्देश्यों के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं को प्रगतिशील रूप से पूरा करने तथा उनकी पूर्ति अधिक अच्छी तरह करने की दृष्टि से कतिपय बैंककारी कम्पनियों के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का, उनके आकार, संसाधन सीमा क्षेत्र और संगठन को ध्यान में रखते हुए, तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुसंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

अध्यक्ष महोदय : अब खंडवार चर्चा होगी ?

खण्ड 2

अध्यक्ष महोदय : अब सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि खण्ड दो से सम्बन्धित संशोधन एक-एक करके प्रस्तुत करें।

श्री मधु लिमये (मुँगेर) : मैं अपने संशोधन संख्या 1, 3, 4 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 15, 16, प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं अपने संशोधन संख्या 17 और 18 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपने संशोधन संख्या 26 और 27 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या 89 और 90 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : मैं अपने संशोधन संख्या 130 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : मैं अपने संशोधन संख्या 165-166 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : मैं अपना संशोधन संख्या 125 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बाँका) : मैं अपने संशोधन संख्या 188, 189 और 190 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स० कुन्दू : मैं अपने संशोधन संख्या 202, 203, 204 और 205 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मैं अपने संशोधन संख्या 225 प्रस्तुत करती हूं ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, the Minister has not replied to one of my questions which I have raised. It was regarding the classification. The Supreme Court has not given its definite opinion on classification. Government should reconsider this issue so that it may not be again declared null and void by the Supreme Court on this account. He said that the basis of classification had been explained in the long title of the Bill. According to the said title the size resources and constitution of the bank is the basis of classification. If we take 50 crore as basis for nationalization, then every bank with a capital of 50 crore, whether it is an Indian bank or a foreign, should be nationalised. But there is no provision in the Bill to nationalize the foreign banks. That is why I request that at least 4 foreign banks—the Chartered Bank, the Mercantile Bank, the National Grindlay's Bank and the First National City Bank—should be nationalized.

The argument advanced by hon. Minister that foreign banks are more helpful in matter of foreign trade, is a lame argument, as the 80 per cent of import and export is done through Indian banks. All arguments given by him against nationalization of the foreign banks are feeble and baseless. In view of it I request that the Members of Congress Party to vote with us.

My second proposal is that the banks which are not behaving properly should be nationalized first.

In our suggestion we said :

> "The Central Government may take over any other bank not mentioned in the First Schedule at any time on the basis of the same terms and principles by issuing a notification in the Gazette to that effect".

Therefore my suggestion is that all foreign banks should be nationalized. If it is not possible for the Government to nationalise all the banks at least big banks should be nationalised.

The word 'rural area' should mean the villages and small towns with a population of

not more than ten thousands with this I ask the Government to open the branches of banks in the rural area.

Shri Kanwar Lal Gupta : The argument given by the Law Minister for not nationalising foreign banks is not at all convincing. The fact is that the Government is not nationalising foreign banks because it is afraid of certain foreign powers. They might have more freedom for the country but now they are selling it to the foreigners. These banks are also using the same methods as the Bank of China was using. They do not at all serve our national purpose.

The Government has nationalised Indian banks with deposits more than Rs. 50 crore but it had left out the foreign banks with deposits more than Rs. 50 crores. Will it not mean hostile discrimination against Indian banks ? If you will not nationalise them I think the law may be struck down again by the Supreme Court.

These foreign banks had made huge profits on their investments and they have sent good amount of money out of the country. Therefore, Government should nationalise all the foreign banks.

Shri Shiva Chandra Jha : All the foreign banks should be nationalised. Government says we have not got the requisit nohow, therefore, it is not possible to nationalise the foreign banks. But fact is that they are not nationalising the foreign banks out of fear of certain foreign powers.

The Government is not nationalising foreign banks with deposits more than Rs. 50 crores while it is nationalising Indian Banks with deposits more than Rs. 50 crores. Will not this be regarded as hostile discrimination by the Supreme Court if the act is again challenged ?

श्री स० मो० बनर्जी : हमारा दल सदैव से बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कहता आया है तथा इस विधेयक से हमारी उस माँग की कुछ सीमा तक पूर्ति हो गई है। सरकार को चाहिए कि वह सभी विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करे। यह निर्णय लेने में उसे तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। यदि वह इस समय राष्ट्रीयकरण करने की स्थिति में नहीं है तो उसके लिए किसी निश्चित समय की घोषणा कर दे।

Shri Rabi Ray : On the one hand the Government talked of controlling the heights of the economy. On the other it has not nationalised foreign banks. Exclusion of foreign banks from the purview of this Bill may be considered as a hostile discrimination against Indian banks.

Government says that they are not nationalising foreign banks because they help the country in foreign trade. But the fact is that 80 per cent of the foreign trade is handled by Indian banks and the Government is not nationalising the foreign banks out of fear.

Government should open the branches of the nationalised banks in the villages having a population between 5,000 and 10,000.

The nationalised banks should not give loans to political parties.

Shri Yogendra Sharma : The reasons given by the Government in favour of not nationalising all the Indian as well as foreign banks do not at all come to the required height.

The Law Minister said that one of the reasons for not nationalising foreign banks is that Indian banks also have their branches in foreign countries and therefor how these branches can function if we nationalise the foreign banks here. We have got the branches of our banks only in few countries namely, England, Hongkong, Japan and Ceylon. It shows that our banks do not have their branches in big countries. This means the nationalisation of foreign banks will not inflict a big loss on our banking industry.

As far as the compensation is concerned, our suggestion is that had the Government purchased the shares of these fourteen banks as they had done in the case of Imperial bank, they would have not to pay such a big amount of compensation when the discussion was going on in the Finance Ministry regarding this, who had put forth suggestion. In connection with this, those appeared a report in 'Times of India' daily, which reads as follows : "it appears that even when the question of nationalisation was brought up in July last, some senior officials in the Finance Ministry had suggested that the procedure adopted in the case of the Imperial Bank should be followed. As regards compensation, the current market value of the Bank shares cannot obviously be the basis for returning the amount of compensation."

Many people connected with the Finance Ministry have advised that by adopting the procedure, which adopted in the case of Imperial Bank, the Government would have to pay Rs. 48 crores only as compensation. But now by giving more than 75 crores the Government is trying to please the bankers. So, keeping in view the interest of the people and the country the Government must give up this procedure and adopt the same procedure which they adopted in the case of Imperial Banks.

श्री पी० रु० मसानी (राजकोट) : मैंने संशोधन संख्या 130 प्रस्तुत किया है। इस संशोधन का उद्देश्य, इस विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव देने से रोकना है । जरूर हम इस को 14 फरवरी तक कर सकते हैं जब अध्यादेश जारी किया गया था उसके पूर्व एक दिन का भी प्रभाव इसे लागू नहीं किया जा सकता ।

हम सब जानते हैं कि हम ने पिछली बार जो अधिनियम पारित किया था, वह असंवैधानिक कम और सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अवैध घोषित किया। वह कानून एक प्रकार की अवैध भूत थी। जमाकर्त्ताओं की जमापूंजी उस कानून द्वारा सरकार के लुटेरों के हाथ में हस्तान्तरण किया जा सकता था। हर प्रकार की लूट-मार को वैधता प्रदान करने की कोशिश इस कानून द्वारा की जा रही थी। सरकार इस विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव देने का प्रयत्न कर रही है। इस प्रयत्न द्वारा जनता को न्यायालय में जाकर क्षतिपूर्ति मांगने के अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा है। जनता के साथ जो भी अन्याय सरकार द्वारा किया जा रहा है उस से न्याय पाने के लिये न्यायालय में जाने के अपने अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है। उनके ऋण पर ब्याज न देने के कारण उस की प्राप्ति हेतु न्यायालय की शरण में जाने के अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है। अतः इस कानून को भूतलक्षी प्रभाव देने का प्रयास निस्संदेह अनुचित है।

मैं इस सम्बन्ध में जिनसे संशोधन प्रस्तुत हुए हैं। उन सब का विरोध करता हूँ। यहाँ एक सामूहिक स्वर सुनाई पड़ रहा है कि सारे के सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। हम इस अभियान का विरोध इसलिये करते है कि हमारा विश्वास है राष्ट्रीयकरण इस देश के लिये लाभकारी नहीं है। बैंक भारत का है या विदेश का है। किसी भी बैंक का राष्ट्रीयकरण हम नहीं चाहते हैं, विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों के उद्देश्य से हमारा कोई संबंध नहीं है। जब चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण कर दिये जाने के बाद अब एक संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है कि चार अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, नहीं तो सरकार की तरफ से घोर पक्षपात होगा हम चाहते हैं कि जमाकर्त्ताओं और बैंक चलाने वालों को पूर्ण स्वतंत्रता हो। आशा की बात है कि सरकार का पूर्ण एकाधिकार स्थापित नहीं हुआ। अतः नागरिक उस हद तक अपनी स्वेच्छा से किसी भी बैंक में अपनी धन राशि जमा कर सकता है। मगर हम पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं।

प्रस्तावित संशोधन इस स्वतंत्रता पर आघात करेगा। चूंकि हम निर्बाध प्रतियोगिता एवं किसी भी बैंक को चुनने की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। अतः मेरा दल इस संशोधन का विरोध करता है तथा इस के विरुद्ध मतदान करेगा।

श्री कुन्दू : महोदय मैंने खंड दो पर संशोधन संख्या 165, 166, 202, 203, 204 और 205 प्रस्तुत की है। इन सारे संशोधनों में आम तौर पर तीन-चार महत्वपूर्ण मुद्दे है। पहला, यह संशोधन बैंककारी कम्पनी अधिनियम को दी हुई परिभाषा में विस्तार करता है जिससे विदेशी बैंक में भी इस के अन्दर आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि, इस संशोधन द्वारा अब "वर्तमान बैंक" के जमापूंजी की सीमा जो 50 करोड़ रुपये है। उसे 1 करोड़ कर देने का सुझाव किया गया है।

संशोधनों में सब से महत्वपूर्ण बात बैंकों को अधिकार में लेने की तिथि संबंधी है। मन्त्री महोदय ने वचन दिया था कि जब अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, तब उस तिथि में उदारता बरती जाएगी। मेरा सुझाव है कि जब कभी अन्य बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाएगा अधिकार में लेने की तिथि वही होनी चाहिए जिस तिथि को राष्ट्रीयकरण हुआ था। यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है।

सब से महत्वपूर्ण मुद्दा जान बूझकर किये गए भेदभाव के सिद्धान्त से संबंधित है। बैंककारी कम्पनी की परिभाषा में उचित परिवर्तन न लाया गया तो, मुझे भय है कि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी अवैध घोषित कर दिया जाएगा। उन की दलील यह रही है कि जब कि कथित बैंकों को छोड़कर अन्य देशों एवं विदेशी बैंकों को बैंकिंग कार्य चलाने की अनुमति दी गयी, तो यह जानबूझकर किया गया भेदभाव ही है। मान लीजिये। यदि आप उन विदेशी बैंकों को व्यापार तथा वाणिज्यिक कार्य करने की अनुमति दें जिनकी कुछ जमापूंजी 50 करोड़ रुपये से अधिक है। अवश्य ही उच्चतम न्यायालय इस विधेयक को भी अवैध घोषित करेगा।

अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लें। यदि सरकार केवल 14 बैंकों का ही राष्ट्रीयकरण करती है तो वह सब को तबाह करने और यहां तक कि श्री गोबिन्द मेनन को भी तबाह करने का प्रयत्न कर रही है। अतः मेरा मत है कि सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। आशा है कि मेरे सारे संशोधन स्वीकार किये जायेंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : यह स्वाभाविक है कि लोग आर्थिक लाभ की दृष्टि से अपना धन भारतीय बैंकों में जमा कराने की अपेक्षा विदेशी बैंकों में जमा करवाएगें। उन्हें इस बात से रोका नहीं जा सकता। विदेशी बैंकों में जमा धन-राशि का अधिकांश भाग विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है।

रुपयों में भुगतान सम्बन्धी खाते के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि जो देश भारत में रुपयों द्वारा भुगतान करना चाहते हैं उन्हें दूतावास आदि के लिए रुपया भुगतान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से आज्ञा लेनी पड़ती है। रूसी विदेशी व्यापार बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक में एक केन्द्रीय खाता है। इसी बैंक का एक और खाता

भारतीय वाणिज्यिक बैंक में होता है। अतः यह आवश्यक होगा कि राष्ट्रीयकरण न किये गये बैंकों से जानकारी प्राप्त की जाए कि कौन-कौन से देश रुपयों में भुगतान करते हैं और वह धन-राशि कैसे वितरित की जाती है ? रूस के द्विपक्षीय व्यापार से वाणिज्यिक एवं गैर-वाणिज्यिक खातों से हमें समझौता करने में आसानी होती है। मेरा अपना विचार है कि गैर वाणिज्यिक खातों का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। जब तक विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण नहीं कर लिया जाता तब तक भारत के रिजर्व बैंक या संसद को कैसे पता लग सकता है कि देश में रुपयों में भुगतान करने सम्बन्धी खाते में जमा धन का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है।

सरकार का कर्तव्य भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना है। विदेशी हिस्सेदार भारतीय नागरिक के अधिकारों का लाभ उठा रहे हैं। भारतीयों को विदेशियों से कम अधिकार दिए जाते हैं। मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहती हूँ कि 50 करोड़ से ऊपर की धन राशि वाले विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka): My amendments No. 186 to 190 are in two parts on Clause 2. While moving amendment No. 187 I have stated something about nationalisation. It has been stated that foreign banks help us in running trade easily but my submission is this that there are so many countries which have trade relation with other countries but they do not have any bank in their country.

Mr. Morarji Desai, when he was the Deputy Prime Minister and Finance Minister, had expressed his views regarding the enforcement of laws with retrespective effect. I would like to attract the attention of the House towards the difficulties that come in the way of enforcement of these laws with the retrespective effect. I would request the House to accept my amendments.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : संसद सदस्यों ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में द्वेष-पूर्ण भेदभाव की बात कही है। लेकिन उन्हें वर्गीकरण के उन सिद्धान्तों का पता नहीं है जो सरकार ने बनाए हैं। सरकार ने कहा है "हम उन बैंकों के बारे में सोच रहे हैं जिनके पास किसी निर्धारित तिथि को 50 करोड़ जमा रुपये थे। यह नियम विदेशी बैंकों पर लागू नहीं होता।" अतः संविधान को ध्यानपूर्वक देखा जाना चाहिए। संविधान में सबको समान अधिकार दिए गये हैं।

विधि एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : इन संशोधनों में तीन प्रश्न उठाए गये हैं। श्री मसानी जी का प्रश्न यह है कि अध्यादेश से पहले इस अधिनियम को भूतलक्षी प्रभावी नहीं मानना चाहिए। परन्तु अध्यादेश में भी 19 जुलाई 1969 तक भूतलक्षी प्रभावी माना गया है। अतः श्री मसानी द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथन (विशाखापत्तनम) : आन्ध्र बैंक का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया जबकि उसके पास 50 करोड़ से अधिक की धन राशि है ?

श्री गोविन्द मेनन : 19 जुलाई 1969 को आन्ध्र बैंक में जमा-राशि 50 करोड़ से कम थी। 27 फरवरी 1970 को इस बैंक में जमा धन-राशि 48.6 करोड़ थी। सरकार ने 50 करोड़ से कम एवं ऊपर वाले बैंकों को दो श्रेणियों में रखा है। ये इन सिद्धान्तों को संविधान एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा भी मान्यता दी गयी है।

मेरे पास निर्यात से सम्बन्धित बैंक ऋणों के बारे में आंकड़े हैं। 19 जुलाई 1969 को भारत के विदेशी बैंकों ने निर्यात के लिए 66.65 करोड़ रुपये, भारत के स्टेट बैंक ने 76.93 करोड़ रुपये तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 126.51 करोड़ रुपये दिए। इससे पता चलता है कि विदेशी बैंक भारत को विदेशी व्यापार के लिए कितनी सहायता दे रहे हैं।

हम विदेशी बैंकों से होने वाले लाभ को बनाये रखना चाहते हैं। हम दूसरे देशों से पारस्परिक लेन देन भी रखना चाहते हैं। इसी कारण हमने विदेशी बैंकों का राष्ट्रीकरण नहीं किया। यदि आप इसे किसी भय आदि के कारण बताते हैं तब इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है।

जो व्यक्ति इस वर्गीकरण की आलोचना करते हैं उन्हें इसके अनुचित होने के प्रमाण देने होंगे। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णय में कहा है कि हमारे समक्ष कोई ऐसी सामग्री नहीं है जिसके आधार पर निष्कर्ष पर पहुँचा जाए कि जो वर्गीकरण किया गया है वह उचित नहीं है। इन सभी कारणों से मैं सभी संशोधनों के विरुद्ध हूँ और माननीय सदस्यों से इन संशोधनों को वापस लेने के लिये निवेदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या, 3,4,15,16,17, और 18 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

The amendments No. 1,3,4,15,16,17 and 18 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 27 मतदान के लिए रखा गया लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

Amendment No. 27 was put for the vote of the House

The Lok Sabha divided

पक्ष में (16) 46	विपक्ष में 151
Ayes (16) 46	Noes 151

संशोधन अस्वीकृत हुआ

The amendment was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 89 और 90 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 89 and 90 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 125 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 125 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 130 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No 130 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 165 और 166 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendments Nos. 165 and 166 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 188, 189 और 190 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 188, 189 and 190 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 202, 203, 204 और 205 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendments Nos. 202, 203, 204 and 205 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 225 मतदान के लिये रखे गये ।

Amendment No. 225 was put negatived.

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 41 विपक्ष में 152

Ayes 41 Noes 152

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

The amendment were negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3

Clause 3

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं अपना संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं अपने संशोधन संख्या 148 और 149 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स० कुन्डू (बालासौर) : मैं अपने संशोधन संख्या 167 तथा 206 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं अपने संशोधन संख्या 191 तथा 192 प्रस्तुत करता हूँ ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move amendments No. 5 and 6 and request hon. Minister to adopt the same. Today the people are of view that as the economic power is concentrated in the Government, it will be utilized for political purposes There

are two ways direct and indirect to achieve this goal. These banks may advance loans direct to the party in power to the supporters of the Government like Birla, Mafatla Group, Modi etc.

[श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए। **Shri Shrichand Goyal** *in the Chair.*]

I hope my amendment will be accepted.

Shri K. L. Gupta (Delhi Sadar) : First of all I support the amendment moved by Shri Madhu Limaye and then request the Government to assure us that no misappropriation of the money of these banks will be made for the good of their party. These banks should not advance any loan to the person or the organization associated with political parties.

I am aware of loans extended to certain newspapers published from Delhi. I will request hon Minister to provide us with such details at the commencement or every session to enable us to assess the properiety of loans and securities. So for as question of the amendment moved by me is concerned, I have already asked to nationalize all foreign banks.

Shri Rabi Ray : I support the amendment moved by Shri Madhu Limaye and request the hon. Minister to assure the house as regards its adoption is concerned.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहिले भी कई लाख रुपये कांग्रेस पार्टी ने रिजर्व बैंक से लिये थे, जिसका अकाट्य प्रमाण मेरे पास है। इससे ज्ञात होता है कि राष्ट्रीयकरण से पहले भी जनता के धन का किस प्रकार दुरुपयोग किया जाता रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण अपनी पार्टी के राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है। मेरा आरोप यह है कि कांग्रेस ने धन लिया जिसे अदा नहीं किया जा रहा है और किसी न किसी दिन इसे बट्टे खाते डाल दिया जाएगा। यदि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से इसी प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करनी है तब आप जनता को क्यों धोखा दे रहे हैं। क्या सरकार कांग्रेस पार्टी द्वारा लिये गये इस धन को अदा कराने के लिए तुरन्त कार्यवाही करेगी क्योंकि यह पैसा जनता का है?

दूसरे जमा-कर्ताओं के धन की सुरक्षा के विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है? यदि इस पैसे को राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया गया तो मैं समझता हूं कि जमा-कर्ताओं का धन सुरक्षित नहीं है।

मेरे संशोधन संख्या 148 का उद्देश्य यही है। बैंकों की प्रत्येक इकाई को स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार होना चाहिए। यदि इन सबको मिला दिया गया तो जीवन बीमा निगम की तरह इनमें भी कार्य कुशलता नहीं रह जाएगी। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इन बैंकों की कार्य कुशलता कम हुई है उदाहरणार्थ कलकत्ता स्थित बैंकों के नाम जनवरी में जारी किये गये चैकों का रुपया यहां के बैंकों द्वारा दो माह से भी अधिक समय तक नही मंगाया गया।

सरकार ने इन बैंकों को ऋण तथा प्रतिभूति के सम्बन्ध में जो आदेश दिए हैं उनको सभा पटल पर रखा जाए।

श्री स० कुण्डू : मैंने दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं सरकार दोनों में किसी भी एक को मान ले।

Shri Beni Shankar Sharma : Besides political motives, my amendments relate to the ways of accounting procedure. I have also asked to transfer the profits to Reserve fund instead of it to the accounts of Central Government.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : रुपये लेने के अभियोग के लिए इन्दिरा गांधी तथा उनकी सरकार उत्तरदाई है। टाटा बन्धुओं पर दबाव डाल कर पार्टी के लिए 10 लाख रुपया वसूल किया गया। यह सत्य है कि स्वयं प्रधान मन्त्री ने श्री बिड़ला को टैलीफोन किया, उनपर दबाव डाला गया। परिणामतः 10 लाख रुपया प्राप्त किया गया। मेरे विचारानुसार यूनाइटेड कामर्शियल बैंक से रुपया किसने लिया, इसकी जांच कराई जाए। कांग्रेस अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के नाम जो भी चैक आये उन सभी के रुपये के वितरण प्रधान मन्त्री के द्वारा अपने समर्थकों में कर दिया गया। इस मामले की जांच कराई जाये और जो व्यक्ति दोषी हों उन्हें तथा उनके दोषों को जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये।

श्री गोविन्द मेनन : हम खण्ड 3 के संशोधनों पर चर्चा कर रहे थे, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा किसी अन्य बात की जांच कराना चाहती हैं। श्री मधु लिमये तथा श्री कुण्दू से दो सुझाव प्राप्त हुये हैं कि दूसरे बैंकों को भी अधिसूचना द्वारा अर्जित कर राष्ट्रीयकृत कर दिया जाये।

जो बातें उठाई गई हैं हमें उनको एक-एक करके देखना है। अधिसूचना वाले उपाय उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि यह एक प्रकार से विधायनी शक्ति के कार्य क्षेत्र का कार्यपालिका को हस्तांतरण होगा। हमें किसी भी नए बैंक को अर्जित करते समय उसका मुआवजा आदि भी निश्चित करना होता। अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो दूसरे विधेयक द्वारा ही किया जा सकता है।

राशि निर्धारित करनी पड़ेगा और इसे संसद् द्वारा कार्यपालिका को अधिक अधिकारों का सौंपा जाना समझा जाएगा।

श्री मधु लिमये का दूसरा संशोधन यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राजनीतिक दलों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। यद्यपि ये बैंक राष्ट्रीकृत होंगे किन्तु अन्ततः ऋण वापिस देने में सक्षम लोगों को धन देकर लाभ अर्जित करना है। यदि इन बैंकों को आवश्यक जमानत मिल जाती है तो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ऋण देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बैंकों को लाभ अर्जित करना है और इसके लिए ऋण देना ही पड़ेगा।

संशोधन पर चर्चा करते हुए श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा और श्री कंवर लाल गुप्त ने प्रधान मन्त्री के विरुद्ध कुछ अनर्गल आरोप लगाये हैं जिनका प्रस्तुत विधेयक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया था। मैंने उनकी जांच का सुझाव दिया था।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या आपने कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान न देने के लिए विधेयक का समर्थन नहीं किया था ? आपने इस दल को बहुत शोचनीय स्थिति में ला खड़ा किया।

श्री गोविन्द मेनन : हम लिमिटेड कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान देने की चर्चा नहीं कर रहे । जब कभी भी प्रधान मन्त्री का नाम आता है न जाने क्यों श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा उत्तेजित हो उठती हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्योंकि मैं प्रधान मन्त्री की चाटुकार बनना पसन्द नहीं करती । आप भी अच्छे विधि मन्त्री बने और चाटुकार नहीं । आप संविधान की रक्षा उचित ढंग से करें ।

श्री गोविन्द मेनन : यहां चापलूसी का कोई सवाल नहीं उठता । संशोधन यह कहता है कि ऋण के रूप में राजनैतिक दलों को धन नहीं दिया जाना चाहिए । दान या चन्दा देने का मैं समर्थन नहीं करता ; क्योंकि उसे कानून द्वारा वर्जित कर दिया गया है । ऋण देना दान नहीं है ।

Shri Rabi Ray : How can production increased by giving loans or contribution to Political parties ?

Shri Kanwar Lal Gupta : It has been said that telephone call was made by Prime Minister. Enquiry would be made into this allegation.

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै) : राजनैतिक दलों को बैंकों से किस लिए धन चाहिए ? उन्हें जनता से धन इकट्ठा करना चाहिए ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मन्त्रिमण्डल कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दान देने पर रोक लगाने सम्बन्धी विधेयक से वचनबद्ध है । मन्त्रिमण्डल वचनबद्ध है, लेकिन सदन या संसद् नहीं ।

श्री गोविन्द मेनन : मन्त्रिमण्डल कम्पनियों द्वारा राजनैतिल दलों को दान देने पर विचार कर रहा था । यहां पर तो प्रश्न यह है कि समुचित सुरक्षा होने पर भी राजनैतिक दलों को ऋण क्यों न दिया जाए ?

श्री उमानाथ : क्योंकि, राजनैतिक दलों को जनता से धन-संग्रह करना चाहिए। बैंकों को कृषि, उद्योग और व्यापार के लिए ऋण देना चाहिए, राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनैतिक दलों को नहीं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : राष्ट्रीयकृत बैंक सरकारी संस्था है और उसका उपयोग राजनैतिक दलों द्वारा धन संग्रह के लिए नहीं किया जा सकता ।

श्री कंवर लाल गुप्त : राजनैतिक दल क्या जमानत दे सकते हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : मेरा कथन पूर्णतः निरपेक्ष है । मैं श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा को सलाह दूंगा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम सुनते ही वे उत्तेजित न हुआ करें ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : राष्ट्रीयकृत बैंक सरकारी संस्थाएं हैं और वे राजनैतिक

दलों के साथ भेदभाव नहीं बरत सकतीं। देश की राजनैतिक गतिविधियों में इनका उपयोग करना अनुचित है। राजनैतिक दलों को दान देने पर रोक लगाने सम्बन्धी विधेयक इस सदन ने पास किया, तो मन्त्रि मण्डल के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसे किया।

श्री गोविन्द मेनन : यह एक परोक्ष प्रश्न है। श्रीमती सिन्हा ने राजनैतिक दलों को दान देने की चर्चा की है, परन्तु खण्ड 3 का दान देने से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रबन्धक-मण्डल का यह कर्त्तव्य है कि अगर उन्हें अच्छे लाभ की आशा हो, तो वे ऋण अवश्य दें। इसलिए मैं संशोधन से सहमत नहीं हूं।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister had supported the nationalisation of banks, so that funds of banks could be utilised for boosting the production, Does advancing of loans come within the functions and purposes for which banks were nationalised.

श्री गोविन्द मेनन : बैंक को बैंकिंग व्यापार करना चाहिए और ऋण देना भी बैंकिंग व्यापार के अन्तर्गत आता है। ऋण पर उचित ब्याज भी मिलता है। मैं संशोधन से सहमत नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी ने बहस का जवाब दे दिया है।

श्री स० मो० बैनर्जी (कानपुर) : आपने देखा कि उन्होंने किस गलत ढंग से जवाब दिया। श्रीमती सिन्हा ने कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किये कि राष्ट्रीयकरण के बाद कुछ बैंकों ने राजनैतिक दलों को ऋण दिया।

श्री गोविन्द मेनन : ऐसा राष्ट्रीयकरण से पहले किया गया या बाद में ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : राष्ट्रीयकरण से पहले।

श्री स० मो० बैनर्जी : राजनैतिक दलों को दान देने पर रोक लगाने सम्बन्धी विधेयक इस सदन में पास होने के पश्चात्, इन बैंकों ने राजनैतिक दलों को ऋण दिये। संशोधन संख्या 5 कहता है कि :

> "जमानत या बिना जमानत के राजनैतिक दलों, संगठनों और व्यक्तियों को राजनैतिक उद्देश्यों के लिए ऋण नहीं दिये जाएंगे। (उदाहरणार्थ : इस पुस्तक के अन्तर्गत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, शासक कांग्रेस और विरोधी कांग्रेस को ऋण देना भी शामिल है।)"

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया।

Amendment No. 5 was put and negatived.

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 42 विपक्ष में 119।

Ayes 42 Nos. 119.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6, 19, 148, 149, 167, 206, 191 और 192 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 6, 19, 148, 149, 167, 206, 191 and 192 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बना ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं अपना संशोधन संख्या 150 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स० कुण्डू : मैं अपना संशोधन संख्या 207 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नम्बियार : मैं अपना संशोधन संख्या 230 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मेरे संशोधन के अनुसार, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय बैंकिंग बोर्ड का गठन करे, जो नई बैंकों के कार्यों और प्रबन्ध का संचालन, समन्वय और नियन्त्रण करे । इन बैंकों का कार्य व्यावसायिक बैंकरों को सौंपने की बजाए, रिजर्व बैंक और बैंकिंग सचिव ही नये बैंकों का नियंत्रण कर रहे हैं और आदेश जारी कर रहे हैं और इन आदेशों से भी बैंकों की कार्य-क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है और जिस उद्देश्य के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसकी पूर्ति नहीं हुई । अत: केन्द्रीय बैंकिंग बोर्ड की शीघ्र स्थापना की जाये ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं अपना संशोधन संख्या 230 प्रस्तुत करता हूँ ।

उच्चतम न्यायालय के निर्माण के पश्चात् सरकार राष्ट्रीकरण अधिनियम के उपबन्धों को निष्क्रिय करने की ओर उन्मुख है, जिससे कि पूंजीपति पुनः उच्चतम न्यायालय न जायें । उच्चतम न्यायालय एक डेमोक्लीज की तलवार की तरह है जो संसद् के सिर पर लटक रही है ।

मैं संविधान में संशोधन का एक विधेयक तैयार कर रहा हूँ जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 65 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष होनी चाहिए । उच्चतम न्यायालय के मुद्दीयर न्यायाधीश प्रभुसत्तासम्पन्न नहीं है ; हम, जनता के प्रतिनिधि प्रभुसत्तासम्पन्न हैं ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : सदस्य महोदय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं । उच्चतम न्ययालय संविधान का एक अंग है । उनके कथन को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए ।

श्री नम्बियार : संविधान को संशोधन करने का हमें अधिकार है । लोगों की भावनाओं

और आकांक्षाओं के अनुसार उसमें संशोधन होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के मुट्ठी भर न्यायाधीशों के दवाब में न आकर, साहसिक कदम उठाये जाने चाहिएं।

श्री गोविंद मेनन : खण्ड 4 में प्रयुक्त "अण्डरटेकिंग" शब्द में बैंक की सभी गतिविधियां निहित हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी इसे इसी प्रकार समझा है। वर्तमान बैंकों की सारी गतिविधियां समवर्ती सांविधिक निगम को अन्तरिक कर दी जायेगी। मुआवजा लेने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं रहेगा। अत: इस संशोधन की जरूरत ही नहीं है।

श्री कोठारी चाहते हैं कि केन्द्रीय बैंकिंग बोर्ड गठित हो। सार्वजनिक हित से सम्बद्ध नीति के बारे में निदेश केन्द्रीय बैंक द्वारा दिये जायेंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य-संचालन के बारे में हम एक योजना सदन के सम्मुख ला रहे हैं, हम इस समय इसे ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 150, 207 और 230 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 150, 207 and 230 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 added to the Bill.

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मैं अपना संशोधन संख्या 131 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह संशोधन इन बैंकों में धनराशि जमा करने वाले व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा के के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

बैंक चाहे सरकारी क्षेत्र में हों अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में, उनका प्रबन्ध एक व्यक्ति के हाथ में हो अथवा व्यक्तियों के एक समूह के हाथ में, किन्तु उनको अपने यहां जमा राशि पर ही निर्भर रहना चाहिए।

केवल 80 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में देकर 4,000 करोड़ रुपये की राशि पर, जिस का संचय कुशल प्रबन्ध के बाद किया गया, अब सरकार का अधिकार होगा। उनका प्रबन्ध स्वीकृत बैंकिंग सिद्धान्तों के अधीन होना था और उसमें वे पूरी सावधानी बरतते थे, पर अब स्थिति पूर्णत: भिन्न है।

राष्ट्रीयकरण के बाद अब उनकी स्थिति भी वही होने वाली है जो सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की है। उनमें से अधिकतर घाटे पर चल रहे हैं तथा इस सबका कारण है इनके प्रबंधकों का उन्हें अपना कोई हित नहीं होना है। इन बैंकों का प्रबन्ध भी ऐसे ही लोगों के हाथों में रहेगा। तथा अब उनका प्रबन्ध स्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर न होकर सरकार के अपने मन-माने ढंग से होगा।

जब बैंकों का भविष्य इतना अनिश्चित है तो सरकार को चाहिए कि वह रुपया जमा करने वालों को इस बात का पक्का आश्वासन दे कि उन्हें उनका जमा किया गया पूरा रुपया दिया जायेगा। जब यह आश्वासन होगा तभी बैंकों के राष्ट्रीयकरण को कानूनी माना जायेगा अन्यथा इसे जबर्दस्ती छीना गया माना जायेगा।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालौर) : जैसा कि श्री इमाम साहब ने अभी कहा कि जमा करने वालों को बैंक के फेल होने अथवा उन्हें हानि होने की स्थिति में, उनका रुपया मिलने की गारन्टी होनी चाहिए इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि इस गारन्टी से दोहरा लाभ होगा। पहला तो यह कि इसमें रुपया जमा करने वालों को अपना रुपया इन बैंकों में जमा करने के लिए बढ़ावा मिलेगा। जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से इसी अनिश्चितता के कारण जमा करने वालों की संख्या में कमी हुई है, उसका कारण इस गारन्टी का न होना ही है। अतः इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

श्री स० मो० बैनर्जी (कानपुर) : इस नए खण्ड का मिलाया जाना एक बड़ी विचित्र बात है। इसके सम्बन्ध में मैं आपका निर्णय चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दे चुका हूँ।

श्री गोविन्द मेनन : खण्ड 4-ए को विधेयक में जोड़ने वाले संशोधन और जमा करने वालों के धन को राजनीतिक दलों, राजनीतिक कार्यों आदि के लिए दिए जाने के सम्बन्ध में हुई चर्चा को मैंने सही अर्थों में लिया है। ऐसा कहा गया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद जमा करने वाले अपना रुपया इन बैंकों में जमा करवाना बन्द कर देंगे पर हम देखते हैं कि पिछले छः महीनों में जमा की गई राशि में कई करोड़ की वृद्धि हुई है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से तथा इससे पहले स्टेट बैंक आदि के सरकारी क्षेत्र में आने से लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है।

जहां तक जमा करने वालों के रुपयों के सुरक्षित रहने प्रश्न है अब 5,000 रुपए तक की राशि जमा बीमा योजना के अन्तर्गत आ जानी हैं। इसकी सीमा को 10,000 रुपये तक बढ़ाने की बात कही गई है। पर इस सम्बन्ध में मेरे सम्मुख एक दिक्कत यह है कि जब स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंक हैं जिनमें यह गारन्टी नहीं है तब इन 14 बैंकों के सम्बन्ध में ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। आप इस बात से आश्वस्त रहें तथा सरकार भी यह चाहती है कि जमा करने वालों का रुपया पूरी तरह सुरक्षित हो।

राजनीतिक दलों को रूप न देने के सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है कि रिजव बैंक द्वारा और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत जो प्रतिबन्ध लगाए गये हैं उनसे अधिक प्रतिबन्ध लगाने के पक्ष में मैं नहीं हूँ।

अतः इन परिस्थितियों में मैं माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसी कोई बात न कहें जिससे इन बैंकों के सम्बन्ध में जनता के मन में सन्देह पैदा हो। मैं उनसे संशोधन वापस लेने की प्रार्थना करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 131 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 131 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : पहली अनुसूची का सम्बन्ध 2,3 और 4 खण्ड से है और वह पारित कर दिया गया है। अतः मैं इसे मतदान के लिए रख रहा हूं। प्रश्न यह है कि :

"प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दिया गया।

The first schedule was added to the bill

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मो० रू० मसानी : मैं अपना संशोधन संख्या 132 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 156, और 157 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री प० गोपालन : मैं अपना संशोधन संख्या 180 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स० कुण्डू : मैं अपने संशोधन संख्या 208, से 211 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Shiv Chandra Jha : At the end of clause 5 sub-clause (6) following may be added :

"Until the matter is taken up with that country and immediately resolved by mutual negotiation."

The difficulties coming in the way of nationalising other banks may be resolved by mutual negotiations with the countries concerned.

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक का खंड 5 (1) जो प्रत्येक वर्तमान बैंकों का प्रबंध लेने के सम्बन्ध में है और जिससे बैंकों की चल एवं अचल संपत्ति, परिसंपन उन के विशेषाधिकार, प्राधिकार, शक्तियां रोकड, रिजर्व निधि आदि सब सम्मिलित हैं। मैं चाहता हूं कि बैंकों की गुप्त धन राशि भी इन पदों में सम्मिलित की जाय। यह सर्व विदित है कि इन 14 बैंकों में यह गुप्त धन राशि थी। परन्तु जब मैंने वित्त मन्त्री से प्रश्न किया कि क्या रिजर्व बैंक ने उक्त धन की वसूली के लिये कोई निदेश जारी किया है, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने पहले निर्णय में बताया था कि इन में से सारे बेकों में गुप्त धनराशि है। आज मैंने विधि मन्त्री से सुना कि क्षतिपूर्ति की गणना में उक्त गुप्त धनराशि को भी ध्यान में रखा गया था। मैं विधि मन्त्री से यह जानना चाहता हूँ कि इन गुप्त धनराशियों को वसूली की गयी है या नहीं।

एक किंवदन्ती फैली है कि इन बैंकों के भूतपूर्व स्वामियों ने वर्तमान अभिरक्षकों से मिलकर गुप्त धनराशि को अपने हाथ में लिया है। अतः मैं इस संशोधन को प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि उक्त गुप्त धनराशि सरकार के हाथों में आ जाय। आशा है कि मन्त्री महोदय मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मो० रू० मसानी (राजकोट) : महोदय, मैं अपना संशोधन संख्या 132 प्रस्तुत करता हूँ जिससे मैने यह बताया है, "जहां कोई वर्तमान बैंक किसी संपदा या अन्य संपत्ति का न्यासधारी या निष्पादक नियुक्त किया गया हो, तो वह आगे भी वह कार्य करने का हकदार रहेगा, चाहे अधिनियम में अन्यथा भी लिखा गया हो।" आप शायद जानते होंगे कि कई लोग अपनी इच्छानुसार बैंकों को अपनी संख्या के न्यासधारी या निष्पादक नियुक्त करते हैं। ऐसा करने से उनकी इच्छा यही होती है कि अपनी संम्पदा की देख भाल उस खास बैंक द्वारा या निदेशक बोर्ड द्वारा की जाय जिस को यह कार्य सौंप दिया गया है। उन्होंने यह कभी नहीं चाहा था कि उन की सप्पदा का कार्य सप्पादन राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किया जाय। मुझे इसका कारण मालूम नहीं होता कि सरकार राष्ट्रीयकरण को इस न्यायाधीश पद पर भी लागू करती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय विधि मन्त्री, एक विधिवित एवं अनुभवी व्यक्ति होने के नाते इस को सरकारी हस्तक्षेप से बचायेंगे और इन बैंकों को पुराने न्यासधारी या कार्यनिष्पादेक का कार्य करते रहने देंगे।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : विधेयक के इस खंड के अन्तर्गत, विदेशों में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों के शासन के लिये नियुक्त अधिकारियों को अलग अधिकार दिये जा रहे हैं। यह आवश्यक है क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपने नये अभिरक्षकों सहित उन देशों में मान्यता नहीं मिली है। हम एक विशेष निकाय की सृष्टि कर रहे हैं जो राष्ट्रीयकृत नहीं है, जो पुराने बैंकों का प्रतिनिधित्व करना है। अतः मेरा सुझाव है कि इस अधिकार को प्रबंध का भी अधिकार प्रदान किया जाना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार करें क्योंकि इसके द्वारा अधिनियम में बनी एक खाई पट जायगी।

श्री गोविन्द मेनन : सबसे पहले मैं श्री गोपालन द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर विचार करूंगा। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद गुप्त धनराशि वर्तमान बैंकों में नहीं है।

श्री दंडपाणि : स्टेट बैंक में तक यह गुप्त धनराशि वर्तमान है।

श्री गोविन्द मेनन : यह गुप्त निधि नहीं है, गुप्त रिजर्व है। बैंक के तलपट या लाभ और हानि के लेखा में गुप्त रिजर्व जैसी कोई मद नहीं है। वास्तव में अगर गुप्त रिजर्व है तो वह भी अधिनियम के खंड 5 के अन्तर्गत आ जाता है। यह एक पारिभाषिक शब्द है। कभी-कभी परिसप्पनों का अधोमूल्यन किया जाता है और अग्रिय धनराशि का अतिमूल्यन हो जाता है, ऐसे समय में एक प्रकार का गुप्त रिजर्व धन संचित होता है। मगर यह कोई ऐसी पूर्त वस्तु नहीं है जो एक स्थान से दूसरे में ले जायी जा सकती है। वर्तमान बैंक की जो भी संपत्ति हो, वह पूर्ण रूप से नये परिनियन निगम में स्थानांतरित होती है। अतः छः प्रकार के संशोधन की आवश्यकता मालूम नहीं होती।

श्री प० गोपालन : मंत्री महोदय ने कहा था कि जब क्षतिपूर्ति निश्चित की गयी थी, उस समय इस गुप्त रिजर्व धन को भी ध्यान में रखा गया था। अब वे यह कैसे बता सकते हैं कि गुप्त रिजर्व जैसी धनराशि नहीं हैं।

श्री गोविंद मेनन : मैं ने यह नहीं कहा कि गुप्त रिजर्व धन जैसी कोई वस्तु नहीं है।

मैंने इस को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया । गुप्त रिजर्व धन से यह मतलब नहीं है कि आपको बैंक में कहीं गुप्त रूप से 10 करोड़ रुपये मिले हैं। सारा उपक्रम सरकार ने ले लिया है । वर्तमान बैंक में कुछ भी नहीं रखा गया है । क्षतिपूर्ति के रूप में दूसरी अनुसूची में जो व्यवस्था की गयी है, वर्तमान बैंकों को उस से अधिक कुछ नहीं मिलेगा । श्री मसानी के संशोधन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस खंड में समूचे उपक्रम को ले लिया गया है और उसका मूल्य निर्धारित कर दिया गया है । यदि विधेयक को अन्तिम रूप दे दिया जाता है, तो वह कानून बन जाता है । यह वर्तमान बैंक समिति दायित्व वाली कम्पनी का रूप धारण कर लेंगे साथ ही नए संवैधानिक निगमों की भी व्यवस्था की जाएगी । यह निगम दो व्यक्तियों की तरह किसी भी मामले पर बातचीत करके समझौता कर सकता है । मैं उस संशोधन को इस विधेयक में प्रस्तुत नहीं कर सकता श्री लोबो प्रभु के संशोधन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि उन्हें कुछ भ्रम है । बैंक के मुख्य कार्यपाल के अधिकारी को बैंक का अभिरक्षक बनाया गया है । ऐसी व्यवस्था उस समय तक के लिए की गई है जब तक सरकार द्वारा निदेशक बोर्ड की नियुक्ति नहीं कर देती । हम ऐसी योजना संसद के समक्ष रखेंगे । विधेयक में कोई त्रुटि नहीं है अतः श्री लोबो प्रभु को अपने संशोधन पर जोर नहीं देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 5 पर संशोधनों को मतदान के लिये रखता हूँ । संख्या 28, 132, 156, 157, 180, 208 से 211

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The Amendments were put and negatived No. 28, 132, 156, 157, 180, 208 to 211

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added in the bill

खण्ड 6

श्री शिव चरण झा (मधुबनी) : मैं अपने संशोधन संख्या 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दण्डपाणि (धारापुरम) : मैं अपने संशोधन संख्या ~~94, 95~~ 92, 93 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 94, 95 प्रस्तुत करना हूँ ।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : मैं अपने संशोधन संख्या 133, 134, 135 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं अपने संशोधन संख्या 151, 152 तथा 153 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० कुण्डु (बालासौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 168 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं अपना संशोधन संख्या 212 प्रस्तुत करता हूं। (९३

श्री स० कुन्डू (बालासौर) : मैं अपने संशोधन संख्या 212, 213, 214, 215, 216 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : मैं अपने संशोधन संख्या 232, 233, 235 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : The clause is about compensation. We want that it should be removed and no compensation should be paid.

Government wants to present that public money to Bankers. It is a cruelity. Mr. Masani repeatedly quotes Mahatma Gandhi. But he forgets that Gandhiji never wanted to pay to Paul after robling Peter. Had Gandhiji been there, he would have opposed this act of Government. A huge sum is being presented to Bankers.

Now, I would like to say something about my amendments.

It has been stated in sub-clause (2) that the amount of compensation will be given according to the option of the banks. It indicate that Government is yielding to Bankers. My amendment No. 29 is that the word "at its option" should be replaced by "according to the convenience" of the Government so that Government may give the compensation according to its convenience.

The rate of interest as per sub-clause 2(A) is 4 per cent and I propose that it should be 1/4 percent and for that purpose I have moved my amendment No. 30.

It has been stated in sub-clause 2(b)(1) that stock certificates will be issused, after 10 years of the enactment of this act. My amendment 31 is that 10 years time should be changed to 100 years. Accordingly my amendment No. 32 is that rate of interest should be 1/4 percent instead of 4½ percent. Amendment No. 33 is that there time limit should be relaxed to 125 years instead of 30 years. Provision has been made that first instalment or security will be paid within 60 days. I propose vide my amendment No. 35 that this time limit should be 364 days so that Government can get one years relaxation.

I think that this compensation is useless, unjustified, misuse of public money, and against the principles of Gandhiji and Socialism. This compensation should not be paid to Bankers but if at all Government is forced to pay its, it should be paid accordingly to rates and conditions suggested by me.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It is suggested that there is vast difference in the figures of second schedule. I propose that only Rs. 1 crore and 70 lakhs should be paid instead of Rs 17 crores 50 lakhs. These people have been doing all these reactionary jobs in the garb of Supreme Court Judgements. I feel that our constitution requires some basic changes. For instance the fundamental rights of part third of the constitution, were never accepted by our party. We are opposing these rights since 1949 because certain important rights have not been included in them. Now it is the right time for the appointment of Constitution Council.

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन संख्या 7 और 14 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपने संशोधन संख्या 51, 52 और 53 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री रवि राय (पुरी) : मैं अपना संशोधन संख्या 111 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स० कुण्डू (बेल्लौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 172 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 92, 93, 94 और 95 प्रस्तुत कर दिये हैं । इसके साथ-साथ मैं श्री शिव चन्द्र झा द्वारा मुआवजे के बारे में प्रस्तुत कुछ संशोधन का भी समर्थन करता हूँ । श्री मसानी ने गांधी जी के कुछ उदाहरण दिये हैं । मैं समझता हूं कि यदि गांधी जी जीवित होते तो वह श्री मसानी से मिलना पसंद न करते ।

मेरा कहना है कि मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए । यदि मुआवजा दिया ही जाता है तो उस सम्बन्ध में संशोधन संख्या 94 एवं 95 स्वीकार किये जाने चाहिए । यदि जनता को राजकोष को हानि पहुँचाकर करोड़ों रुपयों का मुआवजा दिया जाता है तो यह न्याय संगत मुआवजा नहीं कहा जा सकता । बैंक वर्षों से लोगों के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं । उन्हें साख पर पैसा मिल जाता है परन्तु निर्धन लोगों को इससे हानि होती है । अतः दिये जाने मुआवजे की राशि न्याय संगत होनी चाहिए ।

सम्पत्ति का अधिकार होना तो चाहिए पर टाटा जैसे धनवानों के लिए नहीं । एक तरफ कहा जाता है कि जमींदारी समाप्त हो गई है और दूसरी ओर टाटा सबसे बड़े जमींदार है । सम्पत्ति का अधिकार उन लोगों को नहीं होना चाहिए जो जनता का शोषण करते हैं । इसलिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए और मेरे संशोधन स्वीकार लिए आने चाहिए ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I want to speak on my amendments No. 51 52 and 53. Mahatma Gandhi used to accept even one paisa. Therefore I would like to say that these banks should accept nominal amount in the form of compensation

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : It has been stated by the Supreme Court that according to our Constitution sufficient compensation should be paid. But I would like to say that no such contains in our Constitution. In the Constitution of America there is a mention regarding payment of sufficient compensation but it had not been accepted in our Constitution so that the rate of compensation may be changed.

Taking over Imperial Bank Government had purchased its shares. These shares were of Rs. 12 crores but the Government paid Rs. 28 crores for them at that time. But now Government is paying Rs. 87 crores to these Nationalised Banks. I suggest that the same procedure should be adopted in the matter of taking over these fourteen Banks also and in this way Government shall have to spend Rs. 47 crores olny thus resulting in the saving of Rs. 40 crores to the exchequers.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मेरा संशोधन दूसरी अनुसूची में दिये गए मुआवजे के सम्बन्ध में खंड के बारे में है । दूसरी अनुसूची में मुआवजे की राशि लगभग 87 करोड़ दी गई है परन्तु मैंने जो संशोधन रखा है, उसके अनुसार यह राशि लगभग 8 लाख है । इससे पर्याप्त धन-राशि की बचत हो सकती है । मेरा संशोधन स्वीकार क्यों नहीं किया जाता ? एक बार जब मुआवजे की राशि नियत हो चुकी थी तो न्यायाधीशों को समझना चाहिए कि किस आधार पर मुआवजे की राशि नियत की गई थी । मैं जानना चाहता हूं कि राजकोष को 86.92 करोड़ रुपये की हानि क्यों पहुंचायी जा रही है ? माननीय विधि-मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि सरकार के विधि सलाहकारों ने पिछले अध्यादेश एवं विधेयक प्रस्तुत करते समय जनवरी 1969 को हुए उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखा । उन्होंने सोचा कि जो पिछले नियम बनाए गए

थे वे संगत नहीं थे। अतः प्रस्तुत विधेयक में मुआवजे की राशि नियत कर दी गई है। एक बार 'जब राशि नियत कर दी जाती है तो उसमें न्यायिक पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं होती।' यह पंक्ति संविधान के चौथे संशोधन में स्वीकृत की गई है।

संविधान के अनुच्छेद 3 (2) के बाद के अंश में लिखा है कि किसी भी ऐसे नियम पर न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि विधि अनुसार नियत किये गये मुआवजे की राशि पर्याप्त नहीं है। इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय से असहमति प्रकट करता हूँ और यही बात मैंने अपने संशोधन में कही है। न्यायाधीश देश की आवश्यकताओं से अनभिज्ञ हैं। जब चौथा संशोधन स्वीकार किया गया था। तो यह अश्वासन दिया गया गया था कि मुआवजे की मात्रा पर कहीं भी आपत्ति नहीं की जा सकती। अगर इस विषय पर निर्णय नहीं किया जाता तो सरकार पर करोड़ों रुपये के मुआवजे की धन-राशि का बोझ पड़ जाएगा। अतः इस विषय पर उच्चतम न्यायालय की राय भी जान लेनी चाहिए। अतः मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाए।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : मेरे तीन संशोधन संख्या 133 से 135 तक प्रतिकर पर ब्याज के भुगतान के बारे में है। उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने तीन प्रकार से मुआवजा देने की व्यवस्था की है—नकद मुआवजा तीन किश्तों में ; ऋण-पत्रों के रूप में जिनकी अदायगी 10 वर्ष के पश्चात और 30 वर्ष के पश्चात की जायगी। बैंकों के हिस्सेदारों को जो मुआवजा किश्तों के रूप में अथवा ऋण-पत्रों के रूप में दिया जायेगा उसका ब्याज भी पर्याप्त नहीं दिया जायेगा। अतः सरकार को चाहिए कि वह बैंकों के हिस्सेदारों को मुआवजा नकद और तुरन्त दे। सरकार ब्याज की शर्तों का तभी आदेश देती है जब हिस्सेदार नकद मुआवजा लेने से इन्कार कर देते हैं। परन्तु जब सरकार हिस्सेदारों को मुआवजा किश्तों में स्वीकार करने के लिए आदेश देने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना चाहती है तो ब्याज की इतनी कम दर का निर्धारण करने में कोई औचित्य नहीं है। अतः नकद किश्तों के लिए ब्याज 6 प्रतिशत के हिसाब से देना चाहिए और दूसरे मामलों में ब्याज की दर क्रमशः $6\frac{1}{2}$ और 7 प्रतिशत होनी चाहिए।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : कुछ माननीय सदस्यों ने नाम-मात्र मुआवजा देने के बारे में जोर दिया है। उनको यह पता नहीं है कि इन बैंकों में अनेक मध्यवर्ग के व्यक्ति हिस्सेदार है जिन्होंने अपने गाढ़े पसीने की कमाई का धन लगाया हुआ है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया है कि एक पैसे का मुआवजा दिया जाए तो ये गरीब लोग तो बरबाद हो जायेंगे। इन चौदह बैंकों के विषय में सरकार सही लेखा-जोखा सभा पटल पर रखे जिससे कि यह पता लगे कि मुआवजे का निर्धारण किस तरह किया गया है। प्रत्येक हिस्सेदार को यह जानने का अधिकार है कि उसे मुआवजा किस आधार पर दिया जायेगा। विधि मंत्री महोदय ने मुआवजा देने के संबंध में सरकार द्वारा अपनाये गए जो सिद्धान्त हमें बतायें हैं उनसे तो यही स्पष्ट होता है कि सरकार ने हिस्सेदारों के साथ उचित न्याय नहीं किया है और उन्हें धोखा दिया है। प्रत्येक बैंक को दिए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण करने वाले सही आकलन को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए और यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो यह सदस्यों के

साथ धोखा और अन्याय होगा, अथवा सरकार यह आश्वासन दे कि यदि कोई बैंक अथवा कोई हिस्सेदार मुआवजे का निर्धारण करने वाले आधार को जानना चाहे तो मंत्री महोदय उसे इस सम्बन्ध भी उचित जानकारी देंगें। अत: उच्चतम न्यायालय ने मुख्य मानदण्ड निर्धारित किया है कि मुआवजा सम्बन्धी सिद्धान्त सुसम्बद्ध होने चाहिये, यह एक स्वीकृत सिद्धान्त होना चाहिए कि मुआवजा अर्जित की गई सम्पत्ति के उपयुक्त होगा। यद्यपि सरकार इस पर कोई निर्णय करे और कोई धनराशि भी बताये फिर भी ऐसा करना ठीक नहीं है। मुआवजा देने सम्बन्धी सरकार द्वारा अपनाये गये सिद्धान्तों पर उच्चमत न्यायालय द्वारा निर्धारित-सुसंगति, औचित्य तथा मान्य-सिद्धान्त-इन तीन मान दण्डों को व्यवहार में लाना पड़ेगा। अन्यथा वे बैंक, जिन्होंने नये नियमों के अन्तर्गत कम मुआवजा प्राप्त किया है वे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं जिससे सरकार को कठिनाई एवं परेशानी का सामना करना पड़ जायेगा।

मंत्री महोदय के इस कथन पर कि बैंकों की अपनी कोई साख नहीं है बड़ा आश्चर्य होता है। सरकार को पांच स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त करने चाहिये जो यह बतायें कि बैंकों की अपनी कोई 'साख' है अथवा नहीं। उच्चतम न्यायालय ने भी बैंकों की 'साख' को स्वीकार किया है। सरकार को उनकी 'साख' का भी मुआवजा देना चाहिए।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मुआवजे की विभिन्न श्रेणियों में ब्याज की दर प्रथम तो बैंकों के शेयरों पर होने वाले लाभांश से सम्बद्ध होनी चाहिए और दूसरे यदि मुआवजे की धन राशि तुरन्त अदा की जाये तो इस पर अन्यत्र मिलने वाली ब्याज की दर के अनुरूप होनी चाहिए। मुआवजा एक मुश्त नहीं दिया जाना चाहिए। इसे किश्तों में देना चाहिए। इस पर उतना ही ब्याज देना चाहिए जितना बैंक अपने ऋणों पर लेते हैं और यह ब्याज 9½ प्रतिशत की दर से होना चाहिए अन्यथा विधेयक को दोबारा इसी बात पर रद्द कर दिया जायेगा। अत: सरकार को चाहिए कि वह हिस्सेदार को मुआवजे पर ब्याज चालू दर के हिसाब से दे जोकि उसे देय है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य समय कम लें।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : दूसरी अनुसूचि में प्रस्तावित मुआवजा बहुंत अधिक है। अतः इस अनुसूचि में प्रस्तावित मुआवजों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसमें सेंट्रल बैंक के लिये 17.50 करोड़ रुपये, बैंक आफ इण्डिया के लिये 14.70 करोड़ रुपये आदि-आदि मुआवजा निर्धारित किया गया है। इसका निर्धारण किस आधार पर किया गया है इसके लिए एक सूत्र अथवा प्रक्रिया होनी चाहिए। 19 जुलाई, 1969 को बैंक के शेयरों का कुल बाजार मूल्य दूसरी परिसम्पत्तियों के मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। श्री लोबो प्रभु ने अभी कहा है कि 72 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जायेगा जो बहुत कम है। मैं समझता हूं कि ये मुआवजा बहुत अधिक है। इसको कम किया जाना चाहिये। मेंने इसीलिये संशोधन पेश किया है और आशा है कि इसको स्वीकार कर लिया जायेगा।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : The rate of interest on the compensation should be according to the current Bank rate. But it is essential that every shareholder should receive adequate rate of interest on the compensation Government determine to give.

Some relief in the matter of wealth-tax have been provided in the Finance Bill for these getting devidend upto Rs. 3000 which means these are weaker sections of society and they deserve this Government should bring in amendment for middle class shareholders for whom provision of exemption have been made in the Finance Bill. They should not be ruined

Shri Rabi Ray (Puri) Mr. Deputy-Speaker, Sir, while acquiring or appropriating any property no compensation should be given to the owner, and if they become poor they can be given rehabilitation compensation, but this also should not be given to the big Industrialits or wealth persons when their Industry or State is acquired or repropriated. The amount of compensation should be reduced.

वित्त तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 6 तथा दूसरी अनुसूचि ही इस विधेयक के महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके बारे में हमने विरोधी मत सभ में सुने हैं। जहाँ तक ब्याज की दर का निर्धारण करने का सम्बन्ध है यह दर हमने बेकार में ही निर्धारित नहीं की है। तीस वर्ष की अवधि के लिए ऋण पत्र के लिए हमने 5½ प्रतिशत की दर पर ब्याज की व्यवस्था की है और इस अवधि के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज की बाजार पर यही है। 10 वर्ष के लिए बचत पत्रों पर 4½ प्रतिशत दर से ब्याज की व्यवस्था है जो बाजार दर के अनुसार है।

जहां तक नकद मुआवजा लेने वाले बैंकों का सम्बन्ध है हमने अच्छी प्रकार जानबूझकर बचत बैंक में मुआवजे की राशि रखी है जिस पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा और इस मुआवजे की अदायगी तीन किश्तों में की जायेगी। मेरे विचार में यह कहना अनुचित होगा कि मुआवजे के लिए इस विधेयक में ब्याज की दर की जो व्यवस्था की गई है वह अनुपयुक्त है। मुझे इनमें से कोई भी संशोधन स्वीकार्य नहीं है।

इस विधेयक में दिए गए मुआवजे को घटाने की भी मांग की गई है। सरकार द्वारा यह विधेयक उच्चतम न्यायालय को चुनौती देने के लिए नहीं लाया गया है अपितु, इसे कानूनी रूप देने के लिए लाया गया है जिससे ये बैंककारी उपक्रम सरकारी निगम बन जायें।

अनुच्छेद 31(2) में बताया गया है कि संसद द्वारा निर्धारित मुआवजा वाद्योग्य नहीं है, परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि हम किसी भी प्रकार का मुआवजा निर्धारित कर सकते हैं। मुआवजे का निर्धारण करने के बारे में जिन बातों पर ध्यान दिया गया था उनका संकेत दिया जा चुका है। परन्तु इससे हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन 14 बैंकों में 1,46,000 हिस्सेदार हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि जो मुआवजा दिया जा रहा है वह देश के 6 बड़े एकाधिकार-वादियों के पास जा रहा है, बल्कि यह तो देश के लगभग 1½ लाख हिस्सेदारों के पास जायेगा जो अधिकांशत: मध्यम वर्ग के लोग हैं अत: संसद के जिम्मेदार सदस्यों कि हैसियत से हमारा यह कर्त्तव्य है कि उन्हें जो कुछ मिलेगा उससे उन्हें वंचित न रखा जाये।

इन हिस्सेदारों को इन वर्षों में जितना लाभांश मिलता है उस पर ध्यान देना चाहिए। पिछले 4 या 5 वर्षों में बैंकों में लाभांश, जो अन्य औद्योगिक संस्थाओं से बहुत अधिक नहीं है, हिस्सेदारों को उनके शेयरों, पर 7 से 10 प्रतिशत तक मिलता रहा है। इन सभी बातों पर विचार किया गया है। हमने यह निर्णय दिया है कि हम बीच का रास्ता अपनायें और उपयुक्त एव सन्तुलित व्यवस्था बनाये जिसके अन्तर्गत मुआवजे का भुगतान ठीक प्रकार से किया जाये।

अत खण्ड 6 और दूसरी अनुसूची को स्वीकार किया जाये, जिनके प्रावधानों पर रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय के विशेषज्ञों से परामर्श करने के पश्चात् पूर्ण रूप से विचार किया गया है। माननीय सदस्यों से भी मेरा अनुरोध है कि वे अपने संशोधन वापस लेलों।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 6 के समस्त संशोधनों को लोक सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

संशोधन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

THE AMENDMENTS WERE PUT AND NEGATIVED

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं दूसरी अनुसूची पर सभी संशोधनों के मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

The Second Sehedule was added to the Bill.

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। संसद कार्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह आज की सभा की कार्यवाही को समाप्त करें। इस विधेयक को कल 3 या 4 बजे पारित कर लिया जायेगा और तभी इसे राज्य सभा में भेजा जा सकेगा।

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी कि आज देर तक बैठकर इस विधेयक पर चर्चा समाप्त कर ली जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह से समय नष्ट करने के बजाये हमें सभा की कार्यवाही पर ध्यान देना चाहिये और अब हम खंड 7 पर चर्चा करेंगे।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं अपने संशोधन संख्या 8, 9 और 10 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपने संशोधन संख्या 41, 42 और 43 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं अपना संशोधन संख्या 54 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मो० रू० मसानी : मैं अपने संशोधन संख्या 136, 137, 138, 139 और 140 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं अपना संशोधन संख्या 154 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपने संशोधन संख्या 158 और 159 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री स० कुण्डू : मैं अपना संशोधन संख्या 169 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) : मैं अपना संशोधन संख्या 182 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री स० कुण्डू : मैं अपने संशोधन संख्या 217, 218, 219 और 220 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नम्बियार : मैं अपना संख्या 236 प्रस्तुत करता हूं।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

मेरे संशोधन सादे से संशोधन हैं उनके द्वारा मांग यही है कि बैंक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को निदेशक मंडल में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि पिछले विधान में इनको सम्मिलित करने की अनुमति दी गई थी परन्तु इसकी व्यवस्था अब नहीं की गई है। और इसके लिए खंड 7 में व्यवस्था की जानी चाहिये।

Shri Madhu Limaye : I have three amendments. In the first amendment I have suggested that the representatives of the bank employees, depositers, labourers and cultivators should be included in the Board of Directors. In the previous legislation this principle was accepted by the hon. Minister of Law. But now I find that there is no met provision in this new legislation For the purpose of interim arrangements provisions were made for appointing advisory Board in the previous Bill which was changed. But the provisions of the same has been excluded from this new Bill. All these should be included in this new Bill.

The second point is regarding salary, allowances and other facilities to the chairman or custodians of these fourteen banks. The provisions have been made in the Bill that the Chairman of the Banks would remain as custodians of the same nationalised Banks and they would be getting same salary, allowances and other facilities as they were getting just before the enactment of new legislation. It is not a healthy provision and therefore against the socialistic feelings It is also against the purpose of the Nationalisation. Out of the 14 nationalised banks each of the chairman of the six banks is getting Rs. 6,000 per month as salary apart from this they are getting rent free house, free use of cars and entertainment allowance. The custodians of the nationalised banks will be getting same

amount as salary which is very high. The salary of the custodians of the Nationalised banks should not be more than Rs. 2000 per month.

Provisions for opening new branches of the nationalised banks should be made in new legislation. At least 50 new branches should be opened in the rural areas every year and only then the backward states like Orissa, Rajasthan could be economically benifitted.

Shri Shiv Chandra Jha : We have to see that after nationalisation whatever steps Government takes should lead to socialism. We want that the difference between maximum and minimum salary should be reduced in the rates of 1 and 10 and pay of an employee of the bank and that of a member of the Board of Directors should be fixed according to this ratio, the minimum pay should be fixed Rs. 150 and maximum as Rs. 1500.

Shri Deven Sen : The remuneration of a member of the Board of Directors should be fixed by the Central Government keeping inview of the remuneration paid to a member of the Board of Directors of the existing bank immediately before the enactment of the eglislation, so that there should be no disparity, no anamaly in the remuneration at different places and Government could reduce the remuneration.

Shri Rabi Ray : In order to scrap disparity and unbalances the representatives of the bank employees, depositors, etc should be allowed to represent in the Board of Directors.

We want that all the perquisites together with the pay should not exceed Rs. 2000. India is perhaps the only country where we find that the allowance are five or ten times the pay. We have therefore moved the amendment to the effect that the pay and allowances should not total more than Rs. 2000. If you do so, people will believe that the Government want to nationalise the banks as a measure to bring about Socialism in the country.

My second amendment is with regard to the backward States *viz.*, Orissa, Bihar and Rajasthan. More and more branches of nationalised banks should be opened there. I, therefore, appeal the Government to earnestly accept these quite simple amendments.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालौर) : मैं संशोधन संख्या 136 से 140 के संबंध में एक साथ अपने विचार पेश करूंगा।

यह विधेयक इससे पूर्व जुलाई 1969 में पेश किये गए विधेयक की तुलना में एक आधार भूत परिवर्तन रखता है। पहले विधेयक में यह व्यवस्था थी कि बैंकों के प्रबन्ध के लिए एक निदेशक मंडल का गठन किया जाये तथा उस अवधि तक यह कार्य संरक्षण (कस्टोडियन) करे। परन्तु अब इस विधेयक में संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है और निदेशक मंडल के चयन का अधिकार सरकार को ही देने का विधान है। यह बड़ी ही दोष पूर्ण व्यवस्था है क्योंकि इससे सरकार को अपने ही व्यक्ति नियुक्त करने का अवसर मिलेगा। सभा इसे स्वीकार नहीं करेगी। अतः मेरा संशोधन है कि शीघ्राति-शीघ्र एक निर्वाचित निदेशक मंडल के गठन की व्यवस्था की जाये और यह गठन अधिकाधिक छः मास के भीतर ही हो जाना चाहिए। सरकार की योजना तो यह है कि जब तक संरक्षण इस कार्य की देख-भाल करें परन्तु क्या इतनी थोड़ी अवाफे के लिए दो-दो निदेशक मंडल गठित करना वांछनीय होगा।

अतः कोई कारण नहीं कि सरकार अथवा अन्य कोई सदस्य मेरे संशोधन का विरोध करे। इसलिए मेरा सुझाव है कि उस संशोधन को सभा स्वीकार कर ले।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मेरे संशोधन संख्या 154 का यह आशय है कि

निदेशक मंडल के सदस्यों में एक संसत्सदस्य, एक चार्टर्ड एकाउंटेन्ट, एक अर्थ शास्त्री, लघु उद्योग के एक प्रतिनिधि, कृषक, कर्मचारी तथा जमा कर्त्ता को भी शामिल किया जाये तथा मंडल के सदस्यों को मण्डल की बैठकों में भाग लेने तथा तत्संबन्धी अन्य कार्य के लिए यात्रा तथा खान-पान के खर्च के अतिरिक्त कोई धनराशि न दी जाये। राष्ट्रीयकरण से पूर्व भी ऐसे मण्डल में अर्थ-शास्त्री, चार्टर्ड एकाउंटेन्ट तथा संसत्सदस्य रहते आये हैं। यह एक प्रतिनिधि मण्डल होना चाहिए ताकि वे बैंकों के कार्य पर स्वस्थ प्रभाव डाल सकें। वे लोग अपने अपने कार्य के विशेषज्ञ हों। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार मेरा यह संशोधन स्वीकार कर ले।

मेरा संशोधन के दूसरे भाग में वर्णित आशय स्वतः ही स्पष्ट है। इस मण्डल के सदस्यों को किसी आर्थिक लाभ की बात नहीं सोचनी चाहिये बल्कि सेवा-भाव को लेकर कार्य करना चाहिये।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं इस विश्वास को लेकर अपने संशोधन पेश कर रहा हूं कि सरकार को हर संशोधन को अस्वीकार ही करने को कार्रबद्ध नहीं रहना चाहिये। मेरा पहला संशोधन यह है कि सरकार तथा बैंक परस्पर सलाह तथा सुविधानुसार सम्बन्धित बैंक के मुख्यालयों को स्थानान्तरित कर सकते है ; परन्तु आज यह वृत्ति पाई जाती है कि प्रत्येक राज्य अपने यहां किसी न किसी बैंक का मुख्यालय चाहता है मुझे इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है परन्तु उस विषय पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। मेरा संशोधन यह है कि किसी भी बैंक के मुख्यालय को स्थानान्तरित करने के लिये संसद की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिये। मुझे आशा है कि मेरे इस छोटे से संशोधन को सरकार स्वीकार कर लेगी और यह धारणा नहीं रखेगी कि प्रत्येक संशोधन केवल अस्वीकार करने के लिये ही होता है।

मेरा दूसरा संशोधन उप-खंड (6) के बारे में है जिसमें यह व्यवस्था है कि संरक्षक केवल तब तक ही कार्य करेगा जब तक सरकार चाहेगी। मुझे इस पर आपत्ति है क्योंकि यदि अभिरक्षक सरकार को उसके दल के लिए ऋण न देगा तो सरकार उसे बर्खास्त कर देगी। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार अभिरक्षक को बर्खास्त करने की शक्ति क्यों प्राप्त करना चाहती है ? में चाहता हूँ कि इस खंड को समाप्त कर दिया जाये। क्योंकि सरकार को भी किसी न किसी विषय में बन्धकर ही कार्य करना चाहिये। सब कुछ केवल उसी की मर्जी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये।

खण्ड 9 में इस मंडल में किसानों, मजदूरों दस्तकारों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। परन्तु मैं जानना चाहूंगा कि बेचारे किसान को बैंकिग के बारे में क्या मालूम ?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मैं इस टिप्पणी पर सख्त आपत्ति करता हूँ। यह देश के 40 करोड़ लोगों का अपमान है। उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहियें।

अनेक सदस्य : यह बड़ी ही अपत्तिजनक बात है। श्री लोबो प्रभु अपने ये शब्द वापस लें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपनी इस टिप्पणी से अनेक सदस्यों को क्रोधित किया है। वह अपने यह शब्द वापस ले लें।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और साथ किसानों, मजदूरों तथा ऐसे ही अन्य लोगों के बारे में जो शब्द मैं आगे कहना चाहता था, उन्हें भी वापस लेता हूँ। परन्तु फिर भी मैं इतना तो कहने की अनुमति चाहूंगा कि इस मंडल के सदस्य बनने वाले किसान, मजदूर तथा दस्तकार यथायोग्य हों।

अब जहां आपने उपरोक्त लोगों को प्रतिनिधित्व देना स्वीकार किया है वहां ऐसे लोगों को भी प्रतिनिधित्व देना स्वीकार करें जिनका बैंकिग कार्य से सम्बन्ध है, जो बैंकों का उपयोग करते हैं। व्यापारियों को भी इस मंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये क्योंकि बैंक से आधा ऋण तो वही लोग प्राप्त करते है। तीसरे हजारों लाखों लोगों को नौकरी देने वाले निर्माताओं को भी इस मंडल में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरा यह सुझाव स्वीकार करेंगे।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं इससे सहमत हूँ कि निदेशकों का वेतन 2000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। यह बड़ी ही चिन्ताजनक स्थिति है कि निदेशक गण भत्ता तथा अन्य परितोषिकों के नाम पर प्रति वर्ष लाखों रुपये बैंक से निकाल लेते हैं।

चर्चा के दौरान कहा गया है कि विभिन्न बैंक के कार्यालय समान संख्या में नहीं है। कुछ नगरों में किसी के अनेक कार्यालय हैं तो कुछ नगरों में एक भी कार्यालय नहीं है। अतः मैं खंड 7(1) में इस का संशोधन चाहता हूं कि विभिन्न बैंकों के कार्यालयों के स्थानों के विषय में निर्णय करते समय उन राज्यों के हितों तथा बैंक प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय की बात को ध्यान में रखा जाये।

मेरा यह संशोधन किसी का विरोध नहीं करता। अतः मुझे आशा है कि इसे स्वीकार करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि आप इन कार्यालयों की स्थापना के स्थान नहीं चुनें जिन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है ये कार्यालय केवल दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बंगलौर जैसे बड़े नगरों में ही खुलेंगे तथा अन्य नगरों को यह लाभ न मिल सकेगा। साथ ही यदि आप बैंकों मुख्यालयों को भिन्न-भिन्न स्थानों पर नहीं फैलायेंगे तो उनकी शाखायें सारे देश में नहीं फैल सकेंगी तथा इस प्रकार राज्यों में असन्तुलन बना रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन सभा की स्वीकृति के लिए पेश करता हूं।

श्री प० गोपालन : मेरा संशोधन तो अत्यन्त साधारण है। बैंकों को राष्ट्रीयकृत करने का उद्देश्य यही है कि निर्धन ग्रामीणों तथा लघु स्तर पर उत्पादन करने वालों को ऋण मिल सके। अतः इन बैंकों का ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचना बहुत आवश्यक है। यदि इन बैंकों के मुख्यालय दिल्ली कलकत्ता तथा बम्बई जैसे बने शहरों में रहेंगे तो उसका कार्य कलाप अधिकांशतः शहरों में ही रहेगा तथा ग्रामीण क्षेत्र तथा पिछड़े क्षेत्र उनके लाभ से वंचित रह जायेंगे। अतः मैं चाहता हूं कि इन चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्यालय 14 विभिन्न राज्यों में हों। वैसे तो इन 14 बैंकों को अलग-अलग अस्तित्व में रखा जा रहा है फिर भी इन सभी बैंकों में प्रबन्ध तो एक समान ही होगा। अतः मैं समझता हूँ कि ये 14 बैंक एक भारतीय बैंकिंग निगम की शाखाओं के रूप में कार्य करें।

श्री राजा राम (सलेम) : श्री कोठारी के संशोधन के सम्बन्ध में मैं अपने दल की ओर से यह कहना चाहता हूँ कि बैंकों के निदेशक मण्डल में एक संसत्सदस्य एक अर्थशास्त्री आदि के अतिरिक्त राज्यों का एक प्रतिनिधि भी शामिल किया जाये और इस मण्डल में भी व्यक्ति रखे जाये जिन्हें बैंक के राष्ट्रीयकरण में विश्वास हो । तभी यह राष्ट्रीयकरण सफल हो सकेगा अन्य राष्ट्रीयकरण के विरोधी इस उद्देश्य में रोड़े अटकायेंगे । साथ ही बैंकों के अभिरक्षकों को ये निर्देश भी दिये जायें कि वे ग्रामीण क्षेत्रों तथा सामान्य जनता के हितों का सर्वाधिक ध्यान रखें ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : देश के 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण तथा किसान हैं । सरकार इस संबंध में अपने दिये हुए वायदे को पूरा करे ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 तथा 9 का समर्थन करता हूं जिसमें कहा गया है कि निदेशक मण्डल में जमाकर्त्ताओं, किसानों, मजदूरों दस्तकारों आदि के प्रतिनिधि शामिल किये जायें । दूसरा संशोधन यह है कि किसी भी व्यक्ति को 2000 रुपये अधिक वेतन न दिया जाए न्यूनतम वेतन भी निर्धारित न किया जाए और यदि किया ही जाये तो वह आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम मजूरी के सिद्धान्त पर हो । पिछली बार की तरह सरकार इस बार भी इस संशोधन को स्वीकार कर ले ।

श्री गोविन्द मेनन : बैंकों के प्रबन्ध संबन्धी व्यवस्था खण्ड 9 में की गई है तथा इस संदर्भ में पिछली बार की अपेक्षा सुधार किया गया है । पिछली बार अभिरक्षकों के प्रबन्धाधीन 5 या 6 बैंक थे परन्तु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए प्रतिबन्धों के कारण हम वह कार्यवाही पूरी तरह न कर सके । अतः खण्ड 7 में तुरन्त ही एक निदेशक मंडल के गठन की व्यवस्था की गयी है क्योंकि हम बैंकों को किसी एक अभिरक्षक के नियन्त्रण में नहीं रखना चाहते । इनके वास्तविक प्रबन्ध के लिए हमने खण्ड 9 में एक योजना तैयार करने की व्यवस्था की है । वह योजना सभा के विचारार्थ पेश की जाएगी । इस योजना में कर्मचारियों, जमाकर्त्ताओं तथा किसानों, मजदूरों तथा दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को निदेशक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था है ।

पिछले अवसर के समय की हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं है । यह योजना भी अति शीघ्र ही सभा के समक्ष पेश की जाएगी मुझे आशा है कि 1 महीने के भीतर ही हम उसे यहां पेश कर देंगे ।

मैं मानता हूं कि इन सभी बैंकों के मुख्यालयों को दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई आदि स्थानों पर ही केन्द्रित नहीं किया जाना चाहिए । हम 1 निगम बना रहे हैं और श्री गोपालन के इस तर्क में बड़ी शक्ति है कि इन मुख्यालयों को विभिन्न विभिन्न राज्यों में स्थापित किया जाना चाहिए । निदेशकों को दिए जाने वाले परिश्रमिक संबन्धी बातें भी उसी योजना में शामिल की जायेंगी मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य उससे संबन्धित अपने संशोधनों को वापस ले लें ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 7 पर सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए पेश करता हूँ :

श्री मधु लिमये : संख्या 9 को अलग से रखें ।

अध्यक्ष महोदय : अब संशोधन संख्या 8 को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No.8 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 9 was put and negatived.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : संशोधन संख्या 154 अलग से रखी जाए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10,41,42,43,54,136 से 140 तक सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 10,41,42,43,54,136 to 140 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 154 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 154 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 158,159,169,182,217 से 220 तथा 236 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 151,159,169,182,217 to 220 and 236 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

All the other amendment were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill

खण्ड 6

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं अपना संशोधन संख्या 141 पेश करता हूँ ।

विधेयक के विभिन्न खण्ड का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि रिजर्व बक की अवहेलना करके केन्द्र सरकार को ही अधिकाधिक शक्ति देने का प्रयास किया गया है जबकि रिजर्व बैंक इस बीच विशेष अनुभव प्राप्त करके केन्द्र सरकार तथा वाणिज्यिक बैंकों तथा

अन्य बैंकिंग क्षेत्रों के मध्य सम्पर्क स्थापित रखता आ रहा है तथा इस का कार्य भी सभी के लिए बड़ा ही सन्तोषजनक रहा है। अतः केन्द्र सरकार को अधिकाधिक शक्ति देकर रिजर्व बैंक आफ इन्डिया की अवहेलना करना अनुचित ही होगा। अतः मेरे संशोधन का अभिप्राय वही पहले वाली स्थिति बनाये रखने का है जिसमें अधिकाँश शक्तियां रिजर्व बैंक के हाथ में रहेंगी तथा रिजर्व बैंक प्रत्येक निर्णय करने में केन्द्र सरकार की सलाह लेगा।

श्री गोविन्द मेनन : मैं समझता हूं श्री पाटोदिया खण्ड 8 के बारे में बात कर रहे हैं। वस्तुतः खण्ड 8 स्टेट बैंक आफ इन्डिया अधिनियम के वर्तमान उपबन्ध की नकल दी है उसमें यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार रिजर्व बैंक आफ इन्डिया से सलाह लेकर निर्देश जारी करेगी और मैं समझता हूँ कि यह गारन्टी काफी है क्योंकि वैसे भी तो रिजर्व बैंक आफ इन्डिया भारत सरकार का ही एक अंग है। हम उनसे परामर्श तो लेते ही हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 141 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 141 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 8 क

श्री दण्डपाणि (धारापुरम) : मैं संशोधन संख्या 176 पेश करता हूँ। इसके पूर्व मैं नया खण्ड 8 क विधेयक में जोड़ना चाहता हूं।

मैंने यह संशोधन राज्य सरकारों को वाणिज्यिक बैंक चलाने का अवसर प्रदान कराने के उद्देश्य से पेश किया है क्योंकि वे स्टेट बैंक आफ इण्डिया अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक की विधियों का लाभ नहीं उठा सकती। राष्ट्रीकृत बैंक अपनी जमा राशियों को बड़े बड़े नगरों में केन्द्रित रखेंगे। परन्तु यदि राज्यों को उपरोक्त लाभ दिया गया तो वे गरीबों तथा कृषकों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दे सकेंगी।

दूसरे, राज्यों में रचित स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं में धन जमा कराने के लिए राज्य सरकारों को प्रति 100 रुपये पर 6 पैसे कमीशन देना पड़ता है तथा वापस लेने पर भी उसी दर से पैसे देने पड़ते हैं और इस प्रकार यह कर राशि एक बड़ी राशि पर लगती है। अतः राज्य सरकार को इस राशि का घाटा पड़ता है।

यह कमीशन राज्य सरकार को ही मिलना चाहिये परन्तु इसके साथ साथ केन्द्र सरकार तब भी आपत्ति करती है जब राज्य जमा राशि से अधिक धन बैंकों से निकालते हैं। यह प्रतिबन्ध हटाया जाना चाहिये।

अत: मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें ।

श्री गोविन्द मेनन : वस्तुत: इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है । राज्य सरकारें संयुक्त स्टाक बैंक खोल सकती है तथा उनसे बैंकिंग व्यापार चला सकती है । अभी सभी राज्यों ने लाटरीज आरम्भ कर दी हैं और शायद ये बैंक भी वे खोलना शुरू कर दें । यह विधेयक इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के बीच रोड़ा नहीं बनता ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

खण्ड 9

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं अपने संशोधन संख्या 11 तथा 12 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) मैं अपने संशोधन संख्या 44 तथा 45 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं अपने संशोधन संख्या 55 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं अपने संशोधन संख्या 142 तथा 143 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपने संशोधन संख्या 160 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं अपना संशोधन 170 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री फ० ग्रो० सेन (पूर्णिमा) : मैं अपना संशोधन संख्या 177 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं अपने संशोधन संख्या 194, 195, 197 तथा 198 प्रस्तुत करता हूँ ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I have put the amendment on this clause and I request the hon. Minister to accept them. In all the Commercial Bank, there were 8 lakh accounts in which provision for loan was made. But more than half the amount of the total loans have been given under 658 accounts only. My amendment seeks to check such centralisation of industrial and economic monopolies.

I have sought that at least 40 percent of the total loans, to be provided on the basis of opening of new branches and on the receipt of new deposits, should be given to small cultivators 20 percent to small scale industries and 10 per cent to the persons like Riksha-walas, artisons etc. Thus the 70 percent of the total loan should go to the small people.

Secondly, I have suggested the constitution of a Tribunal to check the cases of bribery etc. in regard to the sanctioning etc. of loans. There have been cases when the poor farmer had to give away Rs. 125 as bribe in order to secure a loan of Rs 200. This Tribunal is, therefore, required to inquire into such actions of corruption and punish the culprits. Without that the purpose of nationalisation will not be fulfilled.

As regards the Board of Directors ; earlier it was decided to be elected whereas now they would nominate it and nomination means nepotism. They would appoint their favourite only. I. therefore, suggest that first of all you prepare your scheme and then bring forward the question of constitution of this Board which should be appointed only on the basis of election without having any principle of representation.

Shri Shiva Chandra Jha : I have moved two amendments Nos. 44 and 45. The former relates to the opening of new branches as also to their structure and paid up capital. Rs. 15 crores has been allocated as capital structure for these branches. This would lessen the number of branches. If my amendment is accepted, the purpose of the Bill would be fulfilled to a large extent. That is why I have suggested that instead of Rs. 15 crores, the Government should allot only Rs. 5 crores for the purpose.

My second amendment relates to the representation in the Board of Directors. The Government should not think in terms of appointing only their favourites. Only the competent people should be included. Therefore I have submitted that.

at page 7, line 32,

for "farmers, workers and artisons" *substitute*

"farmers, workers, artisons, students, harijans and tribals".

you should keep provisions for the tribal and harijans people as also the Adivasis and other weaker sections of the public at large. You should provide for the representation of the students also. Since a large number of students go abroad for higher studies and they come across the difficulty prevailing in the foreign exchange system.

Shri Deven Sen (Asansol) : My amendment is that at Page 7 words "nominated" should be deleted. I have nothing else to say in this regard

Shri Rabi Ray (Puri) : The system of nomination itself weakens the foundation of democracy and the provision of the representation of farmers and workers etc. clearly shows that the Government wants to appoint the favourites of the officers and the Ministers. It is, therefore, necessary to allow only the elected representatives of these categories of people. I also support the amendment suggest by Shri Shiv Chandra Jha, and request the hon. Minister to accept it.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : मंत्री महोदय ने अभी कुछ देर पहले आश्वासन दिया था कि योजना अधिनियम बनने के छः मास के भीतर ही तैयार कर ली जायेगी । सरकार की इसी भावना को नियमित रूप देने के लिए मैंने इस आशय का संशोधन रखा है कि उक्त योजना छः महीने के भीतर भीतर तैयार कर ली जायेगी । अब मैं नहीं जानता कि सरकार मेरे इस संशोधन संख्या 142 को क्यों अस्वीकार करेगी ।

मेरा संशोधन संख्या 143 व्यवसायी तथा स्वयं अपने व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व फैलाने से संबंधित है । इससे निदेशक मंडल का आधार बड़ा विस्तृत हो जायेगा तथा बैंकिंग तथा अर्थ व्यवस्था के हितों में लाभकर रहेगा । अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे दोनों संशोधन स्वीकार कर लिये जायें ।

श्री लोबो प्रभु : बैंकिंग के अर्थ को शायद गलती से यह समझा जा रहा है कि एक बड़ी धनराशि पड़ी है और किसान, हरिजन तथा छात्र आकर उसे खर्च कर सकते हैं । मेरा निवेदन है कि बैंकिंग तो प्रत्येक वर्ग के लोगों द्वारा जमा कराई गई धनराशि पर निर्भर करता है तथा इस संदर्भ में लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए एक बोर्ड का गठन आवश्यक है अन्यथा न तो लोग धन जमा करायेंगे और न ही बैंकिंग का कारोबार होगा । आप अनेक वर्गों को प्रतिनिधित्व तो देना चाहते हैं मगर यदि उस बोर्ड में बैंकिंग प्रणाली को जानने-समझने वाले लोग भी होंगे तो बैंकों का दिवाला पिट जाएगा । धन जमा करने तथा बैंक के धन का उपयोग करने वालों को इस मंडल में प्रतिनिधित्व देने की बात बड़ी अच्छी है । पिछले अवसर पर चार्टर्ड एकाऊन्टेन्टों, अर्थशास्त्रियों

व्यापारियों आदि को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव किया गया था परन्तु उस पर विचार नहीं किया गया। इसका परिणाम यह होगा कि धन तो बहुत जमा होगा परन्तु गैर-सरकारी बैंकों में होगा राष्ट्रीयकृत बैंकों में नहीं। अत: मंत्री महोदय इन बैंकों को हास्यास्पद न बनाये। बैंकिंग का अर्थ छात्रों, आदिवासियों या हरिजनों आदि को खुश करने में कहीं अधिक है। यदि निदेशक मंडल में सुयोग्य व्यक्ति नहीं होंगे, तो अफसर लोग अपनी मनमानी करेंगे। वे आपके किसानों, दस्तकारों तथा अच्छे-अच्छे छात्रों को खूब उल्लू बना सकते हैं। अत: यदि आप एक अच्छा निदेशक मंडल चाहते हैं तो उनके सदस्यों का चयन योग्यता के आधार पर करें कमजोर वर्ग के प्रतिनिधित्व आदि की बात को रहने दें।

श्री दण्डपाणि (धारापुरम) : मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह निदेशक मंडल में राज्य सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि भी शामिल कर ले तथा इस मडल में राज्य सरकार की आवाज भी होनी चाहिए। इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा राज्य सरकारों के मध्य बैंकिंग उद्योग के सामान्य कार्य के सम्बन्ध में अधिक अच्छी सूझ-बूझ की स्थिति स्थापित करने में सहायता मिलेगी। मंत्री महोदय मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री स० कुण्डू : खण्ड 9 में कहा गया है कि इस निदेशक मंडल में कर्मचारियों के प्रतिनिधि रखे जायेंगे। मेरे संशोधन का आशय यह है कि इसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाये क्योंकि अन्यथा इस श्रेणी में प्रबन्धकों तथा अन्य लोगों को शामिल कर लिया जायेगा। इसलिए मैं प्रस्ताव किया है कि 700 रुपये तक के अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को इस मंडल में एक तिहाई प्रतिनिधित्व दिया जाये।

उसे बंबई से तार मिला है कि राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संघ से बातचीत करने के अधिकारों से बातचीत करने के अधिकारों से वंचित कर दिया गया है यह संघ सदैव ही राष्ट्रीयकरण का समर्थन करता रहा है। मैं नहीं जानता कि उनके साथ यह भेद-भाव क्यों किया गया है। जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है तथा एक नई श्रमिक शक्ति का जन्म हुआ है, तो इन लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka): I have put amendments 194 to 198 on Clause 9. This Clause is the backbone of this entire Bill and therefore we should make very obvious, strong and foolproof. In my amendment No. 194 in line 5 at page 7 I have requested for substituting the word "may" by the word "shall" so as to make the provision quite imperative. And also that the phrase "not later than the 30th June, 1970" should be added in the end. Under amendment No. 196, I have said:

"Page 7—

after line 24, insert—

"(ii) Guide lines according to which loans and advances were to be made with or without security. Provided that at no time there shall be less than six State owned New Banks functioning in the country".

This amendment of mine provides for necessary guide lines also which are very essential for the proper implementation of the Act.

I, therefore, hope that the hon. Minister would accept my amendments.

Similarly, I want that the representatives of small scale industrialist and small traders should also be included in Board of Directors, as this category of people will be availing themselves of the maximum loan for their trade and production. And also I suggest that

the big traders and factory or mill owners should not be included-provided-their investment in land, business or industry does not exceed rupees one lakh.

श्री राजाराम (सलेम) : मैं श्री दण्डपाणि के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

मेरे चुनाव क्षेत्र सलेम में गत छः माह में प्रायः 200 व्यक्तियों को जिनमें साधारण दुकानदार भी शामिल हैं, लगभग 30 लाख रुपये का ऋण दिया गया । वे बहुत प्रसन्न हैं और जानते हैं कि बैंकिग क्या होती है । पहले उन्हें 100 रुपये पर 8 रुपये ब्याज देना पड़ता था परन्तु अब बैंक उनसे नाममात्र को ही ब्याज ले रहे हैं । अतः उन लोगों में से कोई भी इस निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व कर सकता है । वे लोगों के हितों तथा राष्ट्रीयकरण की नीति के रक्षक सिद्ध होंगे क्यों वे इस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं । अतः निदेशक मंडल में केवल डिग्री आदियों की आवश्यकता नहीं है ।

श्री गोविन्द मेनन : खण्ड 9 में सरकार को संसद की ओर से यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि सरकार बैंकों के प्रबन्ध के बारे में डाक योजना संसद के समक्ष विचारार्थ पेश करें । इस खण्ड के बारे में केवल श्री पाटोदिया ने ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि हम कितने समय तक यह योजना सभा के सामने पेश करेंगे । इस खण्ड में इस बात का विवरण नहीं है । परन्तु मैंने वित्त मंत्रालय में अपने सहयोगियों से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया है तथा मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि इस अधिनियम के लागू होने से छः महीने के अन्दर अन्दर हम यह योजना संसद के सामने पेश कर देंगे । शेष जो कुछ कहा गया है वे ऐसी बातें हैं जो उस योजना में शामिल करने के लिए हैं । अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधनों के बारे में जोर न दें ।

अध्यक्ष महोदय अब मैं खंड 9 पर प्रस्तुत हुए सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

Shri Shiv Chandra Jha : Amendment No. 45 be put separately.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11, 12 तथा 44 सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendment Nos. 11, 12 and 44 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 45 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 45 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 55, 142, 143, 160, 170, 177 तथा 194 से 198 तक सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The amendment Nos. 55, 142, 143, 160, 170, 177 and 194 to 198 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया था कि माननीय सदस्य खंड 10 से 19 तक एक साथ चर्चा करना चाहते हैं ।

Shri Shiv Chandra Jha : My amendment is on Clause 10. Therefore I should be called first.

Mr. Speaker : Shri Shiv Chandra Jha may speak and put his amendment on Clause 10.

Shri Shiva Chandra Jha : I have put my amendment No. 46 on Clause 10 in which I have suggested that the monthly salary of the Auditor should not exceed Rs. 1500. We should have a ratio of 1 : 10 in regard to the minimum and maximum.

That is my amendment and I request the hon. Minister to accept it.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मेरा संशोधन संख्या 128 बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ कि सभा इसकी ओर ध्यान दे । मैंने अपने संशोधन में सुझाव दिया है कि इस खण्ड में सामान्य लेखा परीक्षक अथवा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जो लेखा परीक्षा की जाये उसकी पुनः जांच भारत के महा लेखा परीक्षा द्वारा किये जाने की व्यवस्था हो जैसा कि सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में होता है, यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सांविधिक लेखा परीक्षकों को तो नियमों के अनुसार जांच करनी होती है जबकि सामान्य लेखा परीक्षक से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह इसकी भी जांच करे कि शक्तियों तथा अधिकारों का समुचित प्रयोग किया गया है अथवा नहीं तथा बैंकों ने ऋण सम्बन्धी नीति का अनुकरण किया है अथवा नहीं तथा क्या रिजर्व बैंक विदेशों का समुचित पालन हुआ है अथवा नहीं इस दृष्टि से मैं सरकार से यह जोरदार अनुरोध करूंगा कि सरकार इसे स्वीकार कर ले क्योंकि कम्पनी अधिनियम की धारा 619 के अधीन सरकारी क्षेत्र के अन्य सांविधिक निगमों के मामले में भी महालेखा परीक्षक को सांविधिक लेखा परीक्षकों को अनुदेश तथा निर्देश देने तथा अपनी स्वेच्छा से अनुपूरक तथा जाँचार्थलेखा-परीक्षण करने का अधिकार होता है । राष्ट्रीयकृत बैंकों को उचित ढंग से चलाने की दृष्टि से मेरा संशोधन बड़ा महत्वपूर्ण हैं तथा इसे स्वीकार कर लिया जाये । महालेखा परीक्षक के अधिकारों के बारे में विचार करते समय भी प्रवर समिति में यह प्रश्न उठाया गया था और प्रवर समिति के प्रायः सभी सदस्यों का विचार था कि महालेखापरीक्षक को बैंकों के तथा जीवन बीमा निगम तथा अन्य वित्त संस्थानों के मामलों में जांच करने का अधिकार होना चाहिए । सरकार इस बात को कम से कम अपनी योजना में तो अवश्य ही शामिल करे ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपनी संशोधन संख्या 46 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं अपना संशोधन संख्या 128 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपने संशोधन संख्या 144, 161 तथा 162 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री देवेन सेन : मैं अपना संशोधन संख्या 54 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 163 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपने संशोधन संख्या 47 तथा 48 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री मी० रु० मसानी : मैं अपने संशोधन संख्या 145 तथा 146 पेश करता हूं ।

इन संशोधनों का उद्देश्य बैंकों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है । पहले संशोधन में यह बात स्पष्ट की गई है कि राष्ट्रीयकृत बैंक का यदि कोई कर्मचारी राष्ट्रीयकरण के एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त होना चाहे तो उसे सेवानिवृत्ति के वही लाभ मिलने चाहिए जो उसे राष्ट्रीयकरण से पूर्व सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होते थे ।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि कर्मचारी को उसके एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानान्तरण पर प्रतिकर सम्बन्धी अधिकार मिलना चाहिए। इस विधेयक में इन अधिकारों को छीन लिया गया है । बैंक कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये दोनों संशोधन प्रस्तुत किये हैं और आशा है कि मन्त्री महोदय इनको स्वीकार कर लेंगे ।

Shri Deven Sen (Asansol) : I want that clause 4 should be deleted and compensation rights of the employees on transfer from one Nationalised bank to another should not be taken away.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : अपने संशोधन में मैंने यह प्रस्ताव किया है कि लेखापाल के सभी प्रतिवेदन महालेखापाल के माध्यम से आने चाहिए ।

मेरा एक संशोधन खण्ड 10 के उप-खण्ड (7) के बारे में है । इस खण्ड में यह व्यवस्था है कि बैंकों का सारा लाभ सरकार के खाते में जमा किया जाना चाहिए । इस प्रकार बैंकों के पास अपने विस्तार तथा नई योजनाओं में लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा । मैं चाहता हूं इस मामले में वही रवैया अपनाया जाये जो सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के बारे में अपनाया जाता है अर्थात् सरकार केवल अपनी पूंजी का ब्याज ही प्राप्त करे । यह एक बहुत साधारण संशोधन है और आशा है कि सरकार इसको स्वीकार कर लेगी ।

मेरा दूसरा संशोधन खण्ड 14 के बारे में है जिसके अन्तर्गत बैंकों के अभिरक्षकों को ही सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया है । मेरे विचार में सभी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री मसानी तथा श्री देवेन सेन ने जो संशोधन दिया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मेरा निवेदन है कि बैंकों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को राष्ट्रीयकरण से पूर्व अधिकार उपलब्ध थे वे उनको मिलते रहने चाहिए अतः श्री देवेन सेन के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए । यदि माननीय मन्त्री इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं तो कम से कम उनको श्री मसानी का संशोधन तो अवश्य ही स्वीकार कर लेना चाहिए । कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : In my amendment I have suggested that the words 'or in the procedure' should be added after the words 'or committee'.

In my second amendment I have suggested that the word 'and prompt' may be added after the word 'efficient' in clause 19(2).

I hope these will be accepted by the hon. Minister as these are very simple amendments.

श्री गोविंद मेनन : श्री मसानी ने खण्ड (9) का जो उल्लेख किया है और श्री बनर्जी जो उसका समर्थन किया है वह गलत शंका पर आधारित है । मैं इस बात को स्पष्ट करके बताता हूँ । स्थिति यह है कि इस समय सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया है और इस बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इसको सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया के एक सरकारी निगम द्वारा चलाया जायेगा । अतः वास्तव में कर्मचारियों की कोई तबदीली नहीं होगी । वे वहीं पर काम करेंगे अतः इस बात को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लाना चाहिए । कर्मचारियों के अधिकार छीनने का कोई इरादा नहीं है ।

लेखा परीक्षा अनिवार्य है और लेखा परीक्षक के सभी प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखा जायेगा यदि उसमें कोई सन्देहजनक बात हुई तो संसद अनुपूरक प्रतिवेदन के लिए कह सकती है ।

महालेखापरीक्षक की शक्तियों की परिभाषा करने वाला एक विधेयक सरकार के विचाराधीन है । इसको उस विधेयक में शामिल किया जा सकता है पहले भी सांविधिक निगम काम कर रहे हैं । अतः शंका अथवा संदेह की कोई बात नहीं है । अतः मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस मामले के ब्यौरे में न जांय, उनको एक और अवसर भी मिलेगा ।

हम इन चौदह बैंकों का लोकहित में राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बड़े-बड़े वित्तीय संस्थान सरकारी नियंत्रण में होने चाहिए । जहां तक मुनाफे का सरकार को मिलने का प्रश्न है रक्षित निधि आदि में रखने के पश्चात् जो धन राशि बचेगी वही मुनाफे के रूप में सरकार को मिलेगी । वर्तमान योजना के अन्तर्गत सरकार अथवा भारत के राष्ट्रपति इन बैंकों के भागीदार बनेंगे । अतः जो मुनाफा है वह भागीदार के नाते सरकार को मिलेगा । मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वह संशोधन वापस ले ले ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड 10 से 19 पर संशोधन संख्या 46, 128, 144, 161 162, 56, 145, 146, 163, 47 और 48 सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 से 19 विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 10 से 19 विधेयक में जोड़ दिये गए

Clause 10 to 19 were added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 20 और 21 पर चर्चा होगी ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.*]

श्री देवेन सेन : मैं अपनी संशोधन संख्या 57 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अपनी संशोधन संख्या 96, 97, 126, प्रस्तुत करता हूं ।

जब श्री मोरारजी के समय में धारा 36 एडी लागू की गई थी तो उस समय इस धारा का घोर विरोध किया गया था । अब भी अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एशोसियेशन के अन्तर्गत कर्मचारी जिन्होंने राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया था, इस धारा का विरोध कर रहे हैं । परन्तु प्रतिक्रियावादी शक्तियां, जिन्होंने अध्यादेश तथा अधिनियम का विरोध किया था, अब भी कर्मचारियों के मजदूर संघों के अधिकारों को खत्म करने पर लगे हुए हैं । मेरा अनुरोध है कि सरकार कर्मचारियों और सरकार के सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए इस धारा को समाप्त कर दे । जब तक इस धारा को समाप्त नहीं किया जाता तब तक औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार नहीं हो सकता ।

सर्वोच्च न्यायालय के जिस बैंक ने अध्यादेश तथा अधिनियम के बारे में अपना निर्णय दिया है उसके दो अथवा तीन न्यायाधीशों के पंजाब नेशनल बैंक आदि में बहुत संख्या में शेयर हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि जिन न्यायाधीशों का बैंकिंग उद्योग से सम्बन्ध है अथवा बैंकों में शेयर है उनको इस बारे में अपना निर्णय नहीं देना चाहिए । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये । धारा 36 एडी को वापिस ले लिया जाना चाहिए । मुझे आशा है कि अन्य सदस्य भी मेरे इस संशोधन का समर्थन करेंगे ।

Shri Deven Sen : In my amendment I have suggested that lines 28 to 32 may be deleted from sub-clause 1(b) of clause 20. This amendment is almost similar to that of Shri Banerjee. I also want that section 36AD may be withdrawn.

श्री दण्डपाणि (धारापुरम) : मैंने संशोधन संख्या 96 और 97 प्रस्तुत किया है । यदि धारा 36 एडी को वापिस नहीं लिया जाता तो समूचे बैंकिंग उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ेगा । इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस धारा को वापस ले लिया जाये ।

Shri Rabi Ray (Puri) : I rise to support the amendment of Shri Banerjee. In this connection I may also quote the decision given by Shri Gajendragadkar in case of Shri Manik Lal vs. Dr. Prem Chand. After reading that decision the hon. Minister will have no hesitation in accepting the amendment moved by Shri Banerjee. Section 36AD is against the interest of the labourers. It should be withdrawn.

श्री प० राममूर्ति (मदुरै) : मैं जानना चाहता हूँ कि बैंक कर्मचारियों के लिए यह विशेष उपबन्ध रखे जाने के कारण क्या है ? जहां तक हमारे सर्वोच्च न्यायालय का सम्बन्ध है वह इसको अच्छा ही बतायेगा । मैं जानना चहता हूं कि वह सरकार कहां है जो दिन रात समाजवाद, कर्मचारियों तथा सामान्य व्यक्तियों के हित की बात कहती है । जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है श्री मोरारजी देसाई तथा वर्तमान सरकार में कोई अन्तर नहीं है ।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : I would also like to request that the amendment moved by Shri Banerjee may be accepted as the bank employees are not different in any way than the other Government employees.

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : प्रवर समिति में सामाजिक नियन्त्रण विधेयक के समय हमने इस धारा का विरोध किया था और अनुरोध किया था कि इसको समाप्त कर दिया जाये। मेरा अब भी अनुरोध है कि इसको हटा दिया जाये क्योंकि इससे मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को आघात पहुँचता है। मजदूरों के हड़ताल करने के अत्यावश्यक अधिकार को खत्म करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मेरे विचार में बैंकों के कर्मचारियों को जनता के अधिकारों से ऊपर अधिकार नहीं दिये जा सकते। मेरी निष्ठा समूचे देश के मजदूरों के प्रति है न कि मजदूरों के एक वर्ग के प्रति।

बैंक राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य जनता में विश्वास को बनाये रखना है। यदि इनको मजदूर संघों के सदस्यों के लिए युद्ध का मैदान बनाना हैं, यदि बैंकों के कार्य में बाधा डालनी है तब...

श्री उमानाथ : आप मजदूरों को बैंकों से पृथक क्यों कर रहे हैं ?

श्री लोबो प्रभु : आप बैंकों के पूरे ढांचे को ही समाप्त कर देंगे। बैंक राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा।

श्री प० राममूर्ति : मैं एक जानकारी चाहता हूं। बड़े-बड़े व्यापारी लोग बैंकों के प्रति जनता के विश्वास को कम कर रहे थे। आप उनको दण्ड देने सम्बन्धी संशोधन लाने के लिए क्यों नहीं कहते ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री लोबो प्रभु यह भूल गये हैं कि इस सभा के वरिष्ठ सदस्यों ने इस आशय के इश्तिहार चिपकायें हैं कि रुपया जमा कराने वाले अपने रुपयों को वापस निकाल लें। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : यदि उच्चतम न्यायालय का कोई जज या किसी उच्च न्यायालय का कोई जज किसी विशेष मामले में रुचि रखता है तो उसे उस मामले में निर्णय देने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि यह एक सामान्य कानूनी व्यवस्था है कि स्वयं अपने से सम्बन्धित मामले में कोई व्यक्ति स्वयं कानून को हाथ में नहीं ले सकता।

गोविन्द मेनन : उपाध्यक्ष महोदय। सामान्य जनता तथा बैंक कर्मचारियों ने बैंक राष्ट्रीयकरण का स्वागत किया है। जनता के समर्थन से यह सम्भव हो गया है कि देश में प्रगतिशील समाजवादी नीति को अपनाया जा सकता है। बैंककारी विनियम अधिनियम में जब धारा 36 ए० डी ० को जोड़ा गया था तो सदन में भारी मतभेद प्रकट किया गया था। सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए धारा 36 ए० डी० को हटाने के लिए सिफारिश की जायेगी तथा यह भी ध्यान रखा जायेगा कि वास्तविक कार्मिक संघों की गतिविधियों में कोई कठिनाई उपस्थित न हो। याचिका समिति ने यह सिफारिश की थी कि वास्तविक कार्मिक संघों की गतिविधियों में कोई बाधा न उपस्थित हो तथा बैंक कर्मचारियों को किसी भी रूप में तंग न किया जाय। इस संदर्भ में मुझे यह सूचना मिली है कि सरकार ने उक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया है तथा रिजर्व बैंक

ने विभिन्न बैंकों से धारा 36 ए० डी० को हटाने के बारे में लिखा है। इस विधेयक द्वारा धारा 36 ए० डी० को हटाने के सम्बन्ध में कुछ तकनीकी कठिनाइयां हैं अतः सरकार को दूसरा विधेयक लाना पड़ेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न भी उठाया है कि निर्णय देने वाले जजों में कुछ जज किसी मामले में स्वयं भी रुचि रख सकते हैं। इस सम्बन्ध में यह सर्व विदित कानूनी व्यवस्था है कि जहां कर्तव्य और हित परस्पर टकराते है वहां कर्तव्य को ही महत्ता देनी चाहिये। अतः इस विधेयक में इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत हमें उच्चतम न्यायालय से अपने मूल अधिकारों की रक्षा की मांग करने का अधिकार है अतः यह अनुच्छेद अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसी कारण उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को महान व्यक्ति कहा गया है। फिर भी सभा में व्यक्त किये गये विचारों पर ध्यान दिया जायेगा। इस खण्ड पर प्रस्तुत किये गये संशोधनों के विषय में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि सदन इस विधेयक से सहमत है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 20 के सम्बन्ध में सभी संशोधनों को सभा के समस्त मतदान के लिये रखता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 20 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 21 के सम्बन्ध में संशोधक संख्या 126 को मतदान के लिये रखता हूँ।

उपाध्यक्ष द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 21 was added to the Bill

तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

The Third Schedule was added to the Bill

खंड 1—विधेयक का नाम और लागू होने की तिथि

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपना संशोधन संख्या 129 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Shiv Chandra Jha : In view of the fact that the Government intend to nationalise 14 banks, the word 'nationalisation' is also required to be inserted after the words 'the Banking Companies' in the sub-clause of the clause 1. To manifest the spirit of the Act it is required that the title of it should be given as 'The Banking Companies Nationalisation Act, 1970'. When it is the policy of the Government to take recourse of the nationalisation the word nationalisation itself should also be given its proper place in the legislation.

श्री लोबो प्रभु : श्री मसानी ने इस बात का उल्लेख कर दिया है कि अधिनियम को 14 फरवरी 1970 से लागू करना चाहिये। मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार किसी भी कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर सकती है। इस बात में कोई संदेह भी नहीं है। किन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि पुराने अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में क्या किया जायेगा। नये तथा पुराने अधिनियमों में पारस्परिक विरोध है तथा जो कार्यवाही पहले अधिनियम के अन्तर्गत की गई थी वह नये अधिनियम के अन्तर्गत नहीं की जा सकती। इस विरोध का कैसे समाधान किया जायेगा।

श्री गोविन्द मेनन : मैं यह निवेदन कर चुका हूँ कि संसद् किसी भी कानून को भूतलक्षी प्रभाव देने में समर्थ है।

सरकार ने 19 जुलाई 1969 से बैंकों को अपने अधिकार में लिया था तथा सरकार इन बैंकों को किसी भी अवधि में इसी स्थिति में नहीं छोड़ सकती जब विधेयक के रद्द किये जाने से ये बैंक न राष्ट्रीयकृत थे और न गैर-सरकारी क्षेत्र में थे। अतः इस अवधि को समाप्त करने के भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक है।

श्री झा ने 'राष्ट्रीयकरण' शब्द को रखने की चर्चा की है। संविधान में राष्ट्रीयकरण शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु अनुच्छेद 19 (6) में इस आशय की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अनुसार सरकार को किसी व्यापार या उपक्रम का पूर्ण या आंशिक राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार है इस विधेयक में बैंक उद्योग का आंशिक राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया गया है तथा 'राष्ट्रीयकरण' शब्द का इस खण्ड में उपयोग करने से कोई लाभ नहीं है। मुझे आशा है माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेगें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 25 और 129 को मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting Formula was added to the Bill.

विधेयक का नाम

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपने संशोधन संख्या 22, 23 और 24 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री लोबो प्रभु : महोदय ! मैं अपना संशोधन संख्या 155 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं अपने संशोधन संख्या 200 और 201 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Shiv Chandra Jha : Sir, since this Bill provides for the nationalisation of only 14 banks, I do not like to insist upon the substitution of the word 'all' for 'certain'.

Secondly, it would be much better to substitute the words 'commanding heights' for the word 'heights' with a view to clarify the objectives of this Bill.

I also suggest that the term national policy given in the long title would not suffice and the Government should agree to insert the words "and socialist" after the word "national". The term 'National policy' does not give clear outlook and it may gather different types of interpretation. Therefore, it is necessary to add the word society so that there would be no ambiguity regarding the policy of the Government.

श्री लोबो प्रभु : महोदय ! मैं अपने संशोधन के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं किन्तु इस समय मैं इस विधेयक का समर्थन करने वाले माननीय सदस्यों की बातों पर ही कुछ कहना चाहता हूँ ।

सबसे पहले मैं श्री पाणिग्रही के इस वक्तव्य का उल्लेख करता हूं कि 600 रुपये दिये बिना 5,000 रुपयों का ऋण प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं माननीय मंत्री तथा इस सदन से यह जानना चाहता हूँ कि क्या राष्ट्रीय नीति यही है कि ऋण प्राप्त करना इतना कठिन और महंगा कर दिया जाये ।

श्री मधु लिमये का कहना है कि यह ऋण एक प्रकार का तकावी ऋण है जिसे 25% धन राशि दिये बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता ।

अन्त में मैं अपने एक अच्छे मित्र के वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिन्होंने यह कहा था कि कांग्रेस ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिये एक बैंक से राष्ट्रीयकरण से पहले 10 लाख रुपयों की राशि प्राप्त की थी । मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक से सरकार विकास कार्यों को पूरा नहीं करना चाहती वरन् अपने राजनीतिक हितों को पूरा करना चाहती है । आप चाहें इसे समाजवादी कहिये या राष्ट्रवादी किन्तु इससे जनता का कोई हित नहीं है ।

श्री गोविन्द मेनन : उपाध्यक्ष महोदय ! माननीय सदस्य श्री लोबो प्रभु से ऐसी आशा नहीं थी कि वह इस स्थिति में इस विधेयक के विषय में इस प्रकार की टिप्पणी करते ।

सरकार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में एक सतर्कता कक्ष (विजीलेंस सैल) स्थापित क चाहती है । यह कक्ष प्रबन्ध प्रशासन के अधीन नहीं होगा तथा जब भी कोई त्रुटि पाई जाए यह कक्ष उस मामले की जांच करेगा । (**व्यवधान**)

श्री झा द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पहले ही निश्चित किया जा चुका है कि हम सभी बैंकों का राष्ट्रीय-करण नहीं करना चाहते । (**व्यवधान**)

'सोशलिस्ट' शब्द का प्रयोग किया जाये या न किया जाये इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। सरकार समाजवाद के पक्ष में तो ही अन्यथा इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही क्या हो...

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 22, 23, 24, 155, 200 और 201 ... मतदान के लिए रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री गोविन्द मेनन : महोदय ! मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

मैं सभी उपस्थित माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि आज का दिवस स्मरणीय दिवस है क्योंकि देश की जनता के प्रतिनिधि इस विधेयक को पारित करने के लिए इतनी रात तक बैठे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार 25 मार्च, 1970/4 चैत्र, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 25th March, 1970/Chaitra 4, 1892 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6.